# लोक-सभा वाद-विवाद

## संक्षिप्त अनूदित संस्करण

# SUMMARISED TRANSLATED VERSION
# OF
# LOK SABHA DEBATES

[ नवां सत्र
Ninth Session ]

5th Lok Sabha

[ खंड 33 म अंक 11 से 20 तक हैं
Vol. XXXIII contains Nos. 11 to 20 ]

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

*Price* : Two Rupees

# विषय सूची/CONTENTS

अंक 18, बुधवार, 5 दिसंबर, 1973/14 अग्रहायण 1895 (शक)

*No. 18, Wednesday, December 5, 1973/Agrahayana 14, 1895 (Saka)*


| विषय | SUBJECT | |
|---|---|---|
| प्रश्नों के मौखिक उत्तर | ORAL ANSWERS TO QUESTIONS | |
| ता० प्रा० संख्या | S. Q. No. | पृष्ठ/PAGES |
| 345. आंध्र प्रदेश संम्बन्धी 6 सूत्री फार्मूले पर समाचार चित्र | News Reel on six point Formula for Andhra Pradesh . . . | 1—2 |
| 346. कोका कोला निर्यात निगम की गतिविधियों में वृद्धि | Expansion of activities of Coca Cola Export Corportion . . . | 2—4 |
| 348. एक करोड़ रुपये तक के उद्योगों को लाइसेंस लेने से छूट | Exemption of Industries upto one Crore from Licensing . . | 5—6 |
| 349. बल्ब और ट्यूब निर्माता कारखाने | Bulb and Tubes Manufacturing Units . . | 6—7 |
| 353. गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्योगों का विस्तार कार्यक्रम | Expansion Programme of Private Sector Industries . . . | 7—11 |
| 357. तारों (टेलिग्राम) के लिए देवनागरी का प्रयोग | Use of Devanagri for Telegrams . . | 12—13 |
| 358. लखनऊ, दिल्ली, बम्बई तथा अन्य स्थानों में गुप्त जनवाणी प्रसारण केन्द्र | Secret Jan Vani Broadcasting Stations at Lucknow, Delhi, Bombay and other Centres . | 13—16 |
| 359. राजेन्द्र नगर तथा पटना सिटी टेलीफोन केन्द्र | Rajendranagar and Patna City Telephone Exchanges . . . . | 17—18 |


किसी नाम पर अंकित यह —+इस बात का घोतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

The sign —+marked above the name of a Member indicated that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

| ता: प्रा० सं०<br>S.Q. No. | विषय<br>SUBJECT | पृष्ठ/PAGES |
|---|---|---|
| 342. | औद्योग उत्पादन पर कोयले की कमी का प्रभाव<br>Effect of Shortage of Coal on Industrial Production | 18—19 |
| 343. | विदेशी फर्मों को गत तीन वर्षों में सी० ओ० बी० लाइसेंस जारी करना<br>Issue of COB Licences to Foreign Firms during Last Three Years | 19—20 |
| 344. | उच्च प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों का वर्गीकरण<br>Classification of High Priority Industries | 20—21 |
| 347. | बंगलौर में आल इंडिया पुलिस साइंस कांग्रेस<br>All India Police Science Congress at Bangalore | 21 |
| 350. | टेलीविजन कार्यक्रमों का प्रसारण करने वाले बिहार के आकाशवाणी केन्द्रों के नाम<br>Names of Radio Stations in Bihar where Television Programmes are Telecast | 21 |
| 351. | विद्युत की कमी के कारण इंजीनियरिंग कारखानों को हुई हानि<br>Loss incurred by Engineering Units due to Power Shortage | 22 |
| 352. | हरियाणा-राजस्थान, उत्तर प्रदेश-राजस्थान और हरियाणा-उत्तर प्रदेश के बीच सीमा विवाद<br>Boundary disputes between Haryana-Rajasthan, U.P-Rajasthan and Haryana-U.P. | 22 |
| 354. | इलेक्ट्रानिकस के क्षेत्र में फ्रांस द्वारा भारत को सहायता की पेशकश<br>Help offered to India by France in Electronics Field | 22—23 |
| 355. | रजिस्ट्रर्ड पत्रों एवं पार्सलों का डाल्टन गंज, पालामऊ, बिहार में विलम्ब से पहुंचना<br>Delay in Registered Letters and Parcels reaching Daltonganj, Palamau, Bihar | 23 |
| 356. | चलचित्र वित्त निगम द्वारा चुने गए तथा वित्त पोषित बंगाली पटकथाएं<br>Number of Bengali Scripts selected and financed by Film Finance Corporation | 23—24 |
| 360. | केवल उद्योग में कच्चे माल की कमी<br>Shortage of Raw Materials in Cable Industry | 24 |
| 361. | महानगरों के लिये सर्वांगीण विकास योजना<br>Perspective Development Planning for Metropolitan Cities | 24—25 |
| अत: प्र० संख्या<br>U. S. Q. No. | | |
| 3392. | केरल में निर्यात-प्रधान उद्योगों का विकास<br>Development of Export Oriented Industries in Kerala | 25 |

अता: प्रा० सं०/


| U.S.Q. Nos. | विषय | SUBJECT | पृष्ठ/PAGES |
|---|---|---|---|
| 3393. | आदि वासियों के लिये छात्रावास बनाने हेतु मध्य प्रदेश सरकार की योजना | Scheme from Madhya Pradesh Government for Construction of Hostels for Adivasis . . | 25—26 |
| 3394. | केरल में तरल प्रणीदक एकक स्थापित करने के लिये स्थान का चयन | Site Selected in Kerala for Starting Liquid Propellant Unit . . | 26 |
| 3396. | केरल के कवि कुमारन आसन पर वृत्त चित्र | Documentary Film on Kumaran Assan, Poet of Kerala . . . | 26 |
| 3397. | प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि | Increase in Per Capita Income . . . | 26—27 |
| 3398. | मध्य प्रदेश के डाक विभाग में डिवीजन और सब-डिवीजन | Divisions and Sub Divisions in Postal Depart ment, Madhya Pradesh | 8 |
| 3399. | राज्यों में तैनात पैरामिलिटरी दलों पर व्यय | Expenditure on Para Military Forces Deployed in States . . . | 2 —28 |
| 3400. | अन्य ग्रहों से भारत में प्राप्त संदेशों का रिकार्ड किया जाना | Recording of Message received in India from Other Planets . . | 26 |
| 3401. | अहमदाबाद में टेलीफोन कनेक्शन | Telephone Connections in Ahmedabad . . . | 27—29 |
| 3402. | डाक तथा तार विभाग में हिन्दी से अपरिचित कर्मचारियों को प्रशिक्षण | Training of Non-Hindi knowing employees in P. & T. Department | 29 |
| 3403. | पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना के लिये औद्योगिक गृहों के प्रस्ताव का अस्वीकार किया जाना | Rejection of Proposals of Industrial Houses for Setting up Industries in Backward Areas . . | 29—30 |
| 3404. | राष्ट्रपति शासन वाले राज्यों में बलात्कार डकैती, हत्या के मामले | Cases of Rape, Dacoity, Murder in States under President's Rule . . | 30 |
| 3405. | जावरा टेलीफोन एक्सचज | Jaora Telepnone Exchange | 30—31 |
| 3406. | विदेशी फर्मों द्वारा संयंत्र और मशीनों में पर्याप्त वृद्धि करके विविधीकरण कार्यक्रम आरंभ करना | Diversification Programme by Making substantial addition to plant and Machinery by Foreign Firms . | 31 |

| U.S.Q. Nos. | विषय | Subject | पृष्ठ/Pages |
|---|---|---|---|
| 3408. | साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिज्किस, कलकत्ता में नियुक्तियों, पदोन्नति, यात्रा भत्ते की नियम संहिता | Manual for Appointments, Promotions, Travelling Allowance in the Saha Institute of Nuclear physics, Calcutta . . | 31—32 |
| 3410. | लाइसेंस जारी करने में विलंब | Delay in Issue of Licences | 32 |
| 3411. | बिजली के उत्पादन के लिये नेशनल रिसर्च एंड प्रोडक्ट डेवेलपमेंट प्रोग्राम | National Research and Product Development Programme for Power Generation . . . | 32—33 |
| 3412. | इन्जीनियर और भारतीय प्रशासन सेवा के आधिकारियों का समान दर्जा देने से इनकार करने के बारे में गृह मंत्री वक्तव्य | Statement of Minister of Home Affairs Ruling out Engineer and IAS Parity | 33 |
| 3413. | भारत-सोवियत संधियों के अंतर्गत विज्ञान और प्रोद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग | Areas of Co-operation in the Field of Science and Technology under the Indo-Soviet Treaties | 33—35 |
| 3414. | पांचवीं योजना के लक्ष्यों पर मूल्य वृद्धि का प्रभाव | Impact of Increase in prices on Fifth Plan Targets . . . | 35 |
| 3415. | नेशनल मेटालरीजिकल लैबोरेटरी इम्पलाईज ऐसोसिएशन (राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला कर्मचारी संघ) और साइंटीफिक वर्क्स एसोसिएशन को मान्यता देना | Recognition of National Metallurgical Laboratory Employees Association and Scientific Workers Association . . | 35—36 |
| 3416. | आकाशवाणी के कलाकारों में व्याप्त रोष | Restenment among the AIR artists of AIR . | 36 |
| 3417. | एक टेलिविजन फिल्म प्रयोगशाला की स्थापना | Setting up of a T.V. Film Laboratory . | 37 |
| 3418. | नागालैंड में हिन्दुओं को मताधिकार न दिया जाना | Alleged denial of Franchise to Hindus in Nagaland . . . . | 37 |
| 3419. | सीमेंट मिल मालिकों के साथ श्रामिकों को मजूरी के बारे में बातचीत | Negotiation with Cement Mill Owners for Award of Wages to Labourers . | 37 |
| 3420. | बिहार में कागज बनाने वाला कारखाना | Paper Manufacturing plant in Bihar . . . | 38 |
| 3421. | बंगलौर इलैक्ट्रोनिक्स एककों में कम उत्पादन | Low Out-put of Bangalore Electronics Units . | 38 |

| U.S.Q.Nos. | विषय | SUBJECT | पृष्ठ/PAGES |
|---|---|---|---|
| 3422. | पांचवीं योजना में मोटरगाड़ी उद्योग के लिए ग्रे-आइरन फाउंडरी प्रोजेक्ट | Grey Iron foundry Project for Automobile Industry in Fifth Plan . | 39 |
| 3423. | अपर दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र का उपयोग | Utilisation of Upper Damodar Valley Coalfields | 39 |
| 3424. | "हाफ ए मिलियन" योजना के अंतर्गत नौकरियां | Jobs under Half a Million Scheme . . . | 40 |
| 3425. | बिहार के हजारीबाग जिले में चरही के कोयला खान कर्मचारियों पर पुलिस द्वारा गोली चलाया जाना | Police Firing on Colliery Workers at Charhi in Hazaribagh District, Bihar . . . | 40 |
| 3426. | केन्द्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान परिषद दुर्गापुर में आविष्कार | Inventions in Central Council of Research in Mechanical Engineering, Durgapur . . . | 40—41 |
| 3427. | राष्ट्रीय कपड़ा निगम में अध्यक्ष की नियुक्ति | Appointment of Chairman in National Textile Corporation . . | 41 |
| 3428. | राय बरेली स्थित इंडियन टेलीफोन इन्डस्ट्रीज में क्रास बार उपकरण निर्मित करने के संबंध में निर्णय | Decision on Manufacture of Cross bar Equipment at ITI unit at Rai Bareli | 41 |
| 3429. | फिल्म उद्योग में श्रमिकों की कार्य स्थितियों को नियमित करने के लिये विधेयक | Bill to regulate working conditions of workers in Film Industry . . | 42 |
| 3430. | पांचवीं योजना के दौरान शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए आवंटन | Allocation under Fifth Plan for Providing Employment to educated Unemployed . . | 42 |
| 3431. | बिलासपुर में एक सीमेंट के कारखाने की स्थापना | Setting up of a cement factory in Bilaspur . | 42 |
| 3432. | पांचवीं योजना के दौरान सरकारी क्षेत्र के एक निर्यात प्रधान क्षेत्र की स्थापना | Setting up of an export oriented sector in Public Sector during Fifth Plan | 42—43 |
| 3433. | मंत्रियों के मनोरंजन और जलपान पर व्यय किया गया धन | Amount spent on refreshment and entertainment of Ministers . . | 43 |
| 3434. | मंत्रियों की सुरक्षा पर व्यय किया गया धन | Amount spent on security of Ministers . . | 43 |
| 3435. | भारत-जापान सहयोग की संभावनाएं | Prospects of Indo-Japanese Collaboration . | 43—44 |

| U.S.Q. Nos. | विषय | Subject | पृष्ठ/Pages |
|---|---|---|---|
| 3436. | पाक अधिकृत कश्मीर क्षेत्र में रुके व्यक्तियों का कश्मीर में प्रवेश | Entry into Kashmir of Persons left over in Pak occupied Kashmir . | 44 |
| 3437. | गुजरात के साबरकंठा ज़िले में साम्प्रदायिक दंगे | Communal Riots in Sabarkanta District, Gujarat | 44—45 |
| 3438. | अनुसूचित भाषाओं में बोलने वाले लोगों की प्रतिशतता | Percentage of people who speak in Scheduled Languages . . . | 45—46 |
| 3439. | कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में कागज मिलों को बांस की सप्लाई | Supply of Bamboo to Paper Mills in Karnataka and Andhra Pradesh | 46 |
| 3440. | कर्नाटक में अल्पसंख्यक जनसंख्या का सर्वेक्षण | Survey of Minority Population in Karnataka . | 46—47 |
| 3441. | बुंदेलखंड क्षेत्र में हरिजनों को रिहायशी प्लाटों का आवंटन | Allotment of Residential plots to Harijans in Bundelkhand Region. | 47 |
| 3442. | औद्योगिक क्षेत्र में एकधिकारी गृहों के लाइसेंस जारी करना | Issue of Licences to Monopoly Houses in Industrial Sector. . | 47—48 |
| 3443. | 20 औद्योगिक गृहों को लाइसेंस/आशयपत्र जारी करना | Issue of Licences/Letters of Intent to 20 Industrial Houses . . . | 48 |
| 3444. | अपने संसाधनों पर आधारित 'न्यू-एनर्जी कन्स्पट | New Energy Concept based on own Resources . | 48 |
| 3445. | पिछड़े क्षेत्रों हेतु बड़े गृहों को लाइसेंस देने के प्रस्ताव | Proposal to issue Licences to large Houses in Backward Areas . . . | 48—49 |
| 3446. | विदेशी फर्मों द्वारा उत्पादन का विविधीकरण | Diversification of Production by Foreign Firms . | 49—50 |
| 3447. | विविधीकरण कार्यक्रम के लिये शर्तें | Conditions for Diversification Programme . . | 50 |
| 3449. | कारखानों द्वारा सी० ओ० बी० लाइसेंसों को प्राप्त न करना | C.O.B. Licences not obtained by Units . | 51 |
| 3450. | साइट्स फ्रूट बेवरज बनाने के लिये कोका कोला निर्यात निगम को तदर्थ आधार पर लाइसेंस जारी करना | Issue of ad hoc Licence to Coca Cola Export Corporation for Manufacture of Citrus Fruit Beverage. | 51—52 |
| 3451. | कोका कोला बोटलरों को लाइसेंस जारी करना | Issue of Licence to Coca Cola Bottlers . . | 52 |

| U.S.Q. Nos. | विषय | SUBJECT | पृष्ठ/PAGES |
|---|---|---|---|
| 3452. | कोका कोला निर्यात निगम द्वारा सोडा साल्टस का बनाना | Manufacture of Soda Salts by Coca Cola Export Corporation. . | 52 |
| 3453. | कोका कोला निर्यात निगम द्वारा विस्तार करने से पूर्व सी० ओ० बी० लाइसेंस लेना | Obtaining C.O.B. by Coca Cola Export Corporation before Expansion . | 53 |
| 3454. | लघु क्षेत्र में रेडियो और टेलीविजन सेटों का उत्पादन | Production of Radio and T.V. Sets in the Small Scale Sector . . | 53 |
| 3455. | "बिहार आदिवासीज़ लांच नक्सलाइट टाईप स्ट्रगल" शीर्षक से समाचार | News Item Bihar Adivasis Launch Naxalite Type Struggle . . . | 54 |
| 3456. | झूठ का पता लगाने के लिये पुलिस को उपकरण देना | Equipping Police with Lie Detector Equipment | 54 |
| 3459. | प्रमुख उद्योगों में आत्म निर्भरता | Self Sufficiency in Key Industries . . . | 55 |
| 3460. | खंडनीय (फिजियनेबल) सामग्री की चोरी को रोकने के लिये परमाणु ऊर्जा प्रतिमानों में सुरक्षा | Safeguards in Atomic Energy Establishments to check Pilferage of Fissionable Material . | 55 |
| 3461. | डाल्टनगंज और पटना, दिल्ली, रांची के बीच टेलीफ़ोन लाइन | Telephone Lines between Daltonganj and Patna, Delhi, Ranchi . . | 56 |
| 3462. | टलीविजन उपकरणों का आयात और टेलीविजन केन्द्रों का आधुनिकीकरण | Import of T.V. Equipments and Modernization of T.V. Stations . . | 56—57 |
| 3463. | आजाद हिन्द फौज के उन भूतपूर्व कर्मचारियों और अनाज्ञप्त नाविकों (नैवल रेटिंग्ज) को पेंशन देना जिन्होंने अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध विद्रोह किया था | Grant of Pensin to Ex-INA Personnel and Naval Ratings who Revolted against British Power . | 57 |
| 3464. | पटना ट्रंक एक्सचेंज के विश्राम कक्षों में भीड़ भाड़ होना | Congestion in Retiring Rooms of Patna Trunk Exchange . . . | 57—58 |
| 3465. | पटना ट्रंक एक्सचेंज में निःशुल्क 'कालें' पास करना | Passing of Free Calls in Patna Trunk Exchange | 58 |
| 3466. | टेलीफोन और संचार काम्पलेक्स | Telephone and Communication Complex . | 58—59 |
| 3467. | औद्योगिक तोड़-फोड़ संबंधी चेतावनी | Warning against Industrial Sabotage . | 59 |

| U.S.Q.Nos. | विषय | SUBJECT | पृष्ठ/PAGES |
|---|---|---|---|
| 3468. | राजनीतिक आधार पर सरकारी सेवा से हटाये जाने का आरोप | Alleged Political Dismissals from Govt. . | 59—60 |
| 3469. | राजभाषा अधिनियम को क्रियान्वित करने के काम में लगे कर्मचारियों की सेवा शर्तों और वेतन-मानों में विषमता | Disparity in service conditions and Pay Scales of employees engaged on implementation of official languages Act . . | 60 |
| 3470. | सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा आई० बी० एम० से खरीदी गई मशीनें | Machines purchased by Various Departments of Government from IBM. | 61 |
| 3471. | उड़ीसा में राष्ट्रपति शासन लागू करने के बारे में उड़ीसा उच्च न्यायालय का निर्णय | Judgement of Orissa High Court on imposition of President's Rule in Orissa . . . | 61—62 |
| 3472. | भारतीय इलैक्ट्रानिक्स निगम के हैदराबाद में अपनी औद्योगिक क्षमता के विस्तार के लिये आशय पत्र जारी करना | Letter of Intent issued to Electronics corporation of India to expand its Industrial Capacity in Hyderabad . . . . | 62 |
| 3473. | कागज और पल्प बनाने वाले एकक | Paper and Pulp Manufacturing Units . . | 62 |
| 3474. | कडप्पा स्टेशन का 'ओरिजिनेटिंग स्टेशन' के रुप में दर्जा ऊंचा करने के लिये धरना | Dharna for Upgrading Cuddapah Station as an Originating Station . | 62—63 |
| 3476. | उत्तर बंगाल में अखबारी कागज का कारखाना | News Print Factory in North Bengal . . | 63 |
| 3477. | फिलिप्स में अनधिकृत उत्पादन | Unauthorised production in Philips . . | 63—64 |
| 3478. | मनीपुर तथा त्रिपुरा में अत्यावश्यक वस्तुओं की कमी | Shortage of Essential Commodities in Manipur and Tripura . . | 64 |
| 3479. | कसेट्स और हिफी मेग्नेटिक टेपों का निर्माण | Manufacture of Casttes and Hifi Magnetic Tapes | 65 |
| 3480. | इम्फाल की घटनायें | Incidents in Imphal | 65—66 |
| 3481. | लाइसेंसिंग रेडियो रिसीवर पद्धति में सुधार | Modification in system of Licensing Radio Receivers . . . . | 66 |
| 3482. | अरब-इजराइल युद्ध पर आकाशवाणी से प्रसारित वार्तायें | Talks broadcast by All India Radio Arab-Israel War . . | 66—67 |
| 3483. | बंगलादेश से बिहारी मुसलमानों का भारत आना | Influx of Bihari Muslims from Bangladesh . . | 68 |

| U.S.Q. Nos. विषय | SUBJECT | पृष्ठ/PAGES |
|---|---|---|
| 3484. उत्तरी बिहार का विकास | Development of North Bihar . . . | 68 |
| 3485. सामुदायिक विकास खंड मुख्यालयों में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र खोलना | Opening of P.C.Os. in Community Development Block Headquarters . | 68—69 |
| 3486. डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों को आवास सुविधायें | Housing facilities to P & T Employees . . | 69 |
| 3487. मितव्ययता अभियान का दूर संचार सुविधाओं के विस्तार तथा समयोपरि भत्ते की अदायगी पर प्रभाव | Effect of Economy Drive on Expansion of Telecommunication Facilities and in payment of Overtime Allowance . . | 69 |
| 3488. संविधिक निगम बनाना | Framing of Statutory Rules . . . | 70 |
| 3489. दिल्ली टेलीफोनस के जनरल मैनेजर के निजी सहायक | Personal assistants attached with General Manager, Delhi Telphones . . . | 70 |
| 3490. औद्योगिक विकास मंत्रालय में समयोपरि भत्ता | Overtime Allowance in Ministry of Industrial Development . . | 70—71 |
| 3491. सूचना और प्रसारण मंत्रालय में कर्मचारियों की संख्या | Number of employees in the Ministry of Information and Broadcasting . | 71 |
| 3492. पश्चिम बंगाल के पिछड़े जिलों में उद्योगों को आकर्षित करने के लिए प्रोत्साहन देना | Incentive to attract Industries in Backward Districts of West Bengal | 71—72 |
| 3493. मिट्टी संबंधी विज्ञानों के क्षेत्र में भारत और रूस के बीच समझौता | Indo-Soviet agreement in the field of Earth Sciences . . . | 72 |
| 3494. गांधी-इरविन समझौते के अंतर्गत रिहा किये गये स्वतंत्रता सेनानी | Freedom Fighters released under Gandhi Irwin Pact . . | 73 |
| 3495. दरभंगा पोस्टल डिवीजन में कर्मचारियों का निलंम्बित किया जाना | Suspension of employees in Darbhanga Postal Division . . . | 73—74 |
| 3496. निर्यातोन्मुख उद्योगों को सर्वोच्च प्राथमिकता | Top priority to export industries . . . | 74—75 |
| 3497. मशीनरी निर्माण कारखाने में विविधीकरण | Diversification in machinery manufacturing units | 75 |

अतां: प्र० सं०


| U.S.Q. Nos. | विषय | Subject | पृष्ठ/PAGES |
|---|---|---|---|
| 3498. | वाणिज्यक प्रचार समिति का प्रतिवेदन | Report of commercial publicity Committee . | 75—76 |
| 3499. | तमिलनाडु और मध्य प्रदेश में सोडियम, हाइड्रो सल्फाइट संयंत्र की स्थापना | Setting up of sodium hydro-Sulphite Plant in Tamil Nadu and Madhya Pradesh . . . | 76 |
| 3500. | औद्योगिक विकास मंत्रालय के अंतर्गत सरकारी उपक्रमों में कर्मचारियों का भाग लेना | Workers participation in public undertaking under Ministry of Indusrrial Development . . | 76 |
| 3501. | हैदराबाद में श्रमजीवी पत्रकारों की भारतीय फेडरेशन का सम्मेलन | Conference of Indian federation of Working Journalists held at Hyderabad . . . | 77 |
| 3502. | नक्सलवादियों की गतिविधियों का पुन: चालू होना | Revival of Naxalite activities . . . | 77 |
| 3503. | लखनऊ, कानपुर और कलकत्ता में लगाये जाने वाले टेलीविजन सैट | T.V. Sets to be installed in Lacknow, Kanpur and Calcutta . . | 77—78 |
| 3504. | आकाशवाणी, कलकत्ता के कर्मचारियों के वेतनमानों का पुनरीक्षण | Revision of Pay Scales of the AIR Staff at Calcutta . . . | 78 |
| 3505. | पश्चिम बंगाल में ग्रामीण उद्योग परियोजना | Rural Industries Project in West Bengal . . | 78 |
| 3506. | पश्चिम बंगाल की सिंचाई तथा विद्युत विभाग की सीमेंट का आवंटन | Allocation of Cement to Irrigation and Power Department of West Bengal | 78—79 |
| 3507. | स्वतंत्रता सेनानियों से पेंशन के लिये प्राप्त आवेदनपत्रों का रद्द किया जाना | Rejection of Application for Grant of Pension to Freedom Fighters | 79 |
| 3509. | 1974 में जारी की जाने वाली नई-टिकटों में दक्षिण-भारतीय नाम को शामिल करना | Inclusion of South Indian Name in new Stamp Series for 1974 . . . | 80 |
| 3510. | योजना आयोग में 'परियोजना पुनविचार तालिका' में नियुक्तियां | Appointments on Project Appraisal Panel in Planning Commission | 80 |
| 3511. | सिगरेट उद्योग द्वारा इंडियन टोबैको कंपनी लिमिटेड के अनुसंधान और टैक-नालोजी का उपयोग | Use of Research and Technology of Indian Tobacco Co. Ltd. by the Cigarette Industry . . . | 81 |

| U.S.Q. Nos. | विषय | Subject | पृष्ठ/PAGES |
|---|---|---|---|
| 3512. | सरकारी क्षेत्र में इलैक्ट्रोनिक्स उपकरण यूनिट की स्थापना | Setting up to Electronic Componen Units in the Public Sector . . | 81 |
| 3513. | भारत में रेडियो और ट्रांजिस्टरों का वार्षिक उत्पादन | Annual production of Radios and Transistors in India | 81—82 |
| 3515. | रतलाम जिले में सार्वजनिक टेलीफोन और टेलीफोन ऐक्सचेंज की मांग | Demand for P.C. Os. and Telephone Exchnages in Ratlam District . . | 82—83 |
| 3516. | डाक व तार विभाग में हिन्दी का प्रयोग | Use of Hindi in P. & T. Department . . . | 83—84 |
| 3517. | मंदसौर जिले के नाहरगढ़ में सार्वजनिक टेलीफोन लगाना | Installation of a PCO in Nahargarh in Mandsaur District . . | 84 |
| 3518. | विभिन्न राज्यों में जासूसी गिरोहों का पता लगाना | Unearthing of Spy Rings in various States . . | 84 |
| 3519. | मणीपुर में सिहक घटनाओं को रोकने के लिये मणिपुर की राज्य सरकार को केन्द्रीय सरकार का निदेश | Central Government's instructions to State Government of Manipur for curbing violence in the State . . . | 85 |
| 3520. | व्यापारियों के विरुद्ध भारत रक्षा अधिनियम और आंतरिक सुरक्षा अधिनियम का प्रयोग | Use of DIR and MISA against Traders . . | 85 |
| 3521. | उड़ीसा में अखबारी कागज बनाने का कारखाना | News print factory in Orissa . . . | 85 |
| 3522. | भद्रक टेलीफोन एक्सचेंज, उड़ीसा | Bhadrak Telephone Exchange, Orissa . . | 86 |
| 3523. | एककों के विस्तार के लिये लाइसेंस जारी करना | Issue of Licence to Units for Expansion . . | 86—87 |
| 3524. | सी० ओ० बी० लाइसेंस जारी करना | Issue of COB Licences . | 87 |
| 3525. | सी० ओ० बी० लाइसेंस को जारी करने में अनियमिततायें | Irregularities in issue of COB Licences . | 87—88 |
| 3526. | पांचवी योजना में रेशम उत्पादन परियोजनाओं के लिये धन का आवंटन | Allotment for Sericulture projects in Fifth Plan . | 88 |
| 3627. | पांचवी योजना के क्रियान्वयन में जनता का सहयोग | People's participation in Implementation of Fifth Plan . . . . | 88—89 |

| U.S.Q. Nos. | विषय | Subject | पृष्ठ/PAGES |
|---|---|---|---|
| 3528. | सरोजनी नगर, नई दिल्ली से एक लड़के का गुम हो जाना | Missing of a boy from Sarojini Nagar, New Delhi | 89—90 |
| 3529. | ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी दूर करने के लिये खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग की योजना | A Scheme to Remove Unemployment in Rural Areas by KVIC . | 90 |
| 3530. | भारतीय इलैक्ट्रोनिक्स निगम द्वारा निर्मित टैलीविजन सैटों के मूल्य में कमी | Reduction in price of T.V. Sets Manufactured by the Electronics Corporation of India . . . | 90—91 |
| 3531. | उद्योगों में रोजगार के दुगने अवसर उत्पन्न करना | Double Employment opportunities in Industries . | 91—92 |
| 3532. | "टाइम" पत्रिका के एक संस्करण का जब्त किया जाना | Proscription of one issue of Time Magazine . | 92 |
| 3533. | अखबारी कागज की कटौती के कारण पत्रकारों की छटनी | Retrenchment of Journalists due to cut in Newsprint . . . . | 93 |
| 3534. | मलयालम फिल्म "एनिपपडीकल" के एक गाने को प्रसारित न करने के बारे में आकाशवाणी का निर्णय | Decision of AIR not to Broadcast a song of Malayalam Film Enippadika . . . | 94 |
| 3535. | एक जापानी इंजीनियरिन्ग मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी और इंजीनियरी कम्पनी के बीच करार | Agreement between Engineering concern and Japanese Engineering Manufacturing Company | 94 |
| 3536. | धार्मिक स्थानों और शिक्षण संस्थानों में हिप्पियों तथा गुप्तचरों का प्रवेश | Entry of Hippies and Spies into Religious places and Educational Institutions | 94—95 |
| 3537. | महाराष्ट्र में रोजगार गारंटी योजना | Employment Guarantee Scheme in Maharashtra | 95 |
| 3538. | जिला आधार पर आंध्र प्रदेश की सेवाओं के विभिन्न वर्गों में पदों का आरक्षण | Reservation of Posts in various Categories in Andhra Pradesh Services on District Basis . . | 95—96 |
| 3539. | राज्यपालों के कार्यकाल का समाप्त होना | Expiry of Terms of Governors . . . | 96 |
| 3540. | पटना, रांची और जमशेदपुर में टेलीफोन लाइनें | Telephone lines in Patna, Ranchi and Jamshedpur | 96 |
| 3541. | दिल्ली टैलीफोन का कार्यकरण | Working of Delhi Telephones . . . | 97 |

| U.S.Q. Nos. विषय | Subject | पृष्ठ/Pages |
|---|---|---|
| 3542. परियोजना मूल्यांकन प्रभाग द्वारा परियोजनाओं का आर्थिक मूल्यांकन | Economic Appraisal of Projects by the Project Appraisal—Division .. | 97—98 |
| 3543. "रोजगार के अवसर" पर पम्पलेट का पुनरीक्षण | Revision of pamphlet on Employment Opportunities . . . . | 98 |
| 3544. स्वाधीनता सेनानियों को पेंशन देना | Grant of Pension to Freedom Figbters . . | 98 |
| 3545. भारतीय उद्योग तथा औद्योगिक लाइसेंस नीति के ढांचे के बारे में अध्ययन | Studies on Structure of Indian Industry and Industrial Licensing Policy . . . . . | 99 |
| 3546. वर्ष 1971–72 और 1972–73 के दौरान टैलीविजन सेटों का निर्माण | T. V. Sets produced during 1971-72 and 1972-73 . | 99 |
| 3547. राज्यों में केन्द्रीय बलों की नियुक्ति | Deployment of Central Forces in States . . | 99—100 |
| 3548. भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों की वरीयता नियत करना | Fixation of Seniority of IPS Officers . . | 100 |
| 3549. खाद्य अपमिश्रण और औषधि अपमिश्रण के मामलों का पता लगाने में पुलिस की भूमिका | Role played by Police in Tracing cases of Food and Drug Adulteration . | 100—101 |
| 3550. भारतीय आर्थिक और भारतीय सांख्यिकी सेवाओं के लिए प्रदायी सूचियों का बनाया जाना | Compilation of Feeder Lists for Indian Economic and Indian Statistical Services . . | 101—102 |
| 3552. केरल के लिये धनराशि का नियत किया जाना | Allocation of Funds to Kerala . . . | 102 |
| 3553. केरल में विशेष रोजगार कार्यक्रमों का क्रियान्वित किया जाना | Non-Implementation of Special Employment schemes in Kerala . | 102—103 |
| 3554. केरल के स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन दिया जाना | Grant of Pension to Freedom Fighters from Kerala | 103—104 |
| 3555. विज्ञापन दरों में वृद्धि के मामले की जांच करने के लिये समिति की नियुक्ति | Appointment of Committee to go into the Question of increasing the adverstisement rates . | 104 |
| 3556. सीमेंट की सप्लाई में कदाचार की जांच | Enquiry into the malpractices in supply of cement . . . | 105 |
| 3557. सांगली-बम्बई ट्रक सेवा | Sangli Bombay Truck Service . . . | 105 |

अता: प्र० सं०


| U.S.Q. Nos. | विषय | Subject | पृष्ठ/Pages |
|---|---|---|---|
| 3558. | सांगली जिले के गांवों में टैलीफोन | Telephones in Villages of Sangli District . | 105—106 |
| 3559. | फर्मों/कम्पनियों की गतिविधियों के बारे में कागजात | Documents on Activities of Firms/concerns . . | 106—107 |
| 3560. | 1974 में स्मृति डाक टिकटों का जारी किया जाना | Issue of Commemorative Postal Stamps in 1974 | 107 |
| 3562. | आकाशवाणी केन्द्रों द्वारा राष्ट्रीय गान की धुन का प्रसारण बन्द किया जाना | Stoppage of Broadcasting of National Anthem by AIR Stations . . | 107—108 |
| 3563. | पिछड़े क्षेत्रों में अछूतों को लाइसेंस दिया जाना | Issue of Licences to untouchables in Backward Areas . . . | 108 |
| 3564. | उड़ीसा में आकाशवाणी के अंशकालिक संवाददाता का रिक्त पद | Posts of 'part time AIR Correspondents lying vacant in Orissa . . | 108 |
| 3565. | दिल्ली में टैलीफोन कनेक्शनों का काटा जाना | Disconnection of Telephones in Delhi . . . | 108—109 |
| 3566. | उड़ीसा में 50 वर्ष की आयु में आई० ए० एस० अधिकारियों तथा इंजीनियरों को पेन्शन देकर सेवा निवृत्त किया जाना | Superannuation of IAS Officers and Engineers in Orissa at the age of 50 years . . . | 109 |
| 3567. | समाचारों का आंखों देखा हाल सुनाने और समाचार पढ़ने के स्तर का नियतकालिक मूल्यांकन | Periodic evaluation of the standard of News commentary and News Reading . . . . | 109—110 |
| 3568. | श्री ब्रैजनेव की भारत यात्रा का टैलीविजन पर प्रसारण | Television coverage of Mr. Brezhnev's visit to India | 110 |
| 3569. | बम्बई और खण्डवा और बुरहानपुर के बीच "टैलीफ़ोन ट्रैफिक" | Telephone Traffic between Bombay and Khandwa and Burhanpur | 110 |
| 3570. | बुरहानपुर तहसील के शाहपुर ग्राम में टेलीफोन कनेक्शन | Telephone connection in Shahpur village of Burhanpur Tehsil . . | 111 |
| 3571. | प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित पुस्तकें पत्रिकाएं और एलबम | Books, Magazine and Albums published by Publications Division . | 111 |
| 3572. | डाकियों द्वारा बख्शीश मांगना | Postmen asking for Bakhshish . . . | 112 |

| U.S.Q. Nos. | विषय | Subject | पृष्ठ/Pages |
|---|---|---|---|
| 3573. | पी० बी० सी० फिल्मों पर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की छूट के लिये महाराष्ट्र के छोटे कारखानों की ओर से अभ्यावेदन | Representation from small units in Maharashtra for exemption in Central Excise duty on PVC Films . . . | 112—113 |
| 3574. | बम्बई में एक उपभोक्ता के टैलीफोन का कथित अनधिकृत हस्तांतरण | Alleged unauthorised transfer of a subscriber's Telephone in Bombay | 113 |
| 3575. | नहर विभाग के अधिकारियों द्वारा हरियाणा के मुसलमान ग्रामीणों को कथित परेशानी | Alleged Harassment of Mohammedan peasants in Haryana by canal Department officials | 114 |
| 3576. | केरल में अल्लाप्पडी आदिवासी खंड का विकास | Development of Allappadi Tribal Block in Kerala | 114 |
| 3577. | केरल में टाइटेनियम उद्योग समूह | Titanium complex in Kerala . . . | 115 |
| 3578. | त्रिचूर रेडियो स्टेशन को पूर्ण रुप से अलग स्टेशन बनाना | Conversion of Trichur Radio Station into a full fleged independent station . . . | 115 |
| 3579. | उड़ीसा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के भूमिहीनों व्यक्तियों को आवास स्थल देना | House sites to landless S.C. & S.T. in Orissa . . | 115 |
| 3580. | उड़ीसा में टेलीविजन रिसीवरों का उत्पादन | Manufacture of T.V. receivers in Orissa . | 116 |
| 3581. | हिन्दी आफिसर और हिन्दी अनुवादकों के वेतनमान | Pay scales of Hindi officers and Hindi Translators . . . | 116 |
| 3582. | ग्वालियर के भूतपूर्व शासक की सम्पत्ति का निर्वारण | Assessment of property of Ex-ruler of Gwalior . | 117 |
| 3583. | हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड द्वारा लिये जाने वाले साबुन के मूल्य | Prices of soaps charged by Hindustan Lever Limited . . . . | 117 |
| 3584. | कैल्शियम कार्बाइड का मूल्य | Price of calcium carbide | 117—118 |
| 3585. | दिल्ली प्रशासन में कार्यालय अधीक्षक के पद | Posts of Office Superintendents in Delhi Administration . . . | 118 |

| U.S.Q. Nos. | विषय | Subject | पृष्ठ/PAGES |
|---|---|---|---|
| 3586. | त्रिपुरा में ठाकुरचारा के आदिवासियों पर महाजनों द्वारा संगठित गुण्डों के आक्रमण | Attack by goondas organised by money landers on tribals of Thakurchara, Tripura . | 118 |
| 3587. | खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली के कर्मचारी | Employees in KGB New Delhi . . . | 118—119 |
| 3588. | खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली के कार्यों की जांच | Enquiry into the Affair of KGB New Delhi . | 119 |
| 3589. | खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली में पशमीना कांड | Pashmina Scandal in KGB New Delhi . . . | 119 |
| 3590. | उड़ीसा में कारखानों का बंद होना | Closure of Factories in Orissa . . . | 120 |
| 3591. | सरकारी भाषा अधिनियम को कार्य रूप देने हेतु कम से कम अपेक्षित हिन्दी कर्मचारी रखने के लिये विभिन्न विभागों/कार्यालयों को निदेश | Instruction to various departments/Office to have minimum Hindi staff for implementation of Official Language Act . | 120 |
| | प्रश्नों की ग्राहायता के बारे में प्रक्रिया | Re-Admissibility of Questions (Procedure) . | 121—123 |
| | विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में | Re-Question of Privilege | 123—124 |
| | राज्य सभासे संदेश | Messages from Rajya Sabha . . . | 124 |
| | गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी सम्मति | Committee on Private Members' Bills and Resolutions— . . . | 124 |
| | 34वां प्रतिवेंदन प्रस्तुत किया गया | Thirty-fourth Report—*presented* . . . | 124 |
| | नियम 377 के अंतर्गत मामले | Matters under Rule 377— | 124 |
| | (एक) कन्टाई (पश्चिम बंगाल) के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में अपर्याप्त राहत उपाय | (*i*) Inadequacy of Relief Measures in flood-affected areas of Contai (West Bengal) . . | 124—125 |
| | (दो) भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ (नेशनल-स्टूडेंट यूनियन आफ इंडिया) की मांगे | (*ii*) Demands of the National Students Union of India . . | 125—126 |
| | बोनस संदाय (दूसरा संशोधन) विधेयक-विचार करने का प्रस्ताव, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में | Payment of Bonus (Second Amendment) Bill—Motion to consider, as passed by Rajya Sabha . . | 126 |

अता: प्र० सं०


| U.S.Q. Nos. विषय | Subject | पृष्ठ/PAGES |
|---|---|---|
| श्री के० रघुनाथ रेड्डी | Shri Raghunatha Reddy | 126 |
| श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर | Shri Krishna Chandra Halder | 126—127 |
| श्री राज कुलकर्णी | Shri Raja Kulkarni | 127 |
| श्री एस० एम० बनर्जी | Shri S.M. Banerjee | 127—128 |
| श्री राम सिंह भाई वर्मा | Shri Ram Singh Bhai | 128 |
| श्री हुकुम चन्द कछवाय | Shri Hukam Chand Kachwai | 128 |
| श्री सी० एम० स्टीफन | Shri C.M. Stephen | 129 |
| श्री सी० के० चिन्नाराजी | Shri C. K. Chinnaraji | 129—130 |
| श्री दामोदर पाण्डेय | Shri Damodar Pandey | 130 |
| श्री मधु दण्डवते | Shri Madhu Dandavate | 130—131 |
| श्री आर० एन० शर्मा | Shri R.N. Sharma | 131 |
| श्री एन० श्री कान्तन नायर | Shri N. Sreekantan Nair | 131—132 |
| श्री चन्दूलाल चन्द्राकार | Shri Chandulal Chandrakar . . . | 132 |
| श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित | Shri Jagdish Chandra Dixit . . . | 132—133 |
| श्री मूल चन्द डागा | Shri M.C. Daga . | 133 |
| श्री अनन्त प्रसाद शर्मा | Shri A.P. Sharma . | 133 |
| खंड 2, 3 और 1 | Clauses 2, 3 and 1 | 134—135 |
| पारित करने का प्रस्ताव | Motion to pass . | 135 |
| श्री के० रघुनाथ रेड्डी | Shri Raghunatha Reddy | 135 |
| श्री एस० एम० बनर्जी | Shri S.M. Banerjee . | 135 |
| श्री सी० एम० स्टीफन | Shri C. M. Stephen | 135 |
| बर्न कम्पनी और इंडियन स्टैन्डर्ड वैगन कम्पनी (प्रबन्ध ग्रहण) विधेयक | Burn Company and Indian Standard Wagon Company (Taking over of Management) Bill— . | 135 |

| अता: प्र० सं० U.S.Q. Nos. विषय | SUBJECT | पृष्ट/PAGES |
|---|---|---|
| विचार करने का प्रस्ताव | Motion to consider— | 135 |
| श्री टी० ए० पाई | Shri T.A. Pai | 135 |
| श्री एस० पी० भट्टाचार्य | Shri S.P. Bhattacharryya | 136 |
| श्री पी० आर० शिनाय | Shri P.R. Shenoy | 136—137 |
| श्री आर० एन शर्मा | Shri R.N. Sharma | 137 |
| श्री मधु लिमये | Shri Madhu Limaye | 137—138 |
| श्री बी० वी० नायक | Shri B.V. Naik | 138 |
| श्री एस० एम० बनर्जी | Shri S.M. Banerjee | 138—140 |
| श्री राम सिंह भाई वर्मा | Shri Ram Singh Bhai | 140—141 |
| श्री था किरुतिनन | Shri Tha Kiruttinan | 141—142 |
| श्री सी० एम० स्टीफन | Shri C.M. Stephen | 142 |
| सभा पटल पर रखे गये पत्र | Paper laid on the Table | 143 |
| श्री आर० एन० गोयंका | Shri R.N. Goenka | 143—144 |
| श्री दामोदर पाण्डेय | Shri Damodar Pandey | 144—145 |
| आधे घंटे की चर्चा | Half-an-hour Discussion— | 145 |
| विदेशी फर्मों तथा बड़े उद्योगिक गृहों द्वारा अनाधिकृत उत्पादन | Unauthorised production by foreign firms and large industrial houses | 145 |
| श्री ज्योतिमय बसु | Shri Jyotirmoy Bosu | 145—146 |
| श्री सी० सुब्रह्मणियम | Shri C. Subramaniam | 147 |
| कार्य मंत्रणा समिति | Business Advisory Commitee— | 148 |
| 34वां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया | Thirty-fourth Report—*presented* | 148 |

## लोक-सभा
## LOK SABHA

बुधवार, 5 दिसम्बर, 1973/14 अग्रहायण, 1895 (शक)
**Wednesday, December 5, 1973/Agrahayana 14, 1895 (Saka)**

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker in the Chair

## प्रश्नों के मौखिक उत्तर
## ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

**अध्यक्ष महोदय** : श्री बक्शी नायक–अनुपस्थित। श्री चावड़ा–अनुपस्थित श्री आर० के० सिन्हा–अनुपस्थित। उन्होंने कई प्रश्न पूछे हैं और वे अनुपस्थित हैं।

**Shri Madhu Limaye** : Sir, impose penalty. Penalty should be imposed if a member is found absent continuously three times.

**अध्यक्ष महोदय** : बहुत से सदस्य, जिनके प्रश्न सूची में हैं, अनुपस्थित हैं। इस का परिणाम यह होता है कि दूसरे सदस्यों को उनका अवसर नहीं मिल पाता है।

**Shri Hukam Chand Kachawai** : Such members should be deprived of their allowances of the day.

**आंन्ध्र प्रदेश संबंधी 6 सूत्री फार्मूले पर समाचार चित्र**

*345. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश के लिए प्रस्तावित 6 सूत्री फार्मुले संबंधी समाचार चित्र के बारे में कोई शिकायत प्राप्त हुई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ; और

(ग) क्या उपचारात्मक उपाय किये गये हैं ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह)** : (क) तथा (ख) जी हां। एक शिकायत थी कि छः सूत्री फार्मूले के बारे में समाचार चित्र पर्याप्त नहीं था।

(ग) इसे अब दक्षिण सर्किट से हटा लेने का निश्चय किया गया है।

**श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : इस समाचार चित्र को दक्षिण सर्किट से हटाने के लिये जो शीघ्र और उपयुक्त कार्यवाही की गई उसके लिये मैं धन्यवाद देता हूं। यदि मंत्री महोदय इस चित्र को देखेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि चित्र बनाने वालों ने दुराशय से कार्य किया है। क्या मंत्री महोदय इस मामले की जांच करायेंगे और इस चित्र के बनाने वालों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

**सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री आई० के० गुजराल)** : चित्र के बारे में चित्र बनाने वालों के दुराशय की बात को ध्यान में नहीं रखना है। मैं तो यही कहूंगा कि यह चित्र पर्याप्त नहीं है और इसे हटाया जा रहा है।

**कोका कोला निर्यात निगम की गतिविधियों में वृद्धि**

***346. श्री शशि भुषण :**
**श्री सतपाल कपुर :**

क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि (एक) नये कारखाने स्थापित करने, (दो) वर्तमान करखानों का विस्तार करने और (तीन) पैन्टा-ग्रेप तथा सोडा जैसे नये उत्पादों का उत्पादन प्रारम्भ करने के बारे में कोका कोला निर्यात निगम की गतिविधियों का विस्तार करन के बारे में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

**औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रोद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रहमण्यम)** : सरकार नए एककों को लाइसेंस देने अथवा कोका कोला पेयों के उत्पादों की बोतलें भरने के संयंत्र का पर्याप्त विस्तार करने के लिये स्वीकृति देने के पक्ष में नहीं है।

क्या फैंटा सोडा तथा गेप फैंटा का उत्पादन शुरू कर देने से विस्तार हो जायेगा यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

**Shri Shashi Bhushan** : May I know the date when the license for manufacturing Fanta-Orange, Fantagrape, and Fanta soda was issued and whether the foreign concentrates are utilized in these products, and if not, why Cocacola Company was allowed to repatriate large profits ? May I also know whether the Government propose to make efforts to see that Cocacola Company does not repatriate their profits ?

**श्री सी० सुब्रहमण्यम** : जहां तक फैंटा सोडा तथा ग्रेप फैंटा जैसे नये उत्पादन आरम्भ करने का प्रश्न है, कोका कोला समूह का यह तर्क है कि यह विस्तार नहीं है जिसके लिये सरकार से अनुमति की आवश्यकता है। सरकार इस पहलू पर विचार कर रही है और जैसे ही निर्णय पर पहुंचेंगी निर्णय के आधार पर आगे कार्यवाही की जायेगी। जहां तक मुनाफों में हेरा फेरी की बात है, निचश्य ही स सुझाव को ध्यान में रखा जायेगा। वित्त मंत्रालय को कार्यवाही करनी होगी और इस बात पर यान देंगे कि इस सम्बन्ध में क्या किया जाना चाहिये।

**Shri Shashi Bhushan** : Sir, let me express my thanks for the assurance given by the hon. Minister. I would like to get at least this assurance from the hon. Minister that in the year 2001 when mineral water will be consumed by Indian people, this mineral water will be an indigenous production.

**श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दार** : मंत्री महोदय ने बताया है कि फैंटा सोडा तथा ग्रेप फैंटा का उत्पादन आरम्भ करना कम्पनी का विस्तार होगा यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है । यदि जांच के बाद यदि इसे विस्तार माना जाता है तो क्या सरकार इस विदेशी कम्पनी को विस्तार की अनुमति नहीं देगी ? सरकार का क्या विचार है ? मैं इस सम्बन्ध में सरकार से स्पष्ट उत्तर चाहता हूं ।

**अध्यक्ष महोदय** : इसका उत्तर दिया जा चुका है ।

**श्री सी० सुब्रह्मण्यम** : यदि अनुमति आवश्यक है और कम्पनी बिना अनुमति लिये विस्तार करती है तो इसके परिणाम उन्हें भुगतने होंगे ।

**श्री के० मालन्ना** : इस बात को ध्यान में रखते हुये विदेश के भागीदारों को रालटी के रूप म कोका कोला निर्यात निगम को भारी धनराशि देनी पड़ती है, फैंटा सोडा तथा ग्रेप फैंटा का उत्पादन आरम्भ किये जाने से विस्तार की बात को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान मैसूर ने एक फारमूला निकाला है . . .

**अध्यक्ष महीदय** : यह मूल प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है ।

**श्री के० मालन्ना** : मैं प्रश्न पर आ रहा हूं ।

**अध्यक्ष महोदय** : सम्बद्धता निश्चित करने के लिये मैं यहां उपस्थित हूं ।

**श्री के० मालन्ना** : केन्द्रीय (खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान ने फारमूला बनाया है . . .

**अध्यक्ष महोदय** : यह विस्तार के बारे में सीधा सा प्रश्न है और आप कुछ और ही पूछ रहे हैं । कृपया बैठ जाइये ।

**Shri Madhu Limaye** : It was stated by the Government in 1958 when Cocacola Export Corporation was granted permission. I am quoting from their letter, that "for the time being the quantity of production would be such as to meet the requirement of the existing four bottling plants in the country". That is they were granted permission for four bottling plant whereas today the number of the plant has gone to as many as 24. I am not against increase in production I will not mind if the Government permits even 40 plants. What I am to object in this that the then Industrial Development Minister Shri Ghanshyam Ojha said on 4-6-1971, I am quoting his words :

"Please be posted with all the facts first. Then you may caste any aspersion that you may choose to do. These bottling plants can be switched on to any other drinks, leave alone Coca Cola. We have made it very clear while belicence for this plant was given to this Company that we do not guarantee that they will be supplied with concentrates. It is not our worry. This condition is put in the letter of intent and also in the license that Government is not at all committed to providing them any foreign exchange or supply of concentrates".

In view of this, may I know whether the Government will issue orders to the rest of the bottling plants to manufacture indigenous drinks? Fanta, Grape-Fanta and Fanta Soda are all American brands. If the Government agrees to expansion of the plant for the manufacture of indigenous drinks then they may check repatriation of the profits and also it will not require any foreign exchange to be spent. May I know whether the hon. Minister agrees to issue and enforce such orders ?

**श्री सी० सुब्रहमण्यम** : जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है कि 24 प्लांट्स हैं, 24 नहीं 22 प्लान्ट्स हैं। मैं इस बात से सहमत हूं कि मूलतः यह विचार था कि केवल चार प्लांटस होंगे परन्तु धीरे धीरे इस संख्या में वृद्धि होती गई और 22 प्लान्ट्स हो गये। इसके पश्चात हमने बहुत कड़ा कदम उठाया है यहां तक कि जब बौटलिंग प्लांट के लिये अनुमति मांगी जाती है हम यह शर्त लगाते हैं कि कोका कोला नहीं भरा जायेगा। यह कोका कोला ग्रुप के बारे में है। हम प्रत्येक बोतल की अनुमति के बारे में ब्यौरा देते हैं।

**Shri Madhu Limaye** : Fanta Soda and Grape Fanta are foreign brands.

**श्री सी० सुब्रहमण्यम** : निश्चित, इसे ध्यान में रखा जायेगा।

**Shri Madhu Limaye** : Is it possible to get the habit of its taking changed after the new Brand is marketed.

**श्री सी० सुब्रहमण्यम** : मैं कह नहीं सकता कि इन विदेशी वस्तुओं के सम्बन्ध में हम प्रत्येक विदेशी वस्तु पर प्रतिबन्ध लगा सकते हैं। कुछ भी हो हम इस बारे में उचित रूप से जांच करेंगे। यह 22 प्लांन्ट्स यदि कोई अभ्यपेय बनाते हैं, जैसा कि माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है, तो वह ऐसा होना चाहिये जो बिक सके। परन्तु दुर्भाग्यवश, कोका कोला तथा इससे सम्बद्ध अभ्यपेयों की बहुत अधिक मांग है। हमें विदेशी पेयों की इस लालसा को समाप्त करना होगा। यही एक मार्ग है।

**प्रो० मधुदंडवते** : श्री लिमये ने बहुत महत्वपूर्ण उद्धाहरण दिया है। मेरा अनुरोध है कि इसे पटल पर रखा जाये।

**श्री मधुलिमये** : मैंने उद्धाहरण दिया है और मैं इसकी प्रमाणिकता सिद्ध करने के लिये तैयार हूं।

Sir, before proceeding further kindly decide about the point of order raised by Shri Dandvate.

**अध्यक्ष महोदय** : यदि आवश्यकता होगी तो मैं निर्णय दूंगा।

**श्री दिनेश सिह** : क्या इस बात की ओर मंत्री महोदय का ध्यान दिलाया गया है कि अन्य ठंडे पेयों के मामलों में भी विदेशी मुद्रा बाहर जा रही है और क्या दूसरी कोई तुलना की गई है कि कोका कोला से अधिक विदेशी मुद्रा विदेश जाती है अथवा अन्य पेयों से ?

**श्री सी० सुब्रहमण्यम** : मुझे विशवास है कि ऐसी तुलना की गई है परन्तु इस समय आंकड़े मेरे पास उपलब्ध नहीं हैं। मैं इसके पूर्ण विवरण सहित माननीय सदस्य को उपलब्ध करने का प्रयत्न करुंगा।

**एक करोड़ रुपये तक के उद्योगों को लाइसस लेने से छूट**

*348. †**श्री एम० एस० पुरती :**
**श्री के० एम० मधुकर :**

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वाणिज्य तथा अद्योग संघ के अध्यक्ष ने कहा है कि एक करोड़ रुपये तक के उद्योगों के लिये लाइसेंस देने की सीमा उचित नहीं है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उनके सुझाव को स्वीकार कर लिया है ?

**औद्योगिक विकास तथा विज्ञान औदयोगिक मंत्री (श्री सी० सुब्रहमण्यम) :** (क) सरकार को इस बात का पता नहीं है कि 'फेडरेशन आफ इण्डियन चैम्बर्स आफ कामर्स एण्ड इन्डस्ट्री के अध्यक्ष ने हाल ही में इस तरह का कोई बयान दिया है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

**Shri M.S. Purti** : I would like to know whether Government would exempt the industries with an investment upto Rs. 1 crore from licensing so that thousands of educated youngmen of this country are encouraged ?

**श्री सी० सुब्रहमण्यम :** पहले ही नीति सम्बन्धी एक घोषणा की गई है कि ऐसे उद्योगों को, जिनमें 1 करोड़ रुपये कम पूंजीनिवेश की आवश्यकता है, लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी बशर्ते कि पूंजीगत वस्तुओं का मूल्य कुल लागत के 5 प्रतिशत से कम हो । आयात किये जाने वाले कच्चे माल के सम्बन्ध में भी यह एक करोड़ रुपये की सीमा विदेशी स्वामित्व वाली बड़ी कम्पनियों पर लागू नहीं होती । उन्हें लाइसेंस लेना ही होगा भले ही उनमें एक करोड़ रुपये से कम का पूंजीनिवेश हो ।

**श्री मधु दंडवते :** क्या यह सच है कि कुछ उद्योग इस बात पर जोर दे रहे हैं कि उनकी विकास एवं प्रसार सम्बन्धी योजनाएं निर्यात प्रधान हैं, इस लिये उन्हें छूट दी जानी चाहिये । एकाधिकार निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रियाएं आयोग ने भी सुझाव दिया है कि उनके निर्यात कार्य का पता लगाने के लिये और इस बात का पता लगाने के लिये कि रियायत के इस मूल कारण का दुरूपयोग किया जा रहा है या नहीं, एक पृथक एजेंसी होनी चाहिये ।

**श्री सी० सुब्रहमण्यम :** मुझे समझ में नहीं आया कि यह प्रश्न कैसे पैदा होता है ।

**डा० कैलास :** क्या यह सच है कि अनेक इस्पात लघु संयंत्रों से, जिनकी लागत 1 करोड़ रुपये से कम है, 1 नवम्बर से पहले लाइसेंस के लिये आवेदन पत्र भेजने को कहा गया है इससे पहले ऐसी कोई शर्त नहीं थी । क्या यह सच है ?

**श्री सी० सुब्रहमण्यम :** जी, हां । अनेक इस्पात संयंत्रों को सक्रेप की आवश्यकता होती है । सक्रेप की उपलब्धता सीमित है । हमारे पास पहले ही पर्याप्त क्षमता है । हम इस्पात

संयंत्र स्थापित भी करना चाहें तो वह सक्रेप की उपलब्धता पर निर्भर करता है। यदि हम इस उद्योग को अधिक प्रसार की अनुमति दें तो वर्तमान एकको और नये एककों में मुकाबला होगा और सक्रेप के मूल्यों में वृद्धि होगी। संयंत्रों की क्षमता का पूरा उपयोग सम्भव नहीं होगा इसी लिये इस्पात मंत्रालय ने निर्णय किया है कि लाइसेंस लिया जाना चाहिये।

**डा० कैलास :** उन लघु इस्पात उद्योगों का क्या होगा जिनमें लगभग 25 लाख रुपये का पूंजीनिवेश है ?

**श्री सी० सुब्रहमण्यम :** इनकी देखभाल की जायेगी।

**बल्ब और ट्यूब निर्माता कारखाने**

***349. श्री के० मालन्ना**

**श्री डी० बी० नन्द गौडा :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) देश में बल्बों, ट्युबों और अन्य रोशनी करने वाली वस्तुओं का निर्माण करने वाले ऐसे कारखानों की संख्या कितनी है, जिनके पास आयातित मशीनें हैं।

(ख) क्या इन निर्माताओं ने अपने उत्पादन और आयातित मशीनरी में वृद्धि करने के लिये आवेदन किया है ;

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

**और**

(घ) इस बारे में भारत कब तक आत्मनिर्भर हो जायेगा ?

**औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिक मंत्री (श्री सी० सुब्रहमण्यम) :** (क) से (घ) :–सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है।

**विवरण**

(क) से (घ) :–संगठित क्षेत्र में जी० एल० एस० लैम्प, फलूरी सैण्ट लैम्प, मर्करी वेपर लम्प तथा मिनिएचर लैम्पों के जैसे इकैण्डीसैण्ट लैम्पों का उत्पादन करने वाले 17 कारखाने हैं। लघु उद्योग क्षेत्र में अधिकाशत : जी० एल० एस० लैम्प तथा मिनिएचर लैम्प बनाने वाले लगभग 150 कारखाने हैं। लगभग 8 कारखानों ने हाल ही में अपनी क्षमताओं के विस्तार की अनुमति मांगी है। इन मामलों पर आवेदनों तथा प्रत्याशित आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर कार्रवाई की जाएगी। संयंत्र तथा मशीनरी के आयात के अनुरोधों पर गुणावगुणों के आधार पर विचार किया जाता है। जी० एल० एस० लैम्पों के लिये लैम्प बनाने की मशीनरी के उत्पादन की वर्तमान योजना अगर फलित होती है तो आगामी पांच वर्षों के दौरान स्वालम्बन प्राप्त हो जाएगा। इस समय विशेष प्रकार के लैम्प जिनका प्रयोग व्यावसायिक उपकरणों में होता है, को छोड़कर किसी प्रकार की लैम्प आयात नहीं किये जाते।

**श्री के० मालन्ना :** क्या इन कारखानों में अनुमति प्राप्त पूरी क्षमता के अनुसार उत्पादन हो रहा है या क्षमता से कम ?

**श्री सी० सुब्रहमण्यम :** मैं सभी एककों के बारे में नहीं बता सकता। मेरे पास सबकी जानकारी नहीं है। परन्तु सामान्यत: ये कारखाने अपनी क्षमता का यथासम्भव पूरा उपयोग करते हैं बशर्ते कि कच्चा माल उपलब्ध होता रहे। कभी कभी बिजली या श्रमिकों की गड़बड़ चलती रहती है।

**श्री के० मालन्ना :** विवरण में कहा गया है कि जी० एल० एस० लैम्पों के लिये लैम्प बनाने की मशीनरी के उत्पादन में आगामी पांच वर्षों म आत्मनिर्भरता प्राप्त की जा सकती है। क्या मैं पूछ सकता हूं कि इस योजना की विशिष्ट बातें क्या हैं ?

**श्री सी० सुब्रहमण्यम :** हमने तीन एककों को, दो सरकारी क्षेत्र में और एक सरकारी क्षेत्र में एच० एम० टी० में, आशय-पत्र जारी किये हैं। जहां तक गैर सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं का सम्बन्ध है, उनमें कोई प्रगति नहीं हो रही। केवल एच० एम० टी० में यह योजना क्रियान्वित की जा रही है और यह काम हंगरी सरकार के सहयोग से किया जा रहा है।

**Shri Achal Singh :** Will the hon'ble Minister be pleased to state the time by which our country will be self-sufficient in case of manufacture of bulbs ?

**श्री सी० सुब्रहमण्यम :** मैंने इस प्रश्न का उत्तर पहले दे दिया है। कुछ विशेष प्रकार के बल्बों को छोड़ कर अन्य किस्मों के बल्बों के सम्बन्ध में हम पहले ही आत्म-निर्भर हैं उनका बिल्कुल आयात नहीं कर रहे हैं।

**गैर-सरकारी क्षेत्र के उदयोगों का विस्तार कार्यक्रम**

***353. श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :**

**श्री शिवकुमार शास्त्री :** क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्योगों को आगामी पांच वर्षों के के लिये निर्माण की समय-सूची तथा विस्तार कार्यक्रमों की रूपरेखा प्रस्तुत करने को कहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे देश की अर्थव्यवस्था सुधरेगी ; और

(ग) क्या सरकार ने जो उपाय आरम्भ किये हैं उन से संयंत्रों की अधिकतम क्षमता का प्रयोग सुनिश्चित होगा और यदि हां, तो उनकी रूप रेखा क्या है ?

**औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रहमण्यम) :**

(क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) सरकार ने संयंत्रों की क्षमता का अधिकतम उपयोग करने के लिये अनेक अभ्युपाय किये हैं, जो निम्नलिखित हैं :–

(1) 65 विशिष्ट उद्योगों को सन् 1972 में क्षमता के अधिकाधिक उपयोग के आदेश दिये गये ।

(2) मशीन निर्माताओं को अपनी लाइसेंस क्षमता के अन्दर अन्दर अपने उत्पादों में विविधता लाने की अनुमति देने के अनुदेश दिये जा रहे हैं ।

(3) अधिकतम उत्पादन के व्यवधानों को हटाने के उपाय किये जा रहे हैं । बिजली की सप्लाई तथा कच्चे माल, अवस्थापना सुविधाओं आदि जैसी अन्य निवेशों के सुधारने के उपाय किये जा रहे हैं ।

(4) उपर्युक्त समझे जाने पर बन्द तथा ठीक प्रकार से न चलने वाले कारखानों की सरकार के द्वारा ले लिया जाता है तथा चलाया जाता है ।

**श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या मैं मंत्री महोदय से पूछ सकता हूं कि क्षमता का पूरा उपयोग कब तक होगा ? क्या उन्होंने कच्चा माल और विद्युत की कमी पर भी ध्यान दिया है ? क्या उन्होंने कच्चा माल और विद्युत की सप्लाई के सम्बन्ध में कोई कदम उठाए हैं ताकि उनकी क्षमता का पूरा उपयोग किया जा सके ?

**श्री सी० सुब्रह्मण्यम** : यह बात सम्बन्धित उद्योग की प्राथमिकता पर भी निर्भर करती है । हम प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों को कच्चे माल की सप्लाई विशेष रूप से सुनिश्चित करते हैं । आयातित कच्चे माल के सम्बन्ध में भी, जिनके मूल्यों में 200–300 प्रतिशत तक वृद्धि हो गई है, हम पूरा प्रयत्न करते हैं कि प्राथमिकता–प्राप्त उद्योगो को यथा सम्भव पूरा कच्चा माल सप्लाई किया जा सके ।

जहां तक विद्युत सप्लाई का सम्बन्ध है यह रोज की सिरदर्दी है परन्तु में सभा को बता सकता हूं कि अब जब से नये मंत्री ने इस विभाग का कार्यभार सम्भाला है तब से विद्युत के उत्पादन में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है ।

**श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या लघु उद्योगों को भी पर्याप्त विद्युत की सप्लाई पर ध्यान दिया जायेगा ?

**श्री सी० सुब्रह्मण्यम** : जी हां । हम इसका निरन्तर प्रयास करते रहे हैं ।

**Shri Shiv Kumar Shastri**: Sir, may I know the names of some of the specified industries whieh have been allowed to utilise optimum capacity ? It has been stated in the reply that instructions are being issued for allowing machinery manufacturers to deversify their production within their licensed capacity. Will the hon'ble Minister state the details of diversification ? I would also like to know the nature of efforts being made to remove hurdles in optimum production. The production depends upon workers and in spite of the appeals made by our Prime Minister and President that there should not be any strike for three years, the strikes are taking place. May I know the steps taken by the hon'ble Minister in this direction ?

**श्री सी० सुब्रह्मण्यम** : श्रमिक संबंधों के बारे में सदस्य महोदय को श्रम मंत्रालय से प्रश्न पूछना चाहिए। तथापि ये संबंध बेहतर बनाने के प्रयास जारी हैं। यह ठीक है कि माननीय प्रधान मंत्री ने हाल ही में हड़तालें न करने की अपील की थी। यदि गैर-कानूनी हड़तालों पर ही रोक लग जाये तो भी स्थिति में काफी सुधार होगा। अतः यदि माननीय सदस्य ऐसा प्रयास करें और गैर-कानूनी हड़तालें न होने दें तो भी स्थिती काफी सुधर सकती है।

शामिल किए गये उद्योगों संबंधी प्रश्न का उत्तर पहले ही दिया जा चुका है और सूची भी सभा में प्रस्तुत की जा चुकी है। इस समय मेरे साथ सूची नहीं है।

विविधीकरण के बारेमें, विशेषकर मशीनरी निर्माताओं के बारे में, हमने कहा है कि वे विद्यमान क्षमता में ही जो भी मशीनें बनाना चाहें बना सकते हैं–इसकी सूचना ही उन्हें सरकार को देनी होगी और इसकी अनुमति स्वतः ही उन्हें दे दी जाएगी। इस विविधीकरण हेतु यदि उन्हें वर्ष में एक बार 5 लाख रुपये तक डिजाइन नक्शों का आयात भी करना पड़े तो भी उसकी खुली अनुमती होगी।

अवरोध दूर करने के लिए ये विभिन्न कदम उठाए गए हैं। कच्चे माल की सप्लाई के लिए भी हम सुधार करने का प्रयास कर रहे हैं।

**श्री एस० आर० दामाणी** : विस्तार और नए उद्योग लगाने और विविधीकरण के लिए मंत्रालय में कितने आवेदन विचाराधीन हैं और कितने मामलों में विविधीकरण की अनुमति दे दी गई है?

**श्री सी० सुब्रह्मण्यम** : विचाराधीन आवेदनों के बारे में माननीय सदस्य को पृथक प्रश्न पूछना होगा।

विविधीकरण का निर्णय अभी हाल ही में कुछ सप्ताह पहले ही किया गया है। अत : इसके प्रभाव का अभी पता नहीं लग सकता।

**श्री विक्रम महाजन** : किन-किन देशों में उद्योगों को विस्तार की क्षमता होते हुए भी इसकी अनुमति नहीं दी जाती और यह नीति इस देश में कब लागू की गई।

**अध्यक्ष महोदय** : यह प्रश्न संगत नहीं है।

**श्री विक्रम महाजन** : मेरे विचार में मंत्री महोदय दूसरा उत्तर देना चाहते हैं।

**श्री सी० सुब्रह्मण्यम** : प्रत्येक देश की अपनी औद्योगिक नीति होती है और उनके नाम बताने के लिए अनुसंधान करना होगा।

जहां तक हमारे देश का संबंध है, हमारी नीति उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अनुसार है जिसके अन्तर्गत उद्योगों के लिए लाइसेंस देना आवश्यक है और इसी में क्षमता का उल्लेख होता है और सामान्यतः उद्यमियों को इस क्षमता के अन्दर अन्दर ही उत्पादन करना होता है। गैर कानूनी तौर पर क्षमता से अधिक उत्पादन करने पर उन्हें आवेदन भेजना होता है और कुछ मामलों में हम इसकी अनुमति दे देते हैं जहां उत्पादन में सुधार हुआ हो।

**श्री मान सिंह भौरा** : जहां श्रमिकों को हड़तालें न करने का पाठ पढ़ाया जाता है क्या वहां उद्योगपतियों को भी यही कहा जाएगा. . .

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : और इण्डियन एयरलाइन्स को भी जिन्होंने तालाबन्दी कर दी है ?

**श्री मान सिंह भौरा** : क्या कुछ उद्योगों को उसके मालिकों की खातिर रुग्ण घोषित कर दिया जाता है –जैसे घाटे पर चलने वाले उद्योगों को रुग्ण करार दे दिया जाता है । क्या सरकार को इस बात पर विचार करना चाहिये कि केवल आवश्यक वस्तुएं बनाने वाले उद्योगों का ही सरकारी करण किया जाये, दूसरों का नहीं ?

**श्री सी० सुब्रहमण्यम** : सामान्यत: सरकारीकरण आवश्यक वस्तुओं के संबंध में ही किया जाता है । किन्तु जहां बहुत से श्रमिकों के बेकार होने की आशंका होती है, वहां भी उन्हें रोजगार देने हेतु सरकारीकरण किया जाता है ।

**श्री के० लक्कप्पा** : अनेक वर्षों से बड़े उद्योग-गृहों का व्यवहार विनाशकारी रहा है और देश की अर्थव्यवस्था इसके शिकंजे में है और सरकार ने उनकी गतिविधियों पर नियंत्रण की नीति ठीक ही अपनाई है । मंत्री महोदय द्वारा व्यक्त विचारों के संदर्भ में क्या उनका मंत्रालय इस बात पर विचार करेगा कि आवयश्क वस्तुओं का उत्पादन गैर-सरकारी क्षेत्र या इन बड़े उद्योग गृहों द्वारा करने की अनुमति न दी जाए ? क्योंकि इन गृहों द्वारा चोरी, चोर-बाजारी और धन की जमाखोरी की जाती है इसलिए क्या उन्हें केवल गैर-आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा ? देश के हित में उन्हें किसी विस्तार की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये । अत: क्या मंत्री महोदय इस आशय का आश्वासन देंगे ?

**श्री सी० सुब्रहमण्यम** : बड़े उद्योग-गृहों के संबंध में नीति के बारे में मैंने कल विस्तारपूर्वक वक्तव्य दिया था । माननीय सदस्य उसे पढ़ सकते हैं ।

**Shri Madhu Limaye**: The hon. Minister had stated yesterday that he cannot take any action under the law regarding expansion of capacity in registered concerns but he has full powers regarding licenced capacity. The Birlas and J.K. have expanded their capacity in the manufacture of man-made fibres and yarn ....(**Interruption**).... I am coming to the question. So, whether the applications of Madras, Mysore, Haryana, Punjab Governments to manufacture such fibre and yarn in Public or Joint Sector would be considered favourably?

**श्री सी० सुब्रहमण्यम** : जहां प्रश्न महत्वपूर्ण है वहां मुख्य प्रश्न से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है ।

**श्री मधु लिमये** : असंगत कैसे है । वह उत्तर नहीं देना चाहते ।

**Shri Atal Bihari Vajpayee:** Who will decide its relevancy, the chair or the Minister?

**Shri Madhu Limaye** : On a point of order Sir, you examine my question (**Interruption**)... My question has not been answered, though it is relevant. I had asked that when the existing capacity... (**Interruption**)... I asked whehter Government will allow the public sector and joint sector projects ? Is it irrelevant? Shri Vajpayee has rightly said that Shri Subramaniam cannot usurp the powers of the speaker

**अध्यक्ष महोदय** : मैं पहले ही कह चुका हूं कि यह सुझाव मात्र है पूरक प्रश्न नहीं है।

**Shri Madhu Limaye** : If it is not a supplementary what else it is? Kindly allow him to reply, he is rising to do so.

**अध्यक्ष महोदय** : नियम स्पष्ट है और श्री लिमये से तो मैं इनसे परिचित होने की अपेक्षा करता हूं।

**Shri Atal Bihari Vajpayee** : Sir, the matter is rather serious. When you had given your ruling, he would not have risen to say that it is irrelevant. He cannot assume the role of the speaker.

**अध्यक्ष महोदय** : किसी प्रश्न के संगत होने के बारे में स्वयं तो निर्णय न दें। यह मुझ पर छोड़ दीजिए।

**श्री सी० सुब्रहमण्यम** : मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि यह असंगत है।

**Shri Madhu Limaye** : Sir, I had asked a question. Let him not cover the suggestion part thereof but regarding 'considering the proposal sympathetically' is a specific question. Otherwise I would object to each supplementary... (**Interruption**)... I asked whether it would be considered sympathetically? If he does not want to allow to Puniab. Harvana. Madras and Mvsore ...

**Mr. Speaker** : No please. Do not mislead me by mentioning Punjab.

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : मंत्री महोदय ने विद्युत संयंत्रों की अधिकतम क्षमता के उपयोग की आशा व्यक्त की है और विद्युत मंत्रालय के बेहतर काम की सराहना की है जबकि हम जानते हैं कि अन्य उद्योगों के अलावा विभिन्न इंजीनियरिंग उद्योगों में करोड़ों के उत्पादन की कमी हुई है। मैं जानना चाहता हूं कि उनका मंत्रालय यह कैसे सुनिश्चित करेगा कि विद्युत मंत्रालय ठीक ढंग से कार्य करे और विभिन्न उद्योगों को बिजली ठीक और पर्याप्त मात्रा में मिले। श्री पंत की सराहना से काम नहीं चलेगा। क्या कदम उठाए गए हैं क्योंकि बिजली उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हुई है।

**श्री सी० सुब्रहमण्यम** : दामोदर घाटी निगम में गत एक सप्ताह में प्रतिदिन उत्पादन बढ़ा है। कुछ दिन पूर्व यह 600 मेगावाट तक पहुंच गया था और इतना ही हो रहा है। यदि मैंने सिंचाई और विद्युत मंत्री की प्रशंसा की है तो सदस्य महोदय को क्यों दुःख है ?

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : वह इसके पात्र तो बनें।

## तारों (टैलिग्राम) के लिए देवनागरी का प्रयोग

*357. **श्री मान सिंह भौरा :**

**श्री चन्द्र शेखर सिंह :**

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तारों (टेलीग्राम) के लिए देवनागरी भाषा प्रयोग करने का निर्णय किया है,

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और

(ग) कब तक इसे क्रियान्वित किया जाएगा ?

**संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया)** : (क) से (ग) देवनागरी तार सेवा 1 जून, 1949 को चालू की गई थी। इस समय देश में कुल 12,350 तारघर हैं। इन में से 6,000 से भी अधिक तारघरों में देश की किसी भाषा के देवनागरी लिपि में लिखे तार स्वीकार किए जाते हैं। जैसे-जैसे तार कर्मचारी हिन्दी में प्रशिक्षण प्राप्त करते जा रहे हैं, देव-नागरी लिपि में तार भेजने की यह सुविधा, उत्तरोत्तर देश के अन्य तारघरों में भी दी जा रही है।

**Shri B.S. Bhaura :** May I know whether this facility has been provided to the Hindi speaking zone, and not to the non-Hindi speaking zones?

**Shri Jagannath Pahadia :** It is not so. We have been trying to provide this facility in all the zones. But there are specific instructions given to the Hindi speaking zones that Devnagri telegrams should be accepted.

**Shri B.S. Bhaura :** May I know the time by which this facility would be provided throughout the country?

**Mr. Speaker :** Your question should be in a proper form.

**Shri B.S. Bhaura** : I have asked the time by which it would be provided throughout the India.

**Shri Jagannath Pahadia :** We would try to extend this facility with the increased traffic.

**Shri Atal Bihari Vajpayee :** The point at issue is not that whether telegrams written in Devnagri script are accepted or not. But the point is whether they are sent in Devnagri script or not. Is it not a fact that Devnagri telegrams are not sent in the same script and they are sent in roman script?

**Shri Jagannath Pahadia :** Such telegrams are sent in roman script from only those places which is not provided with this facility. Where this facility is provided telegrams are sent in Devanagri script.

**Shri Atal Bihari Vajpayee :** What is the number of such places ?

**Shri Jagannath Pahadia** : Above 6,000.

**Shri Shiv Kumar Shastri** : Has the hon. Minister received any complaints to the effect that as compared to the telegrams written in English, Devanagri telegrams are delayed?

**The Minister of Communication and Tourism and Civil Aviation (Shri Raj Bahadur)** : It has been experienced that Devanagri telegrams are delivered more expeditiously.

**Shri Atal Bihari Vajpayee** : Wrong.

**श्री था० किस्तिनन** : क्या सभी भारतीय भाषाओं में लिखे तारों को रोमन लिपि में भेजने का कोई प्रबन्ध है तथा क्या स्थानीय भाषाओं में तार दिए जाने की कोई व्यवस्था है ?

**श्री राज बहादुर** : इस समय केवल अंग्रेजी और हिन्दी में ही तार दिये जाने की सुविधा उपलब्ध है। अंग्रेजी के लिये तो रोमन लिपि है ही ।

**Shri Shrikishan Modi** : The facility of Devanagri telegrams is much more required in the villages. May I know the number of such centres opened in the cities and villages separately? May I also know the time by which the number of such centres would be increased in the villages?

**Mr. Speaker** : Kindly table a seperate question to have this information. There is no use of putting it in this way.

**Shri Atal Bihari Vajpayee** : He wanted to know the number of such villages where this facility has been provided.

**Shri Shrikishan Modi** : Mostly the telegram offices are situated in the cities where as they are badly required in the villages.

**Shri Raj Bahadur** : As has been stated by my colleague the total number of telegram offices is 12,350 and English telegrams for all the parts of the country are accepted by all of them. Out of them 6,300 telegram offices have been provided with the facility of Hindi telegrams. The number of these offices is more than half of the total telegram offices. Now you can very well realise that this facility is also available to the villages.

**लखनऊ, दिल्ली, बम्बई तथा अन्य (स्थानों) में गुप्त जनवाणी प्रसारण केन्द्र**

**श्री नारायणचन्द पराशर***

***358. श्री समर गुह** :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस आशय की रिपोर्ट की ओर दिलाया गया है कि लखनऊ दिल्ली, बम्बई तथा अन्य स्थानों में गुप्त जनवाणी प्रसारण केन्द्र स्थापित किए जा रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसके बारे में तथ्य क्या हैं; और

(ग) क्या इस प्रकार के स्वतन्त्र रेडियो स्टेशनों को स्थापित करने के ऐसे प्रयास का उद्देश्य आकाशवाणी को स्वायत्तशासी निगम में बदलने की मांग पर जोर डाला जाना है और यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह)** : (क) तथा (ख) जी, हां। ऐसा कोई प्रयास कानून का उल्लंघनकारी होगा।

(ग) जी नहीं। किसी राजनैतिक दल की राजनैतिक चेष्ठा का आकाशवाणी की स्थिति से कोई सम्बन्ध नहीं है।

**प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या उन्हें इस बात की निश्चित जानकारी है कि इन केन्द्रों की स्थापना नहीं हुई है क्योंकि हमें बार-बार यह रिपोर्ट मिल रही है कि विदेशों को समाचार प्रसारित किये जा रहे हैं ? सरकार की अनुमति लिये बिना विदेशों को किस प्रकार समाचार भेजे जा रहे हैं क्योंकि विदेशी ट्रांस्मीटरों पर ये समाचार सुने जा रहे हैं ?

**श्री भागवत झा आजाद** : क्या इसका उत्तर श्री वाजपेयी देंगे अथवा मंत्री महोदय ?

**सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री आई० के गुजराल)** : संचार मंत्रालय के मोनीटरिंग सैक्शन के अन्तर्गत एक विंग है जो इस बात का पता लगाने के लिये सतर्क रहता है कि क्या इस प्रकार के प्रयत्न किये जा रहे हैं। आशा है मेरे मित्र श्री वाजपेयी जी विदेशों को कोई समाचार नहीं भेजने देंगे।

**Shri Atal Bihari Vajpayee:** Mr. Speaker, Sir, I am prepared to give this assurance that it would be for internal use. We would not send news abroad. We should be given permission for it.

**Mr. Speaker** : It is 'Vaj Bani' and not 'Akashvani'. When he is replying to it why are you asking from the Minister? Shri Vajpayee has obliged you very much. He says it will be only a domestic affair. Now I hope you are satisfied.

**Shri Narsingh Narain Pandey** : May I know whether the hon. Minister after listening to the replies given by Shri Vajpayee has arrived at the conclusion that a political party has been trying to set up a seperate Radio Station in the country to propogate their policies and the view point in their own way? If the government have got this information, which has been given by Shri Vajpayee himself, may I know whether they are going to take certain steps to check this attempt?

**अध्यक्ष महोदय** : आपने इसे बहुत गम्भीर मान लिया। उन्होंने तो मज़ाक में कहा है।

**श्री नर सिंह पांडे** : उस ओर बैठे हुए सदस्य सदा ऐसा ही करते रहे हैं।

**श्री आई० के० गुजराल** : जहां तक सरकार का सम्बन्ध है जनसंघ के कुछ नेताओं द्वारा यदाकदा किये गये वक्तव्यों के अतिरिक्त हमने तो कभी कहीं कोई रेडियो स्टेशन नहीं देखा।

**श्री नर सिंह नारायण पांडे** : माननीय सदस्य ने सभा में कहा है।

**श्री आई० के० गुजराल** : सदस्य ने यह नहीं कहा है।

**Shri Atal Bihari Vajpayee** : In the reply to the main question the Hon. Minister has stated that setting up of such a Radio Station will be violative

of law. May I know whether he has consulted the Ministry of Law on the point that right of expression guaranteed in our constitution does not include the operation of a Radio Station?

**Shri I. K. Gujral** : I have submitted that keeping a Radio without obtaining licence is a crime in this country.

**Shri Nar Singh Narain Pandey** : It is not a matter of having a Radio Set but it is matter pertaining to a Radio Station.

**श्री श्यामनदन मिश्रा** : क्या सरकार यह अनुभव करती है कि पृथक प्रसारण केंन्द्र की स्थापना के लिये प्रयत्न किये जाने का कारण यह है कि सरकार केवल अपनी ही पार्टी के हितों के लिये आकाश-वाणी का प्रयोग कर रही है ? दूसरा प्रश्न यह है कि यदि कोई प्राइवेट पार्टी लाइसेंस के लिये प्रार्थनापत्र देती है तो लाइसेंस देने से इंकार करने के क्या कारण होंगे ?

**श्री आई० के० गुजराल** : यह प्रश्न संचार विभाग से किया जा सकता है क्योंकि लाइसेंस के लिये उसी विभाग को प्रार्थनापत्र दिये जाते हैं।

**Shri Shyamnandan Mishra** : He has not replied to the first part of my question regarding the misuse of the monopoly.

**Shri I. K. Gujral** : I have not replied to it because of the fact that he was already disturbed.

**Shri Shyamnandan Mishra** : He did not say anything.

**Shri I. K. Gujral** : He has said that it is being utilised for our party only. This point has been raised several times and we have replied to it several times. It is continued dialogue between them and us and it will go on like this.

**Shri Basant Sathe** : Mr. Speaker, Sir, may I know whether B.B.C., that is Bajpayee Broadcasting Corporation.

**Shri Atal Bihari Vajpayee** : The first letter of my name is 'V' and not 'B'.

**Shri Vasant Sathe** : Is any application received to set up B.B.C. in India ?

**Mr. Speaker** : Shri Vajpayee is not connected with any B.B.

**Shri I. K. Gujral** : Sir, so far as my knowledge goes Shri Vajpayee has not submitteed any such application in his name or in the name of any Company.

**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : इस प्रश्न के कानूनी और संवैधानिक पहलुओं तथा इसकी निरर्थकता के अतिरिक्त देश में गैर-सरकारी रेडियो स्टेशन स्थापित किये जाने तथा सम्भवतः विदेशी एजेंसियों की सहायता से उनको चलाये जाने के प्रश्न पर सरकार का आम रवैया क्या है क्योंकि हाल में मिली तथा अन्य देशों में इस प्रकार की गतिविधियां देखी गई हैं। देश में गैरकानूनी ढंग से गैर-सरकारी रेडियो ट्रांस्मीटर चलाये गये थे। इस समय जिस प्रश्न को मजाक समझा जा रहा है उस पर सरकार का आम रवैया क्या है ?

**श्री आई० के० गुजराल** : विश्व के लगभग सभी देशों की सरकारों की भांति हमारी सरकार का रवैया भी यही है कि प्रसारण कार्य सरकार के हाथों में ही रहे। किसी व्यक्ति अथवा किसी भी पार्टी द्वारा इस बारे में किये गये किसी भी प्रयत्न के सम्बन्ध में कानून सजग रहेगा तथा उस पर दृढ़ता से कार्यवाही की जायेगी।

**श्री समर गुप्त** : गुप्त 'जनवानी' केन्द्रों के बारे में समाचार पत्रों में एक बार नहीं कई बार समाचार प्रकाशित हुए हैं। भारतीय जनता तथा इस सदन के बड़ी संख्या में सदस्यों की यह प्रतिक्रिया है कि आकाशवाणी सरकार और सत्तारुढ़ दल के प्रचार के लिये ही एक माध्यम मात्र रह गया है। कुछ व्यक्तियों द्वारा सम्भवतः कुपित भाव से यह समाचार दिया गया है कि प्रजातंत्र खतरे में है। हाल में हुए चुनाव वास्तव में रेडियो चुनाव थे। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश और मणीपुर के चुनाव भी रेडियो चुनाव ही होंगे। जनता समाचार पत्र पढ़ने से अधिक रेडियो समाचार सुनते हैं। प्रजातंत्र प्रणाली में आकाशवाणी का महत्वपूर्ण स्थान है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या यह समाचार-पत्रों में प्रकाशित समाचारों से कुछ सीख लेना चाहती है तथा आकाशवाणी की समाचार सेवा तथा अन्य सेवाओं पर एकाधिकार करने की बजाय उन्हें उदार बनाने का प्रयत्न करेगी।

**श्री आई० के० गुजराल** : मैं माननीय मित्र को एक बात स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं। उन्होंने जनता के नाम से जो कुछ कहा है वह उनकी व्यक्तिगत भावना है। वह बाहर जनता की भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करते क्योंकि उन्होंने अपने प्रश्न के दूसरे भाग में यह कहा है कि बहुत बड़ी संख्या में लोग समाचार सुनते ही नहीं है वरन उनपर बहुत अधिक विश्वास भी करते हैं। मेरे विचार से आकाशवाणी का वास्तविक मूल्य इसी बात में है कि आज इस देश में उस पर अधिक से अधिक विश्वास किया जाता है (**व्यवधान**) मुख्य बात यह है कि रेडियो सेटों की संख्या में वृद्धि हो रही है या नहीं तथा क्या अधिक से अधिक लोग समाचार सुनते हैं कि नहीं तथा क्या जनता इन समाचारों पर विश्वास करती है या नहीं।

दूसरी बात जो अधिक महत्वपूर्ण है, यह है कि श्री समर गुह स्वयं अनेक बार मेरे पास यह बतलाने को आये हैं कि आकाशवाणी को हमारे देश में ही नहीं वरन् पड़ौसी देश में भी, बहुत महत्वपूर्ण बताया जाता है। श्री समर गुह इसे मानेंगे.....

**श्री समर गुह** : बंगला देश, क्रांति के दौरान आकाशवाणी ने सराहनीय कार्य किया था। मैं यह स्वीकार करता हूं। किन्तु राष्ट्रीय नीतियों के बारे में वहां पक्षपात किया जाता है।

**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न।

**राजेन्द्र नगर तथा पटना सिटी टेलीफोन केन्द्र**

*359. **श्री रामावतार शास्त्री :**

**श्री भोला मांझी :**

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेवा यूनियनों ने यह शिकायत की है कि राजेन्द्र नगर और पटना सिटी टैलीफोन केन्द्रों के टैलीफोन नम्बरों को पटना ट्रंक एक्सचेंज के साथ सम्बद्ध नहीं किया जा रहा है तथा ड्यूटी पर तैनात टैलीफोन आपरेटरों को ट्रंक काल आगे भेजने में कठिनाई होती है ;

(ख) क्या सेवा यूनियनों ने यह भी शिकायत की है कि टैलीफोन पर अन्य व्यक्तियों की बातें सुनाई देने और गलत नम्बर मिलने जैसी गम्भीर तकनीकि त्रुटियां हैं, और

(ग) यदि हां, तो इन मामलों में क्या कार्यवाही की गई है ?

**संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया ) :** (क) और (ख) जी हां, सिर्फ एक बार ऐसी शिकायत प्राप्त हुई थी।

(ग) इस शिकायत पर तुरन्त कार्रवाई की गई थी। यह शिकायत ऐसी नहीं थी जिससे यह पता चलता कि प्रणाली में कोई गम्भीर खराबी थी। उपस्कर के रख रखाव के लिए समय समय पर जो प्रक्रियाएं अपनाना निश्चित है, उनका कड़ाई से पालन किया जा रहा है। इसके अलावा, महीने में दो बार सेवा के स्तर की विशेष रूप से जांच की जाती है और नियमित समयविधियों में उच्चस्तरीय निरीक्षण भी किया जाता है।

**Shri Ramavatar Shastri:** Sir, his reply is absolutely wrong because I belong to that area to which this matter pertains. May I know the Technical reasons for cross talks, wrong calls and disconnecting of telephone? I also want to know the effective steps taken by the Government to remove these defects. May I also know whether these defects are still there inspite of the measures already taken?

**The Minister of Communication (Shri Raj Bahadur)** : The main question is whether telephone number of Rajendranagar and Patna City Telephone Exchanges are not connected with Patna Trunk Exchange and in reply to which it has been said that only one such complaint was received and it was attended to immediately. Necessary steps had been taken. Now he has put a different question as to what type of action is taken to ensure proper functioning of this service. First, of all trunk board is tested daily. Secondly, inspection of Trunk exchange, Patna was carried out by the concerned Regional Maintenance Engineer. Apart from this an efficiency cell has been created to look after this exchange. The failure of calls is only two to four per cent between these two exchanges. Therefore it is not fair on his part to treat my reply as absolutely wrong without recognising the facts. If he can quote any other complaint given by the operators, I will certainly look into the matter.

**Shri Ramavatar Shastri** : So many complaints are sent to me by the people and may be, all of them are not recorded in your Department. I will give in writing.

May I know whether Government have consultation with the organisations of P. & T. employees in regard to removing these defects, and if not, whether Government propose to adopt this procedure in view of the convenience to the Telephone subscribers so that this evil could be removed with their co-operation ?

**Shri Raj Bahadur** : This suggestion is worth accepting. And we have not only accepted it but we have implemented it. Joint Development Council and Regional Councils have been provided with such services wherein these kinds of complaints are discussed .

**Shri Vasant Sathe** : May I know the procedure of billing on the occasion of cross talks ? Is the bill shown against that telephone from which any number is dialled resulting in cross talks ?

**Shri Raj Bahadur** : There are metres for this purpose Call is recorded against that telephone number the metre of which records it.

## प्रश्नों के लिखित उत्तर

## Written Answers to Questions

**औदयोगिक उत्पादन पर कोयले की कमी का प्रभाव**

*342. **श्री बक्शी नायक** : क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों, विशेषकर, कानपुर क्षेत्र में उद्योग के लिए कोयले की भारी कमी हैं;

(ख) गत छः महीनों के दौरान कोयले की कमी के कारण औद्योगिक उत्पादन में कितनी हानि हुई; और

(ग) उद्योग को कोयले की पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

**औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम ):**

(क) से (ग) देश में कोयले के उत्पादन में गिरावट नहीं आई है किन्तु उपभोक्ताओं को की जाने वाली सप्लाई सन्तोषजनक नहीं रही है, क्योंकि कोयले की मांग विशेषकर बिजली घरों और इस्पात संयंत्रों जिन्हें बैगनों के आवंटन में उच्च प्राथमिकता प्राप्त है, में उल्लेखनीय वृद्धि हो जाने के कारण अपेक्षाकृत कम प्राथमिकता वाले देश भर के उपभोक्ताओं को पिछले महीनों में कोयले की कमी का सामना करना पड़ा था । इसके फलस्वरूप सभी उद्योगों की मांग को पूर्णरूप में पूरा नहीं किया जा सकता किन्तु उपलब्ध कोयले का उनको अनुपात में वितरण किया गया ताकि

इस बात का सुनिश्चिय किया जा सके कि उद्योगों को चालू रखने के लिये उनकी आवश्यकता का न्यूनतम कोयला उन तक पहुंचता रहे। यद्यपि कोयले की कमी इस समय औद्योगिक क्षमता के पूर्ण उपयोग में होने देने वाले कारणों में से एक है फिर भी अन्य कारणों पर भी विचार किया जाना चाहिए। इस प्रकार ठीक ठीक यह बता सकना कि कोयले की कमी के कारण औद्योगिक उत्पादन पर किस सीमा तक प्रभाव पड़ा है बता सकना सम्भव नहीं है।

कोयले की लदान और समान वितरण में सुधार लाने के लिये अपनाये गये अभ्युपायों में से कुछ निम्नलिखित है :—

(1) रेलवे के कलकत्ता स्थित क्षेत्रीय संगठन में एक वरिष्ठ अधिकारी निदेशक, रेल मूवमेंट की नियुक्ति करके सशस्त्र बनाया गया है। कोल माइन्स एथारिटी लिमिटेड, और भारत कोकिंग कोल लि० के प्रतिनिधियों का एक संयुक्त सेल निदेशक, रेल मूवमेन्ट की अध्यक्षता में स्थापित किया गया है। सेल कोयले के लाने और ले जाने पर विचार करने कठिनाइयों का पता लगाने तथा कोकिंग कोक और हार्ड कोक जिसका आवंटन कोयला नियन्त्रक द्वारा नियंत्रित किया जाता है के लाने ले जाने पर पूर्ण रूप से निगरानी रखने के लिए बराबर बैठकें करता है।

(2) कोयले की शीघ्र लदान, वितरण और परिवहन की समस्याओं पर विचार करने एवं विभिन्न उपभोक्ताओं को समान सप्लाई का सुनिश्चय करने के लिए इस्पात और खान उप-मंत्री की अध्यक्षता में इस्पात और खान मंत्रालय ने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। समिति ने निश्चय किया है कि विभिन्न क्षेत्रों विशेष रूप से लघु उद्योगों, ईंटों के भट्टों तथा घरेलू उपभोक्ताओं के लिये कोयले के लाने ले जाने में तेजी लाई जाए। लघु उद्योगों, ईंटों के बनेरों और घरेलू उपभोक्ताओं को कोयले की सप्लाई करने के लिए प्रमुख उपभोक्ता केन्द्रों पर भण्डार बनाने की योजनाओं पर तेजी से कार्यवाही की जा रही है।

**विदेशी फर्मों को गत तीन बर्षों में सी०ओ०बी० लाइसेंस जारी करना**

*343. **श्री के० एस० चावड़ा** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 26 प्रतिशत से अधिक विदेशी पूंजी वाली ऐसी फर्मों को गत तीन वर्षों में कई सी० ओ० बी० लाइसेन्स जारी किये गये जिन फर्मों ने 1966 से 1969 के दौरान लागू छूट आदेशों के अधीन क्षमता प्राप्त करने की सूचना दी ;

(ख) यदि हां, तो कम्पनियों ने किन किन वस्तुओं के बनाये जाने उनकी क्षमता तथा उत्पादन की सूचना दी और उन्हें लाइसेन्स जारी किये गये ; और

(ग) इस बात का पता लगाने के लिए क्या प्रीक्रया अपनाई गई कि कम्पनियों द्वारा जिस क्षमता के प्राप्त होने की सूचना दी गई वह क्षमता नियमानुसार है और सम्वद्ध एककों ने छूट आदेशों के अन्तर्गत निहित शर्तों का पालन किया था ?

**औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सुब्रहमण्यम)**: (क) और (ख) विदेशी फर्मों जैसे विदेशी फर्मों की 51 प्रतिशत तथा उससे अधिक की विदेशी इक्विटी सहभागिता वाली भारतीय सहायक कंपनियों तथा विदेशी कंपनियों की शाखाओं के आंकड़े रखे जाते हैं

सभा पटल पर 28 नवम्बर, 1973 को रखे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 2428 के उत्तर की ओर ध्यान दिलाया जाता है। उसमें दी गई सूचना बड़ी स्वतंत्र कम्पनियों तथा आई० एल० पी० आई०सी० रिपोर्ट में दर्ज बड़े घरानों को छोड़कर विदेशी कम्पनियों की भारतीय सहायक कंपनियों के सम्बन्ध में थी। बड़ी स्वतंत्र कम्पनियों तथा बड़े गृह जिनकी सूची आई० एल० पी० आई० सी० द्वारा बनाई गई है, के आंकड़े अलग से रखे जाते हैं ।

कम्पनी कार्य विभाग द्वारा विदेशी कंपनियों की भारतीय सहायक कंपनियों, 31 मार्च 1971 (तक), तथा विदेशी कम्पनियों की शाखाओं (31 मार्च, 1970 तक) की आधुनातम, सूचियों का संकलन किया गया है। इन सूचियों को आधार मानकर वर्ष 1970, 1971 तथा 1972 में विदेशी कंपनियों की भारतीय सहायक कंपनियों को 36 तथा विदेशी कंपनियों की शाखों को 56 सी० ओ० बो० लाइसेंस प्रदान किए गए हैं। इन लाइसेंसों का ब्यौरा अनुबन्ध में दिया गया है।

[ग्रंथालय में रखा गया (देखिये संख्या एल० टी० 5904/73)]

(ग) इस बात के आदेश जारी किए गए थे कि विभिन्न पक्षकारों द्वारा क्षमता प्राप्ति के दावों पर विचार करते समय अधिकतम समीक्षा की जानी चाहिए विदेशी बहुलाँश वाली कंपनियों तथा बड़े गृहों के मामलों में यह निर्णय लिया गया था कि सी० ओ० बी० लाइसेंस केवल लाइसेंसिंग समिति की स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात् ही जारी किए जाया करें । अन्य मामलों में यह निर्देश दिया गया था कि क्षमता के व्ययों पर मंत्रालयों की अन्दर उच्चस्तर पर विचार किया जाना चाहिए।

उन उपक्रमों के सम्बन्ध में जिन में उत्पादन प्रारम्भ नहीं हुआ है किन्तु जिन्होंने लाइसेंसिंग उपबन्धों से छूट वापस लिए जाने से पहले ही एकक की स्थापना के लिए प्रभावी कदम उठा लिये हैं ये निर्देश जारी किए गए थे कि इस बात का सूनिश्चय करने के लिये कि प्रभावी कदम उठाये गये हैं अथवा नहीं बहुत अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है तथा संदेह के मामलों में एककों की स्थानीय निरीक्षण भी किए जाने चाहिए ।

इन निर्देशों को ध्यान में रखते हुए प्राप्त की गई क्षमता के दावों पर विचार करते समय पार्टी द्वारा प्रमाण के रूप में भेजे गए लिखित साक्ष्यों की तकनीकी विकास के महानिदेशालय को भेजी जांच उत्पादन विवरिणयों की जांच की गई थी। बड़े गृहों और विदेशी बहुलांश वाली कम्पनियों के सम्बन्ध मामलों पर विचार करते समय लाइसेंसिंग समिति ने इस बात का निश्चय करने के लिए पूरी सावधानी बरती थी कि स्थापित की जाने वाली प्रस्तावित क्षमता का निर्धारण सबूत में पार्टी द्वारा भेजे गए लिखित साक्ष्य उत्पादन विवरिणयां तथा जहां कहीं आवश्यक समझा गया ठोस निरीक्षण के वास्तविक निर्धारण पर आधारित हैं।

**उच्च प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों का वर्गीकरण**

*344. **श्री आर० के० सिन्हा**<br>**श्री नवल किशोर सिंह** } क्या औद्योगिक **विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कौन से उद्योगिक हैं जिनको निर्यात के विशेष संदर्भ में उच्च प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों में वर्गीकृत किया गया है तथा ऐसा निर्णय करने का क्या आधार है ?

**औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रहमण्यम)** : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [ग्रंथालय में रखा गया (देखिये संख्या एल० टी० 5905/73)]

**बंगलौर में आल इंडिया पुलिस साइंस कांग्रेस**

*347. **श्री प्रभुदास पटेल :**

**श्री प्रसन्नभाई मेहता :**

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 11 नवम्बर, 1973 को बंगलौर में आल इंडिया पुलिस साइंस कांग्रेस आयोजित की गई थी और यदि हां, तो इस सम्मेलन में कितने राज्यों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था ;

(ख) क्या यह महसूस किया गया है कि प्रत्येक उद्यम के लिये सुरक्षा और सूचना सेवा के एक अनुसंधान विभाग की आवश्यकता है, और

(ग) यदि हां, तो इसमे अन्य किन विषयों पर विचार-विमर्श किया गया और क्या निर्णय किये गये ?

**गृह मंत्री (श्री उमा शंकर दीक्षित)** : (क) जी हां, श्रीमान। आल इंडिया पुलिस साइंस कांग्रेस 7 नवम्बर, से 9 नवम्बर, 1973 तक आयोजित की गई थी। 12 राज्यों तथा दो संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि मंडलों ने इसमें भाग लिया था।

(ख) जी नहीं, श्रीमान।

(ग) आल इंडिया पुलिस साइंस कांग्रस पुलिस कार्य के विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श के लिये मंच उपलब्ध करता है। यह विशुद्ध शैक्षणिक तथा विचारात्मक संस्था है तथा किसी विषय में सिफारिश नहीं करता है। यह उन राज्य पर निर्भर है कि वे अपनी प्रशासनिक तथा अन्य नीतियां बनाते समय इन विचारों को ध्यान में रखें।

पुलिस प्रशासन, फौजदारी कानून, अपराधों को रोक तथा नजरबन्दी, पता लगाने के लिये वैज्ञानिक उपकरण, देहाती पुलिस व पंचायत विषयों के बारे में विचार विमर्श किया गया था।

**Names of Radio Stations in Bihar where Television Programmes are Telecast.**

*350. **Shri G.P. Yadav :** Will the Ministers of **Information and Broadcasting** be pleased to state the names of Radio Stations in Bihar from which television programmes are telecast at present ?

**The Minister of Information and Broadcasting**

**(Shri I.K. Gujral)**

Television programmes cannot be technically telecast from Sound Radio Stations. However, a TV Station at Patna is included in this Ministry's proposals in the draft Fifth Plan, which have yet to be finalised.

**विद्युत की कमी के कारण इन्जीनियरिंग कारखानों को हुई हानि**

*531. **डा० हरि प्रसाद शर्मा** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि

(क) क्या देश में विद्युत की कमी के कारण इन्जीनियरिंग उद्योग की बहुत अधिक हानि उठानी पड़ी है ; और

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष में अब तक (जनवरी-अक्टूबर) इस कारण उत्पादन में तथा आर्थिक रूप से अनुमानत : कुल कितनी हानि हुई ?

**औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रोद्यौगिक मंत्री (श्री सी० सुब्रहमण्यम)** : (क) और (ख) : हालांकि अधिकांश राज्यों ने बिजली की कमी की रीपोर्ट दी है, फिर भी सिर्फ बिजली की कमी के कारण उत्पादन में हुई गिरावट के सही सही ब्योरों का अंकाना सम्भव नहीं हो सका है । हां, प्रमुख रूप से बिजली की ही कमी के कारण कुछ इन्जीनियरी उद्योगों को हुई हांनियों के बार में सरकार को मिले ब्योरे लोक सभा में पूछे गए अतारांकित प्रश्न सं० 421 के उत्तर में 25 जुलाई, 1973 को दे दिए गए थे । उस के बाद की अवधि में उत्पादन में आई गिरावट का हिसाब नहीं लगाया गया है ।

**हरियाणा---राजस्थान उत्तर प्रदेश---राजस्थान और हरियाणा---उत्तर प्रदेश के बीच सीमा विवाद**

*352. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या गृह मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा विवाद है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ;

(ग) क्या हरियाणा और राजस्थान तथा राजस्थान और उत्तर प्रदेश के राज्यों के बीच कुछ और विवाद भी हैं ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

**गृह मंत्री (श्री उमा शंकर दीक्षित)** (क) और (ख) : इस समय हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश के की बीच अन्तराजीय सीमा के एक भाग को यमुना नदी का अन्तराल निर्धारित किया गया है । इस मुद्दे पर कोई विवाद नहीं है । क्योंकि नदी का बहाव बदलने के कारण सीमा बदलती रहती है । और इससे प्रसाशनिक कठिनाइयां पैदा होती है , अतः निश्चित सीमा बनाने का प्रश्न दोनों राज्य सरकारों के विचाराधीन है ।

(ग) और (घ) ऐसे कोई विवाद सरकार के ध्यान में नहीं आये हैं ।

**इक्लैट्रोनिक्स के क्षेत्र में फ्रांस द्वारा भारत को सहायता की पेशकश**

*354. **श्री रानेन सेन** : क्या **इलैक्ट्रोनिक्स** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या फ्रांस नें भारत को इलैक्ट्रोनिक्स के क्षेत्र म सहायता की पेशकश की है ।

(ख ) यदि हां, तो पेश की गई सहायता का स्वरूप क्या है, और

(ग) इस बारे में भारत सरकार द्वारा क्या निर्णय किया गया है ?

**प्रधान मंत्री परमाणु ऊर्जा मंत्री इलैक्ट्रोनिक्स मंत्री तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरागांधी)**

(क) और (ख) : कई वर्षों से भारत और फ्रांस के मध्य इलैक्ट्रोनिक्स के क्षेत्र में निरन्तर सहयोग चल रहा है। भारत इलैक्ट्रोनिकस लि०, जो पूर्णतया केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र उपक्रम है, फ्रांसीसी सहयोग से ही प्रतिष्टापित किया गया था तथा विविध इलैक्ट्रोनिक्स क्षेत्रों में कार्यक्रम जारी है। इस वर्ष कम्प्यूटर क्षेत्र से संबन्धित एक भारतीय शिष्टमण्डल ने फ्रांस का दौरा किया और इसी प्रकार एक फ्रांसीसी शिष्टमण्डल भारत आया था।

(ग) इन विनिमयों के फलस्वरूप कम्प्यूटर और इलैक्ट्रोनिक्स को भारत-फ्रांस संयुक्त आयोग की बैठकों के कार्यवृत में अगली कार्यवाही के लिए प्रमुख मद्द स्वरूप शामिल किया गया है, ये बैठकें अक्टूबर 1973 के प्रारम्भ में पेरिस में आयोजित की गयी थी।

**रजिस्टर्ड पत्रों एवं पार्सलों का डाल्टन गंज पलामऊ बिहार में विलम्ब से पहुंचाना**

*355. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रजिस्टर्ड पत्रों एंव पार्सलों के दिल्ली सें बिहार मैं डालट्नगंज पलामऊ पहंचने में बहुत समय लगता है ,

(ख) यदि हां, तो पत्रों की डिलीवरी में उक्त विलम्ब होने के क्या कारण हैं, और

(ग) यदि नहीं, तो गत तीन महीनों में सभी पत्रों (रजिस्ट्री और पार्सलों) के वहां पहुंचने में कितना समय लगा ?

**संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर)** : (क) से (ग) दिल्ली से डाल्टनगंज को भेजा गया रडिस्ट्री पत्र आम तौर पर तीसरे दिन वितरित दिया जाना चाहिए ; और पार्सल औसतन पाँचवे दिन वितरित कर दिए जाते हैं क्योंकि वे स्थल मार्ग से ही भेजे जाते हैं। यह रिर्पोट मिली है कि डाक-वस्तुओं के पहुंचने में आमतौर से रास्ते में जितना समय लगना चाहिए, उससे ज्यादा समय लग जाता है। रास्ते में जो समय लगता है उसे कम करने की दृष्टि से मामले की पूरी-पूरी जांच पड़ताल की जा रही है।

**चलचित्र निगम द्वारा चुने गए तथा वित्त पोषित बंगाली पटकथाएं**

* 356. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चलचित्र वित्त निगम ने वर्ष 1973 में कितनी बंगाली पठकथायें चुनी तथा उनका वित्तपोषण किया ;

(ख) उक्त अवधि में अच्छी फिल्में बनाने के लिए पूना फिलम इंस्टीच्यूट की कितनी युवा प्रतिभाओं की वित्तीय सहायता की गई तथा उसकी राशि क्या है ; और

(ग) उक्त अवधि म चलचित्र वित्त निगम ने बंगाली और हिन्दी की कितनी पठकथाऐं चनी ?

**सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री आई० के० गुजराल)** : (क) दो बंगला स्क्रिप्ट का चयन हो चुका है परन्तु अभी तक स्त्रोतों के अभाव के कारण ऋण नहीं दिये गये हैं ।

(ख) आठ मामले, जिनमें ऋण की कुल राशि 5,04,509 रुपये निहित हैं।

(ग) बंगला—दो

हिन्दी—दो

**केवल उद्योग में कच्चे माल की कमी**

*360. **श्री सरजू पांडे** :
**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : } क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि नई दिल्ली और उसके आस पास स्थित लघु उद्योग क्षेत्र में केवल उद्योग की पी० वी० सी० रेसिन, ई० सी० ए० एल्यूमिनियम, सक्रियता कैल्सियम कारबोनेट, तांबा, डौप आदि जैसे कच्चे माल की कमी के कारण संकट का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है : और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ।

**औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रहमण्यम)** : (क) से (ग) : इस प्रकार के कच्चे माल की दिल्ली सहित देश भर में आम कमी है । कुछ सीमा तक स्थिति में सुधार लाने के लिये अभ्युपाय किये गये हैं जिसमें 1973-74 की अवधि में दिल्ली प्रशासन की ई० सी० ग्रेड अल्युमिनियम की अतिरिक्त मात्रा का आवंटन और पी० वी० सी० रसिन के आपात को उदार बनाना सम्मिलित है ।

**महानगरों के लिए सर्वांगीण विकास योजना**

*361. **श्री पी० गंगा देव** :
**श्री पुरुषोत्तम काकोडकर** : } क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) योजना आयोग ने महानगरों के लिए सर्वांगीण विकास योजना की समस्याओं का अध्ययन किया है, और

(ख) क्या उक्त अध्ययन को ध्यान में रखते हुए कलकत्ता बम्बई और मद्रास के लिए योजनाओं पर विचार किया जायेगा ?

**योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया)** : (क) : और (ख) योजना आयोग ने महानगरों की सर्वांगीण विकास योजना की समस्याओं का कोई विशिष्ट अध्ययन नहीं किया है ।

महानगरों के सर्वांगीण विकास के लिए योजना (मास्टर प्लान) तैयार करने और निर्माण की जिम्मेदारी राज्य सरकारों तथा सम्बन्धित स्थानीय अधिकरणों की है। इस सम्बन्ध में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास के सम्बन्ध में सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा अपेक्षित योजनाएं बनाली गई हैं और अधिकांश मामलों में इन योजनाओं में विशिष्ट समस्याओं तथा महानगर विकास के पहलुओं सम्बन्धित विस्तृत परियोजनाओं को भी शामिल कर लिया गया है। राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित की गई आवश्यक्ताओं तथा प्राथमिकताओं के आधार पर राज्य सरकारों द्वारा इन योजनाओं के लिए राज्य योजनाओं में व्यवस्था की गई है।

**केरल में निर्यात-प्रधान उद्योगों का विकास**

3392 **श्री वयालार रवि** : क्या **औद्योगिक विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि यदि हम केरल में पर्याप्त वित्तीय संसाधनों के अभाव में निर्यात प्रधान उद्योगों के विकास और निर्यात किये जाने वाली वस्तुओं के उत्पादन की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस प्रयोजन हेतु उस राज्य को पर्याप्त वित्तीय संसाधन प्रदान करती है, और

(ग) उस राज्य में निर्यात करने योग्य वस्तुओं के उत्पादन के संवर्द्धन के लिए पांचवीं योजना के दौरान सरकार का क्या विशेष उपाय करने का विचार है।

**औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी)** : (क) से (ग) : निर्यातोन्मुख उद्योगों कि स्थापना सहित निर्यात संवर्द्धन के सरकारी प्रयास राष्ट्रीय स्तर पर होते हैं। किसी राज्य का इन प्रयासों में भाग लेना उस राज्य को सामर्थ्य तथा राज्यों में विद्यमान उद्योगों पर निर्भर होता है। रोपे गये पौधों पर आधारित चाय काफी जैसे उद्योगों के संबंध में संबंधित निर्यात संवर्ध्दन परिषदों तथा उन्हीं जैसे अधिकरणों के माध्यम से निर्यात संवर्द्धन को क्रमबद्व प्रयास किये जाते हैं। निर्यात योग्य अतिरिक्त माल पैदा कर सकने वाले कारखानों की स्थापना के लिए पंचवर्षीय योजनाओं के अशं के रूप में धनराशी उपलब्ध कराई जाती है। केरल की 1973-74 वर्ष की वार्षिक योजनाओं में स्विकृत परिव्यय बड़े व मंझोले उद्योगों के लिये 278 लाख रुपये, ग्रामीण व लघु उद्योगों के लिए 250 लाख रू० तथा खनिज विकास के लिए 1 लाख रू० है।

पांचवीं योजना का प्रारूप तैयार किया जा रहा है तथा राज्य में निर्यातान्मुख उत्पादन के बढ़ाने की संभावनाओं को राज्य व केन्द्रीय अधिकारी निसन्देह ध्यान में रखेंगें।

**Scheme from Madhya Pradesh Government for Construction of Hostels for Adivasis**

**3393 Shri G.C. Dixit** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government of Madhya Pradesh have forwarded a scheme to the Central Government for construction of additional hostels for Adivasis ; and

(b) if so, the outlines thereof and Government's reaction thereto ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F.H. Mohsin)** (a) and (b): The Government of Madhya Pradesh have proposed establishment of 500 hostels for Scheduled Tribes during the Fifth Plan at the rate of 100 hostels per year.

No decision has been taken on the proposal, as yet.

**केरल में तरल प्रणोदक एकक स्थापित करने के लिए स्थान का चयन**

3394. **श्री वयालार रवि** : क्या **अन्तरिक्ष** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन ने त्रिवेन्द्रम के निकट एक तरल प्रणोदक एकक स्थापित करने के लिए स्थान का चयन किया है ।

(ख) यदि हां, तो उक्त एकक की स्थापना के बारे में भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा आगे की गई कार्यवाही का संक्षिप्त ब्योरा क्या है ? और

(ग) क्या भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन के अधिकारियों का प्रस्तावित स्थान में परिवर्तन करने का विचार है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

**प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री इलैक्ट्रोनिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी)** : (क) से (ग) तरल प्रणोदक संयंत्र के स्थान-निर्धारण के सम्बन्ध में अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है ।

**केरल के कवि कुमारन आसन पर वृत चित्र**

3396. **श्री वयालार रवि** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री केरल के कवि कुमारन आसनपर वृत चित्र के बारे में 4 अप्रैल, 1973 के अतारांकि प्रश्न सं० 5911 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फिल्म डिवीजन का विचार केरल सरकार से यह फिल्म लेकर देश भर में इसका वितरण स्वयं करने का है ; और

(ख) यदि नहीं, तो क्यों ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह)** : (क) कुमारन आसन पर फिल्म जो केरल सरकार द्वारा बनाई जा रही है, के वितरण का प्रश्न फिल्म के मुकम्मल हो जाने, फिल्म सलाहकार बोर्ड द्वारा स्वीकृत हो जाने और फिल्म प्रभाग को इसकी पेशकश होने के बाद हाथ में लिया जायेगा ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

**प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि**

3397. **श्री मार्तण्ड सिंह** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है; और

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त में प्रति व्यक्ति आय में कितनी वृद्धि होने का अनुमान है ?

**योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया)** : (क) और (ख) केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन के नवीनतम शीघ्र अनुमान के अनुसार 1960–61 के भावों के आधार पर 1972–73 में प्रति व्यक्ति आय 337.5 रुपये थी जबकि 1968–69 में 329.9 रुपए थी। इस प्रकार चौथी पंचवर्षीय योजना के पहले चार वर्षों के दौरान प्रति व्यक्ति आय में हुई वृद्धि 7.6 रुपए निकलती है। वर्ष 1973–74 के लिये अनुमान अभी उपलब्ध नहीं है और आगामी वर्ष में जाकर कहीं उपलब्ध होंगा।

**Divisions and Sub-Divisions in Postal Department, Madhya Pradesh.**

**3398. Shri G.C. Dixit** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) The number of Divisions and sub-Divisions in the Postal Department, Railway Mail Service, and Telegraph Engineering Services in Madhya Pradesh ;

(b) whether there is a proposal to open new Divisions and Sub-Divisions in the Madhya Pradesh Circle, and if so, the names of places where they are likely to be opened ; and

(c) whether Government propose to open new Divisions in Postal Department, Railway Mail Service, and Telegraph Engineering Services in every Revenue District of Madhya Pradesh Circle so that there may be proper coordination and rapid development of services in Post and Telegraph Department in Madhya Pradesh Circle ?

**The Minister of Communications and Tourism and Civil Aviation (Shri Raj Bahadur)**:(a) There are 18 Divisions and 58 Sub Divisions in Postal Services, 3 Divisions and 8 Sub Divisions in Railway Mail Services. Seven Telegraph Engineering Divisions and 18 Telegraph Engineering Sub Divisions, 2 Phones Engineering Divisions and 6 Phones Engineering Sub Divisions in Madhya Pradesh Circle.

(b) & (c) A proposal is under consideration to open a new Postal Division at Balaghat. There is no proposal to open any new RMS or Telegraph Engineering or Telephones Engineering Divisions in Madhya Pradesh Circle at present.

**राज्यों में तैनात पैरा-मिलिटरी दलों पर व्यय**

**3399. श्री विश्वनाथ झुनझुन वाला** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्यो में कानून और व्यवस्था बनाये रखने के लिये तैनात पैरा-मिलिटरी दलों पर होने वाले व्यय को राज्य सरकारों से वसूल करने पर सरकार विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसा कब से किया जायेगा ; और

(ग) गत तीन वर्षों में केन्द्रीय सरकार ने राज्यवार कितना व्यय किया ?

**गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन)** : (क) और (ख) : राज्यों को ऐसी तैनातगियों का खर्च अदा करना पड़ता है ।

(ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायेगी ।

**अन्य ग्रहों से भारत में प्राप्त संदेशों का रिकार्ड किया जाना**

3400. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला** : क्या **अन्तरिक्ष** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में रूस और अमेरिका जैसे कुछ देशों में अन्य ग्रहों से प्राप्त संदेश रिकार्ड किये गये हैं ;

(ख) क्या ऐसे संदेश भारत में भी प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो क्या उन संदेशों का अर्थ निकाला गया है ;

(ग) क्या भारत ने अपनी जानकारी बढ़ाने हेतु भारतीय वैज्ञानिकों को प्रशिक्षण के लिये ऐसे देशों में भेजने का प्रयास किया है जिन्होंने अन्तरिक्ष अनुसंधान में काफी प्रगति की है ; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे कितने वैज्ञानिक हैं और उन्हें किन-किन देशों में भेजा गया है ?

**प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रोनिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्री मती इन्दिर गांधी)** : (क) इस विषय में हमें कोई सूचना नहीं प्राप्त हुई ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) जी, हां ।

(घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी ।

**अहमदाबाद में टेलीफोन कनेक्शन**

3401. **श्री सोमचन्द सोलंकी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में अहमदाबाद के लोगों की आवश्यकता पूरा करने के लिये टेलीफोन उपकरणों और तारों की कठिनाई तथा कमी को दूर करने के लिये केन्द्रीय सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ; और

(ख) अहमदाबाद में आज तक के टेलीफोनों के अनिर्णीत ओ० वाई० टी० मामलों को निपटाने के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

**संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर)** : (क) टेलीफोन उपस्कर और केबुलों आदि की कमी का असर न केवल अहमदाबाद में टेलीफोन कनेक्शन देने पर पड़ता है बल्कि दूसरे उन स्थानों में भी इसका असर पड़ता है जहां टेलीफोन की मांग बहुत ज्यादा होती है । इस स्थिति में सुधार लाने के लिये सरकार ने नीचे लिखे कदम उठाए हैं और आगे भी उठाने का प्रस्ताव किया है :–

(i) जमींदोज केबुलों के निर्माण के लिये एक नया कारखाना हैदराबाद में लगाया गया है ।

(ii) पांचवीं योजना के दौरान उत्तर प्रदेश के रायबरेली में टेलीफोन स्विचिंग उपस्कर के निर्माण के लिये एक नया कारखाना लगाया जा रहा है ।

(iii) टेलीफोन के उपकरणों के संयोजन के लिये नैनी में एक नया यूनिट स्थापित किया गया है ।

(iv) बंगलौर स्थित मौजुदा कारखाने मेसर्स इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज की टेलीफोन स्विचिंग उपस्कर और टेलीफोन उपकरण दोनों की उत्पादन-क्षमता बढ़ाई जा रही है ।

(ख) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अहमदाबाद की टेलीफोन प्रणाली की वर्तमान एक्सचेंज क्षमता में 43,200 अतिरिक्त लाइनें जोड़ने का प्रस्ताव है ।

**Training of Non-Hindi Knowing Employees in P. and T. Deparment.**

**3402. Shri Shiv Kumar Shastri** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state whether steps have been taken to impart training to the non-Hindi knowing employees in P&T Department to enable them to acquire working knowledge of Hindi ? .

**The Minister of Communications and Tourism and Civil Aviation (Shri Raj Bahadur)** : Yes Sir. Non-Hindi knowing P&T employees are being trained in Hindi in the Hindi teaching classes run for the purpose during office hours by the Ministry of Home Affairs. However, for the benefit of those P.&.T employees of operative categories who are unable to take advantage of these classes on account of their shift-duty hours, the department opens night classes where found justified. Various incentives in the form of lump sum awards etc. are also available for the operative staff to learn Hindi privately and pass the examination prescribed for them.

**Rejection of Proposals of Industrial Houses for Setting up Industries in Backward Areas**

**3403. Shri Shiv Kumar Shastri** : Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be please to state :

(a) whether Government have rejected the proposals of Industrial houses to set up industries in backward areas ;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) whether these areas were not to be benefited by the setting up of thes industries ?

**The Minister of Industrial Development and Science and Technology (Shri C Subramaniam)**:(a) to (c) : The policy regarding participation by undertakings covered by Chapter III of the MRTP Act, in the industrial development of the country, has been announced in the Press Note dated 2-2-73 copies of which were

placed before the House in reply to Lok Sabha Unstarred Question No. 281 replied on 21-2-73. According to this announcement, cases of such undertakings for grant of industrial licence would be considered only for the industries mentioned in the Annexure to the Press Note. Even from the industries mentioned in the Annexure, the items reserved for public sector and the small scale sector have to be excluded. For taking up other industries, undertakings, falling Within purview of the MRTP Act have to undertake an export obligation of at least 60% of additional production (75% in case of industries reserved for small scale sector). The applications from such undertakings for setting up capacity in a backward area, are considered by Government along with applications, if any, from other entrepreneurs in the light of the above policy.

**राष्ट्रपति शासन वाले राज्यों में बलात्कार, डकैती, हत्या के मामले**

3404. **श्री मती कृष्णा कुमारी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रपति शासन वाले राज्यों में जनवरी से सितम्बर, 1973 तक की अवधि में चोरी, डकैती, हत्या, बलात्कार और दंगों के कुल कितने मामले हुए ;

(ख) ऐसे कितने मामले हैं जिनमें पुलिस जांच कर रही है; और

(ग) ऐसे कैदियों की संख्या क्या है जिन पर मुकदमा चल रहा है ?

**गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन)** : (क) से (ग) : उत्तर प्रदेश आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा और मणिपुर सरकारों से अपेक्षित सूचना प्राप्त की जा रही है और प्राप्त होने पर लोक सभा के पटल पर रख दी जायेगी ।

**Jaora Telephone Exchange**

3405. **Dr. Laxminarayan Pandeya** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) whether the capacity of Jaora Telephone Exchange in Ratlam District of Madhya Pradesh has been increased ;

(b) whether despite augmentation of the capacity, a number of telephone connections have not been given so far; and

(c) whether boards etc. are not available at the aforesaid Exchange in accordance with its capacity and if so, the time by which these requirements will be completed ?

**The Minister of Communications and Tourism and Civil Aviation (Shri Raj Bahadur)**: (a) The capacity of Jaora Telephone Exchange in Ratlam Districts of Madhya Pradesh was increased from 100 to 200 lines on 15-10-71.

(b) A number of telephone connections have since been given wiping out the old waiting list, the total number of telephone connections now working being 143. Since July, 1973 there is a waiting list of 13. These connections are also being provided shortly.

(c) As the exchange at Jaora is an automatic one, the question of boards does not arise.

**विदेशी फर्मों द्वारा संयंत्र और मशीनों में पर्याप्त वृद्धि करके विविधीकरण कार्यक्रम आरम्भ करना**

3406. **श्री के० एस० चावड़ा :** क्या **औद्योगिक** विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1966 से 1969 तक लागू छूट आदेशों में एक शर्त यह थी कि विविधीकरण कार्यक्रम आरम्भ करने के लिये केवल माइनर बैलेंसिंग इक्विपमेंट लगाया जायेगा ;

(ख) क्या 'माइनर बैलेंसिंग' उपकरणों की कोई परिभाषा दी गई है ;

(ग) क्या कुछ विदेशी फर्मों ने संयंत्र तथा मशीनों में पर्याप्त वृद्धि करके विविधीकरण कार्यक्रम आरम्भ किया ? और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे मामलों की पूरी तरह जांच करायेगी और छूट आदेशों का उल्लंघन करने की दोषी पायी जाने वाली फर्मों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करेगी ?

**औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) :** (क) अक्तूबर, 1966 से फरवरी, 1970 तक निर्बाध रूप से विविधीकरण की सुविधा दी जाने की अनुमति में एक शर्त यह थी कि देश में ही प्राप्त छोटे सन्तुलन उपरणों को छोड़कर इस प्रकार के विविधीकरण से कोई अतिरिक्त संयंत्र तथा मशीनों के लगाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिये ।

(ख) छोटे संतुलन उपकरण में कौन कौन से उपकरण आयेंगे, यह प्रश्न प्रत्येक मामले में भिन्न होगा ।

(ग) और (घ) : यदि बिना लाइसेंस प्राप्त किये पर्याप्त अतिरिक्त संयंत्र तथा मशीनें लगाकर विविधीकरण किये जाने का कोई मामला सरकार की जानकारी में आता है तो सरकार उसकी जांच पड़ताल करेगी तथा उस पर उपयुक्त कार्यवाही करेगी ।

**साहा इंस्टीट्यूट आफ न्यूक्लियर फिजिक्स कलकत्ता में नियुक्तियों, पदोन्नति, यात्रा भत्ते की नियम -संहिता**

3408. **श्री सरोज मुखर्जी : क्या परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :–

(क) क्या साहा इंस्टीट्यूट आफ न्यूक्लियर फिजिक्स, कलकत्ता में कर्मचारियों की नियुक्तियों, पदोन्नति, यात्रा भत्ते, प्रतिनियुक्ति आदि सम्बन्धी कोई नियम-संहिता नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी संहिता बनाने के लिये क्या कदम उठाए जाएंगे ?

**प्रधान मंत्री परमाणु ऊर्जा मंत्री इलैक्ट्रोनिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी):** (क) जी, नहीं। संस्थान के कर्मचारियों की नियुक्ति, पदोन्नति, यात्रा-भत्ते आदि से सम्बन्धित एक नियम-संहिता है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

**लाइसेंस जारी करने में विलम्ब**

**3410. श्री के० एस० चावड़ा :**
**श्री प्रसन्नभाई मेहता :** } क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक विकास और विनियमन अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत सभी लाइसेंस औद्योगिक विकास मंत्रालय के अवर सचिवों के द्वारा जारी किये जाते हैं ;

(ख) क्या इस वर्तमान प्रक्रिया से लाइसेन्सों को जारी करने में दो तीन सप्ताहों का विलम्ब होता है ; और

(ग) ऐसे लाइसेंसों को जल्दी जारी किये जाने हेतु लाइसेंसों पर हस्ताक्षर करने के लिये विशेष उद्योगों से संबद्ध मंत्रालयों के अवर सचिवों को प्राधिकृत न किये जाने के क्या कारण हैं।

**औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) :** (क) से (ग) : उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अधीन सभी औद्योगिक लाइसेंस को औद्योगिक विकास मंत्रालय में अवर सचिव के द्वारा अधिप्रमाणित किया जाना चाहिये।

1-11-1973 से औद्योगिक स्वीकृति जारी करने की एक नई पदति चलाई गई है इस पध्दति के अनुसार आशयपत्र की शर्तों के पूरा होते ही अपने आप औद्योगिक लाइसेंस दे दिया जायेगा। आशा की जाती है कि इस नई पध्दति के शुरू होने से औद्योगिक लाइसेंसों के जारी किये जाने में होने वाली देरी को काफी कम किया जा सकेगा।

**बिजली के उत्पादन के लिये 'नेशनल रिसर्च एण्ड प्रोडक्ट डेवेलपमेंट प्रोग्राम'**

**3411. श्री जगन्नाथ मिश्र :** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवी योजना अवधि के दौरान बिजली के उत्पादन के लिये सरकार का विचार नेशनल रिसर्च एण्ड प्रोडक्ट डेवेलपमेंट प्रोग्राम लागू करने का है, और

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिये कितनी धनराशि की व्यवस्था की जायेगी और इस योजना के परिणामस्वरूप क्या परिणाम प्राप्त किये जाने हैं ?

**औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) :** (क) जी हां, विद्युत-उद्योग तथा विद्युत-प्रणाली से सम्बधित अनुसंधान तथा विकास सम्बन्धी कृतिक दल ने, जिसकी स्थापना विद्युत-विकास सम्बन्धी, संचालन दल के अधीन की गई है, यह सिफारिश की है विद्युत-उत्पादन के क्षेत्र में राष्ट्रीय अनुसंधान तथा विकास कार्यक्रमों को विद्युत-सामग्री का निर्माण करने वाली फर्मों द्वारा संभाला जा सकता है ।

(ख) धनराशि का अभी निश्चित करना है । यह आशा है कि इन कार्यक्रमों से उपस्करों का निर्माण करने की क्षमता, जो और अधिक उन्नत प्रौदयोगिकी पर आधारित होगी, देश में ही विकसित हो जाएगी ।

**इंजीनियर और भारतीय प्रशासन सेवा के अधिकारियों को समान दर्जा देने से इन्कार करने के बारे में गृह मंत्री का वक्तव्य**

**3412. श्री यमुना प्रसाद मण्डल :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने अपने एक वक्तव्य में इंजीनियर और भारतीय प्रशासन सेवा के अधिकारियों को समान दर्जा देने की मांग को अस्वीकार कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे वक्तव्य का औचित्य क्या है ?

**गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० ए च० मोहसिन) :** (क) और (ख) : कुछ संवाद दाताओं ने 7-9-1973 को लखनऊ में तथा 8–9–73 को कलकत्ता में गृह मंत्री से भेंट की थी और इंजीनियरों तथा विशेषज्ञों की मांगों के संबंध में अनेक प्रश्न पूछे थे । भारतीय प्रशासन सेवा के समान दर्जा देने की मांग से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देते समय उन्होंने बताया था कि तकनीकी विशेषज्ञ तथा प्रशासक अपने कार्यों जिन्हें वे करते हैं, के कारण स्पष्टरूप से विभिन्न-वर्गों से सम्बन्धित हैं और दोनों के बारे में भ्रम नहीं होना चाहिये । फिर भी उन्होंने स्पष्ट किया था कि इसका यह अर्थ नहीं है कि भारतीय प्रशासन सेवा के अधिकारियों को अधिक वेतन मिलने चाहिये । वेतन आयोग ने व्यावसायिकों तथा विशेषज्ञों के संवर्गों से सम्बन्धित कई मामलों पर विचार किया था । सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं । गृह मंत्री का विचार था कि इंजीनियरों आदि को वेतन आयोग की सिफारिशों का अध्ययन करना चाहिये और यदि वे अभी भी समझते हैं कि उनको कुछ शिकायतें हैं अथवा अन्याय हो रहा है तो वे उन्हें प्रस्तुत करने चाहिये तथा सरकार उनके दर्जे परिलविधयों और सेवा शर्तों पर ध्यानपूर्वक तथा सहानुभूतिपूर्ण विचार करेगी । गृह मंत्री ने इस प्रकार समान दर्जा देने के लिये कोई विचार व्यक्त नहीं किये थे ।

**भारत सोवियत संधियों के अन्तर्गत विज्ञान और प्रोद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग**

**3413. श्री वी० पी० नायक :** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) 26 दिसम्बर, 1970 और 9 अगस्त, 1971 को दो भारत सोवियत संधियों में विज्ञान सभा तकनीकि के क्षेत्र में सहयोग के कौन से क्षेत्र शामिल किए गए है ,

(ख) क्या आणविक विज्ञान, अंतरिक्ष लेसर और प्रक्षेपणास्त्र क क्षेत्र में भी सहयोग के के लिए उपबन्ध किया गया है;

(ग) यदि हां, तो सहउद्यम के कारण अब तक क्या प्रगति हुई है;

(घ) क्या 9 अगस्त, 1973 की संधि के अनुसार उन देशों को भी गुप्त मानी जाने वाली प्रविधी के बारे में बताया जा सकता है जिनके साथ उक्त संधियां नहीं की गई है, और

(ड़) इन संधियों पर हस्ताक्षर होने पर सहयोग-स्वरूप विशिष्ट क्षमता और विकसीत उत्पादों के रूप में क्या विशिष्ट परिणाम प्राप्त हुए है ?

**औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम)** : (क) : 26 दिसम्बर 1970 की भारत-सोवियत संधि, कोई संधि नही है बल्कि भारत और सोवियत रूस के बीच हुआ व्यापार समझौता है । इस व्यापार-समझौते में विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग संबंधी क्षेत्रों का विशेष उल्लेख नहीं है । 9 अगस्त, 1971 की दूसरी संधि दोनों देशों के बीच शांति मित्रता, तथा सहयोग संबंधी एक समझौता है । इस संधि में विज्ञान और प्रौद्योगिकी सम्बन्धी उल्लेख केवल अनुच्छेद 6 और 7 में है, जो निम्न प्रकार है :—

**अनुच्छेद** 6 :—समझौता करने वाले दोनों पक्ष आर्थिक, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में परस्पर सहयोग को भारी महत्व देने के साथ-साथ इन क्षेत्रों में लाभकारी व्यापक सहयोग को और आगे बढ़ाते रहेंगें और समानता पारस्परिक हित तथा एक सर्वप्रिय राष्ट्र-सुलभ व्यवहार के सिद्धांत के आधार पर व्यापार, परिवहन और संचार की वृद्धि करेगें जो 26 दिसम्बर, 1970 के भारत सोवियत व्यापार समझौते में उल्लिखित तत्संबंधित देशों के साथ की गयी विशेष व्यवस्थाओं तथा व्यापार समझौता की शर्तों पर निर्भर होगें ।

**अनुच्छेद** 7:— समझौता करने वाले दोनों पक्ष विज्ञान, कला, साहित्य, शिक्षा, लोक-स्वास्थ्य, प्रेस, रेडियो, टेलिवजिन, सिनेमा, पर्यटन, तथा खेल-कूद के क्षेत्र में पारस्परिक संबंधों तथा सम्पर्क को भविष्य म और विकसित करेगें ।

(ख) उक्त दोनों प्रलेखों में इन क्षेत्रों से संबंधित कोई उपबन्ध नहीं है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) संधि के अन्तर्गत ऐसा कोई उल्लेख नहीं है ।

(ड़) संधि ( 9 अगस्त, 1971 को जिस पर हस्ताक्षर हुये ) के अनुच्छेद 6 के अनुसार दोनों देशों के बीच 2 अक्तुबर 1972 को मास्को में प्रायोगिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधी एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गये ।

सहयोग संबंधी जिस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है उसमें पैट्रोकेमिकल्स, मशीन-औज़ार, धातुकर्म, निर्माण, प्रौद्योगिकी, हल्के, उद्योग, हाइड्रोपीट्रोलाजी, भूमि सुधार तथा जल की किफायत, सूचना विज्ञान, रासायनिक तथा भेषज विज्ञान, आयुर्विज्ञान, खनिज अन्वेषण यंत्रीकरण, समुद्र विज्ञान, डिज़ाईन, विकास केन्द्र, रेल परिवहन, मानवीकरण एवं मीटर विज्ञान, चुम्बकिय द्रवगति विज्ञान, वैज्ञानिक योजना एवं प्रौद्योगिकी-स्थानांतरण आदि जैसे क्षेत्रआते है ।

**कार्यान्वयन संबंधी वर्तमान स्थिति**

भारतीय दल ने चुम्बकीय द्रवगति-विज्ञान, मानकीकरण एंव मीटर विज्ञान दूर संवेदी तथा वायु, सर्वेक्षण, व्यापक निर्माण कार्य, सस्ते मकान, रेतीली एंव लवण-भूमि के सुधार विषयक मदों में सोवियत रूस का दौरा भी कर लिया है। रबड़-प्रौद्योगिकी, मशीन-यंत्र, वज्ञानिक योजना एबं के संबंध प्रौद्योगिकी-स्थानांतरण मदों के लिए भारतीय दल बनाए गए हैं, जिनके 1974 की ग्रीष्म में सोवियत रूस का दौरा करने की संभावना है।

मानकीकरण तथा मीटर विज्ञान विषयक मदों के सम्बन्ध में सोवियत रूस के वैज्ञानिकों ने भारत का दौरा किया।

**Impact of Increase in Prices on Fifth Plan Targets**

**3414. Shri Atal Bihari Vajpayee** : Will the Minister of **Planning** be pleased to state :

(a) the percentage of increase in the wholesale and retail prices registered since the statistics for the Fifth plan were prepared ; and

(b) if so, whether the targets have been changed as a resultof increase in prices and if so to what extent ?

**The Minister of State in the Ministry of Planning (Shri Mohan Dharia)**: (a) The estimates for the Fifth Plan as indicated in the Approach document were prepared on the basis of 1971-72 prices. The average index of wholesale prices during 1972-73 increased by 9·9 per cent. Since no general index is compiled for the retail prices, it is not possible to indicate the rise in their case. However, the consumer price index for working class which is based on retailre price data, increased by 7·7 per cent in 1972-73. In the first 7 months of the current year, the index of wholesale prices and consumer price index for working class increased by 16·0 per cent and 17·5 per cent respectively.

(b) The draft Fifth Plan has been prepared on the basis of 1972-73 prices and the revised targets for the Fifth Plan period have been worked out taking into account the changes in prices as also the other developments since the preparation of the Approach document. A copy of the Draft Fifth Plan will be placed on the Table of the House after its approval by the National Development Council.

**नेशनल मेटालरजिकल लेबोरेटरी इम्पलाइज ऐसोसिएशन (राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला कर्मचारी संघ) और साइंटिफिक वर्कस ऐसोसिएशन को मान्यता देना**

**3415. श्री सरोज मुखर्जी** : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि काफी अरसे से नेशनल मैटालरजिकल लैबोरेटरी इ पलईज एसोसिएशन और नेशनल मैटालरजिकल लैबोरेटरी सांइटिफिक वर्क्स ऐशोसिएशन अपने सगंठनों को मान्यता दिलाने और नेशनल मटालरजिकल लैबोरेटरी, जमशेदपुर का गितिविधियों की जांच कराने का भी मांग कर रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रियां है ?

**औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम)** : (क) और (ख) ट्रेड यूनियन अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत दो ट्रेड यूनियनों--राष्ट्रीय धातुकर्मी प्रयोगशाला कर्मचारी संघ और वैज्ञानिक कर्मचारी संघ द्वारा अपनी मान्यता प्राप्त कराने के लिए समय-समय पर प्रतिवेदन भेजे गये है । चूंकि, ये संघ भारत सरकार द्वारा ऐसे संघों की मान्यता के लिये बनाये गये नियमों की पुष्टि नहीं करते इसलिये सी० एस० आई० आर० द्वारा इन संघों को मान्यता प्रदान नहीं की गई । फिर भी , किसी प्रकार की कोई भी शिकायत जो किसी के द्वारा भी जानकारी में लाई जाती है, को गौर से देखा जाता है और उपचारात्मक कार्यवाही जहां आवश्यक हो की जाती है ।

## Resentment Among the A.I.R. Artistes of A.I.R.

3416. **Shri Chandulal Chandrakar** : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether there is a great resentment among the A.I.R. Artistes because of irregularities by High Officers of Television and Akashvani ;

(b) whether some persons have been removed from service without any reason ;

(c) whether the A.I.R. Artistes had expressed their resentment in the past also ; and

(d) the steps taken by Government to avoid recurrence of such things in future ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Information and Broadcasting (Shri Dharam Bir Sinha)** : (a) The staff Artistes' Union held some demonstrations at Delhi and some other Stations from 23-10-73 to 20-11-73 to protest against the termination of the services of certain Staff Artistes and in support of some other grievances.

(b) No, Sir. In a few cases, services of the Staff Artistes have been terminated under clause 4 (i) of the Contract entered into with them for valid administrative reasons.

(c) There has been some agitation in the past in connection with some toher demands of the Union.

(d) A three-tier Informal Consultative Committee has been set up at the levels of the Ministry, the Directorate General, All India Radio and at the Stations for periodical discussions of service matters relating to Staff Artist. The All India Radio Staff Artistes' Union is also allowed the facility of meeting and discussing the grievances of its members at all levels and exploring ways and means to appropriately redress them.

**एक टेलीविजन फिल्म प्रयोगशाला की स्थापना**

3417. **श्री प्रबोध चन्द्र** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या हाल ही मे एक टेलिविजन फिल्म प्रयोगशाला की स्थापना की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके कार्य क्या हैं ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह)** (क) : दिल्ली टेलिविजन केन्द्र में 16 मि० मि० फिल्म प्रोसेसिंग सुविधाएं पहले ही विद्यमान हैं। ये सुविधाएं हाल ही में बम्बई और श्रीनगर के टेलिविजन केन्द्रों पर भी उपलब्ध की गई है।

(ख) फिल्म प्रोसेसिंग प्लांट का काम टेलिविजन केन्द्रों में फिल्म कवरेज हेतु प्रयुक्त होने वाली 16 मि० मि० फिल्मों को 'डिवेलप' करना है।

**नागालैंड में हिन्दुओं को मताधिकार न दिया जाना**

3418. **श्री के० कोडंडा रामी रेड्डी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 14 अक्तूबर, 1973 को नालोर में हिन्दू नागा रक्षक दल के डिप्टी लीडर, श्री एस० पी० शास्त्री, द्वारा नागालैंड में हिन्दुओं को मताधिकार न दिए जाने के संबंध में दिए गए वक्तव्य की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन)** : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान। परन्तु लगाये गये आरोप निराधार हैं।

**Negotiation with Cement Mill Owners for Award of Wages to Labourers**

3419. **Shri M.C. DAGA** : Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state:

(a) whether on the one hand the cement mill owners carry on negotiations with him regarding the award and on the other they sell cement in the blaek market at the rate of Rs. 30 to 40 per bag ; and

(b) if so, the facts thereof ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Pranab Kumar Mukherjee)** : (a) and (b) : A representation was received from the Cement Manufacturers Associationrequesting the Government to grant an ad-hoc interim relief to the Cement Producers to compensate them for the extra cost of labour arising out of increase in the minimum wage granted recently to the cement workers.

The Government of India have so far received specific complaints against only one cement producer regarding charging of a price higher than the controlled rate. The concerned State Government has been requested to investigate the matter.

**बिहार में कागज बनाने वाला कारखाना**

3420. **श्री जगन्नाथ मिश्र** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं योजना की अवधि में बिहार राज्य म एक कागज बनाने वाला कारखाना लगाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या है ?

**औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी)** : (क) और (ख) : पांचवी पंचवर्षीय योजना के मसोदे को अभी अन्तिम रुप दिया जाना है और इस अवस्था में विशिष्ट परियोजनाओं और उनके स्थापना स्थल बता सकना सम्भव नहीं है ।

**बंगलौर इलैक्ट्रोनिक्स एककों में कम उत्पादन**

3421. **श्री सी० जनार्दनन:**
**श्री एस० ए० मुरगनन्तम :** } क्या **इलैक्ट्रोनिक्स** मंत्री यह बताने की कृपा करेगें कि :

(क) बंगलौर इलैक्ट्रोनिक्स एककों में कम उत्पादन के विभिन्न कारण क्या हैं , और

(ख) इस बारे मे क्या उपचारात्मक उपाय करने का विचार है ?

**प्रधान मंत्री परमाणु ऊर्जा मंत्री इलैक्ट्रोनिक्स मंत्री तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी)** : (क) और (ख) 6 नवम्बर के 'स्टेटसमैन' में प्रकाशित एक रिर्पोट का सभंवत: यहां प्रसंग है, यह रिर्पोट बंगलौर मेट्रोपालिटन क्षेत्र में स्थित लघु क्षेत्र इलैक्ट्रोनिक्स कारखानों के एक सर्वेक्षण पर आधारित है जो इण्डियन स्टेटिस्टीक्ल इंस्टीट्यूट को कर्नाटक शाखा ने मैसूर राज्य वित्त निगम के निमंत्रण पर किया । सर्वेक्षण से यह प्रत्यक्ष हुआ कि लघु क्षेत्र में कारखानों की संख्या जो 1963 में 8 थी 1972 में बढ़कर 53 हो गयी, जबकि उत्पादन में 1968 में 166% की तथा 1971 मे 1417% की वृद्धि हुई ( 1967 के मूल्य की तुलना में) । इस प्रकार स्पष्ट है कि कारखानों की संख्या में तथा उत्पादन मूल्य में एक अर्थपूर्ण वृद्धि हुई है । फिर भी सर्वेक्षण में यह भी व्यक्त है कि प्रतिष्ठापित क्षमता का केवल 28% ही वास्तविक रुप से प्रयोग में आता है । सर्वेक्षण में सुझाया गया है की, अधिक शिफ्टों में काम करके कच्चे कोल का पर्याप्त आपूरण सुनिश्चित करके बंगलौर में एंव आस पास स्थित सरकारी क्षेत्र कारखानों द्वारा अधिक कुल खरीद के माध्यम से क्षमता का और अधिक उपयोग किया जा सकता है । फिर भी इन में अधिकांश समस्याओं देश में लघु क्षेत्र उद्योग के लिये सर्वनिष्ट हैं । रिर्पोट में वर्णित विभिन्न पहलुओं की 20 अक्तूबर 1973 को हुई संगोष्ठी में चर्चा की गई थी । इस संगोष्ठी मे सचिव, इलैक्ट्रोनिक्स विभाग ने भी भाग लिया । सुधार करने हेतु संगोष्टी के प्रस्ताव केन्द्र तथा राज्य सरकारों के परीक्षाधीन हैं जो उनके अधिक से अधिक क्रियान्वयन का यथा संभव प्रयत्न करेगी ।

**पांचवीं योजना में मोटरगाड़ी उद्योग के लिए ग्रे आइरन फाउंडरी प्रोजेक्ट**

3422. **श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :**
**श्री के० लकप्पा :** } क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि मोटरगाड़ी उद्योग के लिए ग्रे-आईरन फांउडरी प्रोजेक्ट को पांचयोजना में शामिल किया गया है ?

**औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) :** चूंकि पंचवर्षीय योजना को अभी अन्तिम रुप दिया जाना है अत: योजनावधि में शुरू की जाने वाली परियोजनाओं के नाम बताना संभव नहीं है ।

**अपर दामोदर घाटी कोयला क्षेत्रों का उपयोग**

3423. **श्री रानेन सेन :** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेगें कि

(क) क्या धनबाद ईधंन अनुंसधान संस्था ने अपर दामोदर घाटी के कोयला क्षेत्रों के उपयोग के लिये योजनाऐं बनाई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी रूपरेखा क्याहै ?

**औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मिंत्री (श्री सी० सुब्रहमण्यम) :** (क) अपर दामोदर घाटी के विकास के लिये केन्द्रीय ईधंन अनुंसधान संस्थान (सी० एफ० आर० आई०) ने तीन योजनाओं की रूप रेखा तैयार की है जिसमें हजारीबाग, पालामऊ और रांची के जिले शामिल हैं ।

**(ख) योजना–एक : कोकिंग कोयला :**

बोकारो कोयला-क्षेत्र के विकास और कोयले, कोक और बिजली के रूप में उर्जा के संभरण द्वारा केन्द्रीय कोयला निर्माण संयंत्र की स्थापना । इस योजना का उद्देशय ( चौरासी लाख टन प्रतिवर्ष) कोयले का सज्जीकरण करना है । विभिन्न वाष्पशील पदार्थों क कोयलों की अभिक्रिया के लिये रामगढ़, पश्चिम बोकारो, और पूर्वी बोकारो के तीन यूनिटों की अभिकल्पना इन तीन क्षेत्रों में की गई हैं । इससे यह भी दृष्टिगोचर होता है कि सत्तर प्रतिशत बोकारो की जरूरतें संलग्न कोयला क्षेत्रों से केन्द्रीय निर्माण संयत्र में उचित सज्जीकरण और मिश्रण के पश्चात पूरी की जा सकती है और बाकी तीस प्रतिशत जरूरतें झरिया के कोयला क्षेत्रों से ।

उर्वरक उत्पादन सहित, उप-उत्पादों के पूर्ण उपयोग से कोयला निर्माण संयंत्र के पास एक स्वतंत्र भट्टी स्थापित करने का एक प्रस्ताव भी रखा गया है ।

**योजना : द्वितीय : दक्षिण करणपुरा कोयला क्षेत्रों का गैर कोककारी अर्धकोककारी कोयला**

इस योजना का उद्देशय साइज्डरो का कार्बनीकृत (बीस लाख टन प्रतिवर्ष) । घुला कोयला से घरेलू और औद्योगिक उपयोग, डामर, और गैस के उत्पादन के लिए उध्वार्कार रिटार्ट करना है ।

**योजना–तृतीय : कोयले से रसायन और उर्वरा बनाना ।**

इस योजना का उद्देश्य प्रतिवर्ष साठ लाख टन कोयले का परिष्करण करना है । इसमें लगभग तेईस लाख टन साफ कोयले को वाष्प और आक्सीजन द्वारा गैसीकृत किया जायेगा । प्रक्रिया वाष्प से बक प्रेशर टरबाइन द्वारा बिजली का निर्माण किया जायेगा ।

**"हाफ ए-मिलियन" योजना के अन्तर्गत नौकरियां**

3424. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "जाब्स फार हाफ-ए मिलियन" योजना के अन्तर्गत कितने व्यक्तियों को रोजगार दिया गया है ; और

(ख) क्या यह लक्ष्य 31 माच, 1974 तक प्राप्त कर लिया जायेगा ?

**योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया)** : (क) और (ख) पांच लाख रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों से प्राप्त 5. 0 ख रोजगार क्षमता वाली स्कीमें योजना आयोग द्वारा पहले ही स्वीकृत की जा चुकी हैं और उनको कार्यान्वित किया जा रहा है। वर्ष के अन्त में ही उपर्युक्त विश्लेषण करना सम्भव हो सकेगा।

**बिहार के हजारी बाग जिले में चरही के कोयला खान कर्मचारियों पर पुलिस द्वारा गोली चलाया जाना**

3425. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में बिहार के हजारी बाग जिले में चरही स्थिति कोयला खान के कर्म चारियों पर पुलिस द्वारा गोली चलाई गई थी; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

**गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन** : (क) और (ख) तथ्य मालूम किये जा रहे हैं ।

**Inventions in Central Council of Research in Mechanical Engineering Durgapur.**

**3426. Shri Mahadeepak Singh Shakya** : Will the Minister of **Science and Technology** be pleased to state. :

(a) whether the Central Mechanical Engineering Research Institute, Durgapur had been able to evolve only 36 techniques/inventions up to 1st April, 1972 ;

(b) whether only13 techniques out of them have been made use of ; and

(c) if so, the reasons therefor and the steps being taken by Government to make immediate use of the remaining inventions ?

**The Minister of Industrial Development and Science and Technology (Shri C. Subramaniam)** (a) The Central Mechanical Engineering Research Institute (CMERI). Durgapur offered to National Researeh Development Corporation (NRDC), 79 processes upto 1st April, 1972 for commercial exploitation, of which 36 have been released by NRDC to industry. Besides, the Laboratory have rendered technical aid, consultancy and testing services to Industry.

(b) of the 36 processes released to industry through NRDC, 20 are in production.

(c) Some parties have lost interest since release of the processes to them. Other processes are under development for production. NRDC and the Institute are taking active steps to see that the parties licensed are assisted to go into production. NRDC is also publicising the other processes to elicit the response of interested parties.

## राष्ट्रीय कपड़ा निगम में अध्यक्ष की नियुक्ति

3427. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय कपड़ा निगम के नये अध्यक्ष की नियुक्ति कब तक की जायेगी ?

**औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी)**: औद्योगिक विकास मंत्रालय के विशेष सचिव, श्री एन० एन० बनर्जी को औद्योगिक विकास मंत्रालय में उनके कार्यभार के साथ-साथ अन्तरिम व्यवस्था के रूप में राष्ट्रीय कपड़ा निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। अध्यक्ष व प्रबंधक निदेशक की दीर्घ कालीन आधार पर नियुक्ति के सम्बन्ध में जल्दी ही निर्णय किये जाने की आशा है।

## रायबरेली स्थित इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज में क्रास बार उपकरण निर्मित करने के संबंध में निर्णय

3428. **श्री सरजू पाण्डे** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राय बरेली में हाल ही में चालू हुए इण्डियन टैलीफोन इण्डस्ट्रीज के एक नये एकक में आधुनिक क्रास बार उपकरण न बनाने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

**संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर)** : (क) और (ख) राय बरेली स्थित टैलीफोन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड के कारखाने में अन्ततः टैलीफोन उपस्करों की 3 लाख लाइनों का प्रतिवर्ष उत्पादन होगा। सरकार ने हाल ही में निर्णय किया है कि, रायबरेली में स्ट्रोजर किस्म के स्विचिंग उपस्कर की उत्पादन क्षमता, पहले चरण में 1 लाख लाइनें निर्धारित की जायें। स्ट्रोजर प्रणाली की सेवा सन्तोषजनक है और इस किस्म के उपस्कर चलाने की तकनीकी जानकारी इण्डियन टैलीफोन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड के पास उपलब्ध है। जहां तक रायबरेली कारखाने के दूसरे चरण का सम्बन्ध है, एक तकनीकी दल गठित किया जाएगा। यह दल उपलब्ध सभी सामान्य नियंत्रण स्विचिंग प्रणालियों का मूल्यांकन करेगा और उत्पादन के लिए बहुत उपयुक्त प्रणाली की सिफारिश करेगा।

**फिल्म उद्योग में श्रमिकों की कार्य स्थितियों को नियमित करने के लिये विधेयक**

3429. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार फिल्म उद्योग में श्रमिकों की कार्य स्थितियों को नियमित करने के लिए कानून बनाने का विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इसे कब लागू किये जाने की संभावना है ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह)** (क) जी, हां ।

(ख) प्रस्तावित विधेयक का मसौदा तैयार हो रहा है ।

**Allocation under Fifth Plan for Providing Employment to Educated Unemployed**

**3430. Shri Ishwar Chaudhry :**

**Shri G.P. Yadav** Will the Minister of **Planning** be pleased to state :

(a) Whether Government propose to make any provision in the Fifth Five Year Plan to provide employment to the educated unemployed persons; and

(b) if so, the broad outlines thereof ?

**The Minister of State in the Ministry of Planning (Shri Mohan Dharia)** (a) and (b) : The Fifth Five Year Plan is still under consideration: Various schemes to provide employment to educated unemployed during the Fifth Plan period are being considered.

**बिलासपुर में एक सीमेन्ट के कारखाने की स्थापना**

3431. **श्री नारायण चन्द पराशर :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृप करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार को बिलासपुर (हिमाचल प्रदेश) में एक सीमेन्ट का कारखाना स्थापित करने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है क्योंकि अभ्यावेदन एक भूगर्भीय सर्वेक्षण के अनुसार बिलाससुर जिला के गर्गल क्षेत्र में बढ़िया किस्म के चूना पत्थर के बड़े निक्षेप विद्यमान हैं ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस अभ्यावेदन पर क्या निर्णय लिया गया है ?

**औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) :** (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

**पांचवीं योजना के दौरान सरकारी क्षेत्र में एक निर्यात प्रधान क्षेत्र की स्थापना**

3432. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग के एक विशेषज्ञ दल ने पांचवी योजना के दौरान सरकारी क्षेत्र में एक निर्यात प्रधान क्षेत्र की स्थापना करने की सिफारिश की है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

**योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

**मंत्रीयों के मनोरंजन और जलपान पर व्यय किया गया धन**

3433. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1971 के चुनाव के बाद कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् प्रत्येक मंत्री व प्रधान मंत्री पर उनके मनोरंजन व जलपान पर अब तक वर्षवार कुल कितनी धन राशि व्यय की गई ?

**गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन)** : मंत्री सरकारी खर्च पर जलपान तथा मनोरंजन की व्यवस्था के हकदार नहीं हैं परन्तु केबिनेट मन्त्री तथा कुछ राज्य मंत्री क्रमशः (500 रुपये और 250)–रुपये मासिक के आतिथ्य भत्ते के हकदार हैं । 1971–72 वर्ष के लिए इस कारण यह खर्च 99,000 रुपये था और 1972–73 वर्ष के लिए यह खर्च 98,370 रुपये था । चालू वित्तीय वर्ष के लिए अक्टूबर, 1973 के अन्त तक यह खर्च 71,000 रुपये हुआ है ।

**मंत्रियों की सुरक्षा पर व्यय किया गया धन**

3434. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या गृह मंत्री बह बताने की कृपा करेंगे कि 1971 के चुनाव के बाद कार्यभार ग्रहण करने पर प्रत्येक मंत्री व प्रधान मंत्री की सुरक्षा पर तब से लेकर अब तक वर्षवार कुल कितनी धनराशि व्यय की गयी ?

**गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन)** : सुचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

**भारत जापान सहयोग की संभावनाएं**

3435. **डा० हरि प्रसाद शर्मा** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष अक्टूबर, से इंडस्ट्रीयल कोलाव (इंडिया) लिमिटेड द्वारा नई दिल्ली में भारत जापान व्यापार संभावनाओं पर एक विचार गोष्ठी बुलाई गयी थी ;

(ख) यदि हां, तो विचार गोष्ठी में क्या मुख्य सुझाव और टिप्पणियां दी गई ; और

(ग) विकास गोष्ठी में भारत जापान सहयोग के बारे में किन संभावनाओं पर विचार किया गया ?

**औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम)**: (क) से (ग) जैसा कि प्रश्न में उल्लिखित है, विचार गोष्ठी का आयोजन एक गैर सरकारी फर्म (मे० इंडस्ट्रियल कोला. (इंडिया) लि० व द्वारा किया गया था न कि भारत सरकार द्वारा । विचार गोष्ठी की पूरी रिपोर्ट औद्योगिक विकास मंत्रालय में प्राप्त नहीं हुई है । फिर भी, उपलब्ध जानकारी के अनुसार,

औद्योगिक लाइसेंस, विदेशी सहयोग और भारत में विदेशी मुद्रा विनियमन सचिव निवेश संबंधी मामलों पर गोष्ठी में चर्चा की गई थी। मध्यम तथा लघु क्षेत्र में श्रम प्रधान उद्योगों, नियोतोन्मुख उद्योगों, आयात प्रतिस्थापन पर चर्चा हुई थी, जिससे भारत जापान सहयोग की संभावनाएं हो गई हैं।

**Entry into Kashmir of Persons left over in Pak occupied Kashmir**

**3436. Shri Rana Bahadur Singh** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether the persons left over in Pak-occupied Kashmir area during 1947, 1965 and 1971 have been allowed entry into Kashmir by India ; and

(b) if so, the number thereof ?

**The Minister of Home Affairs (Shri Uma Shankar Dikshit)** (a) and (b) : Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

**गुजरात के साबरकंठा जिले में साम्प्रदायिक दंगे**

3437. **श्री राम कंवर** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में गुजरात के साबरकंठा जिले में साम्प्रदायिक दंगे हुए हैं ;

(ख) क्या राज्य सरकार ने पुलिस को, दंगा करने वालों को देखते ही गोली मार देने के आदेश जारी किए थे ; और

(ग) क्या सरकार को राज्य सरकार से इस सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है और यदि हां तो तत्सम्बन्धी निष्कर्ष क्या है ?

**गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा)** : (क) से (ग) गुजरात सरकार से प्राप्त सुचना के अनुसार भोदासा (साबरकंठा जिला) में 10 सितम्बर, 1973 को कथित छेड़छाड़ की एक घटना को लेकर झगड़ा प्रारम्भ हुआ। लड़कियों में से एक ने कथित चार अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, उनमें से दो व्यक्तियों को अगले दिन सबेरे तथा शेष दो को दोपहर के लगभग गिरफ्तार किया गया। इससे पूर्व नगर के कुछ प्रतिष्ठित व्यक्ति थाने गये तथा अधियुक्तों को गिरफ्तार न करने के लिये पुलिस की कथित अकर्मण्यता के बारे में शिकायत की। इतने में दुकानें बन्द होने लगीं और पुलिस थाने में एक जलूस आया जिसके परिणाम स्वरूप पाठशाला तथा कालेज के छात्र अपनी कक्षाओं से बाहर निकल आए। यह सूचना प्राप्त होने पर जिला अधिकारी पुलिस दल के साथ तुरन्त मोदासा पहुंचे और वहां पुलिस थाने पर एक भीड़ को पथेराव करते हुए पाया। ज. भीड़ को समझा कर तितर बितर करने के प्रयत्न असफल हो गये तब निषेधात्मक आदेश दिए गये और क्योंकि भीड़ पथराव करती रही तो स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए पुलिस ने अश्रु गैस छोड़ी। नगर के बाजार क्षेत्र तथा अन्य क्षेत्रों में आगजनी कर रही भीड़ को तितर वितर करने के लिए गोली चलाई। कर्फ्यू लगा दिया गया और बदमाशों को पकड़ लिया गया। लाइसेन्स शुदा हथियार थाने में जमा करने को कहा गया। जिला अधिकारियों नें स्थानीय शांति समिति की बैठक भी आयोजित की।

2. पुलिस की गोली के परिणाम स्वरूप एक व्यक्ति मारा गया और दो व्यक्ति घायल हुए। दंगों के दौरान पुलिस के 14 कर्मचारी घायल हुए तथा बहुसंख्यक तथा अल्पसंख्यक समुदायों की सम्पत्ति नष्ट हुई। दंगों के संबंध में 19 अपराधिक मामले दर्ज किए गये और जांच हो रही है । जिले के आस पास के शहरों तथा गावों में इसकी प्रतिक्रिया से कुछ घटनायें तथा तनाव पैदा हुए। इन घटनाओं से निपटने के लिए तुरन्त कार्यवाही की गई थी।

3. राज्य सरकार ने दंगों से पीड़ित लोगों को उपयुक्त राहत तथा सहायता उपलब्ध कराने के लिए आदेश दिए हैं।

**अनुसूचित भाषाओं में बोलने वाले लोगों की प्रतिशतता**

**3438. श्री रामावतार शास्त्री :**

**श्री एम० कतामुतु :**

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केवल 29.67 प्रतिशत भारतीय हिन्दी बोलते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो अनुसूचित भाषाओं में बोलने वाले लोगों की प्रतिशतता क्या है ?

**गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन)**: (क) 1971 की गणना के जन मातृ-भाषाओं/भाषाओं के अन्तिम आंकड़े अभी तक जारी नहीं किये गये हैं। किन्तु अस्थायी आंकड़ों के अनुसार 1961 की जनगणना में मानी गई मातृ भाषाओं के उसी वर्गीकरण के आधार पर 1971 में हिन्दी भाषी जनसंख्या 162,577,613 अथवा कुल जनसंख्या का 29.67 प्रतिशत होता है।

(ख) उन व्यक्तियों के, जो भारतीय संविधान की सूची 8 में उल्लिखित भाषाएं (प्रत्येक के अन्तर्गत बनाये गये मातृ-भाषाओं के वर्गीकरण समेत) बोलते हैं, 1971 के अस्थायी आंकड़े निम्नलिखित हैं :—

| भाषा | जनसंख्या का प्रतिशत |
|---|---|
| भारतीय संविधान की सूची 8 में उल्लिखित सभी भाषाएं | 87.34 |
| 1. असमी | 1.64 |
| 2. बंगला | 8.17 |
| 3. गुजराती | 4.72 |
| 4. हिन्दी | 29.67 |
| 5. कन्नड़ | 3.96 |
| 6. काश्मीरी | 0.45 |
| 7. मलयालम | 4.00 |
| 8. मराठी | 7.71 |
| 9. उड़िया | 3.62 |
| 10. पंजाबी | 2.82 |
| 11. संस्कृत | शून्य |



73-M/J(N)10LSS—6

| भाषा | जनसंख्या का प्रतिशत |
|---|---|
| 12. सिन्धी | 0.31 |
| 13. तमिल | 6.88 |
| 14. तेलुगु | 8.17 |
| 15. उर्दू | 5.22 |

**कर्नाटक और आन्ध्र प्रदेश में कागज मिलों को बांस की सप्लाई**

**3439. श्री बी० वी० नायक :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्रमशः कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के दंडेली और राजमुंदरी में दो कप्पनियों और कागज मिलों को दो राज्य सरकारों से विभिन्न दरों पर कागज उत्पादन के लिये अपनी बांस की सप्लाई मिल रही है ; और यदि हां, तो किन किन दरों पर ;

(ख) देश के अन्य कागज निर्माताओं को, कारखानावार और राज्यवार अन्य राज्य सरकारें किन-किन दरों पर बांस बेच रही हैं ;

(ग) कागज पर कर लगने से पूर्व उत्पादन की कुल लागत में कच्चे माल की लागत कितनी है ;

(घ) उपरोक्त भाग (क) के दो कागज मिलों का कर से पूर्व लाभ क्या है ; और

(ङ) क्या सरकार का विचार राज्य विषयों के अन्दर आने वाले उद्योगों को कच्चे माल पर रियायतें देने के बारे में उनका मार्गदर्शन करने और अखिल भारतीय आदर्श मानने के लिये मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी करने का है ?

**औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) :** (क), (ख) और (घ) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और यथा शीघ्र सभापटल पर रख दी जायेगी।

(ग) कागज पर कर लगने से पहले उत्पादन की कुल लागत में कच्चे माल की लागत एक मिल से दूसरे मिल में अलग-अलग होती है और प्रत्येक कागज के मिल में प्रयोग होने वाले कच्चे माल की किस्म भी अलग अलग होती है।

(ङ) जी, नहीं।

**कर्नाटक में अल्प संख्यक जनसंख्या सर्वेक्षण**

**3440. श्री सी० के० जाफर शरीफ :** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने कर्नाटक में अल्पसंख्यक जनसंख्या के बारे में कोई सर्वेक्षण किया ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी आंकड़े क्या हैं ?

**गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन)** : ऐसा कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है। किन्तु 1971 की जनगणना के अनुसार कर्नाटक के छः प्रमुख धार्मिक समुदायों के संबंध में आंकड़े निम्नलिखित हैं :—

| धार्मिक समुदाय | 1971 की जनगणना जन-संख्या | कुल जन-संख्या का प्रतिशत |
|---|---|---|
| 1. हिन्दु | 25,332,388 | 86.46 |
| 2. मुस्सलमान | 3,113,298 | 10.63 |
| 3. ईसाई | 613,026 | 2.09 |
| 4. सिख | 6,830 | 0.02 |
| 5. बौद्ध | 14,139 | 0.05 |
| 6. जैन | 218,862 | 0.75 |

**बुंदेलखण्ड क्षेत्र में हरिजनों को रिहायशी प्लाटों का आवंटन**

3441. **डा० गोबिन्द दास रिछारिया** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बुंदेलखंड क्षेत्र में कितने हरिजन परिवार हैं जिन्हें रिहायशी प्लाटों का आवंटन किया गया है ; और

(ख) राज्यवार के गांव कौन-कौन से हैं जहां इन प्लाटों का आवंटन किया गया है ?

**गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन)** : (क) और (ख) राज्य सरकार से सूचना एकत्रित की जा रही है तथा प्राप्त होते ही सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

**औद्योगिक क्षेत्र में एकाधिकारी गृहों को लाइसेंस जारी करना**

3442. **श्री दिनेश जोरहर** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1973 के दौरान सरकार द्वारा कुल कितने औद्योगिक लाइसेंस जारी किये गये ;

(ख) औद्योगिक क्षेत्रों में एकाधिकारी गृहों को दिये गये लाइसेन्सों की संख्या क्या हैं ; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी)** : (क) और (ख) जनवरी-अगस्त 1973 की अवधि में 294 औद्योगिक लाइसेंस जारी किये गये थे। इनमें से 27 औद्योगिक लाइसेंस औद्योगिक लाइसेंस नीति जांच समिति द्वारा दी गई परिभाषा के अनुसार 20 बड़े घरानों की फर्मों अथवा उनके द्वारा नियंत्रित फार्मों को दिये गये हैं।

(ग) औद्योगिक लाइसेंस सरकार की घोषित नीति के अनुसार दिये जाते हैं। वर्तमान नीति के अनुसार, बड़े औद्योगिक गृह राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था के महत्वपूर्ण 19 मूल उद्योगों में भाग लेने के हकदार हैं बशर्ते कि निर्माण करने वाली वस्तुएं सरकारी अथवा लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित न हों। लघु तथा मध्यम श्रेणी के उद्यमियों को भी वरीयता दी जाती है। मुख्य रूप से निर्यात के लिए किये जाने वाले उत्पादन को छोड़कर ये उद्योग सामान्यता उन उद्योगों में शामिल नहीं किये जायेंगे ।

**Issue of Licences Letters of intent to 20 Industrial Houses**

**3443. Shri Atal Bihari Vajpayee.**

Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state the various licences or letters of intent granted to each of the biggest twenty Industrial Houses during the period of last three years, year-wise for new industries or for the expansion and development of existing concerns indicating the dates on which those licences or letters of intent were issued ?

**The Minister of Industrial Development and Science and Technology (Shri C. Subramaniam)**

Two statements are attached. (Placed in Library. See No. LT 5906/73)

**अपने संसाधनों पर आधारित 'न्यू एनर्जी कन्स्पट'**

3444. **श्री अण्णासाहिब गोटखिडे :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हमारे अपने संसाधनों पर आधारित "न्यू एनर्जी कन्स्पट" के समान कोई योजना बनाई है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

**योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) :** (क) तथा (ख) दीर्घकालीन ऊर्जा-मांग की संभावनाओं को दृष्टि में रखते हुए तथा हमारे इच्छित आर्थिक विकास तथा संसाधन सम्पन्नता के अनुरूप एक नई उर्जा नीति को तैयार करने का कार्य, सरकार द्वारा गठित ईधन नीति समिति को सौंपा गया है। समिति अभी भी दीर्घकालीन ऊर्जा नीति पर कार्य कर रही है तथा आशा है कि अपनी रिपोर्ट अगले कुछ हफ्तों में दे देगी। समिति की पहली रिपोर्ट "सातवें दशक की ईन्धन नीति" सरकार को मई 1972 में प्राप्त हो गई है। यह रिपोर्ट इस बात पर बल देती है कि तेल-उत्पादों को नियंत्रित किया जाय तथा अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में कोयले का उपयोग अधिक किया जाय। इस समिति की सिफारिशों का सारांश अगस्त 1972 में सभा पटल पर रख दिया गया था। इस समिति की अन्तिम रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

**पिछड़े क्षेत्रों हेतु बड़े गृहों को लाइसेंस देने के प्रस्ताव**

3445. **श्री बक्शी नायक :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री ने सुझाव दिया है कि बड़े गृहों को, यदि वे विशेष रूप से चुने गये पिछड़े क्षेत्रों में कारखाने स्थापित करें, औद्योगिक लाइसेन्स खुले आम दिये जाने चाहिये ;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत सरकार ने इस प्रस्ताव का अध्ययन किया है ; और

(ग) इस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रहमण्यम)** (क) से (ग) औद्योगिक लाइसेंस स्वीकार करते समय ध्यान में रखी जाने वाली बातों में से औद्योगिक उपक्रम का पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित किया जाना भी एक विचाराधीन बात है। सरकार ने औद्योगिक नीति पर फरवरी, 1973 में घोषित अपने निर्णयों में यह स्पष्ट किया है कि औद्योगिक लाइसेंसों के लिए एकाधिकार प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले घरानों से प्राप्त आवेदनों पर केवल 19 विशिश्ट उद्योगों अथवा प्रमुख रूप से निर्यात पूरक उद्योगों के लिए ही विचार किया जाएगा।

**विदेशी फर्मों द्वारा उत्पादन का विविधीकरण**

**3446. श्री के० एस० चावड़ा :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1966 और बाद के तीन वर्षों में जारी किये गये लाइसेन्स संबंधी उपबन्धों से उद्योगों को छूट देने संबंधी आदेशों में एक शर्त यह लगाई गई थी कि इसमें प्रत्यक्ष अफवा अप्रत्यक्ष कोई विदेशी मुद्रा व्यय होने वाली नहीं थी ;

(ख) क्या कुछ विदेशी औद्योगिक कारखानों नें छूट संबंधी आदेशों के अधीन विदेशी मुद्रा का व्यय करते हुए उत्पादन में विशिष्टिता लाई है ;

(ग) क्या औद्योगिक सरकार ने विविधता के प्रभावों का अध्ययन किया है विशेष रूप से विदेशी फर्मों का (26 प्रतिशत से अधिक विदेशी इंक्विटी पूंजी वाली) अर्थात् जिसमें विदेशी मुद्रा अत्यधिक रूप से प्रत्यक्षत: अथवा परोक्ष रूप से बाहर गई ह और भारत में अपनी आस्तियों को शीघ्रता से बनाया हैं; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे सभी मामलों की पूरी तरह से जांच करायेगी और शर्तों का उल्लंघन करने वाली दोषी फर्मों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ?

**औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रहमण्यम) :** (क) और (ख) लाइसेंस प्राप्त क्षमता के 25 प्रतिशत तक विविधीकरण लाने की छूट के सम्बन्ध में 1966 में जारी किये आदेश में लगाई गई शर्तों में एक शर्त यह थी कि विदेशी मुद्रा का कोई अतिरिक्त व्यय नहीं किया जायेगा। इसके पश्चात् दिसम्बर, 1967 में यह शर्त प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों के विविधीकरण के मामलों में हटा ली गई थी। जून, 1969 में सरकार ने इस छूट पर पुन: विचार किया और निश्चिय किया कि प्रतिबन्धित सूची में सम्मिलित वस्तुओं के मामलों में आयातित या देश में कमी वाले कच्चे माल के आयात से विविधता लाने की छूट नहीं दी जायेगी। प्राथमिकता क्षेत्र की प्रतिबन्धित सूची में न सम्मिलित की गई विदेशी कम्पनियों को कच्चे माल का आयात करके भी अपने उत्पादन में विविधता लाने का हक होगा।

(ग) खुले रूप में विविधता लाने सम्बन्धी आदेशों का उद्देश्य उस अवधि में आई गिरावट के कारण बेकार पड़ी क्षमता का पूर्ण उपयोग करना था । चूंकि विविधीकरण उपक्रम की लाइसेन्स प्राप्त क्षमता के 25 प्रति शत से अधिक नहीं किया जाना था अत: अत्यधिक विदेशी मुद्रा के बाहर जाने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता प्रतीत होता ।

(घ) प्रश्न हीं नहीं उठता । किन्तु यदि किसी औद्योगिक उपक्रम द्वारा उत्पादन में विविधता सम्बन्धी निर्धारित शर्तों का उल्लंघन करके उत्पादन में विविधता लाने का कोई मामला सरकार की जानकारी में लाया जाता है तो सरकार इसकी जांच करेगी और आवश्यक कार्यवाही करेगी । विदेशी कम्पनियों को फरवरी 1970 से औद्योगिक लाइसेन्स की सभी छूटों से अलग रखा गया है ।

**विविधीकरण कार्यक्रम के लिये शर्तें**

3447. **श्री के० एस० चावड़ा :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या 1966 में और बाद के तीन वर्षों में लागू छूट संबंधी आदेशों के अधीन एक शर्त यह लगाई थी कि डी० जी० टी० डी० को कुछ बातों के साथ-साथ विविधीकरण कार्यक्रम के ब्यौरे बताये जायेंगे ;

(ख) यदि हां, तो क्या 26 प्रतिशत से अधिक की विदेशी पूंजी वाले कारखानों द्वारा उल्लिखित रिपोर्टों डी० जी० टी० डी० को की गई थी ;

(ग) यदि हां, तो की गई रिपोर्टों की रुपरेखा क्या है और क्या डी० जी०टी०डी० द्वारा ऐसी रिपोर्टों का नियमित रिकार्ड रखा गया था; और

(घ) इसको सत्यापित करने क लिये कौन-कौन से नियन्त्रण लगाय गये हैं जिससे कि छूट संबंधी आदेशों में विविधीकरण कार्यक्रम निर्धारित शर्तों को पूरा करे ?

**औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) :** (क) से (घ) अक्तूबर, 1966 में जारी किये गये आदेशों के अनुसार जो लाइसेंस प्राप्त क्षमता के 25 प्रतिशत तक मुक्त विविधीकरण की अनुमति प्रदान करते हैं, औद्योगिक उपक्रमों को अपने संशोधित निर्माण कार्यक्रम और उत्पादन का प्रस्तावित वस्तुओं और छोटे संतुलन संयंत्र यदि कोई उन्होंने स्थापित किया हो की कीमत और प्रकार के बारे में ब्योरा उपयुक्त तकनीकी प्राधिकरण को देना आवश्यक था । इस बारे में अलग से निर्दिष्ट विशेष विवरणी न होने से, वे अपने समय मासिक उत्पादन बिवरण में विविधीकृत वस्तुओं को भी शामिल करते थे जो तकनीकी विकास के महानिदेशालय द्वारा रख जाने वालों के नियमित रिकार्ड में प्रदर्शित होते हैं ताकि संदेह के मामलों में, तकनीकी विकास का महानिदेशालय औद्योगिक उपक्रम से अन्य ब्यौरे के बारे में पता लगा सकेगा और प्रशासनिक मंत्रालय को बता सके ।

**कारखानों द्वारा सी० ओ० बी० लाइसेंसों को प्राप्त न करना**

3449. **श्री आर० के० सिन्हा :**

**श्री नवल किशोर सिंह :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने इस बीच कारखानों के आंकड़े एकत्रित कर लिये है जिन्होंने सी० ओ० बी० नहीं प्राप्त किये हैं, अथवा इसके लिए आवेदन-पत्र नहीं दिये हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो अपेक्षित सूचना को एकत्र करने में और कितना समय लगेगा ?

**औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) :** (क) से (ग) उन एककों के आंकड़े जिन्होंने सी०ओ०बी० लाइसेंस प्राप्त नहीं किया है अथवा इस हेतु आवेदन नहीं किया है इस मंत्रालय में नहीं रखे जाते हैं। स्थिति इस प्रकार है कि उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 29 बी (1) क अधीन केन्द्रीय सरकार कुछ शर्तों के साथ जिन्हें लगाना वह उचित समझती है किसी औद्योगिक उपक्रम या औद्योगिक उपक्रमों के किसी वर्ग अथवा अनुसूचित उद्योग या अनुसूचित उद्योग के किसी वर्ग को जैसी कि अधिनियम के सभी अथवा किसी एक उपबंध के अधीन यह निर्धारित करे, छूट दे सकती है। अधिनियम की धारा 29 बी (2) के अधीन जहां इस प्रकार की छूट से संबंधित किसी अधिसूचना के रद्द कर दिए जाने की स्थिति में छूट प्राप्त उपक्रम केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में प्राप्त लाइसेंस के अनुसार ही अपना कार्य चलायेंगे। वे उपक्रम जिनक लिए सी०ओ०बी० लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है किन्तु जिन्होंने इस हेतु किया है फिर भी वध सी०ओ०बी० लाइसेंस के बिना कार्य चला रहे हैं अधिनियम के उपबन्धों के अधीन आवेदन नहीं दण्डनीय होंगे।

**साइटस फ्रुट बेवरेज बनाने के लिये कोका कोला निर्यात नियम को तदर्थ आधार पर लाइसेंस जारी करना**

3450. **श्री सतपाल कपूर :**

**श्री शशि भूषण :**

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोका कोला निर्यात निगम को साइटस फ्रूट बेवरज बेस बनाने के लिये अपनी गतिविधियों का विस्तार करने की अनुमति दी गई थी, यदि उसके द्वारा नवम्बर, 1974 में किसी कच्चे माल के लिये विदेशी मुद्रा की मांग नहीं की जाये; और

(ख) यदि हां, तो तदर्थ लाइसेंस देने के क्या कारण हैं ?

**औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी):** (क) कोका कोला निर्यात निगम को बवरेज वस बनाने के लिए नवम्बर, 1964 में स्वीकृति प्रदान करते समय लगाई श र्तों में एक शर्त यह भी थी कि वेवरेज वेस का उत्पादन करने के लिए आवश्यक कच्चे माल के निर्यात हेत मुद्रा की व्यवस्था उन्हें कोका कोला सान्द्राण (कन्सन्ट्रेट) के निर्यात के लिए उन्हें प्रदान की गई निर्यात् संवर्धन की हकदारी से की जायेगी।

(ख) 1-4-1971 से उन्हें सान्द्रण के निर्यात् पर स्वीकार की गई पुन : पूर्ति को 20% से घटाकर 4. 5% कर दिया गया है। आयात पुन: पूर्ति कोटे का उपयोग उनके द्वारा बोतल भरने वाले संयंत्रों की सान्द्रण की आवष्यकता पूरी करने के लिए किया जा रहा है । आयात पुन:पूर्ति कोटे में एकाएक कमी कर दिए जाने के संदर्भ में निगम को तदर्थ वास्तविक उपभोकता लाइसेंस जारी करने पड़े ताकि बोतलें भरने वाले संयंत्रों का कार्य चलता रहे ।

**कोका कोला बोटलरों को लाइसेंस जारी करना**

3451. **श्री सतपाल कपूर :**
**श्री शशि भूषण :**

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1966 के बाद नये कोका कोला संयंत्र की सथापना के लिये अनुमति लेते समय एक शर्त रखी गई थी कि कोका कोला बोटलरों को कच्चे माल के लिये आयात लाइसेंस नहीं दिये जायेंगे ; और

(ख) कोका कोला बोटलरों को, जो 1966 के बाद रजिस्टर्ड किये गये थे, वास्तविक उपयोकता लाइसेंस देने के क्या कारण हैं ?

**औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी)**: (क) और (ख) 1966 के बाद बोतल बन्दी (बोटलरों) के संयंत्रों को स्वीकृति देते समय यह सोचा गया था, कि उक्त योजना से सान्द्रण (कन्सन्ट्रेट) तयार करने के लिए आपेक्षित अतिरिक्त आयातित कच्चा माल वास्तविक प्रयोगता के आधार पर प्राप्त करने का अधिकार कोका कोला एकसपोर्ट कार्पोरेशन को नहीं मिलेगा और यह कि एकता कार्पोरेशन बोटलरों सान्द्रण (कन्सन्ट्रेट) की सप्लाई उस कच्चे माल में से करेगा जो उसकी अपने सांद्रण (कन्सट्रेंट) के निर्यार करने के एवज में उपलबध होगा । अत : ऐसे कच्चे माल के लिए कोका कोला बोटलर्स को वास्तविक प्रयोकता लाइसेंस दिए जाने का प्रश्न ही नहीं था ।

**कोका कोला निर्यात निगम द्वारा सोडा साल्टस का बनाना**

3452. **श्री सतपाल कपूर :**
**श्री शशि भूषण :**

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोटलरों को नमक बेचने कोका कोला निर्यात निगम अपने बोटलरों से सोडे के लिये अप्रत्यक्ष रूप से रायल्टी वसूल करता है ;

(ख) क्या सरकार ने इस कम्पनी को सोडा साल्ट्स बनाने और बेचने के लिये अनुमति दी हुई है; और

(ग) यदि हां, तो कब से ?

**औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी)**: (क) मैसर्स कोका कोला एक्सपोर्ट कापोरेशन से यह मालूम कर लिया है कि वे कोका कोला के बोटलरों से इस का सान्द्रण (कन्सट्रेंट) सप्लाई करने के एवज में उनके पर्यावर्त का कोई प्रतिशत नहीं लेते हैं ।

(ख) मसर्स कोका कोला एक्सपोर्ट कापोरेशन 'सोडा साल्ट' का उत्पादन तथा उस की बिक्री करने के लिए अलग से अनुमति नहीं लेते ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

**कोका कोला निर्यात निगम द्वारा विस्तार करने से पूर्व सी० ओ० बी० लाइसेंस लेना**

3453. **श्री सतपाल कपूर :**
**श्री शशि भूषण :**

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 19 फरवरी, 1970 की प्रेस अधिसूचना के अनुसार भारत में कार्यरत सभी विदेशी कम्पनियों और उनकी शाखाओं को सी०ओ०बी० लाइसेंस लेना पड़ता है ;

(ख) क्या फेंटा ग्रेप को शुरु करके अपनी वर्तमान गतिविधियों का विस्तार करने से पुर्व कोका कोला निर्यात निगम नै सी०ओ०बी लाइसेंस लिया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी)** : (क) जी हां । सिर्फ उन्हीं मामलों में जिनमें उद्योग (विकास व विनियिमन) अधिनियम, 1951 के उपबंध लागू होता हैं ।

(ख) और (ग) :पेय घोलों का निर्माण उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 की प्रथम अनुसूची के अंतर्गत नहीं आता है, इसी लिए कोका कोला एक सपोर्ट कार्पोरेशन के लिए ऐसा लाइसैंस प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है ।

**लघु क्षेत्र में रेडियो और टेलीवीजन सेटों का उत्पादन**

3454. **श्री प्रभुदास पटेल :**

क्या **इलैक्ट्रोनिक्स** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु क्षेत्र में रेडियो उद्योग में 40 लाख सेटों का रिकार्ड उत्पादन लक्ष्य किए जाने की संभावना है ;

(ख) क्या लघु क्षेत्र में टेलीविजन सेटों के लिये 64 कारखानों को लाइसस दिया गया है जिसमें से केवल 10 कारखाने ही उत्पादन कर रहे हैं और यदि हां, तो इसके क्या कारण ह ; और

(ग) सभी कारखानों में उत्पादन कब शुरु हो जायेगा ?

**प्रधान मंत्री परमाणु ऊर्जा मंत्री इलैक्ट्रोनिक्स मंत्री तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी)** : (क) लघु क्षेत्र में रेडियो उद्योग के लिये कोई उत्पादन लक्ष्य नियत नहीं किये गये हैं। लघू क्षेत्र में वर्तमान उत्पादन लगभग 10 लाख सेट प्रतिवर्ष है तथा भविष्य का उत्पादन रेडियों की मांग पर निर्भर होगा ।

(ख) और (ग) : टेलीविजन सेटों के उत्पादन के लिए स्वीकृत लघु क्षेत्र के 64 कारखानों में से 10 कारखानों ने पहले ही उत्पादन आरम्भ कर दिया है, लगभग 40 पार्टियां और कार्यानवयन की विभिन्न अवस्थाओं में हैं, जैसे पूंजीगत सामग्री हेतु लाइसेंस लेना, कच्चेमाल व घटक तथा आंरभिक उत्पादन शुरु करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करना । जिन कारखानों ने बिलकुल प्रगति नहीं की है, उनसे अल्प प्रगति के कारणों को व्याख्या करने को कहा गया है । आशा है 1974-75 तक कारखानों को एक अर्थपूर्ण संख्या उत्पादन आरम्भ कर देगी ।

**"बिहार आदिवासीज लांच नक्सलाइट-टाईप स्ट्रगल" शीर्षक से समाचार**

**3455. डा० हरि प्रसाद शर्मा :**

**श्री चन्दूलाल चन्द्राकर :**

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के पहाड़ी इलाकों में आदिवासियों के लड़ाकू "शिवाजी समाज" द्वारा नक्सलवादी किस्म का सशस्त्र संघर्ष शुरु किया गया ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इस आन्दोलन को समाप्त करने और रोकने के लिये प्रभावी कार्यवाही करने हेतु बिहार सरकार को कोई निदेश जारी किये गये हैं और यदि हां, तो ऐसे निदेशों का सार क्या है ?

**गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) :** (क) सरकार को ऐसी कोई सूचना नहीं है ।

(ख) बिल्कुल नहीं । फिर भी सरकार जानती है कि सीधे सादे आदिवासियों को विशेषकर जिला गिरीदीह में कानून अपने हाथ में लेने तथा वह भूमि जिसको वे समझते हैं कि उनके यथोचित अनुमोदन के बिना उनसे ली गई है, की खड़ी फसल बलपूर्वक काटने तथा फिर से अधिकार में लेने के लिए उकसाया जा रहा है । बिहार सरकार ने ऐसे आदिवासियों को कानून के अन्तर्गत उनके अधिकारों से अवगत कराने के लिए प्रचार अभियान चलाया है । छोटा नागपुर काशतकारी अधिनियम के अन्तर्गत पैदा होने वाले मामलों का शीघ्रता से निपटान सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त न्यायालय भी गठित किए गये हैं ।

**झूठ का पता लगाने के लिये पुलिस को उपकरण देना**

**3456. श्री नवल किशोर शर्मा :**

क्या **गृह** मंत्री यस बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी में पुलिस को झूठ का पता लगाने के लिये एक उपकरण दिया गया है जिससे अपराधियों से मामले की सचाई का पता लगाया जाये ;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसा उपकरण स्वदेशी है अथवा इसका आयात किया गया है;

(ग) नागमणि हत्या केस में मामले की सचाई जानने के लिये इस उपकरण का कहां तक प्रयोग किया गया है; और

(घ) क्या कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है जिससे विभिन्न राज्यों में सभी महत्व पूर्ण पुलिस स्टेशनों में ऐसा उपकरण प्रदान किया जाये ?

**गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) :** (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) इस मामले में इस उपकरण का प्रयोग नहीं किया गया था ।

(घ) विधि व व्यवस्था बनाये रखना राज्य का विषय है और मामले में निर्णय लेना राज्य सरकारों का काम है ।

**प्रमुख उद्योगों में आत्म-निर्भरता**

**3459. श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :**

**श्री कृशन मोदी :**

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कई प्रमुख उद्योगों में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के लिये तेजी से प्रगति की हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

**औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) :** (क) और (ख) आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के उपाय के रूप में आयात-प्रतिस्थापन एक लम्बे अर्से से देश की औद्योगीकरण नीति का मुख्य तत्व रहा है । परिणामस्वरूप, इस्पात, बिजली उत्पादन के उपकरण, भारी मशीनों के निर्माण उद्योग तथा कई अन्य वस्तुओं से सम्बन्धित अनेक मुख्य-मुख्य और बुनियादी उद्योगों में देश ने पर्याप्त उत्पादन-क्षमता प्राप्त कर ली है । इस प्रकार के उद्योगों में उत्पादन को सुदृढ़ बनाने पर जोर देने के साथ-साथ इन वस्तुओं के आयात को निषिद्ध कर देने तथा इनका देश में ही उत्पादन तेज करने के लिये आयात-नीति को तद्नुरूप बना दिया गया है ।

**खंडनीय (फिज़ियनेबल) सामग्री की चोरी को रोकने के लिए परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठानों में सुरक्षा**

**3460. श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :**

**श्री रण बहादुर सिंह :**

क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठानों में पर्याप्त सुरक्षा बनाने के लिये परमाणु ऊर्जा विभाग की एक योजना विचाराधीन है ;

(ख) क्या कुछ प्रतिष्ठानों से खंडनीय (फिज़ियनेबल) सामग्री की चोरी करने और उनका आतंकपूर्ण कार्यों के लिये प्रयोग करने के मामले हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो इन मामलों को रोकने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

**प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) :** (क) परमाणु ऊर्जा विभाग के जिन विभिन्न प्रतिष्ठानों में न्यूक्लीय सामग्री भंडारित या प्रयुक्त की जाती है, वहां उस सामग्री की सुरक्षा के लिये पर्याप्त व्यवस्था की जाती है । तथापि यह विभाग इस सम्बन्ध में अन्य संस्थानों द्वारा व्यक्त विचारों के बारे में जानकारी प्राप्त करता रहता है तथा सुरक्षा-व्यवस्था को समुचित बनाये रखने के लिये उसका पुनरीक्षण करता रहता है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

**डाल्टनगंज और पटना, दिल्ली, रांची के बीच टेलीफोन लाइन**

3461. **कुमारी कमला कुमारी** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाल्टनगंज और पटना, दिल्ली, रांची के बीच टेलीफोन लाइन सदैव खराब रहती है और यह लाइन केवल महीने में तीन से चार दिन ही कार्य करती है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है कि यह लाइन एक महीने में कम से कम 25 दिन सदैव कार्य करे ?

**संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर)** : (क) जी नहीं। डाल्टनगंज से रांची और डाल्टनगंज से पटना के बीच सीधे ट्रंक सर्किट दिये गये हैं। डाल्टनगंज से दिल्ली के लिये कोई सीधा सर्किट नहीं दिया गया है। डाल्टनगंज से दिल्ली को कालें रांची के जरिये लगाई जाती हैं। पिछले पखवाड़े में डाल्टनगंज और रांची के बीच जितनी कालें बुक हुई थीं उनमें से 85 प्रतिशत से भी अधिक कालें लगाई गई थीं। इसी तरह डाल्टनगंज और पटना के बीच बुक हुई कालों में से 70 प्रतिशत से अधिक कालें लगाई गई थीं। यह एक सामान्य स्थिति है क्योंकि जो कालें लगाई नहीं गई उनमें वे कालें भी शामिल हैं जिन्हें उपभोक्ताओं मे स्वंय ही रद्द करा दिया था। और विभाग का इन्हे रद्द कराने से कोई संबंध नहीं है।

(ख) संचार व्यवस्था में सुधार लाने के लिये अभी हाल ही में डाल्टनगंज और डालमियानगर के बीच एक खुले तार वाली कैरियर प्रणाली स्थापित की गई है। इस प्रणाली से पटना मार्ग की वर्तमान दूरी कम हो जाएगी और कार्यकुशलता भी बढ़ जाएगी। पांचवीं पंचवर्षीय योजना में डाल्टगंज को रांची के साथ जोड़ने के लिये एक माइक्रोवेव प्रोजेक्ट भी शामिल किया गया है जो इसी अवधि में चालू हो जाएगा।

**टेलीविजन उपकरणों का आयात और टेलीविजन केन्द्रों का आधुनिकीकरण**

3462. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में टेलीविजन उपकरणों के आयात करने के लिये सूचना और प्रसारण मंत्रालय को किसी संकट का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) यदि हां, तो वे देश कौन-कौन से हैं जो प्रायः भारत को टेलीविजन उपकरणों का निर्यात कर रहे हैं; और

(ग) क्या विदेशी तकनीकी जानकारी के साथ कोई सहयोग स्थापित किया जा सकता है; जिससे भारत में टेलीविजन केन्द्रों को आधुनिक बनाया जाये और अधिक टेलीविजन केन्द्रों को खोला जाये ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता। तथापि, टेलीविजन उपकरण पश्चिम यूरोपीय देशों, अमरीका तथा जापान से उपलब्ध है। टेलीविजन स्टूडियो तथा ट्रान्समिटर उपकरण अब मैसर्स भारत इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड, बंगलौर, भारत द्वारा भी उत्तरोत्तर अधिक मात्रा में बनाए जा रहे हैं।

(ग) मैसर्स भारत इलैक्ट्रोनिक्स लि०, बंगलौर पहले ही भारत में विदेशी सहयोग से टेलीविजन वीडिओ स्टूडियो उपकरण, टेलीसिने उपकरण, एन्टेना सहित ट्रांसमिटर उपकरण तथा नये टेलीविजन केन्द्रों के लिये कुछ टैस्ट औजार का निर्माण कर रहा है । इंडियन टेलीफोन इन्डस्ट्रीज, बंगलौर ने भी ब्राड लैंड तथा टेलीविजन सन्देशों को भेजने के लिये माइक्रोवेव लिंक उपकरण को विकसित करने का काम हाथ में लिया है ।

**आजाद हिन्द फौज के उन भूतपूर्व कर्मचारियों और अनाज्ञप्त नाविकों (नैवल रेटिंग्ज) को पेंशन देना जिन्होंने अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध विद्रोह किया था**

3463. **श्री समर गुह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) (i) आजाद हिन्द फौज के उन भूतपूर्व कर्मचारियों और (ii) अनाज्ञप्त नाविकों जिन्होंने अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध विद्रोह किया था, को अब तक दी गई पेंशन के नवीनतम आंकड़े क्या है और इन दो श्रेणियों के कितने आवेदन पत्र अब भी सरकार के विचाराधीन हैं ;

(ख) क्या मान्यता-प्राप्त स्वाधीनता सेनानियों के अतिरिक्त अन्य लोगों को पेंशन की मंजूरी देने के कुछ मामले सरकार के ध्यान में लाये गये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे मामलों के बारे में तथ्य क्या हैं ?

**गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन)** : (क) प्राप्त हुए 21553 आवेदनपत्रों में से भूतपूर्व आजाद हिन्द फौज के 3121 कर्मचारियों को पेंशन स्वीकृत की जा चुकी है । 77 मामले अस्वीकृत कर दिये गये हैं ।

सन् 1946 के आर० आई० एन० म्यूटीनी में भाग लेने वालों की संख्या लगभग 550 आंकी जाती है । किन्तु इन व्यक्तियों अथवा उनके आश्रितों में से कितनों ने पेंशन के लिये आवेदन किया है यह ज्ञात नहीं है । अब तक भूतपूर्व आर० आई० एन० के नाविकों के 14 मामले ध्यान में आये हैं और पेंशन के लिये अनुमोदित कर दिये गये हैं अन्य मामलों की जांच शीघ्र की जायेगी और उन्हें निपटाया जायगा ।

(ख) तथा (ग) : 28-11-1973 को लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2554 के उत्तर की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है ।

**पटना ट्रंक एक्सचेंज के विश्राम कक्षों में भीड़ भाड़ होना**

3464. **श्री भाला मांझी** :

**श्री रामावतार शास्त्री** :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटना ट्रंक एक्सचज के विश्राम कक्षों में बहुताधिक भीड़भाड़ रहती है और कर्मचारियों को कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

**संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) और (ख): वहां दो विश्राम-कक्ष हैं। प्रत्येक विश्राम-कक्ष का क्षेत्रफल 625 वर्गफुट है। इनमें से एक महिला कर्मचारियों के लिए है और दूसरा पुरुष कर्मचारियों के लिए। पुरुष कर्मचारियों के विश्राम-कक्ष की व्यवस्था केवल उन्हीं कर्मचारियों के लिए की गई है जिन्हें रात के समय ड्यूटी पर लगाया जाता है। टेलीफोन कर्मचारियों की संख्या पिछले दिनों में कुछ बढ़ गई है। इसके परिणाम स्वरूप विश्राम कक्षों में भीड़ भी कुछ ज्यादा हो गई है। अभी विश्राम-कक्षों के लिए इस समय अतिरिक्त जगह उपलब्ध नहीं है, लेकिन भविष्य में जब कुछ कार्यालय दूसरी इमारतों में ले जाएं जाएंगे, तब विश्राम कक्षों के लिए कुछ अधिक जगह उपलब्ध करना संभव हो सकेगा।

**पटना ट्रंक एक्सचेंज में निःशुल्क "कालें" पास करना**

**3465. श्री भोला मांझी :**

**श्री रामावतार शास्त्री :**

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निःशुल्क काल पास करने के कारण गत तीन वर्षों के दौरान पटना ट्रंक एक्सचेंज में कितने टैलीफोन आपरेटरों के विरूद्ध कार्यवाही की गई ; और

(ख) ट्रंक सेवाओं, राजस्व तथा सार्वजनिक हित के विरुद्ध होते हुए भी उन्हें पटना ट्रंक एक्सचेंज में रखे जाने के क्या कारण हैं ?

**संचार मंत्री पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) पंद्रह टैलीफोन आपरेटरों को सजा दी गई है और उन पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है।

(ख) जनता को कुशल ट्रंक सेवा देने और ट्रंक सेवा से होंने वाली आय में क्षति होने से बचने के लिए टैलीफोन आपरेटरों के काम पर चौबीसों घंटे गुप्त रूप से निगरानी रखी जाती है। यदि कोई आपरेटर निःशुल्क ट्रंक काल सेवा लगाता पाया जाता है तो उस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है ताकि इस प्रकार के कदाचार पर रोक लगाई जा सके।

**टेलीफोन और संचार काम्पलेक्स**

**3466. श्री सूरज पाण्डे :**

**श्री इन्द्रजीत गुप्त :**

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री ने अपने निवास क्षेत्र में हाल ही में टैलीफोन और संचार काम्प्लेक्स की आधारशिला रखी थी ;

(ख) क्या उक्त एकक में अमरीकी कम्पनी का सहयोग प्राप्त होगा ;

(ग) क्या यह सच नहीं है कि उक्त फर्म का दिल्ली में सैनिक जनता शासन स्थापित करने में हाथ था; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने उक्त फर्म से सहयोग प्राप्त करने का कैसे निश्चिय किया ?

**संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) प्रधान मंत्री ने 22 अक्तूबर, 1973 को टैलीफोन स्विचिंग उपस्कर की अन्ततः 3 लाख लाइनों की वार्षिक उत्पादन क्षमता वाले टैलीफोन स्विचिंग कारखाने की रायबरेली में आधारशिला रखी।

पहले चरण में यह कारखाना स्विचिंग उपस्कर की स्ट्रोजर किस्म की एक लाख लाइनें बनाएगा। दूसरे चरण में बनने वाले उपस्कर की किस्म के सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं किया गया है।

(ख) स्ट्रोजर किस्म के उपस्कर के उत्पादन कार्य में विदेशी सहयोग नहीं लिया गया है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

**औद्योगिक तोड़-फोड़ सम्बन्धी चेतावनी**

**3467. श्री सरजू पांडे :**

**श्री बसंत साठे :**

क्या गृह मंत्री वह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर में हाल ही में हुए पुलिस विज्ञान सम्मेलन में पढ़े गये एक दस्तावेज में औद्योगिक तोड़-फोड़ सम्बन्धी आशंका की चेतावनी दी गई है ; और

(ख) यदि हां तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है और इसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

**गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन)** : (क) जी, हां, श्रीमान्।

(ख) औद्योगिक तोड़फोड़ के लिए सम्बन्धित प्राधिकारियों द्वारा आवश्यक निगरानी रखी जा रही है।

**राजनीतिक आधार पर सरकारी सेवा से हटाये जाने का आरोप**

**3468. श्री एम० कत्तामुत्तु :**

**श्री एस० ए० मुरुगनन्तम :**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान राजनीतिक आधार पर सरकारी सेवा से हटाये जाने के आरोप से सम्बन्धित समाचारों की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रया है ?

**गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा)** : (क) तथा (ख): अनुमानतः यह संदर्भ 31 अक्तूबर, 1973 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" के शीर्षक "राजनैतिक आधार पर सरकारी सेवा से हटाए जाने के सम्बन्ध में सरकार की खामोशी" समाचारों से सम्बन्धित है। यह समाचार गृह मंत्रालय की 28 अगस्त, 1973 को हुई संसद सदस्यों की विचार-विमर्श समिति की

बैठक की कार्यसूची की एक मद से सम्बन्धित मालूम पड़ता है , जो केन्द्रीय सरकार के ऐसे कर्मचारियों की संस्था के विषय में थी जिन्हें प्रतिकूल पुलिस रिपोर्ट तथा प्रतिकूल रिपोर्टों की प्रकृति के आधार पर सेवा से निलंबित या हटा दिया गया था ।

वास्तविक स्थिति यह है कि यह निश्चित करने के लिए कि सरकारी सेवा में व्यक्ति निष्ठावान, ईमानदार तथा निष्पक्ष हों, सरकार के लिए यह आवश्यक है कि वह यह सुनिश्चित करे कि नियुक्ति के लिए उम्मीदवार सरकारी सेवा में ऐसी नियुक्ति के लिए हर प्रकार से उपयुक्त हैं । किसी भी व्यक्ति को केवल उसके राजनैतिक दृष्टिकोण के कारण ही नियुक्ति के लिए योग्य नहीं समझा जाता । तथापि, कभी कभी नियुक्तियां किए जाने की अत्यावश्यकता के कारण स्थायी नियुक्तियां इस आधार पर कर ली जाती हैं कि उनके चरित्र तथा पूर्ववृत्त का सत्यापन किया जाएगा । यदि उनके चरित्र तथा पूर्ववृत्त के सत्यापन के बाद ऐसे उम्मीदवार सेवा में बनाए रखने के लिए उपयुक्त न पाये जाएं तो उनकी सेवाएं अस्थायी सेवा नियमों के उपबन्धों के अधीन समाप्त की जा सकती हैं । चूंकि, शक्तियां सरकार के अधीन विभिन्न नियुक्तिकर्त्ता प्राधिकारियों को प्रदान की गई हैं, इसलिए सरकार द्वारा ऐसे मामलों की संख्या को न ही एकत्रित किया जाता और न ही रखा जाता । उपर्युक्त समाचार में लगाया गया इस आशय का आरोप कि "यह माना गया था कि बहुत से सरकारी कर्मचारियों को इसलिए बर्खास्त किया गया कि उनके राजनैतिक सम्बन्ध हैं और उनमें से कुछ विभिन्न दलों के सत्तिय कार्यकर्ता रहें हैं, सही नहीं है । स्थिति यह है कि किसी भी व्यक्ति को केवल उसके कतिपय राजनीतिक दृष्टिकोण के कारण सरकार के अधीन रोजगार के लिए अयोग्य नहीं समझा जाता । समाचार से यह विदित होगा कि बैठक में परिचालित किए गए पत्र में इसका स्पष्टीकरण कर दिया गया था ।

**राजभाषा अधिनियम को क्रियान्वित करने के काम में लगे कर्मचारियों की सेवा शर्तों और वेतनमानों में विषमता**

3469. **श्री यमुना प्रसाद मंडल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में राजभाषा अधिनियम को क्रियान्वित करने के काम पर लगे कर्मचारियों के काम और कर्तव्य समान होने के बावजूद उनकी सेवा शर्तों और वेतन-मानों में भारी अन्तर है ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे कर्मचारियों के स्तर और सेवा शर्तों में समानता लाने के बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

**गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा)** : (क) और (ख) विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में हिन्दी अधिकारियों तथा हिन्दी अनुवादकों आदि के भिन्न भिन्न वेतनमान है । निर्धारित योग्यताओं तथा कार्य के स्वरूप को ध्यान में रख देते हुए तृतीय वेतन आयोग ने हिन्दी कार्य से सम्बन्धित पदों की समान श्रेणी के लिए समान वेतनमानों की सिफारिश की है । अत: आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के पश्चात् वेतनमानों में काफी असमानता दूर हो जायेगी ।

**सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा आई० वी० ए० से खरीदी गई मशीन**

3470. **श्री ज्योतिर्मय वसु** : क्या **इलैक्ट्रानिक्स** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका की कम्पनी आई० वी० एम० द्वारा भारत में किस प्रकार का व्यापार किया जाता है और इस कम्पनी का पूर्ववृत्त क्या है ;

(ख) केन्द्रीय सरकार के प्रत्येक विभाग ने कितनी आई० वी० एम० मशीनें खरीदी और किस मूल्य पर ;

(ग) केन्द्रीय सरकार के प्रत्येक विभाग ने इस कम्पनी से आज तक कितनी मशीनें किराये पर ली हैं ; और

(घ) किराये पर ली गई प्रत्येक मशीन का मासिक किराया क्या है और आज तक आई० वी० एम० को किराये के रूप में कितनी धनराशि अदा की गई है ?

**प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमति इन्दिरा गांधी)** : (क) "दि इण्टरनेशनल विजनेस मशीन्स (इण्डिया)" द आई० वी० एम० वर्ल्ड ट्रैड कारपोरेशन, न्यूयार्क की एक शाखा है । भारत में उनका परचालन 1951 में हुआ । वे कम्प्यूटर एवं संबंधत उपस्कर सहित टाटा प्रासेसिंग उपस्कर का व्यापार करने में रत हैं । उनके क्लाषों का एक महत्वपूर्ण भाग रहा है, विदेश से "एज इज" उपस्करण को लाना, भारत में इसका पुनर्निरूपण करना तथा इसे ग्राहकों को बैचना/पट्टे पर देना । वे "डाटा प्रेपेरेशन" तथा "यूनिटारिकार्ड" उपस्कर का निर्णय भी करते हैं । यह कम्पनी "डाटा एण्ट्री डिवाइस" "यूनिट रिकार्ड" तथा "सोर्ट्स", एवं "कार्डस्" का निर्यात करती हैं । यह 4 "डाटा डिलाइस" केन्द्र का परिचालन करती है, जहां प्रभार आधार पर जनता को सुविधाएं उपलब्ध की जाती हैं ।

(ग्रंथालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० 5907/73)

(ख) से (घ) आवश्यक सूचना संलग्न सारणियों (1 व 2) में दी गयी हैं । इनका संबंध केवल कम्प्यूटर तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धिक अधिकरणों व संस्थानों सहित सरकारी विभागों से ही है । प्रत्येक विभाग द्वारा अदा की गयी कुल राशि विषयक सूचना एक विस्तृत अवधि को आवृत करती है, जिसको संकलित किया जा रहा है ।

**उड़ीसा में राष्ट्रपति शासन लागू करने के बारे में उड़ीसा उच्च न्यायालय का निर्णय**

3471. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 22 अक्तूबर, 1973 को उड़ीसा उच्च न्यायालय की डिवीजन बैंच ने उड़ीसा म राष्ट्रपति शासन लागू करने और 3 मार्च को उड़ीसा विधान सभा के भंग किये जाने को चुनौती देने वाली रिट याचिका पर अपने निर्णय में कहा था कि उड़ीसा के राज्यपाल ने राष्ट्रपति शासन लागू करने तथा राज्य विधान सभा भंग करने की सिफारिश करके "प्रगति पार्टी के नेता को, जो कि उस समय विपक्षी के नेता थे, इस आधार पर मंत्रिमण्डल बनाने को न कहना कि श्री पटनायक क नतृत्व में बनाया जाने वाला मंत्रिमण्डल स्थायी नहीं होगा, ब्रिटेन में प्रचलित प्रथाओं का पालन नहीं किया"; और



73-M/J(N)10LSS—7

(ख) यदि हां, तो उन उक्त निर्णय पर यदि कोई कार्यवाही की गई है तो वह क्या है ?

**गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन)** : (क) और (ख) निर्णय विचाराधीन है ।

**भारतीय इलैक्ट्रोनिक्स निगम को हैदराबाद में अपनी औद्योगिक क्षमता के विस्तार के लिए आशय पत्र जारी करना**

3472. **श्री के० कोडंडा रामी रेडडी** : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इलैक्ट्रानिक्स निगम को हैदराबाद में अपनी वर्तमान औद्योगिक क्षमता का विस्तार करने के लिये आशय पत्र जारी किया गया है ;

(ख) इस पर कितने व्यय की संभावना है और विस्तार कार्यक्रम कब तक पूरा किया जायेगा और इस विस्तार के परिणाम स्वरूप कितने अतिरिक्त व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा ; और

(ग) एकक की उत्पादन क्षमता में कितनी वृद्धि की संभावना है ?

**प्रधान मंत्री (परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी )** : (क) जी, हां ।

(ख) तथा (ग) : 1971–76 के वर्षों के लिए इलैक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड के पंचवर्षीय विस्तार-कार्य क्रम पर कुल मिलाकर 1151 लाख रुपये व्यय होंगे । इस कार्यक्रम के वर्ष 1975–76 के अन्त तक पूरा होने की आशा है । इस विस्तार-कार्यक्रम के पूरा होने पर 3600 अतिरिक्त व्यक्तियों को रोज़गार मिलने तथा उत्पादन में लगभग 21 करोड़ रुपये की वृद्धि होने की आशा है ।

**कागज और पप्प बनाने वाले एकक**

3473. **श्री के० कोडंडा रामी रेडडी** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में कागज और पल्प बनाने वाले कारखानों की राज्यवार संख्या क्या है और 1971–72 तथा 1972–73 में प्रत्येक कारखाने का वास्तविक उत्पादन क्या था ?

**औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी)** : एक विवरण अंग्रेजी उत्तर के साथ संलग्न है । (ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 5908/73)

**कडप्पा स्टेशन का 'ओरिजिनेटिंग स्टेशन' के रूप में दर्जा ऊंचा करने के लिए धरना**

3474. **श्री कोडंडा रामी रेडडी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को कडप्पा स्टेशन को 'ओरिजिनेटिंग स्टेशन' के रूप में दर्जा ऊंचा करने की मांग को लेकर आकाशवाणी के कडप्पा केन्द्र के स्टेशन इंजीनियर के कार्यालय के समक्ष दिये गये धरने का पता है;

(ख) क्या इस बारे में सभी वर्गों के लोगों से भूतकाल में अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे; और

(ग) कडप्पा स्टेशग का दर्जा ऊंचा करने के क्या कारण हैं ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह)** : (क) और (ख) : जी हां, आकाशवाणी के कडप्पा सहायक केन्द्र को एक पूर्ण रुपेण केन्द्र में परिवर्तित करने के लिए समय समय पर मांग की गई है ।

(ग) साधनों के अभाव के कारण, केन्द्र का दर्जा बढ़ाना अभी तक संभव नहीं हुआ है तथापि केन्द्र का दर्जा बढ़ने तक, कडप्पा से तीन ट्रांसमिशन और प्रतिदिन 90 मिनट के स्थानीय कार्यक्रम मूल रूप से यथा शीघ्र चालू करने का निर्णय किया गया है ।

**उत्तर बंगाल में अखबारी कागज का कारखाना**

**3476. श्री सरोज मुखर्जी :**

**श्री ए० के० एम० इसहाक :**

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक विकास उपमंत्री ने 30 अक्तूबर, 1973 को कलकत्ता में कहा था कि उत्तर बंगाल में अखबारी कागज का एक कारखाना स्थापित किया जायेगा;

(ख) यदि हां, तो उक्त कारखाना कहां और कब स्थापित किया जा रहा है;

(ग) इस योजना को अन्तिम रूप देने में विलम्ब के कारण क्या है; और

(घ) अखबारी कागज की बढ़ती हुई कमी को देखते हुए किस कारण पश्चिम बंगाल के समाचार पत्रों के लिये बहुत कठिनाई उत्पन्न हो गई है इसे तेज करने के लिये भारत सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी)** : (क) वक्तव्य सरकारी क्षेत्र में एक अतिरिक्त अखबारी कारखाना स्थापित करने के बारे में है जिसके संबंध में हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन उत्तर बंगाल सहित देश के कुछ चुने हुए भागों में पड़ताल कर रहा है ।

(ख) और (घ) : हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन की रिपोर्ट मिलने के पश्चात् उचित समय पर इस पर विचार किया जायेगा ।

**फिलिप्स में अनधिलत उत्पादन**

**3477. श्री मधु लिमये** : क्या **इलैक्ट्रानिक्स** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की फिलिप्स के 'कम्पेक्ट कैसट' और 'हाई फिडेलिटी भैगनेटिक टेप्स के क्षेत्र में सर्किट में अनधिकृत रूप से शामिल होने के बारे में कोई पत्र आदि मिला है;

(ख) क्या यह उनको दिये गये किसी औद्योगिक लाइसेंस के अन्तर्गत अथवा उनको दिये गये विविधिकरण परमिट के अन्तर्गत आता है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या अन्य लोगों द्वारा उनके लियें निर्मित उत्पादों के लिये ब्रांड नाम का प्रयोग विदेशी मुद्रा विनियम (संशोधन) अधिनियम, 1973 का उल्लंघन नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस कम्पनी के विरूद्ध औद्योगिक (विकास और विनियमन) अधिनियम, एफ० ई० आर० एस०

(ङ) अधिनियमों, एकाधिकार तथा निर्वन्धात्मक प्रक्रिया अधिनियम अथवा कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत क्या कार्यवाही की गई हैं ?

**प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रोनिक्स मंत्री तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी)** : (क) : सरकार के एक व्यक्ति विशेष से पत्र प्राप्त किया है जिसमें "कासेट्स" एवं "हाई फिडेलिटी मैग्नेटिक टेप्स" को बाजार में लाने के विषय में मै० फिलिप्स इण्डिया लि० के विज्ञापन की ओर ध्यान दिलाया गया है ।

(ख) : इन मद्दों में से किसी के लिये भी मै० फिलिप्स को कोई लाइसेंस अथवा विविधकरण परमिट स्वीकृत नहीं किया गया है ।

(ग) और (घ) : मामला सरकार के परोक्षणाधीन है ।

**मनीपुर तथा त्रिपुरा में अत्यावश्यक वस्तुओं की कमी**

3478. **श्री मधु लिमये** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पूर्वोत्तर प्रदेश में विशेषरूप से मनीपुर में, सीमेंट, टायरों, उर्वरक और सूती धागे जैसी अत्यावश्यक वस्तुओं की गम्भीर कमी के बारे में कोई सूचना मिली है; और

(ख) यदि हां, तो मनीपुर और त्रिपुरा राज्य सहित इन पत्रों को इन वस्तुओं की पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित करने के लिये सरकार ने क्या उपाय किये हैं ?

**औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी)** : (क) तथा (ख) : उपलब्ध सूचना के अनुसार असम तथा मिजोराम की सरकारों ने सीमेंट की कमी बताई है तथा मिजोराम, मणिपुर और अरूणाचल की सरकारों ने बसों, ट्रकों के टायरों की कमी बताई है । चूंकि इन क्षेत्रों के लिये सीमेंट की बहुत दूर तक ढो कर ले जाना पड़ता है जहां इसकी कमी का प्रमुख कारण परिवहन की कठिनाई है । यह कठिनाई रेल के बन्द वैगनों की अपर्याप्तता है, विशेष रूप से अप्रैल से जून तक की अवधि में जबकि अनाज ढोने के लिये बहुत बड़ी संख्या में वैगनों की आवश्यकता होती है । उपयुक्त मामलों में वैकल्पिक रूट से ज्यादा भाड़े पर सप्लाई की व्यवस्था करने की अनुमति प्रदान करके तथा सड़क के रास्ते की अधिकाधिक ढुलाई की अनुमति देकर निवारक उपाय किये जा रहे हैं । इन राज्यों की बस तथा ट्रक के टायरों की बढ़ी हुई सप्लाई के लिये उपयुक्त.कदम उठाए जा रहे हैं । जहां तक उर्वरक का सम्बन्ध है, असम, मणिपुर, त्रिपुरा तथा मेघालय को निश्चित सप्लाई में कुछ कमी हुई है । नागालैण्ड के मामले में सप्लाई निश्चित से अधिक की गई है । स्थिति पर नजर रखी जा रही है तथा सम्भव उपाय किये जा रहे हैं ताकि यह सुनश्चित किया जा सके कि राज्यों में इन अनिवार्य वस्तुओं की कमी न रहे ।

मणिपुर तथा त्रिपुरा की सरकारों ने सूत के विषय में बताया है कि हाल में वहां सूत की अत्यधिक कमी रही है तथा सूत की आवश्यकता की पूर्ति के लिये भारतीय राष्ट्रीय कपड़ा निगम लि० से कहा गया है ।

**कासेटस और हाई मेग्नेटिक टेपों का निर्माण**

3479. **श्री मधु लिमये :** क्या **इलैक्ट्रानिक्स** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कसेट्स तथा हाई मेग्नेटिक टेपों का निर्माण कौन कौन सी कम्पनियाँ/फर्में करती हैं ।

(ख) उनका वार्षिक उत्पादन कितना है;

(ग) इनमें से कितनी कम्पनियों/फर्मों ने विदेशी सहयोग प्राप्त कर रखा है और कितनी पूर्णत स्वदेशी टैक्नोलोजी का उपयोग करती है; और

(घ) क्या आकाशवाणी और अन्य सरकारी संस्थाएं केवल स्वदेशी टैक्नोलोजी का उपयोग करने वाली भारतीय कम्पननियों को प्रोत्साहन एवं संरक्षण देती हैं ?

**प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी)** :(क): हाई मैग्नेटिक टेपों का निर्माण तीन कम्पनियां कर रही हैं, जिनमें दो (मैं० टारजियन इण्डिया लि० एवं जै इलैक्ट्रानिक्स) संगठित क्षेत्र में हैं तथा एक (मैं० विमल एण्टरप्राइजेज) लघु क्षेत्र में देश में कासेट्स का व्यापारिक उत्पादन अभी शुरू नहीं हुआ है ।

(ख) इन कारखानों का वार्षिक उत्पादन इस प्रकार है :

| | |
|---|---|
| मैं० टारजियन (इण्डिया) लि० (1972) | 1,67,40,000 रनिंग फीट |
| मैं० जै इलैक्ट्रोनिक्स (1972) | 45 लाख रनिंग फीट |
| मैं० विमल एण्टरप्राइजेज | 30 लाख रनिंग फीट (जुलाई 1972 से जनवरी 1973 तक) |

(ग) बड़े क्षेत्र में प्रत्येक कारखाने के पास 49% विदेशी इक्विटी है तथा उसका विदेशी पार्टियों के साथ प्रौद्योगिक सहयोग है । मैं० विमल एण्टरप्राइजेज स्वदेशी प्रौद्योगिक प्रयोग में लाते हैं ।

(घ) आकाशवाणी प्रसारण के लिये व्यावसायिक मानको के अनुरूप स्वदेशी टेपों के प्रयोग, को प्रोत्साहन दे रही है, क्या उत्पादित टेपें होफो कोटि की हैं, यह अभी निश्चित किया जाना है । उसने नमूने हेतु आर्डर मैं० टारजियन (इण्डिया) लि० तथा विमल एण्टरप्राइजेज के यहां दिये हैं ये वही फर्में हैं जिन्होंने डी० जी० एस० एण्ड डी० की पूछताछ के उत्तर में अपने भाव भेजे थे ।

**इम्फाल की घटनायें**

3480. **श्री मधु लिमये :** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेगें कि :

(क) क्या यह सच है कि मनीपुर राज्य के इम्फाल नगर में 13 सितम्बर 1973 को कुछ अवांछनीय घटनाँये हुई थी ;

(ख) क्या यह सच है कि पुलिस अधीक्षक पुलिस के उप-महानिरीक्षक और महानिरीक्षक घटना स्थल के निकट होते हुये भी घटना स्थल पर न तो आये और न ही उन्होंने समय पर पर्याप्त पुलिस दल वहां पर भेजा ;

(ग) क्या इस बारे में एक विभागीय जांच का आदेश दिया गया है परन्तु यह उस दिन 4.30 बजे की घटनाओं तक ही सीमित है ; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण है और जांच के क्षेत्र मे विस्तार किया जायेगा जिससे कि घठना के सभी पहलुओं और कानन लागू करने वाले तंत्र की असफलता के सम्बन्ध में पर्याप्त जांच हो सके ?

**गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) :** (क) जी हां, श्रीमन् ।

(ख) से (घ) : राजस्व आयुक्त, मणिपुर द्वारा 13 सितम्बर, 1973 को हुए दंगों की की गई जांच रिपोंट राज्य सरकार को हाल ही में प्राप्त हुई है। मणिपुर सरकार की टिप्णियों के साथ रिपोंट की प्रति प्रत्याशित है ।

दंगों से निपटने के लिए प्रशासनिक प्रबन्धों की अपर्याप्तता सम्बन्धी प्रश्न पर दिये गये सुझावों पर, राज्यस्व आयुक्त द्वारा की गई जांच के निष्कर्षों को ध्यान में रखकर, विचार किया जायेगा ।

## लाइसैंसिंग रेडियो रिसीवर पद्धति में सुधार

**3481. श्री वीरभद्र सिंह :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलेक्ट्रोनिक्स इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन ने ग्रामीण मार्केट में रेडियो की बिक्री को बढ़ाने हेतु सरकार की लाइसेंसिंग रेडियो रिसीवर पद्धति में सुधार करने का सुझाव दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) जी नहीं। इलेक्ट्रानिक्स कंम्पोनेंट्स इंडस्ट्रीज असोसिएशन से ऐसा कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, आल इंडिया रेडियो और इलेक्ट्रानिक्स असोसिएशन से अन्य सुझावों के साथ एक सुझाव यह भी प्राप्त हुआ था कि 7 रुपये 50 पैसे प्रतिवर्ष के लाइसेंस वाले 'सस्ते सेट' को पुन: परिभाषा दी जाए ताकि उसके प्रावधान एक समान रूप से लागू हों ।

(ख) आल इंडिया रेडियो और इलेक्ट्रानिक्स असोसिएशन के उक्त सुझाव पर संचार मंत्रालय और इस के साथ ही सूचना और प्रसारण मंत्रालय में सक्रिया रूप से विचार किया जा रहा है। आशा है कि इस संबंध में अन्तिम निर्णय शीघ्र ही कर दिया जाएगा ।

## अरब इजराइल युद्ध पर आकाशावाणी से प्रसारित वार्ताएं

**3482. श्री समर गुह :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी से सामयिक वार्ता सहित (एक) अंग्रेजी (दो) उर्दू तथा (तीन) अन्य भारतीय भाषाओं में गत अरब इजराइल युद्ध पर कितनी वार्ताएं प्रसारित हुई और उनके स्रोत क्या हैं ;

(ख) आकाशवाणी से अरब देशों का अन्धाधुन्ध समर्थन करने वाली वार्ताएं तथा अत्यधिक समाचार प्रसारित करने के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या (एक) पाकिस्तान के साथ काश्मीर युद्ध (दो) 1962 में भारत पर चीनी आक्रमण (तीन) पाकिस्तान के साथ कच्छ संघर्ष (चार) 1965 तथा 1971 के भारत-पाक युद्ध के दौरान किसी अरब देश ने अपने आकाशवाणी प्रसारण में भारत का समर्थन किया था और यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह)**: (क) सूचना इस प्रकार है :–

| भाषा | संख्या |
|---|---|
| अंग्रेजी | 45 |
| उर्दू | 58 |
| हिन्दी | 50 |
| गुजराती | 14 |
| काश्मीरी | 7 |
| उड़िया | 1 |
| असमिया | 7 |
| सिंधी | 18 |
| तमिल | 13 |
| बंगला | 17 |
| नेपाली | 1 |
| अरुणाचल प्रदेश की बोलियां | 1 |
| लद्दाखी | 3 |

*ये वार्तायें उन व्यक्तियों द्वारा लिखी/प्रसारित की गई जो विषय के विभिन्न पहलुओं के विशेषज्ञ थे

(ख) समाचार बुलेटिनों में समाचारों का समावेश समाचर के महत्व के आधार पर किया गया था और समीक्षाओं में रोज बरोज की विकासी स्थिति का और विश्व की घटनाओं पर इसकी प्रतिक्रिया का विश्लेषण होता था। ये एक प्रसारण संगठन के सामान्य कार्य हैं। समीक्षाकारों ने अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत किया ।

(ग) सूचना उपलब्ध नहीं है ।

## INFLUX OF BIHARI MUSLIMS FROM BANGLADESH

3483. **Shri Bibhuti Mishra :**
**Shri Hukam Chand Kachwai :** } Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether Bihari Muslims coming from Bangladesh are living in various cities of Bihar;

(b) whether Bihari Muslims of Bangladesh have gone to Nepal via Bihar and Uttar Pradesh; and

(c) the action taken by Government against such infiltrations?

**The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) :** (a) to (c) : Information is being collected from the State Government and will be laid on the Table of the House.

## Development of North Bihar

**3484. Shri Bibhuti Mishra** : Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state :

(a) whether Government propose to formulate any scheme for the industrial Development of backward areas particularly of North Bihar; and

(b) if so, the main outlines thereof ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Pranab Kumar Mukherjee)**

(a) and (b) : The Government have already formulated a scheme under which 15 per cent of the total fixed capital investment or additional total fixed capital investment, as the case may be, subject to a maximum of Rs. 15 lakhs is given as Central grant or subsidy to new industrial units or for carrying out substantial expansion, in certain selected backward districts/areas of the country including those in North Bihar with a view to promoting the growth of industries, there. Darbhanga (including the districts of Madhubane and Samastipur), Bhagalpur, Champaran (including East and West Champaran districts), Palamau, Saharsa and Santhal Parganas of Bihar are included under this scheme. In addition, under the current Import Control Policy (1973-74) small scale industries in such backward areas are given import licences of higher value compared to 1972-73.

## सामुदायिक विकास खंड मुख्यालयों में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र खोलना

3485. **श्री नारायण चन्द पाराशर :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सामुदायिक विकास खंड मुख्यालयों को घाटे के आधार पर सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र खोलने के लिए प्राथमिक स्टेशन घोषित करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में निर्णय कब तक लिया जाएगा ?

**संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी हां।

(ख) यह योजना दूर संचार से संबंधित पांचवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल कर ली गई है। जब योजना को अंतिम रूप से स्वीकृति मिल जाएगी, तब इस मद पर निर्णय लिया जाएगा।

**डाक तथा विभाग के कर्मचारियों को आवास सुविधाएं**

3486. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसे डाक डिवीजनों के मुख्यालयों को, जिनमें इस समय रिहायशी कालोनियों नहीं हैं, कर्मचारियों को आवास सुविधायें देने के मामले में प्राथमिकता दी जायेगी ; और

(ख) देश के सभी डाक सर्किलों एवं टेलीफोन डिवीजनों के लिए सर्किल एवं डिवीजन बार योजनाओं को रूपरेखा क्या है ?

**संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) आवास सुविधायें देने के लिए किसी स्थान को प्राथमिकता देने की दृष्टि से उस स्थान पर काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या और वहां निजी मकानों के उपलब्ध न होने की बात ध्यान में रखी जाती है।

(ख) पांचवीं योजना में स्टाफ क्वार्टरों के लिए जमीन और उनके निर्माण के लिए 63 करोड़ रुपए की व्यवस्था शामिल कर ली गई है। जब यह स्कीम अंतिम रूप से स्वीकृत हो जाएगी तब इस राशि का सर्किल वार आबंटन किया जाएगा।

**मितव्ययता अभियान का दूर संचार सुविधाओं के विस्तार तथा समयोपरि भत्ते की अदायगी पर प्रभाव**

3487. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा प्रारम्भ किये गये मितव्ययता अभियान के परिणामस्वरूप दूर-संचार सुविधाओं के विस्तार पर विकास व्यय में कटौती हो जाने से डाक तथा तार कर्मचारियों को अदा किए गए समयोपरि भत्ते में भी पर्याप्त कमी हुई है, और

(ख) यदि हां, तो सितम्बर और अक्तूबर, 1973 तथा सितम्बर और अक्तूबर, 1972 के समयोपरि भत्ते के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं ?

**संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) और (ख) : कर्मचारियों की स्वीकृति संख्या से कम कर्मचारी हो जाने, छुट्टी-रिजर्व कर्मचारियों की संख्या से अधिक कर्मचारियों के गैर हाजिर होने, एकाएक ज्यादा काम आ जाने और बहुत जरूरी काम आ जाने की वजह से अतिरिक्त काम करने के लिए कर्मचारियों को समयोपरि भत्ता दिया जाता है। विकास सम्बन्धी खर्च से समयोपरि भत्ते का कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है। तथापि, गैर-योजना खर्च में बचत अभियान के कारण सर्किल-अध्यक्षों को सितम्बर, 70 में हिदायतें जारी की गई है, जिनमें उनसे कहा गया है कि वे ऐसा पक्का इन्तजाम करें कि समयोपरि भत्ते का खर्च उनको पहले ही सूचित किए गए, बजट के अलाटमेंट से ज्यादा न हो।

**सांविधिक नियम बनाना**

3488. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव :**

**श्री एस० एन० मिश्र :**

क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के उच्चतम न्यायालय ने भारत सरकार एवं राज्य सरकारों को सुझाव दिया था कि सार्वजिनक कर्मचारियों की भर्त्ती, पदोन्नति तथा सेवा शर्तों को शासित करने के लिये संकल्पों, एवं ज्ञापनों के स्थान पर जैसा कि इस समय किया जाता है, सांविधिक नियम बनाये जायें जिससे कि उनके बारे में राजकीय कार्यवाही मनमानी पूर्ण अथवा असमता पूर्ण न हो तथा विध-शासन का उल्लंघन न हो ; और

(ख) यदि हां, तो भारत सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

**गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा)** :(क) तथा (ख): रामचन्द्र शंकर देवधर तथा अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य तथा अन्यों से सम्बन्धित 1969 की रिट याचिका संख्या 299 को निपटाते हुए, उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने दिनांक 12-11-1973 के निर्णय में इन विचारों को व्यक्त किये जाने की सूचना मिली है। निर्णय की एक प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त होने पर इस मामले की जांच की जाएगी।

**Personal Assistants attached with General Manager, Delhi Telephones.**

3489 **Shri Hukam Chand Kachwai :**

Will the Minister of **Communications** be pleased to state

(a) the number of Personal Assistants attached to the General Manager, Delhi Telephones at present; and

(b) the number of Personal Assistants permitted to be attached to a Class I officer according to the present Government policy?

**The Minister of Communications and Tourism and Civil Aviation (Shri Raj Bahadur) :**

(a) One

(b) Personal Assistants (including Stenographers) are provided to Class I officers according to their status and duties and responsibilities of the post.

**Overtime Allowance in Ministry of Industrial Development**

3490 **Shri Hukam Chand Kachwai :**

Will the Minister of **Industrial Development and Science and Teebnology** be pleased to state :

(a) whether the amount of Overtime Allowance paid to the employees working in his Ministry has increased considerably during the financial year 1972-73 as compared to that paid during 1970-71 and 1971-72; and

(b) if not, the expenditure incurred on account of payment of overtime allowance during each of these years ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Pranab Kumar Mukherjee)** : (a) and (b) The amount of Overtime Allowance paid to the employees of this Ministry during 1970-71 to 1972-73 is as under :—

| Year | Expenditure on account of overtime allowance |
|---|---|
| | Rs. |
| 1970-71 .. .. | 2,41,867·77 |
| 1971-72 .. .. | 2,73,937·47 |
| 1972-73 .. .. .. .. .. .. | 2,93,492·70 |

It will be seen that the increase is not considerable.

**Number of Employees in the Ministry of Information and Broadcasting**

3491. **Shri Hukam Chand Kachwai :**

Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) the number of employees in his Ministry at present ; and

(b) the number of temporary employees among them?

**The Deputy Minister in the Ministry of Information and Broadcasting (Shri Dharam Bir Sinha)**

(a) & (b) : Out of 309 employees in the Main Secretariat of this Ministry 89 are temporary.

The information in respect of attached and subordinate offices under this Ministry is being collected and will be laid on the Table of the House.

**पश्चिम बंगाल के पिछड़े जिलों में उदयोगों को आकर्षित करने के लिए प्रोत्साहन देना**

3492. **श्री एम० राम गोपाल रेडडी** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में पश्चिम बंगाल के कुछ पिछड़े जिलों में उद्योगों को आकर्षित करने के लिये अपनी प्रोत्साहन योजना को उदार बनाया है ; और

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार का प्रोत्साहन किया गया है तथा उन जिलों के नाम क्या हैं ?

**औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी)** : (क) जी, हां।

(ख) भारत सरकार ने अपनी "केन्द्रीय दस प्रतिशत सीधा अनुदान अथवा राजसहायता योजना, 1971" के अधीन हाल ही में 15 लाख रुपये की परिसीमा वाले औद्योगिक एककों के पूंजी निवेश में राज सहायता की धनराशि 10 प्रतिशत से 15 प्रतिशत तक बढ़ा दी है। पुरुलिया, मिदनापुर तथा पश्चिम बंगाल के नदिया जिलों सहित सभी राज्यों के चुनिंदा राज्यों पिछड़े क्षेत्रों में यह योजना लागू सभी राज्यों में है। इसके अतिरिक्त, वर्तमान आयात नियंत्रण नीति, 1973-74 के अधीन 1972-73 की अपेक्षा पिछड़े क्षेत्रों के लघु उद्योगों को अधिक मूल्य के आयात-लाइसेंस दिये जाते हैं।

**मिट्टी सम्बन्धी विज्ञानों के क्षेत्र में भारत और रुस के बीच समझौता**

**3493. श्री मधु दण्डवते :**

**श्री रामावतार शास्त्री :**

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ?

(क) क्या भारत और रूस ने मिट्टी संबंधी विज्ञानों के क्षेत्र में संयुक्त कार्यक्रम के लिए एक समझौता किया है ;

(ख) यदि हां, तो कार्यक्रम का कार्य-क्षेत्र तथा स्वरुप क्या है, और

(ग) कार्यक्रम की क्रियान्विति के लिये क्या व्यवस्था की गई है ?

**औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौदयोगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रहमण्यम)** : (क) वैज्ञानिक सहयोग संबंधी भारत-रूस संयुक्त समिति के भारत और रूस दोनों पक्षों के बीच भूमि विज्ञान के क्षेत्र में संयुक्त कार्यक्रमों के लिए एक समझौता हुआ है।

(ख) दोनों देशों के बीच वैज्ञानिकों के आदान-प्रदान करने तथा रूस द्वारा भारत को विशेष प्रायोजनाओं के लिए आवश्यकता पड़ने पर आवश्यक सामान देने के लिए समझौते में व्यवस्था है। इस कार्यक्रम में निम्नलिखित दो प्रायोजनाएं शामिल की गई हैं :–

(1) भारत में भूचुम्बकीय तथा भू-विद्युतीय सूक्ष्म-स्पन्दन (माइक्रो पल्सेशन) संबंधी अध्ययन।

(2) भारी भू-कंपी गंभीरता-मापी तकनीकों के प्रयोग से भारतीय प्राय-द्वीप के परिरक्षण में भूपपंटी (क्रस्टल) संबंधी अध्ययन।

(ग) जिन प्रायोजनाओं पर संयुक्त समिति में समझौता हुआ है उनको संस्थानुसार कार्यान्वित किया जाता है।

**Freedom Fighters Released under Gandhi-Irwin Pact**

**3494. Shri Ramavatar Shastri :**

**Shri Shanker Rao Savant :**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether as a result of the Gandhi-Irwin Pact, all the freedom fighters who were sentenced to imprisonment for six months or more were released from the jails;

(b) if so, whether such freedom fighters have also applied for pension; and if so, the number thereof; and

(c) the number out of them who have been granted pension and the reason why the rest of the freedom fighters have not been granted pension ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin)**

(a) to (c) : A decision about the eligibility of persons who were sentenced to imprisonment for six months or more and were released prematurely due to Gandhi-Irwin Pact or other general amesty order is yet to be taken. About 700 such applications have so far come to notice. These applications will be disposed of according to the decision of the Government.

**दरभंगा पोस्टल डिवीजन में कर्मचारियों का निलम्बित किया जाना**

3495. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दरभंगा पोस्टल डिवीजन में बारह से अधिक अथवा लगभग अराजपत्रित कर्मचारी एक वर्ष से छह वर्ष अथवा इससे अधिक समय के लिए निलम्बित हैं ;

(ख) क्या गृह मंत्रालय के ऐसे अनुदेश हैं कि निलम्बन के सभी मामलों पर पुनर्विचार किया जये और यदि उचित समझा जाये, तो इन्हें रद्द किया जाये ; और

(ग) कितने कर्मचारी निलम्बित हैं और उनकी वास्तविक स्तिथियां क्या हैं ; और क्या इस बारे में सभी मामलों पर प्रत्येक तिमाही में पुनर्विचार करने के गृह मंत्रालय के अनुदेशों का पालन किया गया है ?

**संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) दरभंगा डाक डिवीजन में 8 अराजपत्रित कर्मचारी ऐसे हैं जो एक साल से ज्यादा समय से मुअत्तल हैं।

(ख) जी हां ।

(ग) इस बारे में एक सूची संलग्न है। मुअत्तिली के सभी मामलों पर नियमित रूप से पुनर्विचार किया जा रहा है ।

विवरण

| मुअत्तल कर्मचारियों का नाम | अपराध का प्रकार | किस तारीख से मुअत्तल हैं |
|---|---|---|
| 1. श्री मुहम्मद इश्तियाक, क्लर्क | तार और टेलीफोन आय के गबन का आरोप | 26-11-1964 |
| 2. श्री जगदानंद, दास क्लर्क | सरकारी नकदी के गबन का आरोप | 23-12-66 |
| 3. श्री हेरामपति झा, क्लर्क | बचत बैंक को जालसाजों का आरोप | 19-7-68 |
| 4. श्री गणेश ठाकुर, कैश ओवरसीयर | उनकी जेब कटने से 5000 रुपयों की क्षति | 2-2-71 |
| 5. श्री रुप नारायण पांडेय, डाक पियन* | *पुलिस द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 144, 371, 180 के अन्तर्गत अभियोग लगाये जाने और उनको इस मामले में गिरफ्तार होने के कारण | 27-10-71 |
| 6. श्री महाबीर झा, क्लर्क | नकदी और टिकटों की रोकड़ में कमी होना | 11-11-71 |
| 7. श्री शिवेश्वर प्रसाद, क्लर्क, | बचत बैंक को रकम के गवन का आरोप | 11-11-71 |
| 8. श्री महेश झा, क्लर्क | बचत बैंक की जमा राशि का गबन | 18-11-72 |

**निर्मातोन्मुख उद्योगों को सर्वोच्च प्राथमिकता**

**3496. श्री आर० वी० स्वामीनाथन :**

**श्री प्रसन्न भाई मेहता :**

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या निर्यातोन्मुख उद्योगों का सर्वोच्य प्राथमिकता देने पर केन्द्रीय सरकार गंभीरता से विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां तो वे उद्योग कौन-कौन से हैं ; और

(ग) इन उद्योगों को किस प्रकार की सुविधायें दी जायेंगी ; और क्यों ?

**औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रहमण्यम)** : (क) से (ग) : निर्यातोन्मुख उद्योगों की सर्वोच्च प्राथमिकता की विषेश सुविधा देने के लिए कोई सूची नहीं बनाई गई है । निर्यात उद्देश्यों के लिए स्थापित उद्योगों के सभी प्रस्तावों पर प्राथमिकता के आधार पर विचार किया जाता है और प्रत्येक मामले के गुणावगुणों के अनुसार शीघ्र निर्णय लिया जाता है । इस प्रकार के अनुदेश जारी किए गए हैं कि उत्पादन के 60 प्रतिशत अथवा इससे अधिक को निर्यात करने की गारंटी देने वाले औद्योगिक लाइसेंसों के आवेदन पत्रों का अधिक से अधिक 3 महीने की अवधि में निपटान कर दिया जाये चाहे वे एकाधिकार तथा प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम के उपबंधों के अधीन ही आते हों – जहां भी आवश्यक हो, उनकी स्वीकृति की सिफारिश की जाये चाहे सरकारी क्षेत्र का एकक उस क्षेत्र में विद्यामान हो अथवा उस क्षेत्र में उत्पादन प्रारंभ करने वाला हो ।

**मशीनरी निर्माण कारखाने में विविधिकरण**

**3497. श्री आर० वी० स्वामिनाथन :**

**श्री पी० ए० स्वामिनाथन :**

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या सरकार देश में मशीनरी निर्माण कारखानों को उनकी लाईसेंस प्राप्त क्षमता का विविधिकरण करने के प्रश्न पर अनुमति देने का विचार कर रही है ।

(ख) यदि हां, तो कब ; और क्यों ?

(ग) दी गई रियायतों का ब्योरा और उसके कारण क्या हैं ?

**औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रहमण्यम)** : (क) से (ग) : मशीनें बनाने वाले उद्योगों की इस बहु-उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए कि उसी साज-सामान का उपयोग विविध प्रकार की मशीनों के उत्पादन के लिए किया जा सकता है, सरकार ने मशीनें बनाने वाले उद्योगों को, सम्बन्धित औद्योगिक प्रतिष्ठान की लाइसेंस प्राप्त क्षमता के अन्दर ही हमेशा के लिए अथवा अविराम रुप से अपनी अपनी उत्पादन-वस्तु में हेर-फेर कर लेने की अनुमति दे दी है ।

**वाणिज्यिक प्रचार समिति का प्रतिवेदन**

**3498. श्री आर० वी० स्वामिनाथन :**

**श्री पी० ए० स्वामिनाथन :**

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या वाणिज्यिक प्रचार समिति ने भारत सरकार को अपना प्रतिवेदन दे दिया है,

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) क्या सरकार ने इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है ?

**संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी हां।

(ख) वाणिज्य प्रचार समिति (कमर्शियल पब्लिसिटि कमेटी) ने जो सिफारिशें की है, उनके संबंध में एक विवरण-पत्र संलग्न है। (ग्रंथालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 5909/73)

(ग) इन सिफारिशों की जांच की जा रही है।

**तामिलनाडु और मध्य प्रदेश में सोडियम, हाइड्रो-सलफाइड संयंत्र की स्थापना**

**3499. श्री आर० वी० स्वामिनाथन :**

**श्री नरेन्द्र सिंह :**

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या तामिलनाडु में जापान के सहयोग से सोडियम हाइड्रोसल्फाईट के निर्माण के लिए संयत्र स्थापित किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर कुल कितनी लागत आयेगी और जापान सरकार द्वारा किस प्रकार की सहायता दिये जाने की सम्भावना है ;

(ग) क्या ऐसा ही एक संयत्र मध्य प्रदेश में अथवा देश के अन्य भागों में स्थापित किया जायेगा, और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

**औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) :**

(क) जी हां।

(ख) जापान के तकनीकी सहयोग से कार्यन्वित की जा रही परियोजना की कुल लागत 3 करोड़ रूपये आंकी गई है।

(ग) से (घ) इस प्रकार का कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

**औद्योगिक विकास मंत्रालय के अन्तर्गत सरकारी उपक्रमों में कर्मचारियों का भाग लेना**

**3500. श्री एस० एम० बैनर्जी** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या वह उनके अन्तर्गत सरकारी उपक्रमों में कर्मचारियों द्वारा भाग लेने की योजना को लागू करने पर विचार कर रहें हैं ?

(ख) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ; और

(ग) कर्मचारियों का सहयोग किस प्रकार लिया जायेगा ?

**औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम)** : (क) से (ग) : कुछ समय पूर्व औद्योगिक विकास मंत्रालय के अधीन सरकारी क्षेत्र के कुछ प्रतिष्ठानों के प्रबन्ध में कर्मचारियों के योगदान की योजना के चालू करने की व्यवहार्यता की जांच की गई थी। कर्मचारियों के योगदान को अर्थपूर्ण तथा कारगार बनाने के लिए योजना की स्थिति तक की सभी स्थितियों में कर्मचारियों के प्रतिनिधियों संबंधित सूचना तक की पहुंच की सम्भावता, निष्पक्ष विचार विनिमय तथा कम्पनी की प्रगति को निकट से देखने की सुविधा प्राप्त होनी चाहिए । इस दृष्टि से इन्सट्रूमैण्टेशन कोटा तथा नेशनल इन्सट्रूमैन्टस लि० जोधपुर में काफी अंश में कर्मचारियों का योगदान प्राप्त किया गया है।

**हैदराबाद में श्रमजीवी पत्रकारों को भारतीय फेडरेशन का सम्मेलन**

3501. **श्री नरेन्द्र सिंह :**

**श्री हरि किशोर सिंह :**

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि श्रमजीवी पत्रकारों को भारतीय फैडरेशन (इण्डियन फैडरेशन आफ वर्किंग जरनलिस्ट) का सम्मेलन 10 नवम्बर, 1973 को हैदराबाद में हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन में किन बातों पर चर्चा हुई ; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह)** : (क) जी, हां ।

(ख) 10 और 11 नवम्बर, 1973 को हैदराबाद में भारतीय श्रमजीवी पत्रकार महासंघ को राष्ट्रीय परिषद द्वारा पारित प्रस्तावों की प्रति संलग्न है । ( ग्रंथालय में रखी गयी । देखिए संख्या एल० टी० 5910/73) ।

(ग) सूचना और प्रसारण मंत्रालय 2,3,5, और 6 प्रस्तावों से सम्बन्धित है । इनसे सम्बन्धित स्थिति संलग्न विवरण में है । अन्य प्रस्तावों की प्रतिलिपियां संबंधित मंत्रालयों को समुचित कार्यवाही हेतु भेज दी गई है ।

**नक्सलवादियों की गतिविधियों का पुन : चालू होना**

3502. **श्री ए० के० एम० इसहाक** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या उन के मंत्रालय के ध्यान में यह समाचार आया है कि नक्सलवादियों की गतिविधिय पुन:चालू हो रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन)** : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) सरकार स्थिति पर कड़ी निगरानी रख रही है और ऐसी गतिविधियों को दबाने क सभी आवश्यक उपाय कर रही है ।

**लखनऊ, कानपुर और कलकत्ता में लगाये जाने वाले टेलीविजन सैट**

3503. **श्री ए० के० एम० इसहाक** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या सामुदायिक टेलिविजन सैट लगाने की योजना पांचवीं पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित की गई है; और

(ख) यदि हां, तो लखनऊ, कानपुर और कलकत्ता में लगभग कितने टेलिवीजन सैट लगाये जायेंगे ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह)** : (क) जी, हां।

(ख) योजना अभी योजना आयोग के विचाराधीन है। लखनऊ, कानपुर और कलकत्ता में लगाये जाने वाले सामुदायिक टेलिविजन सैटों की सख्यां पांचवी योजना में इस प्रयोजन के लिए आवंटित की जाने वाली धनराशि पर निर्भर करेगी।

**आकाशवाणी कलकत्ता के कर्मचारियों के वेतनमानों का पुनरीक्षण**

**3504. श्री ए० के० एम० इसहाक** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृप करेगें कि :

(क) क्या सरकार ने पहले यह घोषित किया था कि वह आकाशवाणी कलकत्ता के गर्मचारियों के नए ढ़ाचें बनाने तथा उन्हें पुनरोक्षित वेतन मान देने पर विचार कर रही है : और

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार नई सिफारिशों को कब क्रियांन्वित करने का है ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

**पश्चिम बंगाल में ग्रामीण उदयोग परियोजना**

**3505. श्री ए० के० एम० इसहाक** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेगें कि :

(क) क्या पंचवर्षीय योजना के दौरान पश्चिम दिनाजपुर (पश्चिम बंगाल) में ग्रामिण उद्योग परियोजना स्थापित करने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो कौन से उद्योग स्थापित करने का प्रस्ताव है ; और

(ग) क्या पश्चिम बंगाल में ऐसे किसी अन्य जिले को जिस में कृषि विकास की क्षमता है, ऐसी परियोजना के अन्तर्गत लाने का विचार किया गया है।

**औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी)** : (क) जी हां।

(ख) आगामी योजना के लिए निदिर्ष्ट परियोजनाओं के तकनीकी-आर्थिक-सर्वेक्षण समेत प्रारम्भिक कार्य के पूरा हो जाने पर ही उद्योगों के नामों का पता चल सकेगा।

(ग) जी हां, । इन परियोजनाओं की स्थापना के लिए चुने गए तीन और जिले पुरुलिया, माल्दा तथा मुर्शिदाबाद हैं।

**पश्चिम बंगाल के सिंचाई तथा विद्युत विभाग को सीमेंट का आबंटन**

**3506. श्री ए० के० एम० इसहाक :**

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल सरकार के सिंचाई तथा विद्युत विभाग को जनवरी, 1973 से आरम्भ होने वाले गत तीन तिमाहियों के दौरान कितना सीमेंट आबंटन किया गया है ;

(ख) कितनी मात्रा में सीमेंट के लिए रिलीज आर्डर दिया गया था तथा उक्त तिमाहियों म वस्तुत : कितनी मात्रा में सीमेंट प्राप्त किया गया ; और

(ग) क्या सीमेंट की कम सप्लाई के कारण राज्य में बड़ी सिंचाई परियोजना के कार्य को भारी धक्का लगा है ?

**औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी)**: (क) 1 जुलाई, 1973 से पहले प्रत्येक राज्य के लिए अलग से कोटे निर्धारित नहीं किए जाते थे। 1 जुलाई, 1973 से 30 जून, 1974 की अवधि के लिए कोटे निर्धारित किए गए हैं। पश्चिम बंगाल के लिए 9.18 लाख मी० टन का कोटा निर्धारित किया गया है जिसमें राज्य की सिंचाई व बिजली की परियोजनाओं की आवश्यक्ताएं सम्मिलित हैं।

(ख) 1 जनवरी, 1973 से 30 जून, 1973 को, अवधि में कुल 4.80 लाख मी० टन की मात्रा पश्चिम बंगाल को भेजी गई। जुलाई-सितम्बर की अवधि में, 1.94 लाख मी० टन के नियतम में से 1.91 लाख मी० टन की मात्रा सप्लाई की गई। साथ ही, इसी अवधि के लिए 20 हजार मी० टन के अतिरिक्त-नियतन के राज्य सरकार के अनुरोध को भी मान लिया गया।

(ग) पश्चिम बंगाल सरकार से ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।

**स्वतन्त्रता सेनानियों से पेंशन के लिये प्राप्त आवेदन पत्रों का रद्द किया जाना**

**3507. श्री सी० जनार्दनन :**

**श्री सी० के० चन्द्रप्पन :**

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वतन्त्रता सेनानियों से पेंशन के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों को राजनीतिक आधार पर रद्द किया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे महत्वपूर्ण मामले अथवा घटनाएं जिनमें पेंशन के लिए आवेदन पत्र दिए गए थे परन्तु रद्द कर दिये गये थे ?

**गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन)** : (क) जी नहीं श्रीमान्।

(ख) केरल में "मोपाला विद्रोह" में भाग लेने वालों को पेंशन के लिए पात्र नहीं माना गया है। उनके आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिये गये हैं।

भूतपूर्व ट्रावन्कोर राज्य में पुन्ना परा वलायर की घटनाओं तथा भूतपूर्व हैदरबाद राज्य में तेलंगाना विद्रोह और आर्यसमाज आन्दोलन की स्वतंत्रता को एक भाग के रुप में मानने के प्रश्न पर अभी निर्णय किया जाना है। ऐसे आवेदन पत्रों को अलग रख दिया गया है और इन्हें सरकार के निर्णय के अनुसार निपटाया जायेगा।

**1974 में जारी की जाने वाली नई टिकटों में दक्षिण-भारतीय नाम को शामिल करना**

**3509. श्री सी० जनार्दनन :**

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1974 में जारी की जाने वाली नई टिकटों में कोई दक्षिण भारतीय नाम भी है, और

(ख) यदि नहीं, तो क्यों ?

**संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर)**: (क) और (ख) : डाक टिकट सलाहकार समिति की सिफारिश पर विशेष स्मारक डाक टिकट जारी किए जाते हैं । डाक टिकट सलाहकार समिति ने वर्ष 1974 के दौरान जारी करने के लिए डाक टिकटों के अस्थायी कार्यक्रम की जो सिफारिश की है, वह विवरण में दी गयी है ।

**विवरण**

उन महापुरुषों के नाम जिनके सम्मान में वर्ष 1974 के दौरान विशेष स्मारक डाक टिकट जारी करने का प्रस्ताव है, इस प्रकार हैं :

सर्वश्री मारकोनी, जे० बी० एस० हालडेन, मेक्समूलर, महावीर, शंकराचार्य, टीपू सुलतान, सेनापति बापट, अमीर खुसरो, जवाहरलाल नेहरु, कमला नेहरु (75 वीं वर्षगांठ), मैथिलीशरण गुप्त, सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला, भारतेन्दु, हरीश्चन्द्र, उत्कल गौरव मधुसूदन दास और जयनारायण व्यास ।

**योजना आयोग में 'परियोजना पुनर्विचार तालिका' में नियुक्तियां**

**3510. श्री जगन्नाथ जोशी :**

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ कम्पनियों के तीन वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारियों को योजना आयोग में विशेष रूप से बताई 'परियोजना पुनर्विचार तालिका' में सदस्यों के रूप में नियुक्त किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उन्हें उक्त तालिका में किन मुख्य बातों को ध्यान में रख कर नियुक्त किया गया ?

**योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया)** : (क) तीन अधिकारियों, जो कि प्राइवेट उद्यमों में वरिष्ठ कार्यकारी पदों पर कार्य कर रहे थे, को योजना आयोग के प्रबोधन व मूल्यांकन एकक में परामर्शदाता के पदों पर नियुक्त किया गया है ।

(ख) कुछ महत्वपूर्ण उद्योगों, विद्युत, परिवहन, इत्यादि से सम्बन्धित कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के प्रबोधन के लिए प्रबोधन पद्धति के विकास में प्रबन्धात्मक तथा तकनीकी अनुभव का लाभ उठाने के लिए इन अधिकारियों की नियुक्ति की गई है ।

**इण्डियन टोबैको कम्पनी लिमिटेड से अनुसन्धान और टैक्नालोजी**

3511. **श्री राजदेव सिंह :**

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इडियन टोबैको कम्पनी लिमिटेड में अनुसंधान तथा टैकनोलोजी के निशुल्क स्थान सहित विकास कार्य से देश में सिमेंट उद्योग के आर्थिक रूप से और प्लाट तथा मशीनरी में बिना अपवाद के आत्म निर्भर होने में सहायता मिली है ? और

(ख) यदि हां, तो उनके विदेशी सहयोग और तकनीकी जानकारी को आगे बनाये रखने के क्या कारण हैं ?

**औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी)** : (क) मैसर्स इण्डिया टोबैको कंपनी ने बंगलौर में एक अनुसंधान विकास प्रयोगशाला स्थापित की है और उन्होंने इस बात का दावा किया है कि इससे सिगरेट उद्योग को समग्र रुप से स्वावलम्बी बनाने में सहायता मिली है। इण्डिया टोबैको कंपनी द्वारा किया गया अनुसंधान विकास कार्य अन्य कारखानों को भी उपलब्ध हो सकेगा ।

(ख) सामान्यत: सिगरेट उद्योग के लिए नीति के रूप में विदेशी सहयोग और जानकारी की अनुमति नहीं दी जाती है ।

**सरकारी क्षेत्र में इलेक्ट्रोनिक्स उपकरण यूनिट की स्थापना**

3512. **श्री राजदेव सिंह :**

क्या **विज्ञान और प्रोद्योगिक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विज्ञान और प्रोद्योगिक विभाग के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र में 2 करोड़ रुपये का इलेक्ट्रोनिक उपकरण यूनिट स्थापित करने का निर्णय क्या है, और

(ख) क्या इस परियोजना से दूर-संचार और प्रतिरक्षा उपकरण को काफी सहायता मिलेगी ?

**विज्ञान औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रोद्योगिक मंत्री (श्री सी० सुब्रहमण्यम)** : (क) और (ख) : जी हां ।

**भारत में रेडियो और ट्रांजिस्टरों का वार्षिक उत्पादन**

3513. **श्री राजदेव सिंह :**

क्या **इलैक्ट्रानिक्स** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र शिक्षा, विज्ञान तथा सांस्कृतिक संगठन ने 20 व्यक्तियों पर एक रेडियो-सेट के लक्ष्य की सिफारिश की है ;

(ख) यदि हां, तो हमारे देश में रेडियो सेटों और ट्रांसिस्टरों का वार्षिक उत्पादन कितना है; और

(ग) क्या पांचवीं योजना के अन्त तक भारत उक्त अन्तर्राष्ट्रीय लक्ष्य प्राप्त कर लेगा ?

**प्रधान मंत्री परमाणु उर्जा मंत्री इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) :**

(क) हां श्रीमान ।

(ख) देश रेडियो सेटों (ट्रांजिस्टर रेडियो सहित) का वार्षिक उत्पादन 30 लाख सेट के आस पास है ।

(ग) देश में रेडियो लाइसेंसों की संख्या सम्प्रति 1 करोड़ 30 लाख के आस पास है । पांचवीं योजना के दौरान 2 करोड़ सेटों का कुल उत्पादन होने की संभावना है । अतएव यह आशा है कि पांचवीं योजना के अन्त तक भारत में संयुक्त राष्ट्र शिक्षा, विज्ञान तथा सांस्कृतिक संगठन द्वारा निर्धारित लक्ष्य दोर्घत : पूर्ण हो जायेगा ।

**Demand for P.C.Os. and Telephone Exchnages in Ratlam District.**

**3515. Dr. Laxminarayan Pandeya :**

Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the names of the places in Ratlam District in respect of which demand has been made for the last three years to open P.C.Os. and telephone exchanges;

(b) the names of places in respect of which demand has been made to expand the capacity of telephone exchanges and since when this demand has been made ; and

(c) the time by which these demands are likely to be met ?

**The Minister of Communications and Tourism and Civil Aviation (Shri Raj Bahadur)**

(a) Demand for P.C.Os. and Telephone Exchanges has been made in Ratlam District during the last 3 years in the following places :—

**P.C.O.'s.**

1. Willpank
2. Bajna
3. Ringnod

**Telephone Exchanges**

1. Tal
2. Piploda
3. Namli
4. Petlawad.

(b) Demand for expansion of following telephone exchanges in Ratlam district has been made in the following places :—

1. Ratlam
2. Jaora
3. Alote

(c)(i) **P.C.O.'s.** The proposals for P.C.Os. were examined and found to be unremunerative. Since the less involved could not be condoned, the proposals were dropped. The required facility at these places can be provided on Rent and Guarantee basis.

(ii) **Telephone Exchanges** : Position is as follows :—

TAL—Case for opening an S.A.X. is under Technical and Financial examination. If found to be justified exchange is likely to be opened in 1975.

PIPLODA—Although opening of exchange was sanctioned in March 1967 the exchange has not so far been opened due to lack of demand for telephone connections from the public.

KAMLI—Case for setting up a telephone exchange is under examination. If found justified the exchange is likely to inst all in 1975.

PETLAWAD—Exchange was opened on 13-3-73.

RATLAM—It is expected to be expanded from 720 to 840 lines by March 1974.

JAORA—It was expanded from 100 to 200 lines on 15-10-71. Present capacity is sufficient to meet demand for another few years.

ALOTE—It was expanded from 35 to 50 on 18-4-70. Present capacity is sufficient to meet demand for another few years.

**Use of Hindi in P. & T. Department**

**3516. Dr. Laxminarayan Pandeya :**

**Shri Shiv Kumar Shastri :**

Will the Minister of **Communications** be pleased to state—

(a) whether the P. & T. Department has announced that it has started doing 60 per cent of its work in Hindi and about 900 forms have been translated into Hindi;

(b) whether this announcement is misleading and important forms like Money Order Forms, Registry Forms, Certificate of posting Forms are not available in Hindi even today at important Post Offices; and

(c) if so, the reasons for vital variations in the declaration and the arrangement and the time by which arrangements as per announcement will be made?

**The Minister of Communications and Tourism and Civil Aviation**

**Shri Raj Bahadur** : (a) P. & T. has not announced that it has started doing 60 per cent of its work in Hindi. There are at present 786 essential forms that are being printed centrally by the three postal stores depots located at Nasik, Calcutta and Aligarh. 734 out of these 786 forms have been translated in Hindi and are under various stages of printing and finalisation.

(b) and (c) Money Order forms and the Registration Acknowledgement forms i.e., RP-54 have already been printed bilingually and are in use. The form for Certificate of Posting is under revision and, therefore, the bilingual form is not yet in print.

If these forms are not available at some post offices it may only be due to the fact that the stock of such forms in such post offices might have been exhausted and that the replenishment is yet to arrive.

**Installation of A.P.C.O. in Nahargarh in Mandsaur District**

**3517. Dr. Laxminarayan Pandeya**: Will the Minister of communications be pleased to state:—

(a) whether a demand is being made for the installation of a Public Call Office in a place known as Nahargarh in Mandsaur District for the last several years; and

(b) if so, the action taken so far?

**The Minister of Communications and Tourism and Civil Aviation (Shri Raj Bahadur)**

(a) Yes Sir.

(b) The case was examined earlier but the proposal is highly unremunerative and the anticipated loss cannot be condoned as per the policy of the P. & T. Department. The facility can however, be provided if some interested party is willing to indemnify the department against the anticipated loss.

**विभिन्न राज्यों में जासूसी गिरोहों का पता लगाना**

**3518. श्री मोहम्मद शरीफ :**

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले छः महीनों के दौरान देश के कुछ राज्यों में कुछ जासूसी गिरोहों का पता चला है ; और

(ख) यदि हां, तो कितने और उनके विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

**गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ़० एच० मोहसिन)**: (क) और (ख) : असम, जम्मू व कश्मीर, केरल, मेघालय, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और गोवा दमण व दीव के अतिरिक्त सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों ने सूचित किया है कि 31 अक्तूबर, 1973 को समाप्त हुई छः माह की अवधि में किन्हीं जासूसी गिरोहों का पता नहीं लगाया गया है। असम, जम्मू व कश्मीर, केरल, मेघालय, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान और पश्चिम बंगाल राज्य सरकारों और गोवा, दमण व दीव संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से सूचना प्रत्याशित है ।

**मणीपुर में हिंसक घटनाओं को रोकने के लिये मणीपुर की राज्य सरकार को केन्द्रीय सरकार का निदेश**

**3519. श्री मोहम्मद शरीफ :**

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मणीपुर में हिंसक घटनाओं को रोकने के लिए केन्द्रीय सरकार ने अक्तूबर, 1973 में मणीपुर की राज्य सरकार को कुछ आदेश दिए थे ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या है और इस बारे में राज्य सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

**गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच०मोहसिन):** (क) अक्तूबर, 1973 में ऐसे अनुदेश आवश्यक नहीं समझे गये ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

**व्यापारियों के विरूद्ध भारत रक्षा अधिनियम और आन्तरिक सुरक्षा अधिनियम का प्रयोग**

**3520. श्री एस० ए० मुरुगनन्तम :**

**श्री भोगेन्द्र झा :**

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कालाबाजारी तथा जमाखोरी के अन्तर्गत व्यापारियों के विरुद्ध भारत रक्षा अधिनियम और आन्तरिक सुरक्षा अधिनियम के प्रयोग का बहुत ही मामूली प्रभाव पड़ा है और इसके केवल आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी होती है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

**गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) :** (क) सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

**उड़ीसा में अखबारी कागज बनाने का कारखाना**

**3521.** श्री **अर्जुन सेठी** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पांचवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान उड़ीसा म एक अखबारी कागज का कारखाना स्थापित करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

**औद्योगिक विकास मंत्रालयम में उप-मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) :** (क) और (ख) : पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ को अभी अंतिम रूप दिया जाना है तथा इस स्थिति में उन परियोजनाओं का संकेत देना जो अंततः पांचवीं योजना में शामिल की जायगी, संभव नहीं है ।

**भद्रक टेलीफोन एक्सचेंज, उड़ीसा**

3522. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बलासौर के भद्रक (उड़ीसा) में प्रस्तावित मुख्यालय डाकघर भवन तथा टेलीफोन एक्सचेंज भवन के शीघ्र निर्माण में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

**संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : भद्रक मुख्य डाकघर की इमारत का विस्तार करने और कर्मचारियों के क्वार्टर बनवाने के उद्देश्य में मुख्य डाकघर के अहाते को विकसित करने के लिये डाकतार सिविल विंग ने प्लान पहले ही तैयार कर लिए हैं। अंतिम रूप से इसकी प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिये इन पर आगे कार्यवाही की जा रही है। वर्तमान वित्तीय संकट की वजह से नई इमारतों के निर्माण पर रोक लगी हुई है। इसलिये इस इमारत और कर्मचारियों के क्वाटरों के निर्माण का वास्तवविक कार्य अभी स्थगित करना पड़ेगा ।

जहां तक टेलीफोन एक्सचेंज की इमारत का संबंध है, इसके लिये उपयुक्त जमीन नहीं मिल सकी है। डाकतार विभाग की मौजूदा जमीन में टेलीफोन एक्सचेंज बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

**एककों के विस्तार के लिये लाइसेंस जारी करना**

3523. **श्री प्रसन्न भाई मेहता** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ एककों को 'नई वस्तुएं' बनाने तथा वर्ष 1960–63 के दौरान अपन पर्याप्त विस्तार करने के लिये अनुमति अथवा अनापति पत्र जारी किये गये थे ;

(ख) यदि हां, तो उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951के किस उपबन्ध तथा उसके अन्तर्गत बनाए गये किन नियमों के अन्तर्गत उक्त पत्रों को जारी किया गया था; और

(ग) क्या सरकार ऐसे सभी मामलों पर पुनर्विचार करेगी तथा जहां आवश्यक होगा उन अतिरिक्त क्षमताओं को रद् कर देगी ?

**औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम)** : (क) तथा (ख) : लाइसेंसिंग समति के निर्णय के आधार पर भूतपूर्व वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय तथा बाद में पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय ने भेषज उत्पादकों को विभिन्न मिश्रणों को उत्पादन प्राधिकार देते हुए निम्नलिखित शर्तों पर अनेक अनापत्ति पत्र अनुमतिपत्र जारी किये हैं :–

(1) इस प्रयोजन के लिये अतिरिक्त संयंत्र एवं मशीनों की आवश्यकता नहीं होगी;

(2) कोई भी रायल्टी देय नहीं होगी;

(3) उत्पादों को पहले से ही प्रयुक्त व्यापार चिन्ह के अन्तर्गत बेचा जाएगा;

(4) आधारभूत कच्चे माल व संमिश्रणों को समय समय पर सामान्य आयात नीति में छूट की जाएगी ।

ये सम्बन्ध फर्म द्वारा संशोधित उत्पाद मिश्रण के उत्पादन के लिये अनुमोदनों की किस्म में है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

**सी० ओ० बी० लाइसेंस जारी करना**

3524. **श्री प्रसन्न भाई मेहता** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महत्वपूर्ण तारीख से पहले ही उत्पन्न की गई क्षमता के लिये सी० ओ० बी० लाइसेंस जारी किये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो प्रभावी कार्यवाही किये जाने को निश्चित करने के लिये क्या मानदण्ड निर्धारित किया गया है; और

(ग) क्या सी० ओ० बी० लाइसेंसों को जारी करने के प्रश्न पर विचार करते समय इन मानदण्डों को लागू किया गया था ?

**औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रहमण्यम)** : (क) से (ग) : औद्योगिक लाइसेंसीकरण से छूट के हटा लेने पर उन औद्योगिक उपक्रमों के लिये जिन्होंने छूट की अवधि में अर्थात् छूट हटाने की तिथि से पूर्व क्षमताएं स्थापित की थी अथवा उसके लिये प्रभावी कदम उठाए थे, उपक्रम का कार्य जारी रखने हेतु निर्दिष्ट अवधि के अन्दर लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक था। औद्योगिक उपक्रमों के पंजीयन तथा लाइसेंसीकरण विनियमन 1952 में "प्रभावी कदमों" की परिभाषा निम्न प्रकार है :–

"प्रभावी कदमों" का तात्पर्य निम्नलिखित में से एक या एक से अधिक होगा :–

(क) भारतीय कंपनी अधिनियम, 1913 (1913 का 7 वां) के अधीन सरकारी (पब्लिक) कंपनी की सीमा में आने, वाले औद्योगिक उपक्रम की जारी की गई पूंजी का 60 प्रतिशत अथवा इससे अधिक पूंजी चुका दी गई हो;

(ख) कि, कारखाने की इमारत का पर्याप्त भाग बन चुका है;

(ग) कि, उपक्रम के लिये अपेक्षित संयंत्र तथा मशीनरी के पर्याप्त भाग हेतु निश्चित क्रयादेश जारी हो चुके हों;

इस प्रकार की हिदायतें दी गई हैं कि छूट की अवधि में स्थापित क्षमता पर विचार करते समय खासतौर पर बड़े औद्योगिक गृहों तथा विदेशी कंपनियों के मामलों की कड़ाई से जांच की जाये । उनके मामलों को स्वीकृति से पूर्व लाइसेंसिंग समिति के समक्ष रखना आवश्यक था।

**सी० ओ० बी० लाइसेंस को जारी करने में अनियमितताएं**

3525. **श्री प्रसन्न भाई मेहता** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सी० ओ० बी० लाइसेंसों को जारी करने में अनियमितताएं की गई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इन सभी लाइसेंसों पर पुनिवचार करेगी और जहां भी उचित हो, उन लाइसेंसों को रद्द करेगी ?

**औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रहमण्यम)** : (क) और (ख) : सरकार को कुछ आरोपों के बारे में पता है कि सी०ओ० बी लाइसेंस जारी करने में कुछ अनियमितताएं हुई हैं । जो भी उपयुक्त कार्यवाही करना आवश्यक समझा जाएगा उसकी दृष्टि से विशेष आरोपों की जांच की जायेगी ।

**पांचवीं योजना में रेशम उत्पादन परियोजनाओं के लिए धन का आवन्टन**

**3526. श्री प्रसन्न भाई मेहता :**

**श्री वी० मायावन :**

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान रेशम उत्पादन परियोजनाओं के लिये 8 करोड़ रू० आवन्टित करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो किन मुख्य मदों पर धनराशि का उपयोग किया जाएगा ; और

(ग) वह सुनिश्चित करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है कि भारत तेजी के साथ रेशम के विश्व बाजार में प्रवेश करे तथा अपने रेशम उद्योग के शीघ्र विस्तार हेतु नए बाजारों में अपने पांव जमाए ?

**औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी)** : (क) और (ख) : पांचवी पंचवर्षीय योजना में रेशम उद्योग के विकास के कार्यक्रम अभी बनाए जा रहे हैं ।

(ग) विदेशों में भारतीय रेशम को लोकप्रिय बनाने के अभ्युपायों में लन्दन में एक कार्यालय तथ्य एक आसूचना स्कन्ध बनाना सम्मिलित है ।

निर्यात घरानों तथा वैयक्तिक निर्यात कर्ताओं को भी अध्ययन दलों हॉट बाजार अध्ययनों तथा विदेशी प्रदर्शनियों आदि में भाग लेने के लिये पण्य विकास निधि में से वित्तीय सहायता दी जाती है ।

**पांचवीं योजना के क्रियान्वयन में जनता का सहयोग**

**3527. श्री पी० जी० मावलंकर :**

**श्री ई० वी० विखे पाटिल :**

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 14 नवम्बर से 20 नवम्बर, 1973 तक देश में मनाए गए 'योजना सप्ताह' के क्या ठोस परिणाम निकले; और

(ख) पांचवीं पंचवर्षीय योजना का ड्राफ्ट बनाने और उसके क्रियान्यवन में जनता का सहयोग और स्वैच्छित प्रयास कितना प्राप्त होगा ?

**योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) :** (क) देश की विकास योजनाओं को बल प्रदान करने के लिये गहन जन-संचार कार्यक्रम शुरू करने के वास्ते "योजना सप्ताह" मनाया गया था। योजना सप्ताह के तुरन्त बाद ठोस भौतिक परिणामों का पता लगाना कठिन है। फिर भी, सभी राज्यों तथा संचार के सब साधनों और शिक्षा संस्थानों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों व चैम्बर आफ कामर्स को भी इसमें शामिल किया गया था।

(ख) योजना बनाने व उसके क्रियान्वयन में जनता का सहयोग प्राप्त करने की दृष्टि से योजना प्रक्रिया को विकेन्द्रीकृत बनाया जाता है। पांचवीं योजना तैयार करते समय योजना आयोग ने संसद् सदस्यों, राजनितिक दलों व विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों से पहले ही विचार विमर्श किया है। सरकार की विभिन्न नीतियों पर, अखबारों में व्यक्त जनता की प्रतिक्रिया को भी ध्यान में रखा जाता है। योजना आयोग ने राज्यों को योजना बोर्ड स्थापित करने व योजना तन्त्र को मजबूत बनाने का सुझाव दिया है। राज्यों से यह भी अनुरोध किया गया था कि वे जिलों, जनजातीय खण्डों और पर्वतीय क्षेत्रों के लिये विशेष योजनाएं तैयार करें। आशा है कि दूरस्थ क्षेत्रों में अधिक से अधिक लोग योजना तैयार करने व उसके क्रियान्वन में अपना सहयोग देंगे। इसके अलावा, पांचवीं योजना में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम को शामिल किया जा रहा है। ऐसी संभावना है कि इस कार्यक्रम से ग्रामीण क्षेत्र की अधिकांश जनता में रुची उत्पन्न होगी तथा योजना लागू करने में उनका स्वैच्छिक सहयोग मिलेगा।

**सरोजनी नगर, नई दिल्ली से एक लड़के का गुम हो जाना**

**3528. श्री श्रीकृष्ण अग्रवाल :**

**श्री सत्य चरण बेसरा :**

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 27 जून, 1973 को नई दिल्ली प्रेस से प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि सरोजनी नगर, नई दिल्ली से 16 वर्षीय युवक 5 जून से लापता है;

(ख) क्या उन्हें इस बता का पता है कि दिल्ली पुलिस ने अब तक उस गुम लड़के को ढूढ़ने का बिलकुल भी प्रयास नहीं किया है; और

(ग) यदि हां, तो उनका इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है तथा गुम लड़के को शीघ्र बरामद करके उसके मां बाप को सौंपने के लिये क्या कार्यवाही की जाएगी ?

**गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) :** (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) और (ग) : 5 जून, 1973 को श्री आर० एस० खन्ना ने विनय नगर पुलिस थाने में रिपोर्ट की कि उनका पुत्र राकेश, आयु 16 वर्ष घर से गुम हो गया है। एक रिपोर्ट दर्ज की गई और उसकी प्रतिलिपि दिल्ली पुलिस के खोए हुए व्यक्तियों का पता लगाने वाले दस्ते को दी गई और थाने के कर्मचारियों को खोये हुए लड़के की पहिचान बताई गई तथा कांस्टेबलों को उसकी खोज करने के लिये तैनात किया गया।

21 जून, 1973 को श्री आर० एस० खन्ना ने विनय नगर पुलिस थाने को लिख कर सूचित किया कि उनके लड़के का अपहरण किया गया है । उसी दिन अपहरण का एक मामला दर्ज किया गया और जांच हाथ में ली गई । दिल्ली पुलिस के केन्द्रीय रिकार्ड कार्यालय गजट में छापने के लिये एक रिपोर्ट भेजी गई और आकाशवाणी से सूचना भी प्रसारित की गई । लड़के को ढूंढ़ने के लिये देश भर के पुलिस अधीक्षकों को सन्देश भेजे गये । पुलिस थाने के अधिकार क्षेत्र तथा साथ के क्षेत्रों में नालों, कुओं, रेल की पटरी के किनारों तथा अन्य संदिग्ध क्षेत्रों में खोज की गई । उसके सहपाठियों, अध्यापकों तथा अन्य व्यक्तियों से पूछताछ की गई ।

5 नवम्बर, 1973 को मामले की जांच का कार्य दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा को स्थानान्तरित किया गया । केन्द्रीय जांच ब्यूरो के बुलेटिन में लड़के का फोटो प्रकाशित करने के लिये भेजा गया । उस पाठशाला में जहां खोया हुआ लड़का पढ़ता था, जांच पड़ताल की गई है । अब तब लड़के का कोई पता नहीं लगा है और उसकी तलाश चल रही है ।

**Scheme to Remove Unemployment in Rural Areas by K. V. I. C.**

**3529. Shri Shri Krishna Agrawal :** Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state—

(a) the progress made by the Khadi Village Industries Commission his eliminating unemployment under the rural scheme;

(b) whether Government have taken certain steps to solve the problem of shortage of raw material which adversely affect the field; and

(c) if so, the outlines there of?

**The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development Shri Pranab Kumar Mukherjee** (a) to (c) : The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

**भारतीय इलैक्ट्रोनिक्स निगम द्वारा निर्मित टैलीविजन सेटों के मूल्य में कमी**

**3530. श्री सी० के० जाफर शरीफ :** क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इलैक्ट्रोनिक्स निगम इस वर्ष के अन्त तक टैलीविजन सेटों के मूल्य कम: कर सकेगा ;

(ख) यदि हां, तो इस समय इनका मासिक उत्पादन कितना है ; और

(ग) भारत में इस समय किस प्रकार के टैलीविज़न सैट बनाए जा रहे हैं ?

**प्रधान मंत्री परमाणु उर्जा मंत्री, इलैक्ट्रोनिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) :** (क) इलैक्ट्रोनिक्स कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड द्वारा तैयार किये जाने वाले टैलीविजन सैटों का वर्तमान मूल्य उनके हिस्सों तथा पुर्जों के मूल्य पर निर्भर करता है, जो कि सेट के कुल मूल्य का 70 प्रति शत बैठता है । अत: सैट के मूल्य में होने वाली कमी इस बात पर निर्भर करती है कि उसके हिस्सों तथा पुर्जों के मूल्य में भी कमी हो ।

(ख) कम्पनी प्रतिमास औसतन 1,100 सैट तैयार करती है।

(ग) भारत में इस समय 12", 19", 20" तथा 24" के आकार के सिंगल/मल्टी चैनल वाले ब्लैक एंड व्हाइट तथा पूर्णत: ट्रांजिस्ट्रीकृत हाइब्रिड माडलों वाले टैलीविज़न सैट तैयार किये जा रहे हैं।

**उद्योगों में रोजगार के दुगने अवसर उत्पन्त करना**

**3531. श्री एच० एम० पटेल :** क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1971 की जनगणना के अनुसार उद्योग में केवल 5.9 प्रतिशत जनसंख्या नियुक्त होने के तथ्य को ध्यान में रखते हुए कारखानों की स्थापित क्षमता का जो अभी 50 प्रतिशत से अधिक है, उपयोग करके रोजगार अवसरों को दुगना करने का सरकार का विचार है ;

(ख) क्या प्रयाप्त क्षमता का उपयोग करने के लिए करों और श्रमिकों तथा एकाधिकार कानूनों में कष्ट देने के प्रश्न पर सरकार ने विचार किया है ;

(ग) क्या यही कष्ट पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित उद्योगों को नहीं दी जा सकती ;

(घ) क्या रोजगार के अवसरों को पुन: उत्पन्न करने के लिए सरकार का विचार बोनस, उत्पादन और भविष्य निधि का भुगातान करने में असमर्थ होने के कारण बन्द पड़े कारखानों को तब तक कष्ट छूट देने का है तब तक वे लाभ कमाकर उनकी अदायगी करने की स्थिति में नहीं आ जाती ; और

(ङ) चूंकि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में अप्रयाप्त क्षमता और घाटा सबसे अधिक है, क्या सरकार का विचार सरकारी ऋणों पर लाभांश की दर से बराबर न्यूनतम लाभांश पर इन उपक्रमों को संयुक्त क्षेत्र में रखने का है ?

**औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम):** (क) से, (ङ) सरकार इस बात के लिए बहुत उत्सुक है कि देश की वर्तमान औद्योगिक क्षमता का पूरा पूरा उपयोग किया जाए। इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त अन्युपायों पर विचार करते समय इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि क्षमता का पूरा उपयोग न होने के अनेक कारण होते हैं जिनमें उपक्रम के आन्तरिक तथा बाह्य दोनों प्रकार के कारण सम्मिलित हैं। वित्तीय कठिनाई गत प्रयोग उपकरण, संतुलन उपकरण, का अभाव, प्रबंध संबंधी तथा मजदूरों की समस्यायें, कुशलता प्राप्त करने के लिए अपेक्षित समय आदि के कारण प्रतिष्ठान की क्षमता का पूर्ण उपयोग न होना, कारण हो सकते हैं। क्षमता के कम उपयोग के बाह्य कारण भी हो सकते हैं जैसे कि उत्पाद की मांग का अभाव, बिजली तथा कोयले की कमी, परिवहन अवरोध आदि। क्षमता के उपयोग पर असर डालने वाला एक प्रमुख्य कारण है मांग का अभाव उपलब्ध स्थापित क्षमता से औपचारिक रूप से मान्य लाइसेंस क्षमता जितनी कम है उस सीमा तक सरकार ने जनवरी, 1972 में ख्यापित उपायों के जरिए किन्हीं शर्तों पर उपलब्ध स्थापित क्षमता के पूरे पूरे उपयोग की अनुमति दे दी है जिनमें एक या दो पारी के आधार पर लाइसेंस दिए उपक्रमों के अपनी क्षमता के उपयोग की अनुमति दी गई थी तथा तीन पारी वाले और अन्य उपक्रमों को अपनी क्षमता द्विगुणित करने की अनुमति थी। इस उदाभिकरण के अंतर्गत 65 उद्योग आते हैं जिनमें प्राथमिकता प्राप्त उद्योग भी आते हैं और इस प्रकार क्षमता की दृष्टि से ही होने वाले वर्तमान क्षमता के उपयोग के अवरोध दूर होते हैं।

सरकार यह नहीं समझती है कि कर में छूट न होने से श्रम एवं एकाधिकार नियमों से उपयुक्त क्षमता पर रोक लग जायेगी। एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम के अंतर्गत विद्यमान उपलब्ध क्षमता का उपयोग करने हेतु अनुमति आवश्यक नहीं है अपितु विद्यमान स्तर से 25 प्रतिशत से अधिक की परिसम्पत्तियों अथवा उत्पादन बढ़ाने के लिए ऐसी अनुमति आवश्यक है। जहां तक पिछड़े क्षेत्रों का संबंध है एक विधेयक विचाराधीन है जिसमें यह व्यवस्था की गई है कि अन्य बातों के साथ साथ किसी उल्लिखित पिछड़े क्षेत्र में स्थापित किए गए नए औद्योगिक उपक्रम से हुए लाभ उठाने वाला करदाता दस वर्षों की अवधि तक इस प्रकार के लाभों का 20 प्रतिशत के बराबर अपनी कुल आय की गणना करके, कतिपय शर्तें पूरा करने पर कटौती करने का हकदार होगा ।

सरकार का विचार यह नहीं है कि संयुक्त क्षेत्रों में अधिकाधिक बेकार क्षमता वाले सरकारी क्षेत्र के उपक्रम बनाए जाएं। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से अधिक उत्पादन प्राप्त करने तथा क्षमता के पूर्ण उपयोग के बीच की बाधाओं को दूर करने की दृष्टि से उत्पादन एककों के संचालन तथा अन्य समस्याओं को दूर करने हेतु योजना आयोग के सदस्य की अध्यक्षता में एक कार्य संचालन समिति नियुक्त की गई थी। कार्य संचालन समिति ने कई उपक्रमों के दौरे किए थे तथा उनकी कई सिफारिशें कार्यान्वित की जा चुकी हैं ।

विद्यमान क्षमता का पूरा उपयोग करने के लिए सरकार ने जहां कहीं भी आवश्यक हुआ, देश के विभिन्न भागों में वस्त्र तथा इंजीनियरिंग एककों के प्रबंध को हाथ में ले लिया है। मशीन उद्योगों की क्षमता का उपयोग करने की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। औद्योगिक मशीनों की वस्तुएं बनाने वाले उपक्रमों की अपनी विद्यमान लाइसेंस प्राप्त क्षमता के अंदर मशीनों की नई वस्तुएं बनाकर विविधीकरण करने की अनुमति दी जा रही है। डिजाइनों तथा खाकों का आयात करने हेतु एक शीघ्रगामी तथा उदार नीति कर्यान्वित की जा रही है जिससे मशीन उद्योग की क्षमता का पूरा पूरा उपयोग सुलभ हो जायेगा ।

**"टाइम" पत्रिका के एक संस्करण का जबत किया जाना**

3532. **श्री एच० एम० पटेल** : क्या गृह मंत्री यह बातने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार ने 5 नवम्बर, 1973 का अमरीकी साप्ताहिक संस्करण "टाइम" जब्त कर लिया था ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा)** : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) पत्रिका में "मोहम्मद अरब के अनुयायियों का नैतृत्व कर रहे हैं" शीर्षक से पैगम्बर मोहम्मद एक चित्र था जो भारत रक्षा नियम, 1971 के नियम 36 के खण्ड (7) के अधीन प्रतिकूल माना गया था ।

**अखबारी कागज की कटौती की कारण पत्रकारों की छंटनी**

3533. **श्री वी० मायावन** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने यह आश्वासन दिया है कि श्रम न्यायधिकरण को पूर्व अनुमति के बिना अखबारी कागज की कटौती के फलस्वरूप किसी भी पत्रकार को छंटनी नहीं की जाएगी ;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने इस संबंध में अन्य संबद्ध मंत्रालयों से परामर्श किया था ;

(ग) पत्रकारों को किस प्रकार का संरक्षण देने का आश्वासन दिया गया है ; और

(घ) क्या जब सरकार प्रस्ताव पर विचार कर रही थी तब कुछ प्रत्रकारों की छंटनी की गई थी ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह)** : (क) 17-8-1973 को अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर के दौरान राज्य सभा में दिये गये ऐसे सुझाव के उत्तर में सूचना और प्रसारण मंत्री ने बताया था कि वे श्रमजीवी पत्रकारों की छंटनी के विरुद्ध संवैधानिक संरक्षण प्रदान करने के प्रश्न की जांच करेंगे ।

(ख) और (ग) जी, हां । श्रम और रोजगार विभाग से परामर्श कर लिया गया था और इस विषय में श्रमजीवी पत्रकारों को उपलब्ध संरक्षण की स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है ।

(घ) इस मामले में राज्य सरकारें संबंधित है । श्रम और रोजगार विभाग पहले ही उनसे पत्र-व्यवहार कर रहा है ।

**विवरण**

श्रमजीवी पत्रकार (सेवा शर्तें) और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम की धारा 3 के अनुसार औद्योगिक विवाद अधिनियम श्रमजीवी पत्रकारों पर लागू होगा । इस धारा में यह भी व्यवस्था है कि छंटनी के मामले में, सम्पादक के मामले में 6 माह का तथा अन्य श्रमजीवी पत्रकारों के मामले में 3 माह का नोटिस दिया जाना चाहिए । यह श्रमजीवी पत्रकारों के पक्ष में एक रियायत है, क्योंकि औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 25 के अन्तर्गत , केवल 1 माह का ही नोटिस दिया जाना अपेक्षित है । श्रमजीवी पत्रकार (सेवा शर्तें) और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम की धारा 14 के अनुसार औद्योमिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम के उपबन्ध ऐसे प्रत्येक समाचार पत्र संस्थापन पर लागू होंगे जिसमें 20 या इससे अधिक समाचार कर्मचारी काम करते हों। औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम सामान्यत: केवल उन्हीं संस्थापनों पर लागू होता है जिसमें 100 या उससे अधिक कर्मचारी काम करते हों । औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम के अनुसार मालिकों को ऐसे स्थायी आदेश बनाना आवश्यक है जिनमें, और बातों के साथ-साथ सेवा की समाप्ति आदि की प्रक्रिया दी हुई हो । ये संरक्षण साधारणतया श्रमजीवी पत्रकारों को दिए गए हैं । वे अपनी छंटनी की बाबत विवाद उठा सकते हैं । औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 2 के अन्तर्गत श्रमिक-व्यक्तिगत रूप में भी विवाद उठा सकते हैं । श्रमजीवी पत्रकारों के बारे में उचित प्राधिकारी राज्य सरकार है ।

**मलयालम फिल्म "एनिप्पाडीकल"के एक गाने को प्रसारित न करने के बारे में आकाशवाणी का निर्णय**

3534. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी ने एक मलायालम फिल्म "एनिप्पाडीकल" के एक गाने का प्रसारण न करने का निर्णय किया है ;

(ख) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि यह गाना, जिस पर रोक लगाई गयी है, एक सुप्रसिद्ध तथा शास्त्रीय गीत है तथा प्रसिद्ध और प्राचीन मलयालम लेखक इराइम्मन थाम्पो द्वारा लिखा गया है ;

(ग) क्या सरकार आकाशवाणी के इस निर्णय पर पुनर्विचार करेगी और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

**सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह)** : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) जी, हां ।

**एक जापानी इन्जीनियरिंग मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी और इन्जीनियरी कम्पनी के बीच करार**

3535. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्मित इन्जीनियरी वस्तुओं के निर्यात के लिए एक जापानी इन्जीनियरिंग मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी और इच्छालकरन्जी स्थित एक इन्जीनियरिंग कम्पनी के बीच हुए एक करार के बारे में सरकार को जानकारी है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न हीं नहीं उठता ।

**Entry of Hippies and Spies into religious places and educational institutions**

3536. **Shri Dhan Shah Pradhan** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) the measures proposed to be adopted to stop entry into religious places, educational institutions and big cities of foreign hippies and spies ;

(b) whether foreign spies enter into industrial establishments and incite sabotage; and

(c) whether Government keep strict watch on the entry of foregion tourists, their aims, time limits and activities?

**Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs Shri F. H. Mohsin :**
(a) There is no proposal to ban the entry of foreigners in general, or any particular class of foreigners to enter places which are accessible to the general public.

(b) No such report has been received.

(c) Vigilance is maintained and whenever a foreigner comes to notice for undesirable activities, suitable action is taken under the appropriate law.

**महाराष्ट्र में रोजगार गारंटी योजना**

3537. **श्री शंकर राव सावन्त :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्रीय सरकार की न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के साथ अपनी रोजगार गारंटी योजना को भी मंजूरी देने का अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त अनुरोध पर क्या निर्णय किया गया है ?

**योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) :** (क) और (ख) महाराष्ट्र सरकार ने अपनी पांचवी पंचवर्षीय योजना के प्रस्तावों में योजना गारंटी स्कीम भी शामिल की थी। इस पर योजना आयोग द्वारा न्यूनतम आवश्यकताओं के कार्यक्रम से बाहर विचार किया जा रहा है। राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि वे स्कीम में संशोधन करें। संशोधित स्कीम की प्रतीक्षा की जा रही है।

**जिला आधार पर आन्ध्र प्रदेश की सेवाओं के विभिन्न वर्गों में पदों का आरक्षण**

3538. **श्री शंकर राव सावन्त :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश विवाद के समाधान की एक शर्त यह है कि सरकारी नौकरियों में में द्वीतय, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी में 80 प्रतिशत रिक्त स्थान जिला आधार पर आरक्षित किए जायें ; और

(ख) क्या अन्य राज्यों द्वारा इस उदाहरण का अनुसरण करने पर केन्द्रीय सरकार को कोई आपत्ति होगी ?

**गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) :** (क) आन्ध्र प्रदेश के नेताओं द्वारा जारी किये गये वक्तव्य में अन्य बातों के साथ साथ यह व्यवस्था है कि कुल मिलाकर राज्य की आवश्यकताओं पर ध्यान देते हुए सार्वजनिक सेवाओं के कुछ निम्न श्रेणी के पदों के लिए सीधी भरती के मामले में एक निश्चित सीमा तक स्थानीय उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। वक्तव्य में यह भी निर्दिष्ट है कि स्थानीय उम्मीदवारों के लिए प्राथमिकता चतुर्थ श्रेणी पदों में 80 प्रतिशत, सभी अन्य अराजपत्रित पदों में 70 प्रतिशत और तहसीलदारों, कनिष्ट इन्जीनियरों और सिविल एसिस्टेंट सर्जनों के राजपत्रित पदों में 60 प्रतिशत हो सकती है। वक्तव्य में भरती के मामले में दी जाने वाली ऐसी प्राथमिकताओं के प्रयोजन के लिए ऐसे स्थानीय क्षेत्र भी निर्दिष्ट है। ये सुझाव परीक्षाधीन हैं।

(ख) इन सभी वर्षों में राज्य के कुछ भागों में सरकारी नौकरियों के बारे में लागू सांविधिक उपबन्धों को ध्यान में रखते हुए आन्ध्र प्रदेश के नेताओं द्वारा सुझाव दिए गये हैं ये विशेष सुझाव है जो अन्य राज्यों के मामले में लागू नहीं होते ।

**Expiry of Terms of Governors**

**3539. Shri Shankar Dayal Singh :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state the names of the States, the terms of whose Governors are expiring this year?

**The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs Shri F. H. Mohsin :**

The term of no Governor is going to expire during the rest of the current year. The Governors of Haryana and Andhra Pradesh whose term has expired are, however, continuing in office pending the appointment of their successors.

**Telephone Lines in Patna, Ranchi and Jamshedpur**

**3540. Shri Shankar Dayal Singh :** Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

) the number of telephone lines in Patna, Ranchi and Jamshedpur respectively at present ; and

) the number of applications for new Telephone connections lying under consideration in these cities respectively and the time by which they will be provided with new Telephones?

**The Minister of Communications and Tourism and Civil Aviation Shri Raj Bahadur :**

(a) The number of telephone lines on 30th September 1973 were as follows:

| | |
|---|---|
| (i) Patna .. .. .. .. .. | 10,152 |
| (ii) Ranchi .. .. .. .. .. | 3,761 |
| (iii) Jamshedpur .. .. .. .. .. | 3,945 |

(b) The number of applications pending on 30-9-73 was as follows:—

| | |
|---|---|
| (i) Patna .. .. | 771 |
| (ii) Ranchi .. .. .. .. | 363 |
| (iii) Jamshedpur .. .. .. .. .. | 162 |

The connections to these applicants will be provided when additional capacity becomes available.

## Working of Delhi Telephones

**3541. Shri Shankar Dayal Singh :** Will the Minister of **Communications** be pleased to state—

(a) the number of complaints received by the Delhi Telephones in regard to Telephones getting out of order during the last six months:

(b) whether complaints in this regard have increased or decreased in a month ; and

(c) the steps being taken by Government to set them in order?

**The Minister of Communications and Tourism and Civil Aviation Shri Raj Bahadur :**

(a) The number of complaints received by the Delhi Telephones in respect of telephones getting faulty for the last six months are given below. The figures indicate the incidence of complaints per telephone per month.

| | |
|---|---|
| May, 1973 .. .. .. .. .. | 0·65 |
| June, 1973 .. .. .. .. .. | 0·62 |
| July, 1973 .. .. .. .. | 0·74 |
| August, 1973 .. .. .. .. .. | 0·57 |
| September, 1973 .. .. .. .. .. | 0·69 |
| October, 1973 .. .. .. .. .. | 0·64 |

(b) The incidence of complaints has been generally of the same level in the last six months. Steps have been initiated to reduce the same. Downward trend is already noticeable. The incidence of complaints is expected to go down further.

(c) Highly intensive maintenance effort is being put in to keep the equipment and lines in good working order and to reduce the complaints to the minimum. Intensive maintenance effort devoted to the exchanges has resulted in some improvement in the service stnadard. Some of crossbar exchanges, particularly Janpath, Karolbagh, Jorbagh and Okhla are suffering from equipment defficiencies. A large scale upgradation programme for the equipment of these exchanges is under way and it is expected that the service from these exchanges will improve considerably when the upgradation work is over.

## परियोजना मूल्यांकन प्रभाव द्वारा परियोजनाओं का आर्थिक मूल्यांकन

**3542. श्री ई० वी० विखे पाटिल :**

क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अक्तूबर, 1972 में प्रारम्भ होने के बाद से योजना आयोग के परियोजना मूल्यांकन प्रभाग द्वारा किन-किन परियोजनाओं का आर्थिक मूल्यांकन किया गया ; और

(ख) परियोजना मूल्यांकन प्रभाग द्वारा किन-किन परियोजनाओं का ऐसा मूल्यांकन अभी होना है ?

**योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) :**

(क) उन परियोजनाओं के नाम, जिनका मूल्यांकन परियोजना मूल्यांकन प्रभाग द्वारा किया गया, अनुबन्ध–1 में दिये गये हैं। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 5911/73]

(ख) उन परियोजनाओं के नाम, जिनका मूल्यांकन इस समय हो रहा है, अनुबन्ध–2 में दिये गये हैं ।

**"रोजगार के अवसर" पर पैम्फलेट का पुनरीक्षण**

**3543 श्री ई० वी० विखे पाटिल :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) योजना आयोग ने "रोजगार के अवसर" पर पैम्फलेट सबसे पहले कब प्रकाशित किया था ;

(ख) क्या इस का पुनरीक्षण करने तथा इसे अद्यतन बनाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि हां, तो यह कब प्रकाशित किया जायेगा ?

**योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) :**

(क) "रोजगार सुविधायें" पुस्तिका योजना आयोग द्वारा सितम्बर, 1972 में प्रकाशित की गई थी ।

ख) और (ग) : एक नई पुस्तिका 'दि रोजगार सीन' योजना आयोग द्वारा सितम्बर, 1973 में प्रकाशित किया गया है । इसमें पांच लाख रोजगार अवसर के कार्यक्रम के अन्तर्गत, चालू वर्ष के दौरान शुरू की गई विभिन्न रोजगार स्कीमों के बारे में तथा अन्य सूचना का ब्यौरा दिया गया है ।

**स्वाधीनता सेनानियों को पेंशन देना**

**3544. श्री ई० वी० विखे पाटिल :** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वाधीनता सेनानियों को पेंशन देने सम्बन्धी योजना के अन्तर्गत अब तक कुल कितने स्वाधीनता सेनानियों को पेंशन दी गई है ; और

(ख) मंत्रालय में 30 नवम्बर, 1973 तक कितने आवेदन पत्र अनिर्णीत पड़े थे ?

**गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) :**

(क) 30–11–1973 तक योजना के अन्तर्गत 63,231 स्वतंत्रता सेनानियों और उनके आश्रितों को पेंशन प्रदान करने के लिए अनुमोदन कर दिया गया है ।

(ख) 87,744 आवेदन पत्र विचाराधीन है । इनमें वे 59,075 मामले भी शामिल है जिनमें आवेदकों/राज्य सरकारों से स्पष्टीकरण मांगे गये हैं । शेष 28,669 आवेदनपत्रों की अभी जांच की जानी है ।

**भारतीय उद्योग तथा औद्योगिक लाइसेंस नीति के ढांचे के बारे में अध्ययन**

3545. **श्री ई० वी० विखे पाटिल :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसन्धान तथा नियोजन और विकास कार्यक्रम में भाग लेने वाली चार संस्थाओं को अब तक कितनी वित्तीय सहायता दी गई है ;

(ख) भारतीय उद्योग तथा औद्योगिक लाइसेंस नीति के ढांचे के बारे में अध्ययन करने के कार्य में कितनी प्रगति हुई है ; और

(ग) यह अध्ययन कार्य कब तक पूरा हो जाएगा तथा अन्ततः प्रकाशित हो जाएगा ?

**औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रहमण्यम) :**

(क) से (ग) : माननीय सदस्य जिन संस्थाओं के विषय में सूचना चाहते हैं उनके नामों का उल्लेख न होने के कारण वांछित सूचना देना सम्भव नहीं है ।

**वर्ष 1971–72 और 1972–73 के दौरान टेलीविजन सेटों का निर्माण**

3546. **श्री आर० एन० बर्मन :** क्या **इलेक्ट्रोनिक्स** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

वर्ष 1971–72 और 1972–73 के दौरान देश में कुल कितने रेडियो सेटों/टेलीविजन सेटों का निर्माण हुआ है ?

**प्रधान मंत्री परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रोनिक्स मंत्री तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) :**

1971 और 1972 के कलैण्डर वर्षों में रेडियो एवं टेलीविजन सेटों का उत्पादन निम्न प्रकार रहा :

| | 1971 | 1972 |
|---|---|---|
| रेडियो | 30 लाख | 30 लाख |
| टेलीविजन | 16,007 | 29,965 |

**राज्यों में केन्द्रीय बलों की नियुक्ति**

3547. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्यों द्वारा केन्द्रीय पुलिस दल अथवा सशस्त्र पुलिस को कांस्टेबुलरी अथवा सशस्त्र सेनाओं के प्रयोग के बारे में कोई नया निर्णय किया है ; और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है ; और

(ख) भविष्य में उनको नियुक्त करने के बारे में क्या मांगे निदेशक सिद्धान्त निर्धारित किये गये हैं ?

**गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) :**

(क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

**भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों की वरीयता नियत करना**

**3548. श्री एस० सी० सामन्त :**

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों की वरीयता तथा उन्हें नियुक्त कराने का वर्ष नियत करने के कुछ मामले केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन हैं ;

(ख) यदि हां, तो इन मामलों के शीघ्र निपटाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ;

(ग) ऐसे मामलों की संख्या कितनी है तथा किन-किन राज्यों से ऐसे मामले केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन अथवा निर्णय के लिये विचाराधीन पड़े हैं ; और

(घ) ऐसे मामले कब से विचाराधीन पड़े हैं ?

**गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) :**

(क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) इस समय जो मामले विचाराधीन हैं उनमें शीघ्र निर्णय करने का प्रत्येक प्रयत्न किया जा रहा है । इस प्रयत्न में राज्य सरकारों से यथा संभव शीघ्र आवश्यक विवरण/स्पष्टीकरण प्राप्त करना, संघ लोक सेवा आयोग से, जहां आवश्यक हो अनुमोदन प्राप्त करना तथा विधि मंत्रालय, कार्मिक विभाग आदि से परामर्श करना, सम्मिलित है ।

(ग) और (घ) : केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन मामलों की कुल संख्या 139 है ।

संबंधित मामलों का अलग अलग राज्यवार और वर्षवार विवरण संलग्न है । [ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 5912/73]

**खाद्य अपमिश्रण और औषधि अपमिश्रण के मामलों का पता लगाने में पुलिस की भूमिका**

**3549. श्री एस० सी० सामन्त :**

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में खाद्य अपमिश्रण, औषधि अपमिश्रण और इसी प्रकार के अन्य अपराधों के मामलों का पता लगाने में दिल्ली पुलिस अथवा कोई गुप्तचर सेवा कोई काम कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी सफलता प्राप्त हुई ; और

(ग) यदि नहीं, तो अधिकारीस्तर पर यह मामला हाथ में न लेने के क्या कारण हैं, यद्यपि नागरिकों के स्वास्थ्य सम्बन्धी खतरों के कारण इसका अत्यधिक महत्व है ?

**गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) :**

(क) तथा (ख) : खाद्य मिलावट रोक अधिनियम, 1954 के अनुसार नमूने लेने और खाद्य मिलावट के मामलों की जांच पड़ताल करने की शक्तियों अधिनियम की धारा 9 की उपधारा 1 के अधीन नियुक्त खाद्य निरीक्षकों को ही प्रदत्त हैं।

औषधि तथा श्रंगार प्रसाधन अधिनियम 1940 की धारा 27 के अनुसार औषधि मिलावट एक प्रज्ञेय अपराध है। औषधि तथा श्रृंगार प्रसाधन अधिनियम 1940 की धारा 32 की उप धारा (1) के अनुसार, अधिनियम की धारा 21 की उप धारा (1) के अधीन नियुक्त निरीक्षक अधिनियम के अन्तर्गत मुकदमा चल सकता है।

(ग) 1 जनवरी से 31 अक्तूबर, 1973 की अवधि में दिल्ली पुलिस द्वारा किसी मामले का पता नहीं लगाया गया है।

**भारतीय आर्थिक और भारतीय सांख्यिकी सेवाओं के लिए प्रदायी सूचियों का बनाया जाना**

**3590. श्री बसन्त साठे :**

क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय आर्थिक भारतीय सांख्यिकी सेवाओं की प्रदायी सूचियों के गठन में काफी विलम्ब किया जाता है जिसके परिणामस्वरूप प्रभावित व्यक्तियों में निराशा की भावना बढ़ती जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस समय संकलन-कार्य किस स्थिति में है और प्रदायी सूची के प्रभावी संचालन और उसके संकलन-कार्य को तीव्रता से करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है / करने का प्रस्ताव है ;

(ग) क्या विभिन्न विभागों/मंत्रालयों में ग्रेड IV के अनेक पद काफी समय से रिक्त पड़े हैं ; और

(घ) भारतीय आर्थिक सेवा भारतीय सांख्यिकी सेवा के ग्रेड IV में रिक्त पदों की शीघ्रता से भरने के लिये क्या कार्यवाही की गई है / करने का प्रस्ताव है ?

**गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) :**

(क) तथा (ख) : भारत सरकार के बहुत से मंत्रालय / विभाग भारतीय आर्थिक सेवा तथा भारतीय सांख्यिकी सेवा के ग्रेड IV में पदोन्नति के लिए पात्र अधिकारियों की एकीकृत सूचियां तैयार करने में लगे हुए हैं। इन दो सेवाओं के संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी के प्रबल प्रयत्नों के बावजूद भी, प्रदायी (फीडर) पदों पर कार्य कर रहे व्यक्तियों की एकीकृत सूचियां तैयार करने के लिए आवश्यक, पूर्ण सूचना एकत्र करना संभव नहीं हो पाया है। आवश्यक सूचना को शीघ्रता से पत्र-व्यवहार, बैठकों तथा वैयक्तिक विचार-विमर्श द्वारा एकत्रित किए जाने के प्रयत्न किए जा रहे हैं, ताकि एकीकृत सूचियां तैयार की जांय और ग्रेड IV में पदोन्नति के लिए चयन सूचियां तैयार करने हेतु उन्हें संघ लोक सेवा आयोग को अविलम्ब भेज दिया जाए। ज्योंही चयन सूचियां उपलब्ध हो जाएंगी, पदोन्नति द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों को चयन सूची के अधिकारियों में से भरा जाएगा।

(ग) जी नहीं, श्रीमान। हाल ही के एक विश्लेषण के अनुसार भारतीय आर्थिक सेवा के ग्रेड IV के पदों पर 264 संवर्ग पदों की संख्या में, केवल 7 ही रिक्तियां थीं और भारतीय सांख्यिकी सेवा के ग्रेड IV के पदों में 190 संवर्ग पदों की संख्या में केवल 20 रिक्तियां ही थीं ।

(घ) विभिन्न मंत्रालयों / विभागों को जहां इन दो सेवाओं के ग्रेड IV के पद विद्यमान हैं, जब तक कि नियमों के उपबन्धों के अनुसार इन पदों पर भर्ती लम्बित है, नियंत्रक प्राधिकारी की पूर्व सहमति से ग्रेड IV के पदों की रिक्तियों को तत्सम्बन्धी सेवा के ग्रेड IV में पदोन्नति के लिए पात्र अधिकारियों में से स्थानीय आधार पर तदर्थ रूप से भरने की अनुमति दी गई है ।

**केरल के लिए धनराशि का नियत किया जाना**

3552. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :**

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान औद्योगिकरण योजना के अधीन केरल राज्य को धनराशि नियत करने के बारे में सरकार ने कोई निर्णय किया है ;

(ख) इस अवधि में कितने कारखानों को लाभ पहुंचने की सम्भावना है ; और

(ग) इसके परिणामस्वरुप कितने रोजगार अवसर उत्पन्न होने की सम्भावना है ?

**औदयोगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी)** : (क) से (ग) : केरल की वार्षिक योजना 1973–74 को तैयार करते समय बड़े तथा मझौले क्षेत्र की लगभग 19 औद्योगिक इकाइयों की आवश्यकताओं पर विचार किया गया था। इस क्षेत्र के लिए 272 लाख रुपयों की व्यवस्था की गयी है। इसके अलावा, ग्रामीण तथा लघु उद्योगों के लिए 250 लाख रु० और खनिज उद्योग के विकास के लिए एक लाख रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गयी है।

हां, इस बात का ठीक अनुमान लगाना संभव नहीं है कि चालू वर्ष के दौरान ऊपर उल्लिखित धनराशियों के नियतन के परिणास्वरुप रोजगार के कितने अवसर प्रस्तुत होने वाले हैं।

**केरल में विशेष रोजगार कार्यक्रमों का क्रियान्वितन किया जाना**

3553. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :**

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल को आवंटित राशि प्राप्त न होने की वजह से केरल के किसी भी जिले में विशेष रोजगार कार्यक्रमों को क्रियान्वित नहीं किया जा सका; और

(ख) यदि हां, तो राज्य को नियत राशि सप्लाई करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

**योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया)** : (क) तथा (ख) विभिन्न रोजगार स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए केरल सरकार को दी गई धनराशियों की स्थिति इस प्रकार है :

**1--197:-72 में शिक्षित बेरोजगारों के लिए आरम्भ किया गया कार्यक्रम :**

प्राथमिक शिक्षा, सिंचाई तथा बिजली परियोजनाओं की जांच, ग्रामीण इंजीनियरी सर्वेक्षण आदि, चालू स्कीमों, जो कि इस कार्यक्रम में सम्मिलित की गई हैं, के सम्बन्ध में चालू वर्ष के दौरान राज्य सरकार के लिए आवंटित धन राशियों की पहली किस्तें सम्बन्धित केन्द्रीय मंत्रालयों द्वारा पहले ही जारी की गई हैं।

**2--1972-73 में आरम्भ किया गया विशेष रोजगार कार्यक्रम :**

केरल राज्य में 1972-73 से विशेष रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यान्वित की जा रही सभी स्कीमों को चालू वर्ष में भी रखा जा रहा है और इस कार्यक्रम के लिए देय केन्द्रीय सहायता की प्रथम किस्त जारी करने के लिए कदम उठा लिए गए हैं।

**3--1971-72 में ग्रामीण रोजगार के लिए आरम्भ की गई त्वरित स्कीम :**

चालू वर्ष में इस स्कीम को जारी रखने के लिए केरल सरकार को ग्रामीण रोजगार सम्बन्धी त्वरित स्कीम के अन्तर्गत धन राशि देने की व्यवस्था पहले ही की जा चुकी है।

**4--1973-74 में आरम्भ पांच लाख रोजगार सम्बन्धी कार्यक्रम :**

इस स्कीम के अन्तर्गत 427.17, लाख रुपये की स्कीमें पहले ही स्वीकार की जा चुकी हैं और इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए प्रथम किस्त के रूप में 106,37 लाख रूपये भी दिए जा चुके हैं।

**केरल के स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन दिया जाना**

3554. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :**

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल राज्य में उन स्वतंत्रता सेनानियों की संख्या कितनी है जिन्होंने, जिलावार, स्वतंत्रता सेनानी-पेंशन के लिये आवेदन पत्र दिये हैं तथा उन स्वतंत्रता सेनानियों की जिलावार, संख्या कितनी है जिनकी पैंशन मंजूर की गई है।

(ख) जिलावार कितने आवेदन पत्र विचाराधीन है तथा कितने आवेदन-पत्र जिलावार नामंजूर किये गये; और

(ग) क्विलोन जिले के उन स्वतंत्रता सेनानियों के नाम क्या है जिनकी पैंशन मंजूर की गई है तथा जिनके आवेदन पत्र नामंजूर किये गये हैं ?

**गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) :** (क) और (ख) : सूचना संलग्न विवरण में दी जाती है।

(ग) जिला क्विलोन के 102 स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन स्वीकृत की गई है तथा 91 व्यक्तियों के आवेदन पत्र अस्वीकार किये गये हैं। इन सब व्यक्तियों के नाम देना सम्भव नहीं है। किन्तु अनुमोदित मामलों का व्यापक प्रचार किया जा रहा है।

**विवरण**

| क्र० संख्या | जिले का नाम | प्राप्त आवेदनों की संख्या | पेंशन के लिये अनुमोदित मामलों की संख्या | अस्वीकृत मामलों की संख्या | अभी तक विचाराधीन मामलों की संख्या |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | अल्लेप्पी | 1,210 | 122 | 76 | 1,012 |
| 2 | कन्नानोर | 723 | 255 | 110 | 358 |
| 3 | कोझीकोडे | 700 | 205 | 275 | 220 |
| 4 | किलोन | 597 | 102 | 91 | 404 |
| 5 | त्रिवेन्द्रम | 750 | 75 | 81 | 594 |
| 6 | त्रिचूर | 337 | 114 | 57 | 166 |
| 7 | पालघाट | 286 | 108 | 85 | 93 |
| 8 | मल्लापुरम | 1,046 | 47 | 852 | 147 |
| 9 | कोटायाम | 145 | 42 | 39 | 64 |
| 10 | एर्नाकुलम | 241 | 58 | 41 | 142 |
| 11 | इदिक्की | 37 | 7 | 9 | 21 |
| | जोड़ | 6,972 | 1,135 | 1,716 | 3,221 |

**विज्ञापन दरों में वृदिध के मामले की जांच करने के लिये समिति की नियुक्ति**

**3555. श्री रणबहादुर सिंह :**

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विज्ञापन दरों में वृद्धि की मांग के बारे में कोई समिति नियुक्त की थी; और

(ख) यदि हां, तो समिति के क्या निष्कर्ष हैं और इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री धर्मवीर सिंह)** : (क) तथा (ख) अखबारी कागज में 30% कटौती और मूल्य वृद्धि के कारण समाचारपत्रों की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधिकारियों, समाचारपत्र उद्योग के प्रतिनिधियों तथा कास्ट एकाउन्टेन्ट को मिलाकर एक ग्रुप बनाया गया था ग्रुप ने यह अनुभव किया कि अतिरिक्त बोझ को पूरा करने के लिए समाचारपत्रों को अपने स्त्रोतों को बढ़ाना जरुरी होगा ।

विज्ञापन दर का प्रश्न ऐसा है जो विज्ञापन देने वालों और समाचारपत्रों के बीच आपस में ही तय किया जाना है ।

**सीमट की सप्लाई में कदाचार की जांच**

**3556. श्री अण्णासाहिब गोटखिड़े :**

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री सीमेंट की सप्लाई में कदाचार के विरुद्ध शिकायतों के बारें में 25 जुलाई 1973 के अतारांकित प्रश्न सं० 857 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मामले की जांच किस प्रकार की जा रही है ;

(ख) क्या इस बीच जांच कार्य पूरा हो गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

**औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) :** (क) सम्बन्धित राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि सीमेंट के वितरण में उत्पादक के अभिकथित भ्रष्ट आचरण की जांच करें ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

**सांगलों-बम्बई ट्रंक सेवा**

**3557. श्री अण्णासाहिब गोटखिंडे :**

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सांगलो से बम्बई तक "डिमाण्ड ट्रंक" सेवा आरम्भ करने का विचार है : और

(ख) यदि हां; तो इस प्रस्ताव को कब तक क्रियान्वित किये जाने का विचार है ?

**संचार तथा पर्यटन और नगार विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) जी हां ।

(ख) वर्ष 1974 के मध्य तक इस प्रस्ताव के कार्यान्वियन की संभावना है ।

**सांगलों जिले के गांवों में टेलीफोन**

**3558. श्री अण्णासाहिब गोटखिण्डे :**

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1973-74 के दौरान सांगलो जिले (महाराष्ट्र) में किन किन गांवों में टेलीफोन सुविधा उपलब्ध करने का प्रस्ताव है, और

(ख) इसके लिए कितनी धनराशि नियत की गई है ?

**संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) सांगली जिले (महाराष्ट्र ) के उन गांवों के नाम नीचे दिए गए हैं जिनमें वर्ष 1973–74 के दौरान टेलीफोन सुविधा दी जा चुकी है और जिनमें यह सुविधा दिए जाने का प्रस्ताव है :—

.I इस वर्ष के दौरान नीचे लिखे गांवों में टेलीफोन सुविधा दी जा चुकी है :—

1. अराग
2. येल्लूर

II. वर्ष 1973–74 की शेष अवधि के दौरान नीचे लिखे गांवों में टेलीफोन सुविधा दिए जाने का प्रस्ताव है :—

1. सावालाज
2. भनेराजूरी
3. अंकलखोप

(ख) इस कार्य के लिए निर्धारित निधि 1,42,000 रुपये है।

**फर्मों/कम्पनियों की गतिविधियों के बारे में कागजात**

**3559. श्री भोगेन्द्र झा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में विभिन्न स्त्रोतों से और ब्रिटेन, अमेरिका से प्राप्त किये गए कागजातों और उनके लिए लागत और इनामों का दावा करने के बारे में गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री को दिनांक 19 मई 1973 को एक ज्ञापन दिया गया था और यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ;

(ख) क्या दी गई जानकारी और कागजातों के आधार पर दोषी फर्मों और कम्पनियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई थी ; और

(ग)यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण है ?

**गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा)** : (क) से (ग) : एक व्यक्ति से, जो दावा करता है कि उसने विभिन्न प्राधिकारियों को अनेक मामलों के सम्बन्ध में सूचना तथा कुछ दस्तावेज दिये है एक अभ्यावेदन दिनांक 19–5–1973 को प्राप्त हुआ था जिसमें इनाम देने तथा खर्च की अदायगी करने के लिये कहा गया था। इस अभ्यावेदन की जांच की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद उस व्यक्ति को आवश्यक उत्तर भेज दिया जायेगा, जिसने अभ्यावेदन भेजा था।

आसूचना तथा जांच एजैंसियां गुप्त आसूचना एकत्र करती है और विभिन्न स्त्रोतों से सूचना प्राप्त करती है, और अनेक बार विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त सूचना एक ही फर्म अथवा पार्टी से सम्बन्धित होती है। अत : संबन्धित एजैंसी द्वारा की गई निर्णायक कार्यवाही प्राय : अनेक स्त्रोतों से प्राप्त सूचना

तथा जांच पड़ताल के दौरान मिले पूरक सुरागों का इकट्ठा परिणाम है। चूंकि मुखबिर के बारे में पहचान और उसके द्वारा दी गई सूचना का स्वरुप, प्रत्यक्ष कारणों से गुप्त रखा जाता है, अत: दस्तावेजों और इस व्यक्ति द्वारा दी गई सूचना के आधार पर विभिन्न प्राधिकारियों द्वारा की गई कार्यवाही अथवा उसकी सूचना से ऐसी कार्यवाही का कितना सम्बन्ध है, ब्योरा प्रकट करना उचित नहीं होगा ।

**Issue of Commemorative Postal Stamps in 1974**

**3560. Shri Phool Chand Verma.:**

**Shri Hukam Chand Kachwai.:**

Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the names of the great-men in whose memory and honour postal stamps are proposed to be issued by the Government of India during 1974 ;

(b) whether the list of these great-men includes the names of reverend Ahilya Bai, the great lady of Indor (M.P.) ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

**The Minister of Communications and Tourism and Civil Aviation (Shri Raj Bahadur)** : (a) Names of the personalities in whose honour special/commemorative postage stamps are propsoed to be issued during 1974 as recommended by the Philatelic Advisory Committee which met on 30th October, 1973 are given below :—

S/Shri Marconi, J.B.S. Haldane, Max Muller, Mahavir, Sankaracharya, Tippu Sultan, Senapati Bapat, Amir Khusro, Jawaharlal Nehru, Kamala Nehru (75th birth anniversary) Maithalisaran Gupta, Suryakanth Tripathi, Nirala, Bharatendu Harish Chandra, Utkal Gourab Madhusudan Das and Jai Narayan Vyas.

These recommendations have yet to be accepted by the Government.

(b) & (c) No. The Philatelic Advisory Committee which met on 30th March, 1972 did not recommend the issue of stamps in honour of the personality. Stamps are issued on the recommendation of the Philatelic Advisory Committee consisting of M.Ps., Artists, Philatelists Stamp Dealers and eminent persons in public life, besides official members.

**Stoppage of Broadcasting of National Anthem by A.I.R. Stations**

**3562. Shri Mahadeepak Singh Shakya** : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether broadcast of National Anthem by A.I.R. Stations has been stopped for the last several months; and

(b) if so, the reasons therefor and whether there is any proposal to broadcast some other programme instead thereof ?

**The Deputy Minister in The Ministry of Information and Broadcasting (Shri Dharam Bir Sinha)** : (a) Yes, Sir.

(b) The decision to discontinue playing of the National Anthem at the end of the day's programme was taken because at that time people are normally either preparing to go to sleep or are relaxing, and cannot, therefore, show proper respect to the National Anthem. There is no proposal to broadcast some other programme in place of the National Anthem.

**Issue of Licences to Untouchables in Backward Areas**

**3563. Shri Mahadeepak Singh Shakya** : Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state :

(a) whether no provision has been made to issue industrial licences to untouchables in backward areas and the reasons therefor; and

(b) the number of industrial licences issued to them during the last three years ?

**The Minister of Industrial Development and Science and Technology (Shri C. Subramanian)** : (a) and (b) The caste of the applicant is not a criterion for issuing industrial licences. If however there are applications from persons belonging to scheduled castes, they will be given a sympathetic consideration.

**उड़ीसा में आकाशवाणी के अंशकालिक संवाददाता का रिक्त पद**

**3564. श्री श्याम सुन्दर महापात्र** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

इस समय उड़ीसा में आकाशवाणी के अंशकालिक सम्वाददाता के कितने पद रिक्त पड़े हैं ?

**सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री धर्मवीर सिंह)** : नियिमित रिक्तियां नहीं हैं, क्योंकि अंशकालिक संवाददाताओं के पद औपचारिक रुप से नहीं बनाए जाते । स्त्रोतों की उपलब्धि पर निर्भर करते हुए जिलों में अंशकालिक संवाददाता नियुक्त करने की पद्धति है ।

**दिल्ली में टैलीफोन कनेक्शनों का काटा जाना**

**3565. श्री श्याम सुन्दर महापात्र** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आपातकालीन स्थिति की घोषणा करके दिल्ली में अवैध सट्टाबाजार के व्यापारियों क निवास स्थान से लगभग 200 टेलीफोनों के कनेक्शन काटे गए हैं; और

(ख) इस से अवैध व्यापार में कहां तक रोकथाम हुई है ?

**संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क)और(ख) दिल्ली प्रशासन से तारीख 27 नवम्बर, 1972 का एक आदेश प्राप्त हुआ था जिस में यह उल्लिखित था कि दिल्ली के प्रशासक इस बात से संतुष्ट हैं कि कतिपय टैलीफोनों के जरिए बड़े पैमाने पर कृषि

सम्बन्धी (खाद्य) पदार्थों में अवैध सट्टा चलाया जा रहा है। उस आदेश में उन टैलीफोनों का भी उल्लेख था और वे कारोनेशन होटल, फतेहपुरी, दिल्ली के अहातों में लगे हुए थे। इस अवैध सट्टे से उन वस्तुओं के मूल्यों पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा था, जो जन-जीवन के लिए अनिवार्य थीं। उक्त आदेश में आगे यह भी लिखा था कि उस समय सार्वजनिक आपात कालीन स्थिति चल रही थी और दिल्ली के प्रशासक को इस बात का इत्मीनान था कि उक्त टैलीफोनों के जरिए ऊपर बताए गए स्थलों पर सट्टा जारी रहना जन-हित के खिलाफ है। अतः भारतीय तार अधिनियम 422 के अन्तर्गत करीब 200 टैलीफोन कनैक्शन काट दिए गए थे। इस नियम के अन्तर्गत किसी आपातकालीन स्थिती में डिवीजनल इंजीनियर को यह अधिकार है कि वह नोटिस देकर या बगैर नोटिस दिए किसी भी उपभोक्ता का टैलीफोन कनैक्शन काट सकता है।

यह बता पाना बहुत मुश्किल है कि ये टैलीफोन कनैक्शन काट देने से अवैध व्यापार में कितनी रोक-थाम हुई है।

**उड़ीसा में 50 वर्ष की आयु में आई०ए०एस० अधिकारियों तथा इंजीनियरो को पेंशन देकर सेवा निवृत्त किया जाना**

3566. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में कुछ आई० ए० एस० अधिकारियों तथा इंजीनियरों को 50 वर्ष की आयु में पेंशन दे कर सेवा निवृत्त किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार वार्द्धबध के प्रत्येक मामले की जांच करेगी जिससे किसी को परेशान न किया जा सके ?

**गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा)** : (क) तथा (ख) इस समय भारतीय प्रशासन सेवा के उड़ीसा संवर्ग के किसी भी अधिकारी को सेवा निवृत्त करने का कोई भी प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन नहीं है। राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार अब तक 4 सहायक इंजीनियरों को समयपूर्व सेवा निवृत्त के नोटिस दिए गए हैं। समय पूर्व सेवा निवृत्ति के मामलों में, निर्धारित प्रक्रिया तथा मानदण्ड का अनुसरण किया जाता है ताकि किसी को परेशान न किया जा सके।

**समाचारों का आंखों देखा हाल सुनाने और समाचार पढ़ने के स्तर का नियतकालिक मूल्यांकन**

3567. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेडियो पर समाचारों का आंखों देखा हाल सुनाने और समाचार पढ़ने के स्तर का नियतकालिक मूल्यांकन किया जाता है ; और

(ख) क्या इसके स्तर में कमी पाई जाने पर उसमें सुधार करने के लिये कोई कार्यवाही की जाती है ?

**सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह)** : (क) समाचार समीक्षा का उसके विषय तथा प्रस्तुतिकरण के संदर्भ में मूल्यांकन दैनिक आधार पर किया जाता है । समाचार पढ़ने के मामले में लगातार आन्तरिक मूल्यांकन के अतिरिक्त, श्रोता अनुसन्धान संगठन के द्वारा भी अत्यधिक सर्वेक्षण किए जाते हैं ।

(ख) जी हां ।

**श्री ब्रेजनेव की भारत यात्रा का टेलीविजन पर प्रसारण**

**3568. श्री पीलू मोदी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी के प्रधान श्री लियोनिड ब्रेजनेव की भारत यात्रा को सभी तकनीशियनों द्वारा हमारी उपग्रह सेवाओं का उपयोग करके अस्थाई प्रबन्धों की सहायता से टैलीविजन पर रंगीन चित्रों में दिखाया गया है ;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) क्या उनकी यात्रा को भारत में भी टैलीविजन पर दिखाया गया था ?

**सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह)** : (क) और (ख) रूस के प्राधिकारियों से रंगीन टैलीविजन कार्यक्रमों को जो उनके द्वारा तैयार किए गए थे, सीधे रूस को भेजने के लिये अपनी उपग्रह सेवाओं का प्रयोग करके अपने उपकरण लगाए थे ।

(ग) दिल्ली टैलीविजन केन्द्र ने ब्रेजनेव की यात्रा को अपने ही तकनीकी स्रोतों तथा निर्माण सुविधाओं का उपयोग करके कवर किया है ।

**Telephone Traffic between Bombay and Khandwa and Burhanpur**

**3569. Shri G.C. Dixit** Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the load of Telephone traffic for the last five months between Bombay and Khandwa and Burhanpur towns of East Nimar District in Madhya Pradesh

(b) the number of telephone calls from both the above towns to Bombay which materialized and the number of those which did not materialize ; and

(c) the reasons for which the calls did not materialize and whether the calls which when connected were connected very late ?

**The Minister of Communications and Tourism and Civil Aviation (Shri Raj Bahadur)** : (a) The average daily traffic is 90 calls bothways; the precise information asked for is not readily available.

(b) About 40% of calls materialise daily and the rest do not mature partly due to technical faults and partly due to cancellation by Subscribers.

(c) The trunk circuit from Bombay to Khandwa is built-up on open-wire lines between Dhulia and Khandwa and is therfore subject to interruptions. Delays in connecting calls are unavoidable during such interruptions.

**Telephone Connections in Shahpur Village of Burhanpur Tehsil**

**3570. Shri G.C. Dixit** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state ;

(a) the number of applications for telephone connections received from the residents of Shahpur village of Burhanpur tehsil in Madhya Pradesh ;

(b) the action being taken in respect of these applications and whether long time has elapsed since these were submitted ; and

(c) if so, the reasons why no action has been taken so far ?

**The Minister of Communications and Tourism and Civil Aviation (Shri Raj Bahadur)** : (a) Total number of pending applications is 15.

(b) & (c) opening of a 25 line antomatic exchange (SAX) at Shahpur village has been sanctioned and action is being taken to procure the equipment and stores for its installation. The proposal for this exchange was made about a year ago but it took time to examine its technical aspects and to sanction its opening.

**Books, Magazines and Albums Published by Publications Division**

**3571. Shri M.C. Daga** : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) the number and names of the books, magazines, albums published by the Publications Division during last year along with the names of the languages in which these were published ;

(b) the amount spent on their publications in each case and the number of copies of each of these publications sold and the amount earned by Government as a result thereof; and

(c) the criterion of publishing them ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Information & Broadcasting (Sri Dharam Bir Sinha)**. (a) & (b) : The required information is given in the statement attached.

[Placed in Library See No. L.T. 5913/73].

(c) The object of publishing books, pamphlets etc. and their sale and distribution, is to (i) dissaminate information about India's progress in various fields; (ii) promote among the people living in different regions and professing different faiths and beliefs, fuller understanding and awareness of our common heritage; (iii) stimulate interest in an generate appreciation and respect for the variegated pattern of life and culture in India and for the fundamental values enshrined in our Constitution.

**Postmen Asking for "Bakhshish".**

**3572. Shri M.C. Daga** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether postmen and Telephone employees move in groups on the eve of Diwali and Holi festivals and ask for "bakhshish"; and

(b) if so, whether Government propose to check this practice ?

**The Minister of Communications and Tourism and Civil Aviation (Shri Raj Bahadur)** : (a) Reports have been received at times that delivery staff ask for "Bakhshish" from members of the public on occasions of festivals such as Diwali etc.

(b) Instructions have been issued from time to time, reiterating that indulging in the malpractice of askig for "bakhshish" violates the Government Servant conduct rules and is liable to punishment. Copies of these instructions were also sent to the Staff Unions for enlising their co-operation in putting down this malpractice.

**पी०वी०सी० फिल्मों पर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की छूट के लिए महाराष्ट्र के कोटे कारखानों की ओर से अभ्यावेदन**

3573. **श्री डी० एन० सिंह** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु उद्योग विकास आयुक्त को अप्रैल, 1973 में महाराष्ट्र के लघु-उद्योग कारखानों की ओर से इस सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है कि पी० वी० सी० फिल्मों आदि पर, यदि उनका उत्पादन एक्सट्रशन प्रौसेस के अतिरिक्त किसी प्रत्तिक्रिया के द्वारा किया जाता है तो केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की छूट दी जाए ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी रूप रेखा क्या है तथा इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

**औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पणव कुमार मुखर्जी)** : (क) और (ख) जी हां। मैसर्स एडवान्स प्रोस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड, महाराष्ट्र ने अपने 16 अप्रैल, 1973 के अभ्यावेदन में कहा है कि :—

(i) 0.25 एम०एम० मोटाई की रिजिड पांलीविनील क्लोराइड फिल्में ;

(ii) 0.25 एम० एम० मोटाई की फ्लैक्सीबल पांलीविनील क्लोराइड फिल्में ; तथा

(iii) पांलीविनी क्लोराइड ले फ्लेट ट्यूबिंग फिल्में जो लघु एककों द्वारा एक्स्ट्रजन प्रक्रिया से बनाई जाती हैं ;

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क से छूट प्राप्त हैं। उन्होंने राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के माध्यम से पश्चिमी जर्मनी से जिमर संयंत्र आयात किया था तथा हाट मेल्ट प्रक्रिया से वे उपर्युक्त उत्पादन तैयार कर सकते हैं जिस पर उत्पादन शुल्क लगता है। निर्माण-प्रक्रिया के बावजूद भी पार्टी ने अपनी पी० वी० सी० फिल्मों के सम्बन्ध में छूट मांगी थी।

पी० वी० सी० फिल्में बनाने में लघु एकक एक्स दजन प्रक्रिया काम में लाते हैं अतएव इस विषय में उत्पादन शुल्क से छूट की अनुमति उन्हें दी गई है। हाट मेल्ट प्रक्रिया से पी० वी० सी० फिल्में बनाने में ऐसी ही रियायत देने से इस उद्योग के लघु एककों में चल रही प्रतियोगिता की भावना पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसलिये विकास आयुक्त (लघु उद्योग) ने इस निवेदन का समर्थन नहीं किया।

**बम्बई में एक उपभोक्ता के टेलीफोन का कथित अनाधिकृत हस्तांतरण**

**3574. डा० कर्णी सिंह** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई में एक उपभोक्ता के टैलीफोन संख्या 363953 को जो 9 जुलाई, 1972 को टैलीफोन विभाग द्वारा सुरक्षित स्थान पर रखा गया था तथा जिसका नियमित रूप से किराया दिया जाता रहा, एक अन्य व्यक्ति को अनधिकृत रूप से दे दिया गया जब कि मूल उपभोक्ता को इस फोन संख्या 363953 के बिल भेजे जाते रहे ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह कार्य नियमानुसार है ;

(ग) मूल उपभोक्ता को पुन: उसी नम्बर पर टैलीफोन दिलाने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ; और

(घ) भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) बम्बई का टैलीफोन नं० 363953 तारीख 12 जुलाई, 1972 को अक्षय अभिरक्षा में रखा गया था। परन्तु बिलों की देय राशि के भुगतान न किए जाने के कारण यह टैलीफोन तारीख 13 अक्तूबर, 1972 को बन्द कर दिया गया था। जिन टैलीफोन कनेक्शनों को देय राशि के भुगतान न किए जाने के कारण बन्द किया जाता है उन्हें 3 महीनों के लिए रिजर्व रखा जाता है। इस अवधि के बाद ये नम्बर दूसरे उपभोक्ताओं के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। यह नम्बर 19 फरवरी, 1973 से दूसरे उपभोक्ता को अलाट कर दिया गया था। जिस तारीख से यह नम्बर नए उपभोक्ता को अलाट किया गया था, उस तारीख से इस नम्बर के पहले उपभोक्ता को इस टैलीफोन के कोई बिल नहीं भेजे गए। टैलीफोन नंबर 363953 मूल उपभोक्ता को अलाट करने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं।

(ख) इस संबंध में कार्रवाई नियमानुसार की गई थी।

(ग) इस बारे में स्थिति ऊपर (क) के उत्तर में स्पष्ट कर दी गई है।

(घ) इस मामले पर विचार किया जाएगा और उचित कार्रवाई की जाएगी।

**नहर विभाग के अधिकारियों द्वारा हरियाणा के मुसलमान ग्रामीणों को कथित परेशानी**

**3575. श्री सरोज मुखर्जी** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुड़गांव (हरियाणा) के मेवात क्षेत्र के मुसलमान ग्रामीणों की ओर से सरकार को कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है जिसमें नहर विभाग के अधिकारियों द्वारा उनको परेशान किये जाने का आरोप लगाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

**प्रधान मंत्री, परमाणु उर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी)**: (क) से (ग) एक प्रतिवेदन, जो एक संसद सदस्य को सम्बोधित था और जिस पर, बताया जाता है कि गुड़गांव जिले के मेवात के 19 मुसलमान ग्रामीणों के हस्ताक्षर थे, जो नहर विभाग के कर्मचारी होने का दावा करते थे, पिछले अगस्त में, प्रधान मंत्री जी को उक्त संसद सदस्य द्वारा दिया गया था। इसमें नहर विभाग के एक अधिकारी के विरूद्ध कुछ आरोप थे। यह कहा गया था कि वह नहर के जल को बन्द करके मुस्लिम किसानों की फसलों को नष्ट कर रहें हैं, और उन्होंने सभी मुसलमान कर्मचारियों को सेवा मुक्त कर दिया है। यह प्रतिवेदन हरियाणा सरकार को भेजा गया, जिन्होंने यह सूचित किया कि इस मामले में आवश्यक जांच की गई और यह पाया गया कि इस प्रतिवेदन पर जिन लोगों के हस्ताक्षर थे उनमें केवल दो व्यक्ति नहर विभाग में काम कर रहे थे, और उन दोनों ने भी यह कहा कि उन्होंने विचाराधीन प्रतिवेदन नहीं दिया है। राज्य सरकार ने यह भी कहा है कि थथोचित जांच करने के बाद यह आरोप कि नौकरी के मामले में मुसलमानों के साथ भेदभाव किया जा रहा है, निराधार पाया गया।

**केरल में आलप्पडी आदिवासी खण्ड का विकास**

**3576. श्री ए० के० गोपालन** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल में अल्लप्पडी आदिवासी खण्ड के विकास के लिये केरल सरकार की ओर से कोई योजना मिली है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उक्त योजना के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन)** : (क) जी नहीं, श्रीमान्। कोई विशेष योजना प्राप्त नहीं हुई है। अल्लप्पडी आदिवासी खण्डों का विकास कार्यक्रम स्वीकृत प्रतिमान के अनुसार चल रहा है।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठता।

## केरल में टाइटेनियम उद्योग समह

3577. **श्री ए० के० गोपालन** : क्या **औद्योगिक विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान राजस्व मंत्री श्री बेबी जान, के इस सार्वजनिक वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि जापानी फर्म ने शीघ्र ही केरल में स्थापित किये जाने वाले टाइटेनियम उद्योग समूह में सहयोग करने में अपनी सहमति व्यक्त की है ;

(ख) क्या सरकार को इस मामले में केरल सरकार की कोई रिपोर्ट मिली है ; और

(ग) यदि हां, तो उसकी रूप रेखा क्या ह ?

**औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी)** (क) से (ग) ऐसा समझा जाता है कि टाइटेनियम डाइआक्साइड पिगमेण्ट का उत्पादन करने के लिये झावनकोर टाइटेनियम प्रोड० लि० केरल, जो राज्य सरकार का प्रतिष्ठान है, और कुछ जापानी उद्योगपतियों के बीच विचार विमर्श हुआ है, इस सम्बन्ध में केरल सरकार की ओर से न तो कोई औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और न राजस्व मंत्री श्री बेबी जान के ब्यान की प्रति ही ।

## त्रिचूर रेडियो स्टेशन को पूर्ण रूप से अलग स्टेशन बनाना

3578. **श्री ए० के० गोपालन** :
**श्री सी० जनार्दनन** :

क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार त्रिचूर रेडियो स्टेशन को पूर्ण रूप से अलग स्टेशन बनाने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हा, तो इस बारे में निर्णय कब तक लिया जायेगा ?

**सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री धर्मवीर सिंह)** : (क) तथा (ख) त्रिचूर में एक नियमित केन्द्र स्थापित करने का पहले ही निर्णय हो चुका है । वहां एक नये स्टूडियो केन्द्र का निर्माण कार्य मुकम्मल हो चुका है और आशा है यह चालू वित्तीय वर्ष में चालू हो जायेगा ।

## उड़ीसा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के भूमिहीन व्यक्तियों को आवास स्थल देना

3579. **श्री चिन्ता मणि पाणिग्रही** : क्या गृह यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने सुझाव दिया है कि वर्ष 1973–74 में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के भूमिहीन व्यक्तियों को राज्य एवं केन्द्रीय क्षेत्र में आवास-स्थल दिये-जायें ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे स्थलों की संख्या कितनी है जो अब तक अलाट किये जा चके हैं ?

**गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन)** : (क) और (ख) सचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

## उड़ीसा में टेलीविजन रिसीवरों का उत्पादन

**3580. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **इलैक्ट्रोनिक्स** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रति वर्ष 5000 टैलीविजन रिसीवरों के उत्पादन के बारे में उड़ीसा लघु उद्योग निगम ने अब तक कोई प्रगति की है;

(ख) यदि हां, तो अब तक क्या प्रगति की है ;

(ग) क्या अब तक अपेक्षित उपकरणों का आयात कर लिया गया है ; और

(घ) उत्पादन का कब तक आरम्भ किया जाना निर्धारित किया गया है ?

**प्रधान मंत्री, परमाणु उर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी)** : (क) से (घ) उड़ीसा लघु उद्योग निगम उड़ीसा सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाला सरकारी क्षेत्र उपक्रम है । उड़ीसा सरकार ने जानकारी दी है कि निगम ने 15 दिसम्बर, 1973 तक टेलीविजन सेटों का उत्पादन शुरु करने के प्रबन्ध कर लिए हैं। भुवनेश्वर स्थित औद्योगिक संस्थान में टी० वी० उत्पादन कारखाने के लिये स्थान की व्यवस्था की गयी है । सभी स्वदेशी उपकरणों एवं घटकों को खरीद लिया गया है । विभिन्न पदों के कर्मचारियों को हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स, हैदराबाद में प्रशिक्षिण किया जा रहा है, जो प्रौद्योगिक जानकारी उपलब्ध कर रहा है । परीक्षण उपकरणों के लिये आयातित लाइसेंस प्राप्त हो गये तथा साखपत्र खोले जा चुके हैं । घटकों के लिये आयात लाइसेंस का आवेदन शीघ्र ही प्रस्तुत किया जायगा ; 15 लाख रुपये के बैंक धन की व्यवस्था कर ली गयी है ।

## Pay scales of Hindi Officers and Hindi Translators

**3581. Shri Yamuna Prasad Mandal** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the pay scales and qualifications of Hindi Officers and Hindi Translotors in various offices of the Government of India ;

(b) the number of posts sanctioned for Hind work, department-wise, and the number of posts which have been filled indicating the number of regular and ad-hoc appointments made against them ;

(c) whether regular appointments have not been made against more than half the posts sanctioned for Hindi work; and

(d) if so, the reasons therefor and the steps being taken by the Government to make the appointments regular and to improve their service conditions ?

**The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and in the Department of Personnel (Shri Ram Niwas Mirdha)** : (a) to (d) The required information is being collected and will be laid on the table of the House.

**ग्वालियर के भूतपूर्व शासक की सम्पत्ति का निर्धारण**

3582. **श्री शशि भूषण** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्वालियर के भूतपूर्व शासक के परिवार के सदस्यों की निजी सम्पत्ति के पुन: निर्धारण के कार्य में अब तक क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) सरकार का इस सम्बन्ध में आगे क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख)** भूतपूर्व भारतीय राज्यों के नरेशों की सम्पत्ति का पहले कोई मूल्यांकन नहीं किया गया था। सरकार की सलाह दी गई है कि संविधान (26 वां संशोधन) अधिनियम, 1971 भूतपूर्व नरेशों की निजी सम्पत्ति को प्रभावित नहीं करता है। इसलिए उनकी सम्पत्ति का पुन: मूल्यांकन करने का कोई प्रश्न नहीं है। फिर भी आयकर विभाग सम्पत्ति कर के मूल्यांकन के सम्बन्ध में सामान्य तौर पर भूतपूर्व नरेशों की शुद्ध सम्पत्ति का मूल्यांकन कर रहे हैं।

**हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड द्वारा लिए जाने वाले साबुन के मूल्य**

3583. **श्री एस० एम० बैनर्जी** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि हिन्दुस्तान लीवर लि० सर्फ और साबुन के काफी अधिक मूल्य वसूल कर रहा है क्योंकि ये अन्तर्राष्ट्रीय ब्रान्ड के नाम की चीज बाजार में भेजता है और यदि हां, तो इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ; और

(ख) क्या सरकार को पता है कि कच्चे माल की कमी के परिणामस्वरूप हिन्दुस्तान लीवर लि० सामान्य जनता के उपभोग की वस्तुओं के उत्पादन के स्थान पर केवल लिरिल, पीयर्स और लक्स सुप्रीम जैसे लाभकर अयत्यन्त सुगन्धित साबुन का उत्पादन कर रहा है और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रणाव कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख)** सूचना इकटठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

**कैल्शियम कार्बाइड का मूल्य**

3584. **ौ अवधेश चन्द्र सिंह** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स बिड़ला जूट मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी ने गत साठ महीने में कैल्शियम कार्बाइड के मूल्य में 100 प्रतिशत वृद्धि की है ;

(ख) क्या इसी वस्तु के अन्य निर्माताओं ने, जो देश की औद्योगिक प्रगति के लिए अन्यन्त महत्वपूर्ण है, अभी तक मूल्यों में कोई वृद्धि नहीं की है ;

(ग) इस प्रकार की मुनाफाखोरी पर रोक लगाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(घ) यदि नहीं , तो इसके क्या कारण हैं ?

**औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी)** (क) और (ख) मुख्य रूप से कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि हो जाने के कारण सभी उत्पादकों ने कैल्शियम कार्बाइड की कीमतें बढ़ी दी हैं। सरकार के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार मैसर्स बिड़ला जूट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी द्वारा इस अवधि में की गई मूल्य वृद्धि का प्रतिशत न्यूनतम है और यह लगभग 9 प्रति शत है।

(ग) और (घ) कैल्शियम कार्बाइड के मूल्य एवं वितरण पर कोई भी नियंत्रण नहीं है।

**दिल्ली प्रशासन में कार्यालय अधीक्षक के पद**

3585. **चौधरी दलीप सिंह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली प्रशासन में श्रेणी दो के राजपत्रित पदों (कार्यालय अधीक्षक) की संख्या कितनी है जो स्थगित रखे गये तथा अब तक भरे नहीं गए हैं ;

(ख) दिल्ली प्रशासन में ऐसे रिक्त पदो को न भरने के क्या कारण है और इन पदों के कब तक भरे जाने की आशा है ; और

(ग) ऐसे पदों पर नियुक्ति के लिए क्या मापदंड है ?

**गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन)**: (क) छः

(ख) ये पद प्रशासन में संगठनात्मक परिवर्तनों के कारण स्थगित रख गये थे। जब तक संगठनात्मक परिवर्तन जारी है तब तक पदों को फिर से चालू करने तथा उन्हें भरने का प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इन पदों पर भर्ती दिल्ली प्रशासन अधीनस्थ सेवाएं नियम, 1967 के नियम 6(1) के अनुसार की जाती है।

**त्रिपुरा में ठाकुरचारा के आदिवासियों पर महाजनों द्वारा संगठित गुण्डों के आक्रमण**

3586. **श्री दशरथ देव** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि त्रिपुरा के जुलेवरी क्षेत्र में ठाकुरचारा के आदिवासी गत 2/3 महीनों से महाजनों द्वारा, जिन्होंने आदिवासिओ को जबरन उनकी भूमि से हटा दिया है, एकत्र किए गये गुंडों के आक्रमण के कारण बाजार, विशेषकर जुलाग, बाजार नहीं जा सके ; और

(ख) आदिवासियों को उनकी भूमि वापस दिलाने तथा उनको महाजनों के चुंगल से बचाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

**गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन)**: (क) और (ख) त्रिपुरा सरकार से तथ्य मालूम किये जा रहे हैं।

**Employees in K.G.B. New Delhi**

3587. **Shri Phool Chand Verma** : Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state :

(a) whether all the employees of the Khadi Gramodyog Bhawan, New Delhi have been declared as full-fledged employees by the Khadi and Village Industries Commission; and

(b) if so, whether these employees will now be entitled to get all the pay scale and other facilities provided to other regular employees by the Khadi Commission ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Pranab Kumar Mukherjee)** : (a) and (b) The Khadi and Village Industries Commission has decicded that the staff of Khadi Gamodyog Bhavan, New Delhi, should be treated as regular employees with effect from 1-1-1973. They are entitled to get pay and facilities accordingly.

**Enquiry into the Affairs of K.G.B, New Delhi**

**3588. Shri Phool Dhand Verma :**

**Dr. Laxminarayan Pandeya :**

Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state :

(a) Whether Government propose to constitute an impartial enquiry by taking into consideration the news items about Khadi Gramodyog Bhavan, New Delhi appearing in Hindi Blitz published from Bombay in its issue of the 24th March, 1973 ; and

(b) If so, when the enquiries will be instituted ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Pranab Kumar Mukherjee)** : (a) and (b) On the basis of assurance given by the Minister of Industrial Development in reply to Supplementaries to Lok Sabha Starred Question No. 150 answered on 21-11-73, Khadi and Village Industries Commission has been asked to conduct thorough inquiry into the affairs of Khadi Gramodyog Bhawan, New Delhi.

**Pashmina Scandal in K.G.B., New Delhi**

**3589. Shri Phool Chand Verma** : Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state :

(a) whether a complaint in regard to Kashmiri Pashmina scandal of Khadi Gramodyog Bhawan, New Delhi has been received by Government and Khadi and Village Industries Commission; and

(b) if so, the time by which the action will be completed in the matter ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Ziaur Rahman Ansari)** : (a) Yes, Sir.

(b) The matter was investigated by the Khadi and Village Industries Commission and it was found that the consignment of Kashmiri Pashmina was received and duly accounted for in the accounts of Khadi Gramodyog Bhavan, New Delhi.

**उड़ीसा में कारखानों का बन्द होना**

3590. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि मयूरभंज स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स रायरंगपुर, मयूरभंज ग्लास वर्क्स भारादिही मयूरभंज पाट्रीज कालदिहा, मयूरभंज वनाडिलम फैक्ट्री और मयूरभंज टैक्स्टाइल लिमिटेड, सभी कारखाने बन्द पड़े हैं ; और

(ख) क्या सरकार उड़ीसा के मयूरभंज जिले में इन सभी कारखानों को चालू करने के लिए तुरन्त कोई कदम उठाएगी ?

**औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) :** (क) जी, हां।

(ख) राज्य सरकार द्वारा बताई गई स्थिति इस प्रकार है :

| | |
|---|---|
| 1. मयूरभंज स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स<br>2. मयूरभंज टैक्सटाइल मिल्स कं० लि० | राज्य सरकार इन मिलों को फिर से चलाने के लिए पहले से ही कदम उठा रही है |
| 3. मयूरभंज ग्लास वर्क्स | यह कारखाना समाप्त किया जा रहा है और इसकी परिसम्पतियां नीलाम कर दी गई हैं । |
| 4. मयूरभंज पाटरीज | प्राइवेट पार्टियों द्वारा इस कारखाने को फिर से चलाने के प्रयास किए गये थे, लेकिन कोई भी उपयुक्त पार्टी आगे नहीं आई । |
| 5. मयूरभंज बेनेडियम फैक्टरी | यह फैक्टरी इसके मालिक द्वारा खुद बन्द कर दी गई है और इसकी सम्पत्ति मै० उत्कल कण्टैक्टर्स एण्ड ज्वायनरी प्रा० लि० के हाथ बेंच दी गई है जिन्होंने वहां पर साल का तेल निकालने का एक संयंत्र पहले ही चालू कर दिया है । |

**Instructions to various Departments/Offices to have Minimum Hindi Staff for Implementation of Official Language Act**

3591. **Shri Yamuna Prasad Mandal** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the main points of the instructions given to various Departments/Offices through a circular to have a minimum Hindi staff to speed up the implementation of the Official Language Act; and

(b) the reaction of various Ministries/Departments thereto ?

**The Minister of State in the Ministry of Home Affairs andin the Department of Personnel (Shri Ram Niwas Mirdha)** : (a) & (b) Since the staff strength as also the staff requirements of each Ministry/Office widely differ, it is not practicable to evolve a staffiing pattern which can be applied uniformally to all the Ministries/Departments and their attached/subordinate offices. However, some tentative yardsticks have been under process of finalisation in consultation with the Ministries/Departments for providing the minimum Hindi staff in each Ministry/Department/Office after taking into consideration financial implications.

## प्रश्नों की ग्राह्यता के बारे में प्रक्रिया

## Re. Admissibility of Question

**Shri Madhu Limaye (Banka)** : My point of order pertains to the question hour. During this session, I wanted replies to three questions relating to Ministries of Defence and Foreign Affairs. without assigning any reasonw I have been informed that may questions will not be admitted. This is question of privileges of the house as these questions pertain to the defence matters.

**अध्यक्ष महोदय** : इसके लिये यह उचित समय नहीं है ।

**श्री श्यामनंदन मिश्र (बेगुसराय)** : हमें भी इस बारे में शिकायतें हैं । मैंने पहले भी लगभग साठ सत्तर प्रश्न दिये हैं लेकिन कोई भी प्रश्न, प्रश्न सूची में नज़र नहीं आया । इसके क्या कारण हैं ? मेरे विचार में सरकार प्रश्नों को स्वीकार नहीं होने देती ।

**अध्यक्ष महोदय** : मैं आश्वासन देता हूं कि सरकार इसमें कोई बाधा नहीं डालती ।

**Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior)** : Reasons for not admitting the questions, should be given to us.

**अध्यक्ष महोदय** : हम हजारों प्रश्न प्राप्त करते हैं जिन पर सचिवालय कार्यवाही करता है (व्यवधान) यह कोई तरीका नहीं है । मुझे खेद है । ऐसा कभी नहीं हुआ ।

**श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर)** : आपने महासचिव का नाम लिया है । वे सदन के सदस्य नहीं हैं । अतः उनका नाम सभा के कार्यवाही वृतान्न से निकाल दिया जाय ।

**अध्यक्ष महोदय** : श्री मधु लिमये आपका मिजाईल 'साम' सम्बन्धी प्रश्न कल के लिये निश्चित किया गया है ।

**Shri Madhu Limaye** : It has been done after my protest.

**श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर)** : कुछ वर्ष पहले हमें प्रश्न स्वीकार न किये जाने के कारण सूचित किये जाते थे लेकिन अब केवल इतना ही कहा जाता है कि आपका प्रश्न स्वीकार नहीं किया जा सकता । हमें कारण बताया जाना चाहिये ताकि हम भविष्य में ध्यान रख सकें कि किन किन कारणों से प्रश्न स्वीकृत नहीं किये जाते ।

**अध्यक्ष महोदय** : मैं इस पर विचार करूंगा ।

**प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर)** : प्रश्न देने की अंतिम तिथि समाप्त होने के बाद सदस्यगण अल्पसूचना प्रश्न देते हैं जिन्हें सम्बन्धित मंत्रालय स्वीकार नहीं करते ।

**अध्यक्ष महोदय** : अल्पसूचना प्रश्नों को मंत्री स्वीकार करते हैं । मेरा इससे कोई सम्बन्ध नहीं है ।

**श्री ज्योतिर्मय बसु** : देश की समस्यायें कुछ वर्ष पहले की अपेक्षा बढ़ती जा रही हैं । इसके बावजूद भी प्रश्नों की संख्या घटती जा रही है । मुझे पूरी जानकारी है कि सरकार की ओर से दबाव पड़ता है कि प्रश्न स्वीकार न किये जायें । ऐसा दबाव प्रायः प्रधानमंत्री सचिवालय से पड़ता है । मैं कितने अल्पसूचना प्रश्न देता हूं और कितने स्वीकार किये जाते हैं । स्थिति बहुत गम्भीर है ।

**संसदीय कर्म मंत्री (श्री के रघुरामैंटया)** : मैं इस आरोप का खंडन करता हूं कि सरकार किसी प्रकार का दबाव डालती है ।

**Shri S. M. Banerjee (Kanpur)** : Previously we use to send unlimited number of questions but now we can not table more than five questions daily. No reasons for the rejection of questions are given. I am not saying all this by way of complaint. . . .(Interruption)

**Shri Hukam Chand Kachwai** : No reason for the rejection of question is intimated. The number of question to be tabled daily should be increased from five to ten.

**Mr. Speaker** : Each question costs from Rs. two to four thousand and you say that the number oof question should be increased.

**श्री समर गुह (कंलई)** : पाकिस्तान में रहने वाले भारतीय नागरिकों को अनुग्रहपूर्वक भुगतान के सम्बन्ध में मैंने जो प्रश्न दिया था उसे बिना कारण बताये अस्वीकार कर दिया गया है । अब मैं क्या करूं :

**अध्यक्ष महोदय** : आप कृपया बैठ जायें ।

**श्री समर गुह** : मैं श्री लिमिये की इस बात से सहमत हूं कि सचिवालय पर दबाव पड़ता है ।

**अध्यक्ष महोदय** : मेरे विचार में यह ठीक नहीं है ।

**श्री समर गुह** : मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस पर विचार करके देखें कि इस मामले में क्या किया जा सकता है ।

**अध्यक्ष महोदय** : कुछ प्रश्नों के बारे में महासचिव, अध्यक्ष से विचार विमर्श करते है लेकिन बहुत कम । अस्वीकार होने के कारण पहले बताये जाते थे लेकिन मुझे आश्चर्य है कि अब क्यों नहीं बताये जाते ।

मैं इस मामले को नियम समिति के सामने लाऊंगा जहां माननीय सदस्य भी अपनी बात रखें और सचिवालय भी अपनी बात रखेगा ।

यह कहना अनुचित है कि सचिवालय पर दबाव पड़ता है । ऐसे आरोप लगाने से तो सचिवालय का काम करना मुश्किल हो जायेगा ।

माननीय सदस्य नियम समिति में उदाहरण रख सकते हैं । इस समिति की बैठक में मैं स्वयं भी भाग लूंगा ।

बैठक में यदि यह पता लगे कि दबाब डाला गया तो मैं तत्काल ही अधिकारी को मुअत्तल कर दूगा ।

**श्री एस एम बनर्जी** : मैंने काम का दबाव कहा था । सचिवालय पर मैंने कोई भी आक्षेप नहीं किये थे ।

**श्री समर गुह** : मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि उन्होंने दबाव में आकर काम किया है।

**अध्यक्ष महोदय** : यह कार्यालय अन्य कार्यालयों की तरह नहीं है। यह माननीय सदस्यों का अपना कार्यालय है। इस प्रकार की टिप्पणियां नहीं की जानी चाहिये।

यदि मंत्री महोदय अल्प सूचना प्रश्नों को स्वीकार नहीं करते तो मैं ध्यानाकर्षण प्रस्ताव तथा नियम 377 के अधीन सूचना स्वीकार करता हूं। इस प्रकार और भी सैकड़ों तरीके हैं।

**श्री श्याम नंदन मिश्र** : क्या आप अल्प सूचना प्रश्नों के बारे में एक समिति का गठन करेंगे जो आप को इस बात का परामर्श दे कि क्या मंत्री महोदय द्वारा प्रश्न को अस्वीकार करना उचित था।

**अध्यक्ष यहोदय** : इस मामले को भी मैं नियम समिति के सामने रखूंगा।

**श्री श्याम नंदन मिश्र** : नियम समिति के कार्य भिन्न हैं।

**अध्यक्ष महोदय** : इस बात के लिये कोई समिति नहीं हो सकती कि मंत्री ने अपनी स्वेच्छा का उपयोग क्यों नहीं किया। नियम के अनुसार इसे स्वीकार करना मंत्री की स्वेच्छा पर निर्भर करता है। हम इस मामले में क्या कर सकते है।

**श्री ज्योतिमय बसु** : आप ऐसे प्रश्न को तारांकित प्रश्नों के बीच पहले नम्बर पर रख सकते हैं

**अध्यक्ष महोदय** : कुछ मामलों में मैं ऐसा करता आया हूं।

---

**विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में**
**Re Question of Privilege**

**श्री ज्योतिर्मय बसु** : कुछ महीने पहले मैंने श्री के० आर० गणेश के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव की सूचना दी थी। यह एक गम्भीर मामला है। मंत्री महोदय ने जानबूझकर झूठ बोला और सदन को गुमराह किया। मुझे बताया गया कि फाइल लोक लेखा समिति के पास है। इस फाइल को मैं आज देखुंगा और मैं इस प्रश्न को कल उठाना चाहूंगा।

**अध्यक्ष महोदय** : फाइल इनके पास है और ये वापिस नहीं कर रहे।

**श्री ज्योतिर्मय बसु** : फाइल का विशेषाधिकार प्रस्ताव से कोई सम्बन्ध नहीं है। मैंने दस्तावेज के उद्धृत कर दिया है।

**अध्यक्ष महोदय** : फाइल इनके पास है और फिर भी ये कह रहे हैं कि मैं उस बारे में रूलिंग हूं।

**श्री ज्योतिर्मय बसु** : मैं यह कह रहा हूं कि जो कुछ श्री गणेष ने कहा वह एक दम असत्य था तथा सदन को गुमराह किया गया। मैं फाइल को देखने के बाद आज ही आपको वापिस कर दुंगा और इस प्रश्न को कल उठाऊंगा।

**अध्यक्ष महोदय** : साधारणत: समितियों के सभापति भूतपूर्व समितियों का सभा पर समर्थन करते हैं लेकिन इस मामले में एक सभापति इस परम्परा के विपरित ही कार्य कर रहे हैं।

**श्री ज्योतिर्मय बसु :** मैं जो कुछ करता हूं सचाई के लिये करता हूं । मैं किसी को नहीं बचाता, अपने को भी नहीं ।

**अध्यक्ष महोदय :** फाइल इनके पास है । किसी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जाय, मैं नहीं जानता । मैं इसे स्वयं देखूंगा और इन्हें बताउंगा कि क्या किया जा सकता है ।

## राज्य सभा से सन्देश
## Message from Rajya Sabha

**महासचिव :** मैं राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना देता हूं :–

(एक) कि राज्य सभा 3 दिसम्बर, 1973 की अपनी बैठक में प्रेस परिषद (संशोधन) विधेयक, 1973 से जो लोक सभा द्वारा 27 नवम्बर, 1973 को पास किया गया था, बिना किसी संशोधन के सहमत हो गयी है ।

(दो) कि राज्य सभा 4 दिसम्बर, 1973 की अपनी बैठक में भारतीय रेल (दूसरा संशोधन) विधेयक, 1973 से, जो लोक सभा द्वारा 29 नवम्बर, 1973 को पास किया गया था, बिना किसी संशोधन के सहमत हो गयी है ।

## गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन
## Committee on Private Members Bills and Resolutions

### 34वां प्रतिवेदन

**श्री जी० जी० स्वैल (स्वायतशाली जिले)** मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का 34वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं :

## नियम 377 के अन्तर्गत मामले
## Matters under Rule (377)

### कन्टाई पश्चिम बंगाल के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रो में अपर्याप्त राहत ऊपाय

**Shri B. S. Bhaura (Bhatinda) :** I have been sending notices under rule 377 on important issues for the last 1½ weeks but no chance has been given to me.

**Mr. Speaker :** If there is no strong case it cannot come even after writing continuously for ten days. It can come in case there is some relevancy. One of your notice has been fixed for day after tomorrow.

**श्री समर गुह (कन्टाई) :** पश्चिमी बंगाल में बाढ़ की स्थिति का उल्लेख श्रीमती माया राय के किये जाने पर मैं चिन्तित हो गया था क्योंकि उस दिन मुझे मेरे निर्वाचन क्षेत्र से एक पत्र मिला था जिसमें 150 लोगों के भूख से मरने की खबर दी गई थी । बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में भुखमरी व्याप्त है । वहां अनाज उपलब्ध नहीं है और 'गिरियाशाक' नामक घास जिसे पशु भी नहीं खाते,भी 30 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से बिक रही है । कन्टाई का क्षेत्र बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित है । इस वर्ष वहां सरकारी आंकड़ों के अनुसार सात लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं ; 30,000 मकान गिर गये हैं ; 65 प्रतिशत फसलें नष्ट हो गई है । वहां उचित मूल्यों की दुकानों पर राशन उपलब्ध नहीं है । गत तीन महीनों में वहां सात लाख लोगों को केवल 1500 क्विन्टल गेहूं बांटा गया है जो प्रति औसतन 20 ग्राम बैठता है यह राहत कार्य के रूप में किया जा रहा है । कन्टाई के क्षेत्र से 20,000 मन चावल की वसूली की गई

और वह खाद्य निगम के गोदामों में पडा सड़ रहा है । इसे इसी क्षेत्र में क्यों नहीं बांटा जाता । सरकार चावल के निर्यात पर विचार कर रही है जबकि अपने देश में लोग भूख से मर रहे हैं । इस बारे में मैंने राज्य के मुख्य मंत्री को कई पत्र लिखे और मैं कई मंत्रियों से मिला । लगभग 10,000 लोगों ने शान्तिपूर्वक सत्याग्रह किये, किन्तु इस सब पर कोई अनुकूल प्रतिक्रिया सरकार की ओर से न दिखाई दी ।

**अध्यक्ष महोदय :** नियम 377 के अन्तर्गत सदस्य को दो या तीन मिनट से अधिक समय नहीं लेना चाहिये । आप भी अधिक समय न लें ।

**श्री समर गुह :** मिदनापुर और कन्टाई क्षेत्र को जो केन्द्रीय दल भेजा गया था, उसने क्या रिपोर्ट दी है । सरकार क्या राहत-उपाय अपनाने जा रही है । बाढ़ नियंत्रण के लिए सरकार की क्या योजनाएं हैं ?

**विद्युत और सिंचाई मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त ) :** मैं माननीय सदस्य के कुछ प्रश्नों का उत्तर दूंगा । जहां तक केन्द्रीय दल द्वारा की गई सिफारिशों का सम्बन्ध है उसने 271.6 लाख रुपये का अनुदान और 1,000 लाख रुपये का ऋण की सिफारिश की है । पूरे पश्चिम बंगाल के लिये 10,02,72,000 रुपये की अधिकतम सीमा रखी है । केन्द्र 200 लाख रुपये दे चुका है और कृषि मंत्रालय की ओर से उर्वरकों बीजों और कीटनाशी दवाओं के लिये लगभग 325 लाख रुपये राज्य को दे चुका है । जैसे जैसे यह राशि संतोषजनक ढंग से खर्च की जायेगी वैसे वैसे केन्द्रीय सरकार और राशि राज्य को देता जायेगा । जहां तक मिदानापुर के लिये बाढ़ नियंत्रण योजनाओं का सम्बन्ध है, वहां कन्टाई बोसिन जल-निस्सारण योजना पूरी हो चुकी है । दुलड़ा बेसिन ड्रेनेज और कालिएज बेसिन स्कीम पूरी की जा रही है । राज्य सरकार का प्रस्ताव इन योजनाओं को पांचवी पंचवर्षीय योजना में पूरी करने का है ।

**श्री एस० एम० बैनर्जी :** (कानपुर) समाचार पत्रों के अनुसार बातचीत चल रही है । एयर इंडिया के कर्मचारी भी हड़ताल में शामिल हो गये हैं । कर्मचारियों और यात्रियों दोनों को ही कठिनाइयों का समाना करना पड़ रहा है । सरकार इस बारे में क्या करने जा रही है । पर्यटन और नागर विमानन मंत्री इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें । आप इस विषय पर हमारा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव स्वीकार कर लें या यह मामला अन्य प्रकार से उठाने की अनुमति दें ।

**अध्यक्ष महोदय :** मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा । नियम 377 का प्रयोग अधिकार के रूप में नहीं किया जा सकता ( श्री के० गोपाल ) ।

**भारतीय राष्ट्रीय छात्र (नेशनल स्टूडैंन्स यूनियन आफ इंडिया) की मांगे**

**श्री के० गोपाल** ( करुर) : श्रीमान् भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ (नेशनल स्टूडैंट्स यूनियन आफ इंडिया) का बम्बई में 10 जुलाई को एक सम्मेलन हुआ था जिसमें छात्रों ने सरकार से कई मांगे की थीं जैसे देश में शिक्षा में सुधार शिक्षा के लिये प्रस्तावित परिव्यय में कटौती न किया जाना, शिक्षकों के वेतनमानों में सुधार आदि । मैं इन मांगों के प्रति सरकार की प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं क्योंकि आज छात्र संसद और राज्य विधान मंडल के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं।

**शिक्षा समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरूल हसन)** : मुझे आज प्रातः राष्ट्रीय छात्र संघ का ज्ञापन मिला है। उनकी अधिकतर मागें शिक्षा के ढाचे में आमूल परिवर्तन करने के बारे में हैं। सभा को पता है कि सरकार स्वयं पांचवी योजना में शिक्षा में परिवर्तन करना चाहती है और ऐसा केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड तथा केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड की स्थायी समिति की सिफारिशों के अनुसार किया जाएगा। शिक्षा के लिए नियतन के बारे में सभा ध्यान रखेगी क्योंकि उसका निर्णय सभा द्वारा किया जाता है।

## बोनस संदाय (दूसरा संशोधन) विधेयक

## PAYMENT OF BONUS (SECOND AMENDMENT) BILL

**श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी)** : श्रीमान् मैं प्रस्ताव करता हूं : "कि बोनस संदाय अधिनियम 1965 में और आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार किया जाये।"

बोनस संदाय अधिनियम 1965 में सितम्बर, 1973 में इस आशय का संशोधन किया गया था कि वर्ष 1972 से श्रमिकों को उनके वेतन या मजूरी का 8 $\frac{1}{3}$ प्रतिशत न्यूनतम बोनस दिया जाये और कुछ मामलों में बोनस की राशि का एक अंश श्रमिकों या कर्मचारियों के भविष्य निधि के खातों में जमा करा दिया जाये। बाद में श्रमिकों से इस आशय के अभ्यावेदन मिले कि उन्हें पूरा बोनस दिया जाये। सरकार ने उनका यह अनुरोध स्वीकार कर लिया है और उसी आशय का संशोधनकारी विधेयक अब सभा के सामने है। चूंकि यह विधेयक विवादस्पद नहीं है, इसलिए मैं सभा से अनुरोध करता हूं कि यह बिना लम्बी चर्चा के ही पारित कर दिया जाये।

**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया :

> "कि बोनस संदाय अधिनियम 1965 में और आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार किया जाये।"

***श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर** (औसग्राम) : श्रीमन् मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। परन्तु साथ ही सरकार से कहना चाहता हूं कि उसने सदस्यों का इस आशय का सुझाव उसी समय क्यों नहीं मान लिया था जब मूल अधिनियम में न्यूनतम बोनस 8.33 प्रतिशत देने का संशोधन किया जा रहा था। साथ ही मेरा सुझाव है कि डनलप, सिएट आदि विदेशी कम्पनियों को जो अत्याधिक लाभ कमा रही हैं 20 प्रतिशत बोनस देने के लिये बाध्य किया जाये। हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के रांची स्थित कर्मचारियों को 11.67 प्रतिशत बोनस दिया जा रहा है अन्यत्र उसके साथियों को कम दिया जा रहा है। यह भेदभाव क्यों किया जा रहा है ? दुर्गापुर में इस्पात संयंत्र के कर्मचारियों को बोनस दिया जा रहा है परन्तु आशुद्ध कारखानों और रेलवे के कर्मचारियों को बोनस नहीं दिया जाता। उन्हें भी बोनस का लाभ प्राप्त होना चाहिये। बोनस के श्रमिकों की 'स्थगित मजूरी' (डैफर्ड वेज) के रूप में लिया जाना चाहिये। बढ़ते मूल्यों से श्रमिकों की मजूरी को और अधिक कम नहीं होने देना चाहिये क्योंकि मजदूरों को उनके परिश्रम

*बंगला में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

*Summarised translated version based on English translation of the Speech delivered in Bengli.

की तुलना में मजूरी कम मिलती है । अन्त में मेरा अनुरोध है कि सरकार इस आशय का एक बृहद विधेयक लाये ।

**श्री राजा कुलकर्णी** (बम्बई उत्तर-पूर्व) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन-विधेयक का समर्थन करता हूं । गत सितम्बर में भी हमने ऐसी ही व्यवस्था की मांग की थी कि श्रमिकों को पूरा बोनस नकद मिले साथ ही मेरा अनुरोध है कि जिन श्रमिकों का बोनस भविष्य निधि में जमा कर दिया गया हो, उन्हें वह राशि शीघ्र ही लौटा दी जाये । मैं यह भी स्प ट करना चाहता हूं कि श्रमिक संघ बचत का विरोध नहीं करते और उनकी ओर से मांग की गई कि भविष्य निधि की राशि $6\frac{1}{4}$ प्रतिशत से बढ़ाकर 8 प्रतिशत काटी जाये और अब यह मांग की जा रही है कि यह 8 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत कर दी जाये । परन्तु मेरा सुझाव है कि बोनस और भविष्य निधि के मामलों को अलग-अलग रखा जाये । दूसरे, बोनस के मामले को मालिकों की लाभ वितरण सम्बन्धी योजनाओं के फंदे से मुक्त रखा जाये । इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं ।

**इसके पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2 बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई ।**
**The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock**

**लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात 2 बजकर 4 मिनट म० प० पर पुनः समवेत हुई ।**
**The Lok Sabha reassembled after Lunch at four minutes past Fourteen of the Clock**

**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
**Mr. Dy. Speaker in the chair**

**श्री एस० एम० बनर्जी** (कानपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । श्री कुलकर्णी ने कहा है कि श्रमिक बचत करना चाहते हैं किन्तु महंगाई के कारण वे बचत कर नहीं सकते । यह हर्ष की बात है कि इस विधेयक में यह बात मान ली गई है जिसकी मांग सदस्यों ने पहले की थी । इस विधेयक के पारित हो जाने पर श्रमिकों को बोनस नकद मिला करेगा । किन्तु विधेयक में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि श्रमिकों को बोनस 30 दिन या 60 दिन की अवधि में दिया जाना चाहिये । अब श्रमिक बोनस को 'स्थगित मजूरी' ही मानते हैं । उनके नारे के अनुसार बोनस तेरहवें महीने की मंजूरी है जो बारह महीनों के लिए दी जाती है ।

जब केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को बोनस देने का प्रश्न सभा में उठाया गया था तो तत्कालीन श्रम मंत्री श्री खाडिलकर ने यह कहा था कि यह सम्पूर्ण मामला वेतन आयोग के विचाराधीन है । किन्तु वेतन आयोग के निर्देश-पदों में इस प्रश्न को शामिल नहीं किया गया और परिणामतः वेतन आयोग के प्रतिवेदन में इसका उल्लेख नहीं किया गया । मेरी समझ में यह नहीं आता कि केन्द्रीय सरकार अपने अधिकांश कर्मचारियों को बोनस से वंचित क्यों रखना चाहती है । जब एच० एस० एल०, एस० ई० सी० और एच० ए० एल० जैसे सरकारी उपक्रमों में कर्मचारियों को बोनस दिया जा रहा है तो सरकार के अन्य कर्मचारियों को बोनस क्यों नहीं दिया जाता । यह तर्क देना कि उनकी संख्या अधिक है, गलत है । सरकार के बेकरी के कारखाने में कर्मचारियों को बोनस दिया जाता है और रक्षा का सामान तथा टैंक आदि बनाने वाले या रेल के इंजिन बनाने वालों को बोनस नहीं दिया जाता । ऐसा क्यों है ? रक्षा संस्थानों में जो लोग ब्रेनगन अथवा अन्य आधुनिक हथियार बनाते ह, वे लोग इसके अधिकारी नहीं हैं । इन कर्मचारियों को बोनस लाभ से वंचित रखने का क्या औचित्य है ?

कर्मचारियों का प्रत्येक संघ उस दिन की प्रतीक्षा कर रहा है जब बोनस पुनरीक्षण समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जायेगा। यदि बोनस पुनरीक्षण समिति केन्द्रीय कर्मचारियों को सम्मिलित नहीं करती तो मुझे भय है कि प्रधान मंत्री वित्तमंत्री के निरन्तर अनुरोध करने पर भी केन्द्रीय कर्मचारी कठोर कदम उठाने के लिये विवश हो जायेंगे और तब बोनस के मामले पर देश व्यापी हड़ताल हो सकती है। श्रम मंत्री स्थिति की गम्भीरता को समझ कर उसके अनुकूल कार्य करें।

मंत्री महोदय को इस बात का अभी उत्तर देना चाहिये कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के बोनस के मामले में उनकी एक वास्तविक मांग की उपेक्षा नहीं की जायेगी।

देशपर्यन्त बीमा कर्मचारी बोनस के लिये झगड़ रहे हैं। 1972-73 में उन्हें 10 प्रतिशत बोनस दिया गया जबकि न्यूनतम बोनस 4 प्रतिशत था। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह मामले पर ध्यान दें क्योंकि जीवन बीमा निगम उनकी इस मांग को स्वीकार नहीं करता है। बीमा कर्मचारियों को अनुग्रह पूर्वक अतिरिक्त बोनस दिया जाना चाहिये।

**Shri Ram Singh Bhai Verma** (Indore) : In this connection I would like to suggest that whatever rules are made should be practicable so that both the parties may implement them. 8·33 per cent bonus, I don't think, has got anything to do with production profit. That has become a part of salary. Employer will have to pay atleast this much. Then why it is not included in the salary. I would like the hon. Minister to look into the matter will all seriousness.

There are certain companies which are making enormous profits But the employees of these Companies are not being paid accordingly. For example, a Company with their share capital of Rs. 7 crores earned a profit to the extent of Rs. 6 crores 67 lakh, which means profit equal to their share capital. There is no limit to profits and even then employees are paid not more than 8·33 per cent. Therefore, I would like to request that the prescribed amount for minimum bonus should be included in the salary and a new bonus formule on profit sharing basis should be evolved.

**Shri Hukam Chand Kachwai** (Morena) : Sir, today working class in all the Sectors are suffering from the unprecedented price rise. The bonus rate should be increased from 8·33 per cent to 12·5 percent. It will be a step for providing relief to the working class.

Employees working in Post & Telegraph, Defence Production, Railway and Agriculture should be entitled to bonus profits. These departments are good resources to governments revenue. I fail to understand as to why the emloyees working in these departments are deprived of bonus profits. All the unions have demanded bonus profits and I think all the members of the House agree to this demand.

The maximum limit for bonus is 20 per cent. This limit should be done away with and the amount of bonus should be calculated according to the profits. Employees of each factory or industry should be entitled to bonus since their services are started.

Bonus review committee is going to submit their report. The Government in consultations with the representatives of Trade Unions should take decision at their earliest.

**श्री सी० एम० स्टीफन** (मुवलुपुजा): यह एक छोटा विधेयक है और इसका उद्देश्य सीमित है। 1972 में एक संशोधन विधेयक इस सदन में पेश किया गया तथा पारित किया गया, जिसमें 8.33 प्रतिशत बोनस और भविष्य निधि में जमा करने की व्यवस्था थी। विभिन्न कार्मिक संघों ने देश भर में आन्दोलन किये जिनमें मांग की कि भविष्य निधि में राशि जमा करने सम्बन्धी उपबन्ध अनुचित हैं और इन्हें वापस लिया जाना चाहिये। किन्तु मंत्री महोदय ने उन परिस्थितियों को स्वीकार नहीं किया और विधेयक पारित हो गया था। यह अखिल भारतीय आन्दोलन के लिये संकेत था और राष्ट्रीय कार्मिक एकत्र हो गये तथा मूल्य विरोधी दिवस मनाया इसके पश्चात यह विधेयक सदन में प्रस्तुत किया गया है और इसके लिये मैं श्रम मंत्री द्वारा किये गये प्रयासों की सराहना करता हूं।

इस प्रकार के विधेयक पारित करने से पूर्व यह बात ध्यान में रखी जानी चाहिये कि इन कानूनों के क्या परिणाम निकलेंगे। सरकार ने यह स्वीकार करके कार्य किया कि श्रमिक संतुष्ट हैं और इसलिये उन्हें मिलने वाले अतिरिक्त धन में से वे कुछ बचा सकते हैं। केवल मूल्य वृद्धि के कारण श्रमिकों से यह कहना कि उन्हें अनिवार्य रूप से इतनी राशि बचानी होगी, उनके साथ अत्याचार करना है।

बढ़ती हुई मंहगाई से सबसे अधिक कर्मचारी वर्ग प्रभावित होता है। इससे पूर्व हमें गैर सरकारी नियोक्ताओं का ही सामाना करना पड़ता था किन्तु अब सरकार नियोक्ता की भूमिका निभाना चाहती है और प्रतीत होता है कि गैर सरकारी नियोक्ता सरकार को अपना सहयोगी मान रहे हैं। अब वे दोनों मिलकर मज़दूरों के विरुद्ध संयुक्त मोर्चा बना रहे हैं। इस से वर्ग संघर्ष के द्वारा गैर सरकारी नियोक्ताओं से मजदूरों को जो लाभ होता है वे अब उससे भी वंचित किये जा रहें हैं। जब तक सरकार यह बात नहीं मानती कि मजदूर ही देश की सम्पदा का उत्पादक है तब तक राष्ट्रीयकरण अथवा समाजीकरण का कोई उद्देश्य ही नहीं। जो कार्य बहुत पहले ही किया जाना था बहुत विलम्ब से किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में कुछ स्पष्ट नहीं है। 1971-72 में भविष्य निधि में जमा की गयीं राशियों का क्या होगा? भविष्य निधि आयुक्त को बोनस अधिनियम के अन्तर्गत भविष्यनिधि में शेष राशि जमा न करने वाले लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करने का कोई अधिकार नहीं है। भविष्य निधि अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार राशि न जमा कराने की स्थति में ही उन के विरुद्ध कार्यवाही करना सम्भव है। इसलिये, यदि बोनस अधिनियम के अनुसार राशि जमा नहीं करायी गई है तो भविष्य निधि आयुक्त को दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का कोई अधिकार नहीं है। अतः श्रम मंत्रालय द्वारा इस सम्बन्ध में भलीभांति जांच की जानी चाहिये कि भविष्य निधि में वस्तुतः कितनी राशि जमा कराई गई है। मंत्री महोदय को एक और संशोधन विधेयक लाना चाहिये ताकि नियोक्ताओं से राशि वसूल करने, जिसका कि उन्होंने गोलमाल किया है, हेतु उनके विरुद्ध कार्यवाही की जा सके।

***श्री सी० के० चिन्ताराजी** (तिरूपलूर): इस संशोधन विधेयक से पहले भविष्य निधि में जमा कराई जाने वाली राशि के नकद भुगतान की व्यवस्था की गई है इस साधारण और छोटे विधेयक से पता चलता है कि सरकार समस्याओं को समाप्त किये बिना ही इस को बाहर से ही दबाने

*तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रुपान्तर।

*Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Tamil.

में रुचि रखती है। सरकार कर्मचारियों की मूल समस्याओं को सुलझाने में रुचि रखती नहीं प्रतीत होती है। बोनस पुनरीक्षण समिति का प्रतिवेदन दिसम्बर 1973 में प्राप्त हो जाने की आशा है। देश का मजदूर वर्ग बड़ी उत्कण्ठा से समिति की सिफारिशों की प्रतीक्षा कर रहा है। एक बिषद विधेयक लाया जाना चाहिये जिसमें बोनस पुनरीक्षण समिति की सिफारिशें भी सम्मिलित हों। जब तक बोनस को अस्थगित वेतन नहीं माना जायेगा बोनस की समस्याओं का कोई मूर्त समाधान नहीं होगा पता नहीं रेलवे श्रमिकों को बोनस से क्यों वंचित रखा जा रहा है।

यह विधेयक इसलिये लाया गया है कि श्रमिकों को बोनस की राशि उनकी भविष्य निधि में जमा कराई जाने के बजाय नकद मिले। श्रमिकों के लिये न्यूनतम बोनस 8.33 प्रतिशत कानूनी रूप से निर्धारित किया गया है। न्यूनतम बोनस को बढ़ाकर 12 प्रतिशत करने की मांग की गई है। इस मांग को स्वीकार करना हर प्रकार से विशेषकर मूल्य स्थिर करने की दृष्टि से उचित है। मंत्री महोदय को उनकी मांग स्वीकार करनी चाहिये और न्यूनतम बोनस की दर 8.33 से बढ़ाकर 12 प्रतिशत कर दी जानी चाहिये।

इस विधेयक के अनुसार श्रमिक बोनस की राशि के नकद भुगतान के हकदार हो जायेगें और इस सदन के सभी सदस्यों ने इसका स्वागत किया है। अत: तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों की क्रियान्विति के परिणामस्वरूप केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को बकाया देय राशि का इसी सादृश्य के आधार पर नकद भुगतान किया जाना चाहिये कि श्रमिकों को देय बोनस का नकद भुगतान किया जाना चाहिये। केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को देय बकाया राशि उनकी भविष्य निधि में जमा करने सम्बन्धी प्रस्ताव पर विचार करने का कोई औचित्य नहीं है ?

**Shri Damodar Pandey** (Hazaribagh) : Though it is belated yet a welcome measure that the hon. Minister has introduced this Bill now. Last time when the bonus bill was being considered, everybody in this House raised his voice to the fact that the payment of bonus should be made in Cash. But the demand was not accepted and consequently there were agitations throughout the Country.

The Government should adopt a clearest and a uniform policy regarding the payment of bonus. The payment of bonus is being made at present without adopting any uniform or accepted yardstick.

Bonus should be included in the wages. It should be treated as a part of wages and its payment should be made as wages are paid. The Government should also make a provision that the bonus will be calculated on profit share basis in those units which are running in profits. The hon. Minister should look into it.

**प्रो० मधु दंडवते** (राजापुर) : मैं इस बात से सहमत हूं कि इस विधेयक का उद्देश्य बहुत ही सीमित है।

सभी केन्द्रीय श्रमिक संगठनों तथा पक्ष, विपक्ष दोनों ओर के सदस्यों ने इस बात पर जोर दिया था कि भविष्य निधि में जमा कराई जाने वाली बोनस की न्यूनतम राशि में संशोधन किया जाये और मैं मंत्री महोदय द्वारा इसको स्वीकार करने की बात के लिये उनका स्वागत करता हूं। हम यह चाहते

हैं कि देश में बचत की राशि में वृद्धि हो फिर भी हम यह महसूस करते हैं कि श्रमिकों और कृषकों को प्रोत्साहन देने और अच्छी खासी बचत करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि किसी न किसी तरह प्रोत्साहन दिया जाये । आज वर्तमान मजदूरी तथा जीवन निर्वाह के लिये आवश्यक मजदूरी जो 25 प्रतिशत का अन्तर है यदि उसे कम कर दिया जाये तो यह अच्छा प्रोत्साहन होगा । एक बार मजदूरी में वृद्धि कर दी जाये और जीवन निर्वाह के लिये आवश्यक मजदूरी तथा वर्तमान मजदूरी के अन्तर को समाप्त कर दिया जाये और आस्थगित वेतन के सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया जाये तो यह अच्छा प्रोत्साहन होगा ।

इस सम्बन्ध में मैं एक सुझाव देना चाहता हूं और आशा करता हूं कि मंत्री महोदय इसे स्वीकार करेंगे । विधेयक को क्रियान्वित करने की अवधि के सम्बन्ध में मज़दूर संघों की मांग का कोई संदर्भ नहीं दिया गया है । मेरा सुझाव है कि जिस दिन से विधेयक अधिनियम का रूप लेता है उस समय से दो महीने के अन्दर भूतकाल में जो राशि भविष्य निधि में जमा कराई गई है उसका भुगतान होना चाहिये बोनस दिए जाने के सम्बन्ध में कर्मचारी वर्ग में भेद नहीं किया जाना चाहिये । मेरा तात्पर्य, विशेषकर, रेलवे तथा रक्षा कर्मचारियों से है । रेलवे देश का अत्यन्त महत्वपूर्ण उद्योग है । बोनस लाभ की सुविधा रेलवे कर्मचारियों को भी दी जानी चाहिये । ऐसा करने से रेलवे विकास को प्रोत्साहन मिलेगा । इसे स्वीकार किया जाना चाहिये ।

यदि मंजूरी के पुनरीक्षण के बारे में कोई व्यापक विधेयक लाया जाये तो यह अधिक स्वागत योग्य होगा और यह कदम अधिक प्रोत्साहन देगा । मंत्री महोदय को मेरे इन सुझावों पर विचार करना चाहिए ।

**Shri Ram Narain Sharma** (Dhanbad) : There was a lacuna in the original Bill which is sought to be removed by this Amending bill. The work of the Bonus Review committee should be expedited and this bonus of 8·33 per cent should be treated as wages. When this has to be paid irrespective of profit or loss to a concern there should not be any hitch in treating it a wage.

Bonus is given to a worker so that he have a sense of participation but if employers want to keep it at a minimum that sense of participations vanishes in the workers. Therefore, in the event of more profit to a concern Bonus should be given at enhanced rate. Nothing should come in the way.

So far as the question of Bonus to Railways, Defence and P. & T. employees is concerned the Government is committed to it. The matter was discussed in the Consultative Committee meeting. But the Government has not so far considered it. It should take a decision so that employees may not resort to strike.

**श्री एन० श्रीकान्तन नायर** (क्विलोन) : मूल अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (8) में दो बातें हैं एक तो अनिवार्य बचत करने और दूसरे उसे राशि को भविष्य निधि में डालने के बारे में है । जिस समय विधेयक पर चर्चा हुई थी यह दोनों पहलू ज्ञात थे और हमने बताया था कि अनिवार्य बचत की बात गलत है और भविष्य निधि में जमा करने संबंधी बात भी खतरे से भरी रहती है क्योंकि बहुत से नियोजक इसे जमा न करा के इसका दुर्विनियोग करते हैं । सरकार द्वारा इस बारे में अब तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई ।

सरकार समय समय पर इस बारे में व्यापाक विधेयक प्रस्तुत करने का आश्वासन देती रही है परन्तु अभी तक ऐसा नहीं किया गया और संशोधन पर संशोधन प्रस्तुत किये जाते रहे हैं।

मैं मंत्री महोदय से यह आश्वासन चाहता हूं कि व्यापाक विधेयक को अन्तिम रूप दिये जाने से पूर्व मजदूर संघ नेताओं से परामर्श किया जायेगा और दूसरे यह कि व्यापाक विधेयक को पहले भारतीय श्रम सम्मेलन में पेश किया जायेगा यह ठीक है कि भारतीय श्रम सम्मेलन में एक मत प्राप्त नहीं हो सकेगा परन्तु फिर भी सरकार को मजदूर संघों का परामर्श तो प्राप्त हो ही जायेगा इस के साथ ही मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

**Shri Chandulal Chandrakar** (Durg) : Need for such an amendment was being felt for a long time Government wanted to bring this Bill early but it was delayed so that there may not be difficulty with regard to the payment of bonus at the rate 8·33 per cent. May I know when is the report of Bonus Review Committee likely to be received ? Whether it would be implemented at the time of making payment of bonus next year ? Hon. labour Minister should expedite the report and he may as well warn the concerned Ministries to implement it immediately so that all people get bonus properly.

Bonus Act povides a minimum bonus of 8·33 per cent but it does not provide any incentive to workers. Increased bonus should be paid for increased productivity and profitability.

In the course of the year there have been many strikes and agitations by workers. There can not be justification for all such acts but responsibility for such acts at many places lies with the Government or the Management. Proper attention should be paid towards this problem by concerned Ministries.

**Shri Jagadish Chandra Dixit** (Sitapur) : Present Bonus Act is a symbol of Capitalist Industrial Jurisprudence. It should therefore, be withdrawn and a fresh Act enacted in its place.

Bonus Commission was set up on the basis of recommendations of Supreme Court and this Bonus Act was enacted on the basis of recommendation of the said Commission. The Bonus Act is based either on minimum bonus or Balance Sheet of a concern. The working class has all along been challenging the Balance Sheet, because it does not show exact profit and loss. But by providing it a legal base we have accepted it sacrocity.

Preamble of this Act had raised many hopes in the minds of all the employees but the definition of the word "Employee" has belied all such hopes because it excluded certain employees. This is not fair. Those Government Departments which are covered by the definition of "Industry" should automatically be covered by this Act.

The Bonus Review Committee is meant for solving the present problem but it has to be decided that an organisation or Department or an Industry which is profitable to the country has to pay Bonus. It would go a long way in removing the impression which has gained ground amongst Government employees. This benefit should be given to those who are employed on 'Production side' and not on 'non-production side'.

Complaints regarding Corruption in Provident Fund organisation should be looked into. It should also be enquired how many workers have died or retiring and how many amongst them have not been paid their dues.

**Shri Mulchand Daga** (Pali) : May I know by what time the Government would come forward with a new Bill after the receipt of the report of the Bonus Review Committee ? Present system of giving bonus at different rates to the employees of different industries is causing discontentment amongst workers.

There should be a National Wage Policy. In the absence of this policy audited accounts of concerns can not be challenged. Huge profits are earned but workers are paid a minimum bonus of 8·33per cent. This rate of bonus is not adequate for the present conditions. Government had set up Pay Commission for its employees, but whether there is any such Commission for working Class ? Prices are rising hence there is a demand amongst workers that Bonus should be stopped and minimum wage should be ensured to the workers.

**श्री ए० पी० शर्मा** (बक्सर) : बहुत से सदस्यों ने श्रम मंत्री को इस बात की बधाई दी है कि पहले की गई गलती को ठीक करने के लिये संशोधन विधेयक लाया गया है । परन्तु मैं तब तक उन्हें बधाई नहीं देना चाहता जब तक कि रेलवे कर्मचारियों, रक्षा उत्पादन कर्मचारियों, डाक-तार कर्मचारियों और सरकारी मुद्रणालयों के कर्मचारियों को 8.33 प्रतिशत की दर से न्यूनतम बोनस देने की मांग श्रम मंत्री द्वारा स्वीकार नहीं की जाती । समझ में नहीं आता सरकार द्वारा अब तक इसे न मानने के क्या कारण हैं । शायद यह समझा जा रहा है कि इन्हें भारत सरकार के विभागों द्वारा चलाया जा रहा है । इस सन्दर्भ में इगंलैंड का उदाहरण बतना चाहता हूं जहां पर डाक-तार विभाग के कर्मचारियों ने सरकार को बाध्य कर दिया कि उनके विभाग को निगम के रूप में बदला जाये हमारी मांग है कि इस देश में भी इन कार्यों को सरकारी निगमों को सौंपा जाये ।

जहां तक वर्तमान संशोधन का संबंध है यदि सरकार ने यह न किया होता तो कर्मचारियों में इसके लिये अखिल भारतीय आन्दोलन छेड़ दिया होता । क्योंकि उन्हें बोनस के एक भाग को भविष्य निधि में जमा करने के लिये बाध्य किया जा रहा था ।

मंत्री महोदय को इस बात की ओर ध्यान देना चाहिये कि समिति द्वारा अपना प्रतिवेदन यथा संभव शीघ्रता से प्रस्तुत किया जाये और इसके पश्चात एक व्यापाक विधेयक प्रस्तुत किया जाय जिसके अनुसार केन्द्रीय सरकार के सभी औद्योगिक कर्मचारी बोनस अधिनियम के अन्तर्गत आ सकें । मैं यह भी उल्लेख करना चाहता हूं कि रेल कर्मचारियों ने बोनस के प्रश्न को लेकर हड़ताल का निर्णय किया है और हमने बोनस पुनरीक्षण समिति का प्रति- वेदन प्राप्त होने तक उन्हें रोक रखा है । वह सरकार की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा कर रहे हैं । अत: सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिये ।

**श्री रघुनाथ रेड्डी** : कुछ माननीय सदस्यों ने ऐसे प्रश्न उठाये हैं जिनका इस विधेयक के उपबन्धों के साथ कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं है ।

यह प्रश्न उठाया गया कि सरकार ने यह संशोधन पिछले सत्र में ही क्यों पारित किया । वास्तव में जब 8.33 प्रतिशत बोनस की अदायगी का प्रश्न उठा तो हमने सभी नियोजक संगठनों

को इस दर पर अदायगी करने को कहा। उस समय सरकार को यह बताया गया कि कुछ नियोजक इस दिशा में आवश्यक कार्यवाही नहीं कर रहे। तब सरकार ने इस संशोधन की आवश्यकता को महसूस किया। उस समय हमने महसूस किया कि 8.33 प्रतिशत बोनस की अदायगी को पहले अनिवार्य बनाया जाये। परन्तु बाद में यह मांग प्रस्तुत की गई कि वर्तमान स्थिति का तकाजा यह है कि बोनस की अदायगी नकद रूप में हो तो सरकार ने नियोजकों को कानूनी उपबन्धों के अन्यथा होते हुए भी नकद अदायगी करने को कहा। कुछेक ने यह अनुरोध मान लिया जबकि कुछेक ने कानूनी अड़चनें पाई। उन अड़चनों को दूर करने के लिये यह विधेयक लाया गया है।

जहां तक व्यापक विधेयक प्रस्तुत करने का संबंध है बोनस पुनरीक्षण समिति इस प्रश्न पर विचार कर रही है। समिति का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर सरकार सिफारिशों के बारे में निर्णय करेगी। उन निर्णयों के आधार पर सरकार निश्चित रूप से एक व्यापक विधेयक तैयार करेगी।

श्री **एस० एम० बैनर्जी** (कानपुर) : बोनस पुनरीक्षण समिति का प्रतिवेदन मिलने पर क्या सरकार केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को बोनस देने के प्रश्न पर भी विचार करेगी? सरकारी उपक्रमों के कर्मचारियों को तो बोनस दिया जा रहा है परन्तु उनमें और रेलवे अथवा प्रतिरक्षा संस्थानों के कर्मचारियों में क्या अन्तर है ?

**श्री रघुनाथ रेड्डी** : उपर्युक्त बात सरकार के ध्यान में है और उपयुक्त समय पर उस पर विचार किया जायेगा। बोनस अधिनियम में ऐसे ननियोजकों के विरुद्ध कार्यवाही का उपबन्ध है जो काटी गई राशियां भविष्य निधि में जमा न करें। अतः इस बारे में किसी प्रकार की आशंका नहीं होनी चाहिये। यदि कोई कमी पाई गई तो सरकार उसके लिये संशोधन प्रस्तुत करने में संकोच नहीं करेगी। सरकार की श्रमिकों के साथ पूरी सहानुभूति है और अधिनियम को कार्यान्वित करने के लिये आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि बोनस संदाय अधिनियम 1965 में और आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार किया जाये"।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**The Motion was adopted.**

**उपाध्यक्ष महोदय** : हम विधेयक पर खंड वार विचार करेंगे। प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**The Motion was adopted.**

**खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया**

**Clause 2 was added to the Bill.**

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"खंड 3, खंड 1 अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने"।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**The Motion was adopted.**

**खंड 3, खंड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।**

**Clause 3, Clause 1, the Enacting formula and the Title of the Bill were added to the Bill.**

**श्री के० रघुनाथ रेड्डी** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये "

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये" ।

**श्री एस० एम० बैनर्जी** (कानपुर) : मंत्री महोदय ने केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के बारे में कोई वचन नहीं दिया है । बोनस पुनरीक्षण समिति के प्रतिवेदन के प्रस्तुत किये जाने के बाद केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के प्रति बोनस के मामले में किये गये अन्याय को दूर करने का मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा । उन्हें सरकारी उपक्रमों के कर्मचारियों के समान लाना चाहिये ।

**श्री सी० एम० स्टीफन** (मुवन्तपुजा) : विधेयक पर विचार करते समय मैंने यह सुझाव दिया था कि बोनस की प्रतिपूर्ति भविष्य निधि से की जानी चाहिये । विधेयक का सम्बन्ध केवल 1972–73 से है जब कर्मचारियों को उनके भविष्य निधि में जमा किये गये बोनस का लाभ मिलेगा । मेरा सुझाव है कि 1970 और 1971 में भविष्य निधि में जमा धनराशि कर्मचारियों को उपलब्ध होनी चाहिये और मंत्री महोदय को इस सम्बन्ध में संशोधन स्वीकार करना चाहिये ।

**श्री रघुनाथ रेड्डी** : जहां तक श्री एस० एम० बनर्जी द्वारा उठाये गये प्रश्न का सम्बन्ध है मुझे अधिनियम के अन्तर्गत कार्य करना होता है । व्यापक विधेयक प्रस्तुत किये जाने पर श्री स्टीफन के सुझाव पर विचार किया जायेगा ।

**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**The Motion was adopted**

---

## बर्न कम्पनी और इंडियन स्टैण्डर्ड वैगन कम्पनी (प्रबन्ध ग्रहण) विधेयक

## Burn Company and Indian Standard Wagon Company (Taking over of Management) Bill

**भारी उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री टी० ए० पाई)** : गत कुछ समय से हमें देश की दो सबसे अच्छी इंजीनियरिंग कम्पनियों मैसर्स बर्न एण्ड कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता और मैसर्स इंडियन स्टैन्डर्ड वैगन कम्पनी के बारे में भारी कुप्रबन्ध के समाचार प्राप्त हो रहे थे जिसके कारण उत्पादन में तथा जमा पून्जी में अत्याधिक कमी हुई है । उक्त दोनों कम्पनियां रेलवे वैगन और उनके पुर्जे बनाने में लगी हैं जो देश की अर्थ-व्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्र के लिये बहुत ही आवश्यक है । वर्ष 1965–66 तक ये दोनों कम्पनियां उचित काम कर रही थीं ।

इन कम्पनियों का निकट से निरीक्षण करने से विदित हुआ है कि कम्पनियां एक दम बंद होने की स्थिति में हैं। दोनों ही कम्पनियां वित्तीय दृष्टि से दिवालिया हो गई हैं और वे लगभग बन्द होने की स्थिति में पहुंच गई हैं। इन कम्पनियों को बन्द होने से तब तक बचाया नहीं जा सकता जब तक अपर्याप्त और अकुशल प्रबन्ध को बदला नहीं जाता और कम्पनियों के बारे में वित्तीय दिवालियेपन को सामान्य स्थिति में नहीं लाया जाता।

इन दोनों कम्पनियों द्वारा उत्पादित की जा रही सामग्री सामरिक महत्व है देश में इन वस्तुओं की बढ़ती हुई आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उनके उत्पादन में वृद्धि करने की नितान्त आवश्यकता है। पांचवीं योजना में रेलवे वैगनों की आवश्यकता को पूरा करना इन दोनों कम्पनियों पर बहुत कुछ निर्भर करता है। उक्त दोनों कम्पनियों ने महत्वपूर्ण निर्यात आदेश प्राप्त किये हैं और उत्पादन में कमी होने के कारण चिन्ता हो रही है।

इन दोनों कम्पनियों का प्रबन्ध वित्तीय रूप में और उत्पादन के रूप में दोनों प्रकार से एक दूसरे से सम्बद्ध हैं। मैसर्स बर्न एण्ड कम्पनी और कम्पनी के निदेशक तथा उनके सम्बन्धियों के इंडियन स्टैन्डर्ड वैगन कम्पनी लिमिटेड में 48 प्रतिशत सामान्य शेयर हैं। अतः वर्ष 1966–67 के बाद इन दोनों कम्पनियों के प्रबन्ध में साथ साथ गिरावट आई है और उन दोनों कम्पनियों के बारे में निश्चित रूप से एक जैसी कार्यवाही की जानी होगी।

सभी बातों पर विचार करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि इन कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण किया जाना जनहित में होगा। सर्वप्रथम हम इन दोनों कम्पनियों का प्रबन्ध अपने अधिकार में लेंगे तथा इसके बाद दोनों कम्पनियों की वास्तविक स्थिति का अनुमान लगायेंगे। हम निश्चित रूप से इन कम्पनियों को पुनः चालू कर उसे पुराने अकुशल प्रबन्धकों को नहीं सौंप देंगे।

**श्री० एस० ए० कादर पीठासीन हुए**
**(Shri S.A. Kader in the chair)**

**श्री एस० पी० भट्टाचार्य** (उलुबेरिया) : मैं इन दोनों कम्पनियों के राष्ट्रीयकरण का समर्थक करता हूं लेकिन मैं विधेयक में प्रस्तावित 50,000 और 25,000 रुपये के भुगतान का समर्थन नहीं हूं। प्रबन्धकों ने स्थिति का दुरुपयोग किया है जिससे राष्ट्र को हानि हुई है और कर्मचारियों की कठिनाईयां बढ़ी हैं। प्रबन्धकों ने छंटनी किये गये अधिकारियों और कर्मचारियों को अधिक वेतन पर नियुक्त किया है। हमें इस बारे में सावधानी से काम लेना चाहिये। जिससे इस कम्पनी के विकास की आशाएं समाप्त न हो जायें।

सरकार को कर्मचारी वर्ग से उचित रूप से परामर्श करना चाहिये और उनकी सहायता की जानी चाहिये जिससे उनमें देश भक्ति की भावना उत्पन्न हो और सरकारी क्षेत्रों के हमेशा घाटे में चलने की भावना समाप्त हो।

स्टेन्डर्ड वैगन कम्पनी और मार्टिन वर्ण कम्पनी के राष्ट्रीयकरण के पश्चात् कार्यालय के कर्मचारी बेरोजगार हो जायेंगे। हमें उन्हें पुनः रोजगार देने के बारे में विचार करना चाहिये।

**श्री पी० आर० शिनाय** (उदीपी) : यदि गैर-सरकारी क्षेत्र में स्थित एक वाणिज्यिक कम्पनी में कुप्रबन्ध है और यदि उक्त कम्पनी ऐसी वस्तुओं का उत्पादन करती है जो देश के लिये अत्याधिक आवश्यक है, तो यदि श्रमिकों से सहयोग प्राप्त है तो सरकार को उस कम्पनी को अपने अधिकार में ले लेना चाहिये। इसी प्रकार यदि सरकारी क्षेत्र में स्थित एक वाणिज्यिक कम्पनी में कुप्रबन्ध है, तो उस कम्पनी के इंचार्ज को इसके लिये संसद और सरकार को जवाब देना चाहिये और उसे उसकी त्रुटिपूर्ण कार्यवाही के लिये दण्ड दिया जाना चाहिये।

सरकार द्वारा बर्न एण्ड कम्पनी और इंडियन स्टैन्डर्ड वैगन कम्पनी के राष्ट्रीयकरण का मैं स्वागत करता हूं। आशा है सरकार आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन करने वाली ऐसी अन्य कम्पनियों का भी राष्ट्रीय हित में राष्ट्रीयकरण करेगी।

बर्न एण्ड कम्पनी और इंडियन स्टैन्डर्ड कम्पनी से वैगनों का उत्पादन कर रही है, जिनकी आज देश में कमी है।

वैगनों का उत्पादन करने वाली एक और कम्पनी-मैकन्जी लिमिटेड, बम्बई 1971 से बन्द पड़ी है लेकिन सरकार ने कर्मचारियों तथा अन्य व्यक्तियों के अनुरोध करने पर भी उस कम्पनी को अपने अधिकार में लेने के लिये कोई कार्यवाही नहीं की है। इस कारखाने के बन्द होने से इसमें काम करने वाले हजारों कर्मचारी बेरोजगार हो जायेंगे। उक्त कारखाना प्रतिवर्ष एक हजार वैगनों का उत्पादन करता है। अतः इसका राष्ट्रीयकरण करना सरकार का कर्तव्य है।

जहां तक मुआवजों का सम्बन्ध है विधेयक के अनुसार दिये जाने वाला मुआवजा अधिक नहीं है क्योंकि मुआवजा राष्ट्रीयकरण किये जाने से पूर्व दिया जाता है। अतः मैं विधेयक का स्वागत करता हूं।

**Shri R. N. Sharma** (Dhanbad) : I will consider it better to take over these companies through an ordinance rather than bringing this Bill. In-that case the present management will not be able to misconduct like this. Besides taking over Indian Iron and Steel Company, the Government should take over these two companies also, because these two companies are ancillary to each other. In fact after taking over the Indian Iron and Steel company by the Government the condition of these two company has further deteriorated because the management has not invested money in them. These companies have come on the verge of liquidation due to the inefficient management and then only the Government have taken steps to nationalise them.

After taking over these companies, the Government has appointed inefficient persons as their incharge. As a result of it the efficiency of the company has been revesely effected and the labourers do not get any encouragement.

The complaints of the labourers have not been removed and naturally they are dissatisfied. Nationalized coal mines and other industries are almost in the same situation. The Government should ensure improvement in the situation.

**Shri Madhu Limaye** (Banka) : The condition of these two companies has deteriorated during the last five years. The Government has been trying to ignore the mismanagement of these companies during that period. Though the company Law Administration has the right to punish the people responsible for the mismanagement. But nothing has been done in this matter. So these companies are responsible for ignoring their duties. This Bill should have been brought five years back.

I agree that there are some factories producing essential goods are on the verge of closure and they should be nationalised but this should be done five year back.

The Government proposes to give Compensation to these companies. But I am of the view that persons responsible for mismanagement, should be penalised. If the Government is not prepared to reduce the amount of compensation even after making amendments in the constitution then a new constituent Assembly should be called for it so that the amount of Compensation may be reduced.

There is wide mismanagement in Jessup and Company. The Government should take over that Company.

**श्री बी० वी० नायक** (कनारा) : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। उद्देश्य और कारण बनाने वाले विवरण में बताया गया है कि उस फर्म को कुल 265 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है। इसका आशय यह हुआ कि सरकार लगभग $2\frac{1}{2}$ करोड़ रुपये के भुगतान का दायित्व अपने ऊपर ले रही है। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि उस कम्पनी को उस अधिनियम के अन्तर्गत अपने अधिकार में नहीं लिया गया जिसमें सरकार को ऐसी कम्पनियों को अपने अधिकार में लेने का हक है जो संकट ग्रस्त है। अथवा जो 60 दिन तक बन्द रही हैं।

यह सच ही कहा गया है कि यह कम्पनी 1965 में भी उन्हीं महत्वपूर्ण वस्तुओं का उत्पादन कर रही थी जिनकी रेलवे के लिये आवश्यकता होती है। उस समय इस कम्पनी को लाभ हो रहा था। सरकार की उस नीति में कितना औचित्य है कि गैर-सरकारी कम्पनियों का सरकारी करण तभी किया जाता है जब वे प्राय: दिवालिया हो चुकी होती हैं अथवा होने वाली होती हैं। इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि सरकार कोई ऐसी नीति निर्धारित तो करे जिसमें महत्वपूर्ण वस्तुओं का उत्पादन करने वाले उद्योगों का शीघ्र ही सरकारी करणकिया जा सके।

मैं श्री शर्मा के इस कथन से सहमत हूं कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में ऐसे नोकरशाह प्रबन्धकों को रखने से जिनकी उत्पादन वृद्धि में कोई रुचि नहीं है, इस क्षेत्र के उपक्रमों को बहुत क्षति पहुंची है। हमने लगभग सभी क्षेत्रों में उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करना आरम्भ किया है तथा अन्य अनेक उद्योगों के राष्ट्रीयकरण की भी सम्भावना है, इस सन्दर्भ में मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या राष्ट्रीयकृत उद्योगों में व्यावसायिक प्रबन्धक नियुक्त किये जाने के लिये कोई ऐसी योजना बनाई गई है कि इन प्रवन्धकों को व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाए ? वर्तमान व्यवस्था के अनुसार इन उपक्रमों को सफलतापूर्वक चलाना सम्भव नहीं है क्योंकि इस समय उनके प्रबन्धकों को व्यावसायिक ज्ञान नहीं है तथा वे किसी उत्पादन के मामले में विशेष जानकारी नहीं रखते।

मैं मुआवजे की राशि की पर्याप्त अथवा अपर्याप्तता पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि अब हमारे संविधान में 'मुआवजा' के स्थान पर राशि शब्द रख दिया गया है। अत: भविष्य में विधान बनाते समय उपयुक्त शब्द का ही उपयोग किया जाना चाहिये।

**श्री एस० एम० बनर्जी** (कानपुन) : मुझे भी इस बात पर प्रसन्नता है कि मैसर्स बर्न एण्ड कम्पनी तथा मैसर्स इण्जियन स्टेंडर्ड वैगन कम्पनी नाम की दो बड़ी कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण किया गया है।

जैसा कि मंत्री महोदय ने बताया है अप्रैल, 1972 से ही मंत्रालय को इन कम्पनियों में भारी अनियमितताओं, गबन और कुप्रबन्ध के बारे में विशेषकर यूनियनों की ओर से शिकायतें मिलने लगी थीं। मुझे याद है 1972 में पश्चिम बंगाल के श्रमिकों का एक प्रतिनिधिमण्डल आया था जिसनें

मंत्री महोदय से यह अनुरोध किया था कि इन दोनों कम्पनियों को यथा शीघ्र अपने अधिकार में लिया जाए । मंत्री महोदय ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि उक्त प्रतिनिधिमण्डल को यह आशंका थी कि यदि इन कम्पनियों के सरकारी-करण में विलम्ब किया गया तो इन कम्पनियों के प्रबन्धक इन कम्पनियों की सारी सम्पत्ति को ठिकाने लगा देंगे ।

**श्री० के० एन० (तिवारी पीठासीन हुए)**

**Shri K. N. Tiwari in the Chair**

इन कम्पनियों पर लगाये गये आरोपों की जांच करने के लिये दो समितियां नियुक्त की गई । इन समितियों ने यही सिफारिश की कि इन कम्पनियों का राष्ट्रीकरण किया जाये जिसे सरकार ने अन्ततोगत्वा स्वीकार कर ही लिया ।

इस विधेयक के खण्ड 5 में यह व्यवस्था की गई है कि मैसर्स बर्न एण्ड कम्पनी को 50,000 रुपया प्रतिवर्ष तथा मैसर्स इण्डियन स्टेंडर्ड वैगन कम्पनी को 25,000 रुपया प्रति वर्ष राशि अदा की जाए । किन्तु क्यों ? क्या इस राशि का भुगतान उन्हें इस लिये किया जाए कि उन्होंने उसमें गबन किया है तथा कुप्रबन्ध किया है, 1,100 श्रमिकों को गैर-कानूनी ढ़ंग से सेवा से निकाला है ? मैं जानना चाहता हूं कि इन कम्पनियों को किस लिये मुआवजा दिया जा रहा है । श्री समर मुखर्जी ने मंत्री महोदय को एक ज्ञापन दिया था जिसमें इन कम्पनियों द्वारा उस समय के दौरान की गई सभी धांधलियों का उल्लेख किया गया था जिस बीच सरकार यह निर्णय नहीं कर पा रही थी कि इन कम्पनियों को अधिकार के लिया जाए अथवा नहीं । श्री एस० आर० चटर्जी ने बर्न एण्ड कम्पनी 1 मई 1972 को छोड़ा जब उनका वेतन 3,600 रुपया प्रति माह था । किन्तु उन्हें 19 फ़रवरी, 1973 को इस कम्पनी में पुन: नियुक्त किया गया तथा उनका वेतन 4,800 रुपया प्रति मास का दिया गया । इसी प्रकार श्री सी० एल० डे, श्री आलोक दत्त, श्री ए० कोनार आदि अनेक कर्मचारियों को भारी वेतन वृद्धि पर पुन: नियुक्त किया गया ।

इससे आप भली भांति अनुमान लगा सकते हैं कि किस प्रकार धांधली की गई है । कुछ सरकारी उपक्रमों में भी ऐसा हो रहा है कि श्रमिकों को बहुत कम वेतन दिया जाता है और जो अधिकारी आदि हैं जिनका उत्पादन से सीधे कोई सम्बन्ध नहीं है, अधिक वेतन दिया जाता है । इस कम्पनी ने भी यही किया । इतना ही नहीं, इस कम्पनी ने 1969 में 1,100 श्रमिकों की छटनी कर दी । पश्चिम बंगाल के श्रम मंत्री तथा केन्द्रीय सरकार के श्रम मंत्री ने भी यह अनुरोध किया कि इन श्रमिकों को वापस लिया जाए किन्तु रक्तपात के उपरांत इनमें से केवल 150 श्रमिकों को पुन: काम पर लिया गया । किन्तु उनके वेतन में लगभग 50 प्रतिशत की कमी कर दी गई । यदि श्री समर मुखर्जी के दिनांक 12 नवम्बर के पत्र के साथ नत्थी किये गये एनेक्सर में उल्लिखित बातें सच हैं तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है । मैं जानना चाहता हूं कि उन अधिकारियों को इन कम्पनियों में पुन: नियुक्त किये जाने की किसने अनुमति दी तथा उनके वेतन में इतनी अधिक वृद्धि किये जाने का क्या औचित्य था ? मैं मांग करता हूं कि मंत्री महोदय इस मामले की स्वयं जांच करें ।

शब्द चाहे मुआवजा अथवा राशि किन्तु तथ्य यह है कि सरकार इन कम्पनियों को 75,000 रुपया देने जा रही है। मुझे इन कम्पनियों को यह राशि दिये जाने में कोई औचित्य नहीं दिखता क्योंकि इन्होंने श्रमिकों का शोषण किया है। यदि इन कम्पनियों ने कुशलतापूर्वक कार्य किया होता अन्य हजारों बेरोजगार व्यक्तियों को रोज मिल जाता।

मैं जानना चाहता हूं कि इन दोनों कम्पनियों का कब तक राष्ट्रीयकरण किया जाएगा। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या आई० आई० एफ० कम्पनी के प्रबन्ध को पुन: उसी व्यक्ति को सोंप दिया जाएगा ?

मैं मंत्री महोदय से सभा में एक वक्तव्य देने का भी अनुरोध करता हूं। पश्चिम बंगाल की स्थिति बहुत खराब है। वहां एक ओर तो अपार सम्पत्ति है तथा दूसरी ओर लोग भूखे और नंगे हैं। इसका मूल कारण यही है कि वहाँ के लोग उद्योगपतियों ने वहां भारी विषमता उत्पन्न की है अत: मेरा सुझाव है कि कुछ अन्य कम्पनियों का भी राष्ट्रीयकरण किया जाए। मंत्री महोदय कृपया बताएं कि इन कम्पनियों का पूर्ण रूप से कब तक राष्ट्रीयकरण किया जाएगा। मेरा सुझाव है कि इनको कोई मुआवजा न दिया जाए।

**Shri Ram Singh Bhai** (Indore) : I rise to support this Bill. But I am rather amazed to hear the proposal of the Government to take over only the managements of these two units at present. It has also been stated that an amount of Rs. 75,000 would be paid to them per annum. It can not be considered a healthy decision taken by the Government.

It is a matter of great concern that Government have not divulged the actual amount of liabilities on these units and the amount of the assets of these companies has also not been mentioned.

The balance sheets of these companies show an amount of Rs. 1·58 crore as profit in 1965-66. It is surprising to know that next year, that is, in 1966-67 profit was reduced to Rs. 6 lakhs. In view of the fact that the products of these units are purchased by the Government, the question of recession does not arise.

In spite of the repeated requests made by the Trade unions as well as the State Government for taking over these two units, Government have unnecessarily delayed their decision in this regard. Actually the management of these units swelled the intention of the Government and they took advantage of Government's dwindling policy. Now they have made these units assetless. It has been observed that Government have filled the management of the undertakings taken over by them with the persons who are neither qualified nor faithful to these undertakings. Recently, a Taxtile Mill has been taken over in Rajasthan. A heavy amount has been incurred on this Mill by the Government.

Now, I would like to know the actual liabilities on these units. May I also know as to after taking over these units what treatment would be given to the workers.

While concluding I would like to suggest that Government should take over the entire unit and not its management only. I also suggest that the decision regarding the take over of any unit should be taken immediately

*श्री था० किरूलिन्न (शिवगंज) : इस विधेयक में यह व्यवस्था की गई है कि बर्न कम्पनी और इंडियन स्टैंडर्ड वैगन कम्पनी का वसार्वजनिक हित में अधिग्रहण किया जाये। ऐसे विधेयक के बजाए यदि सरकार इन दो उपक्रमों के राष्ट्रीयकरण करने का विधेयक लाती तो मैं उसका स्वागत करता। देश के आर्थिक विकास के लिये आवश्यक वस्तुओं का निर्माण करने वाली इन दो उपक्रमों के प्रबन्धक ग्रहण के लिये मैं इस विधायी प्रयास की सराहना करता हूं।

मैं सरकारी क्षेत्र में अधिकाधिक उद्योग स्थापित करने की नीति का हिमायती हूं। इसके बावजूद मुझे इस बात के कारण शक है कि केन्द्रीय सरकार ने इन उपक्रमों में लगभग 5,052 करोड़ रुपये लगाये हैं और सरकारी क्षेत्र के इन उपक्रमों के अकुशल प्रबन्ध के कारण सरकार को प्रतिवर्ष लगभग 405 करोड़ रुपये का घाटा होता है। इन परिस्थितियों में मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने स्वयं को इन उपक्रमों को चलाने के लिये सरकार की तकनीकी क्षमता और औद्योगिक उत्साह के बारे में आश्वस्त कर लिया है ? मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि इन दो उपक्रमों का राष्ट्रीयकरण करने में उनके समक्ष क्या अड़चन आई ?

सरकार ने सरकारी प्रबन्ध के दौरान मैसर्ज इंडियन स्टेन्डर्ड वैगन कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता को 25,000 रुपये वार्षिक और मैसर्ज बर्न एण्ड कम्पनी लिमिटेड कलकत्ता को 50,000 रुपये वार्षिक देने का प्रस्ताव भी किया है। मैं प्रस्ताव का घोर विरोध करता हूं। मेरी यह समझ म नहीं आता कि जब इनमें अनेक वर्षों से कुप्रबन्ध चलता रहा है और लगभग एक दशक से प्रति वर्ष भारी हानी हो रही है तो सरकार को इन दोनों कम्पनियों को किसी प्रकार का मुआवजा नहीं देना चाहिये। यह मुवावजा अदा करने के अतिरिक्त सरकार ने इन दोनों औद्योगिक संस्थानों को पुनः चलाने के लिये भारी धनराशि लगाई है।

वर्ष 1965–66 में बर्न एण्ड कम्पनी को 158.76 लाख रुपये का शुद्ध लाभ हुआ था जो वर्ष 1966–67 में घट कर 6.82 लाख रुपये रह गया। मुझे आश्चर्य है कि यह बात सरकार के ध्यान से कैसे बच निकली। इन कम्पनियों को आय-कर देने के लिये आयकर विभाग को भी वार्षिक विवरण भेजने पड़ते हैं। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या आयकर विभाग ने इस कम्पनी के वर्ष 1966–67 के लेखा-परीक्षित लेखे इस बात पर ध्यान दिये बिना ही स्वीकार कर लिये कि शुद्ध लाभ में इतनी अधिक गिरावट अचानक कैसे आई ?

मैसर्स मार्टिन बर्न लिमिटेड, जो एक एकाधिकार प्राप्त विदेशी कम्पनी है, के उद्देश्यों और कारणों के विवरण में इस बात का उल्लेख है कि मैसर्स बर्न एण्ड कम्पनी लिमिटेड सहित कम्पनी के निदेशकों और उनके सम्बन्धियों के पास मैसर्ज इंडियन स्टैण्डर्ड वैगन कम्पनी लिमिटेड के लगभग 48 प्रतिशत साधारण शेयर हैं जिनका 31.3.1972 को 265.21 लाख रुपये का घाटा था। मुझे यह भी

*तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

*Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Tamil.

बताया गया है कि विदेश मंत्रालय का भूतपूर्व महासचिव मैसर्ज मार्टिन बर्न कम्पनी का निदेशक है । जब यह स्पष्ट है कि इस कम्पनी के पतन में मैसर्स मार्टिन बर्न कम्पनी और उसके निदेशकों ने प्रमुख भूमिका निभाई है तो मंत्री महोदय यह बतायें कि मार्टिन बर्न कम्पनी के निदेशकों के विरुद्ध उनकी घृणित गतिविधियों के लिये उनका क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

इन कम्पनियों का कार्य कुशलतापूर्वक, सफलतापूर्वक और लाभदायक ढ़ंग से चले, इसके लिये मंत्री महोदय का क्या ठोस कदम उठाने का विचार है ? वह सभा को यह भी आश्वासन दें कि श्रमिकों को जितनी राशि देय है वह उनको अदा की जायेगी । इन कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण कब तक कर दिया जायेगा ।

**श्री सी० एम० स्टीफन** (मुवत्तुपूजा) : यह कोई ऐसा कदम नहीं है कि किसी को रोजगार देना सुनिश्चित किया जा सके । यह कदम तो कुछ इंजीनियरी मशीनों को नष्ट होने से बचाने के लिये हैं जिनकी उत्पादन करने की क्षमता है ताकि जितना उत्पादन हो सकता है वह हो सके ।

मंत्री महोदय द्वारा दिये गये उद्देश्यों और कारणों के विवरण से अत्यन्त चिंताजनक स्थिति सामने आई है । इसके औचित्य के बारे में मंत्री महोदय प्रकाश डालें ।

यह बताया गया है कि 1965-66 में लगभग 158 लाख रुपये का लाभ इन कम्पनियों को हुआ । वह 1966-67 में कम होकर 6 लाख रह गया ।

बाद के चार वर्षों में 265 लाख रुपये का घाटा हुआ । इसलिये प्रबन्ध ग्रहण के लिये यह विधेयक लाया गया है । यदि हम ऐसा औद्योगिक विकास और विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत करते तो प्रबन्ध मुआवजा या ऐसी कोई क्षतिपूर्ति नहीं करनी पड़ती । यह कोई पहली बार तो नहीं हो रहा है कि किसी कम्पनी को उसके प्रबन्ध ग्रहण के लिये मुआवजा दिया जाये । प्रश्न तो यह है कि हमें अधिकाधिक कम्पनियों को हाथ में लेना है । अतः यह स्पष्ट किया जाना चाहिये कि अमुक मानदंड के आधार पर मुआवजा दिया जायेगा ।

अब संसद की अनुमति चाही जा रही है । प्रबन्ध मुआवजे के रूप में 50,000 रुपये अदा करने को कहा जा रहा है । यह राशि किसे अदा की जायेगी । हम केवल प्रबन्ध ग्रहण कर रहे हैं अतः प्रबन्धक को वह राशि दी जानी चाहिए ? या कम्पनियों को ? जब संसद से मुआवजा अदा किये जाने के बारे में सहमत होने के लिए कहा जा रहा है तो यह उचित है कि कम्पनियों की परिसम्पत्तियों और देयताओं का पूर्ण विवरण सभा के समक्ष रखा जाये ।

राष्ट्रीयकरण अथवा प्रबन्ध ग्रहण का उस समय तक कोई लाभ नहीं है जब तक श्रमिक यह महसूस न करें कि उन्हें निश्चित प्रतिनिधि मिला है । अन्यथा सहयोग नहीं मिलेगा । मैं यह बात केवल इसी मामले के सम्बन्ध में नहीं कर रहा हूं । राष्ट्रीयकृत क्षेत्र में जो असंतोष है उसका विश्लेषण किया जाना चाहिये । मुआवजा देने के दायित्व और उसकी मात्रा निर्धारित करने के मानदंड के सम्बन्ध में क्या नीति और मार्गदर्शी सिद्धान्त होना चाहिये, इसे स्पष्ट किया जाना चाहिये ।

उद्देश्यों और कारणों के विवरण में निर्दिष्ट परिस्थितियों की दृष्टि से मैं इस प्रस्ताव का स्वागत करता हूं । बहुमूल्य परिसम्पत्तियों को नष्ट नहीं होने देना चाहिये और सरकार को इन्हें शीघ्र अपने हाथ में ले लेना चाहिये ताकि इस देश की उत्पादन व्यवस्था में उनका भी योगदान हो सके ।

## सभा-पटल पर रखे गए पत्र

## Papers Laid on the Table

### भारत-चैकोस्लोवाकिया संयुक्त घोषणा और समझौते

**विदेश मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह)** : मैं भारत चैकोस्लावाकिया संयुक्त घोषणा और अन्य समझौतों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं। (मंत्रालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 5903/73)

**Shri Atal Bihari Vajpayee** (Gwalior) : May I know whether all the agreements have been laid on the Table or one or two agreements have not been laid. For example it is reported that the protocol regarding Trade signed with Comrade Brezhnev has not been published.

**श्री स्वर्ण सिंह** : इनमें से एक समझौते में व्यापारिक मामलों का भी उल्लेख किया गया है। सभा से कुछ भी छिपाया नहीं गया है। मुझे मालूम है कि समाचार-पत्रों में इस मामले का उल्लेख हुआ है और मैं यह भी समझता हूं कि इसका उल्लेख सभा में भी हुआ है ? मैं स्थिति स्पष्ट करता हूं। आर्थिक मामलों पर चर्चा हुई थी। यद्यपि किसी भी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं हुए तथापि चर्चा के दौरान कुछ ठोस परिणाम निकले हैं। उदाहरण के लिये मथुरा तेलशोधक कारखाना, इस्पात संयंत्रों का विस्तार तथा कई अन्य मामलों में सहयोग के परिणाम निकले हैं। सदैव यही परिपाटी रही है कि केवल उन्हीं समझौतों को प्रकाशित किया जाता है जिन पर हस्ताक्षर हो चुके हों न कि चर्चा की कार्यवाही को।

**प्रो० मधु दंडवते** (राजापुर) : पहले रूस और अमरीका क साथ जो समझौते हुए हैं उन्हें वास्तव में प्रकाशित किया गया और उन देशों में उपलब्ध कराया गया। मैं जानना चाहता हूं कि क्या उन्हें बिल्कुल प्रकाशित न करने की परिपाटी रही है या उन्हें बाद में प्रकाशित किया जाता है।

**Shri Madhu Limaye** (Banka) : The Congress President, Dr. Shankar Dayal Sharma has said that no secret agreement has been signed and if any has been signed, they would not publish it. The Hon. Minister should clarify the position.

**श्री स्वर्ण सिंह** : जहां तक प्रो० मधु दंडवते के प्रश्न का सम्बन्ध है, मैं पहले ही स्थिति स्पष्ट कर चुका हूं।

जहां तक कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा कही गई बात का सम्बन्ध है जो श्री लिमये ने उठाई है, यह बात दोनों सदस्यों के बीच की है। म इस बारे में कुछ नहीं कहता।

---

### बर्न कम्पनी और इंडियन स्टैन्डर्ड वैगन कम्पनी (प्रबन्ध ग्रहण) विधेयक

**Burn Company and Indian Standard Wagon Company (Taking over of management) Bill** —

**श्री आर० एन गोयन्का** (विदिशा) : जब अध्यादेश की आवश्यकता नहीं होती है तो सरकार अध्यादेश जारी करती है जब अध्यादेश आवश्यक होता है तो वह विधेयक लाती है। मैं इस प्रथा पर आपत्ति प्रकट करता हूं।

इनके प्रबन्ध ग्रहण की नीति क्या है? ब्रिटेनिया इन्जीनियरिंग जैसी कम्पनियां हैं, और भी हो सकती है। वे वैगन और पुर्जे बनाती हैं। वे बंद हो गई हैं और श्रमिक बेरोजगार हो गए हैं। इन कम्पनियों के बारे में सरकार की क्या नीति है।

अब मैं विवादास्पद कम्पनियों के बारे में कुछ बोलता हूं। अन्य कम्पनियों के साथ इन कम्पनियों का प्रबन्ध मैसर्ज मार्टिन बर्न एन्ड कम्पनी द्वारा किया जा रहा था और इस कम्पनी के प्रमुख श्री बीरेन मुखर्जी हैं। दि इंडियन आयरन एन्ड स्टील कम्पनी में गत पांच या छः वर्षों से बहुत कुप्रबन्ध है। सरकार को बहुत से अभ्यावेदन समय-समय पर दिये गये हैं। सरकार को कानूनी राय से अवगत कराया गया है कि इस कम्पनी में धोखा धड़ी की गई है और प्रबन्ध पर अभियोग चलाया जाना चाहिये परन्तु न केवल सरकार ने वैसा नहीं किया अपितु इस कम्पनी का पक्ष लिया।

इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी के स्टील कार्पोरेशन आफ बंगाल में 33 % हिस्से हैं। एक कानून द्वारा दोनों कम्पनियों को मिला दिया गया है। इसके पश्चात् इन्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी ने अपने 3-4 करोड़ रुपए के हिस्से एक जाली फर्म डल्हौजी होल्डिंग को वेच दिये हैं। उक्त फर्म में 49 % हिस्से मार्टिन बर्न के हैं। मार्टिन बर्नस् द्वारा इस प्रकार के गोलमाल न केवल सहन किये अपितु कम्पनी ला प्रशासन द्वारा इतने वर्षों तक प्रोत्साहित किये गये। इस कार्य को एक विधेयक द्वारा लागू करने के स्थान पर इसको एक अध्यादेश द्वारा किया जाना चाहिए था।

अब मैं कम्पनी ला डिपार्टमेंट के बारे में बताता हूं। वे हिस्सेदारों के रक्षक थे परन्तु अब भक्षक बन गये हैं। जब हिस्सेदारों ने शोर मचाया तो इन बातों की अवहेलना कर दी। यह विधेयक बहुत पहले लाया जाना चाहिए था।

श्री पाई ने श्री राय को अभिरक्षक नियुक्त किया था। क्या उन्होंने कम्पनी के कुप्रबन्धों के बारे में कोई प्रतिवेदन दिया है। यदि नहीं तो क्या मंत्री महोदय उन्हें ऐसा करने को कहेंगे। एक और कम्पनी जिसकी परिसम्पत्तियां 500 करोड़ रुपए थी मार्टिन बर्नस द्वारा विनष्ट कर दी गई। सरकार दोषी व्यक्तियों को बन्दी क्यों नहीं बनाती?

जब सरकार किसी व्यक्ति को नियुक्त करती है तब वह श्रेष्ठ व्यक्ति होता है परन्तु जब वही व्यक्ति उनकी पसन्द के अनुसार कार्य नहीं करता तो वह भ्रष्ट बन जाता है।

मेरे पास बहुत सी बातों के लिखित प्रमाण हैं? मैं सरकार से ऐसे मामलों में कार्यवाही न करने के कारण जानना चाहता हूं।

**Shri Damodar Pandey** (Hazaribagh) : There can be no two opinions that the reduction of the items of national importance should not be stopped. It is harmful to take over such undertakings through a Bill.

It has been mentioned in the objectives and reasons of the Bill that a committee was constituted to study the functioning of these companies. The assests of standard wagon company were raised by 88·69 lakhs and the accumulation of the other company was also to the tune of 118·88 lakhs. The Government is trying to take work from deed lease. It may not yield fruits. But the economy of the country would not deteriorate.

I believe that this arrangement is not being made for giving compensation. In the case of Coking Coal no management has turned up to take compensation as they know their liability is more than the amount of Compensation.

Whenever we take over or nationalise any factory there is always a sentiment behind it.

**सभापति महोदय** : माननीय सदस्य अगले दिन अपना भाषण जारी रखें। अब आधे घंटे की चर्चा होगी।

---

***विदेशी फर्मों तथा बड़े औद्योगिक गृह द्वारा अनधिकृत उत्पादन**

*** Unauthorised Production by Foreign firms and Large Industrial Houses**

**श्री ज्योतिर्मय बसु** : औद्योगिक (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के अनुसार मांगे गए लाइसेंस की क्षमता देनी होती है।

औद्योगिक लाइसेंस नीति जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अधिनियम के मुख्य उपबन्ध इस प्रकार हैं :

(i) अनुसूचित उद्योगों में सभी वर्तमान औद्योगिक उपक्रमों को नियत अवधि में पंजीकृत होना होगा,

(ii) बिना लाइसेन्स के कोई औद्योगिक एकक स्थापित नहीं होगा और वर्तमान एकक का विस्तार नहीं होगा ;

(iii) सरकार किसी अनुसूचित उद्योग या उपक्रम के बारे में यदि किसी की राय में उसका उत्पादन कम हो गया या होने वाला है या उसके माल की किस्म घटिया हो गई है या बिना औचित्य उनके मूल्य में वृद्धि की गई हो, जांच कर आदेश दे सकेगी, ऐसी जांच उस औद्योगिक उपक्रम के बारे में भी हो सकेगी जिसके प्रबन्ध से उपभोक्ताओं के हितों की हानि हो सकती है, और

(iv) जो उद्योग या उपक्रम ऐसी जांच के बाद आदेशों का पालन नहीं करता, सरकार उसका प्रबन्ध अपने हाथ में ले सकती है।

उत्पादन क्षमता संबंधी उपक्रमों का उलंघन करने वाले कितने मामलों में सरकार ने औद्योगिक फर्मों का प्रबन्ध अपने हाथ में लिया है।

मंत्री महोदय यह बतायें कि 1969 में रिपोर्ट के प्रकाशन के बाद क्या हुआ।

इंडियन टोबोको कम्पनी की लाइसेंस शुदा क्षमता 2426 करोड़ सिग्रेट है परन्तु वह 3200 करोड़ सिग्रेटों का उत्पादन कर रही है। बजीरी सुल्तान 8.88 करोड़ सिग्रेटों के स्थान पर 13 करोड़ सिगरेटों का उत्पादन कर रही है।

---

*आधे घंटे की चर्चा।

*Half-an-hour discussion.

कई मामलों में क्षमता से दुगुना उत्पादन हो रहा है। बिटिश इंडिया इलैक्ट्रिक कम्पनी कलकत्ता 100 प्रतिशत, यूनिवर्सल इलैक्ट्रिक लिमिटेड कलकत्ता 541.59 प्रतिशत कंटेनर्स क्लेजर्स लिमिटेड कलकत्ता 112.58 प्रतिशत कैरोना साहू कम्पनी 313.33 प्रतिशत, वीमेताल वियरि लिमिटेड मद्रास 184.84 प्रतिशत और लार्सन एण्ड टुबरो 966.605 प्रतिशत बढ़ गई है।

क्या यह सच है कि यह मामला मंत्री मडंल की उप समिति को निर्णय के लिये भेजा गया था। समिति ने कुछ निर्णय लिये किन्तु उन्हें लागू नहीं किया गया है।

कितने समय से ऐसी फर्में अनधिकृत उत्पादन कर रहीं हैं। क्या समय समय पर भेजी जाने वाली विवरणियां तकनीकी विकास के महानिदेशक के पास भेजी गई थीं। यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है? यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं। इस मामले में महानिदेशक ने क्या कार्यवाही की है। इन्हें कच्चा माल के आयात की अनुमति कैसे मिली? इस अनधिकृत उत्पादन से इन फर्मों को क्या लाभ हुआ?

नियम और विनियम छोटी फर्मों के लिये हैं और प्रभावशाली फर्में मनमानी करती हैं। सरकार ने न तो उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही ही की बल्कि उन्हें नयें लाइसेंस भी दिये।

हम चाहते हैं कि एक आयोग इस सभी अनधिकृत उत्पादनों की जांच करे। सी० ओ० बी० लाइसेंस और छूट आदेशों का 1969–70 से उल्लंघन हो रहा है। 1962–65 के दौरान कुछ बिस्तार के लिये अनुमति दी गई थी उसके लिये कौनसा कानूनी आधार था?

फाइजर एण्ड कम्पनी ने 1959 में 58,8000 रुपए का लाभांश विदेशों में भेजा। 1971 में 68,28,4500 रुपए भेजे गये थे। यह अद्भुत कार्य है। इन फर्मों ने उत्पादन बढ़ाकर लागत अधिक दिखायी है। क्या मंत्री महोदय ने इस ओर ध्यान दिया है? क्या प्रत्यक्ष कर बोर्ड से परामर्श किया गया है।

सरकारी प्रवक्ता ने राज्य सभा में बताया कि एकाधिकार गृहों की आस्तियों के बढ़ने के बारे में विभाग ने कुछ अध्ययन किये है। औसत वार्षिक वृद्धि 10 प्रतिशत आंकी गई है जबकि रिजर्व बैंक के 1960–61 के सर्वेक्षण के अनुसार विकास की दर 6 प्रतिशत नियत की गई थी। एक तरफ तो सरकार कहती है कि वह बड़े औद्योगिक गृहों तथा विदेशी कम्पनियों द्वारा लाइसेंस शुदा क्षमता से अधिक उत्पादन के पक्ष में नहीं है और दूसरी ओर इसे नियमित किया जा रहा है।

रिज़र्व बैंक के सर्वेक्षण से पता चलता है बुनियादी उद्योगों में उत्पादन 88.7 प्रतिशत से कम हो कर 77.40 प्रतिशत रह गया है। परन्तु तम्बाकू और शराब का उत्पादन 1960 में 86.5 से बढकर 1972 में 90.2 हो गया है।

आर्थिक तथा वैज्ञानिक अनुसंधान प्रतिष्ठान के अध्ययन के अनुसार दो दर्शकों के औद्योनीकरण के बावजूद तकनीकी रूप से देश की आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं हुआ है। आज भी देश विदेशी जानकारी पर उतना ही निर्भर करता है जितना कि 1950 में करता था।

**Dr. Kailas** (Bombay South) : Efforts should be made to increase production of essential commodities.

How many Indian and Foreign Companies are doing unauthorised production. The Government has tried to left these elements which try to give bad name to the Country.

I want to know the names of such Companies and the action taken against them. What would be the effect of new amendment on them.

**औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और औद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुबहमण्यम) :** महोदय मैंने श्री बसु के भाषण को ध्यान से सुना है। उहोंने बार बार कहा है कि देश जानता है कि देश की कृषि अर्थव्यवस्था को बनाने में मेरा क्या सहयोग रहा है। माननीय सदस्य कह रहे थे कि थोथा चना बाजे घना और इस बात का वह प्रत्यक्ष प्रमाण कल अपने भाषण में दे रहे थे।

जहां तक आई० एल० पी० सी० का सबंध है सारा मामला सरकार ने कमीशन के हवाले कर दिया था। हमने सरकार कमीशन को लिखा हैं कि वे शीघ्र से निर्णय करें ताकि हम बढ़ाए उत्पादन के बारे में कार्यवाही कर सकें। हम यह बात जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या आयोग एक अंतरिम रिपोर्ट दे सकता है या नहीं। हम आयोग को इसके लिए बाध्य नहीं कर सकते कि विशेषकर ऐसी स्थिति में जबकि उसकी अध्यक्षता उच्चतम न्यायालय के एक भूतपूर्व संख्य न्यायधीश द्वारा की जा रही है। आयोग का कहना है कि अंतरिम रिपोर्ट नही दी जा सकती। वह अंतिम रिपोर्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। हम आशा कर रहे हैं कि हमें रिपोर्ट जल्द से जल्द प्राप्त होगी।

अनधिकृत उत्पादन का भी उल्लेख किया गया है। मैं समझ नहीं सका कि अनधिकृत उत्पादन से माननीय सदस्य का क्या आशय है। यदि कोई निर्धारित क्षमता से अधिक उत्पादन करता है तो उस पर भी उत्पादन शुल्क अदा करना पड़ता है। उत्पादक अपने उत्पादन की मासिक रिपोर्ट तकनीकी विकास के महानिदेशाक को भेजते हैं। हम कच्चे माल, बिजली और अन्य बातों को ध्यान में रखते हुए जांच करते हैं। किसी न किसी प्रकार का नियंत्रण अवश्य रखा जाता है। किन्तु स्थिति यह है कि उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है कि उन्होंने लाइसेंस में दर्ज क्षमता से अधिक उत्पादन किया है। इस बारे में रिपोर्ट देने के बारे में समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती। वैसे अप्रल 1974 तक समय बढ़ाया गया है। आशा है तब तक रिपोर्ट प्राप्त हो जाएगी। आयोग के अध्यक्ष को इस कार्य के लिए सरकार कुछ वेतन नहीं दे रही है इसलिए वह मामले को बेकार क्यों लटकाएगें? अब हमें रिपोर्ट की प्रतीक्षा है और तभी यह निर्णय लिया जाएगा कि किस प्रकार की कार्यवाही की जाए। हम वैसे इन फर्मों से कह रहे हैं कि वे उत्पादन जारी रखें किन्तु बाद में जो भी निर्णय किया जाएगा इसके अधीन इन पर कार्यवाही की जाएगी। इन्हें माफ नहीं किया जा सकता।

**श्री सोमनाथ चटर्जी** (वर्दवान) : यदि सरकार आयोग की रिपोर्ट और कुछ वर्षों तक नहीं आती तो क्या आप प्रतीक्षा करते रहेंगे, आप उल्लंघन के मामलों में अपने अधिकारों का प्रयोग क्यों नहीं करते ?

**श्री सी० सुब्रहमण्यम :** वास्तव में कुछ उल्लंघनों के मामले ऐसे हैं जिनकी सूचना सरकार आयोग को दी गई है। हमने आयोग से पूछा है कि क्या इसका कोई औचित्य है और ऐसे मामलों में क्या कार्यवाही की जानी चाहिए। क्योंकि संकट के दौरान सरकार ने स्वयं उन्हें उत्पादन बढ़ाने तथा

अपनी क्षमता का पूरा उपयोग करने के लिए कहा था। हमारे देश में यदि कोई अधिक उत्पादन करता है तो उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाती है और कोई यदि उत्पादन नहीं करता तो उसके विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न हीं नहीं उठता। इसीलिये हमने मामला सरकार आयोग को सौंपा है और वह उनके विचाराधीन है जैसे ही सिफारिशें उपलब्ध होंगी उनके अनुसार हम कर्यवाहीं करेंगें। किसी भी मामले में हमनें लाइसेंस की शर्तों के उल्लंघन की अनुमति नहीं दी है। हमने सदैव इस प्रश्न को खुले रूप में रखा है कि सिफारिशों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी हम इसके लिए प्रयत्नशील हैं कि क्षमता लाइसेंस अनुसार रहे इसे लागू करने का एक तरीका कच्चा माल देना है। हमने हाल ही में निर्णय किया है कि कच्चा माल लाइसेंस में दर्ज क्षमता से 125 प्रतिशत से अधिक की क्षमता के लिए नहीं दिया जाएगा क्योंकि 25 प्रतिशत बढ़ाने की तो सभी को अनुमति है। यदि कच्चा माल उपलब्ध हो तो यह अलग बात है।

अत: ऐसी बात नहीं कि हम कार्यवाही करने के इच्छुक नहीं है। हम रिपोर्ट जल्द से जलद प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। अगर हम अपने आप कार्यवाही करने लग जाएं तो यह कमीशन का अपमान होगा। अत: मेरा निवदन है कि माननीय सदस्य कुछ महीने और ठहर जाए ताकि सिफारिशे प्राप्त होने पर हम उनके अनुसार कार्यवाही कर सकें।

एक क्षेत्र में अधिक उत्पादन और दूसरे क्षेत्र में ऐसी बात के बीच भेद-भाव नहीं किया जा सकता। इसीलिए आई० एल० पी० सी० को सभी ऐसें 45 मामले भेज दिए गए हैं। अत: जब तक कार्यवाही के बारे म रिपोर्ट नहीं मिलती तब तक हम कार्यवाही नहीं कर सकते।

हम अपनी ओर से सभी उपाय जैसे कच्चे माल का नियमन आदि करते रहे हैं ताकि लगातार अधिक उत्पादन न किया जाता रहे। और इस प्रकार उल्लंघन न हो। यदि आप औद्योगिक विकास तथा विनियम अधिनियम का अध्ययन करें तो पाएंगे कि ऐसी बात नहीं कि सभी अधिक उत्पादन करने वालों को दण्ड दिया जाए। इसमें कुछ कानूनी अड़चनें भी हैं। अत: कमीशन को समूचे श्न पर विचार करना होगा। हमें कुछ और समय तो प्रतीक्षा करनी होगी।

## कार्य मंत्रणा समिति
## Business Advisory Committee

### 34वां प्रतिवेदन

**संसदीय कार्यमंत्री** (श्री के० रघुरामैया): मैं कार्य मंत्रणा समिति का 34वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं :

**इसके पश्चात् लोकसभा गुरुवार 6 दिसम्बर 1973/15 अग्रहायण 1895 (शक्) के ग्यारह बजे तक के लिए समेवत हुई।**

**The Lok Sabha then adjourned till eleven of the Clock on thursday, December 6, 1973/Agrahyana 15, 1895 (Saka).**



73—M/J(N)10LSS—490—2-5-74GIPS

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।]

[This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]